खण्ड-392, अंक-3
मंगलवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1911
(4 अप्रैल, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 392 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–95
नियम 311 और 110 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	95
जनपद देवरिया के ग्राम मरचहवा में सामूहिक हत्याकान्ड के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सूचना न दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	95
अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर अस्पष्ट दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	96
कार्यसूची क अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	97
जनपद वाराणसी के सुरियावां विकास खंड में विद्युतीकरण के सम्बन्धमें नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद वाराणसी के अराजी लाइन ब्लाक के गावों में सिंचाई हेड नलकूप से व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्गत सूचना ..	98
जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर की पुलिस द्वारा अवैध वसूली एवं जन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
जनपद बलिया के जिला परिषद् के अभियन्ता द्वारा लाखों रुपये का फर्जी भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर ब्लाक को तहसील बनाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर स्थित अमेठी से महुराकला सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर प्रथम के सहायक अभियन्ता "तृतीय" के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जांच कराने जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
औचित्य के प्रश्नों से सूचनाएं	101
उत्तर प्रदेश राज्य आवास नीति 1989..... (पटल पर रखी गयी) ..	102
औचित्य के प्रश्नों से शेष सूचनाओं को सुने जाने की मांग ..	102
प्रदेश के जनपदों में नाली खंड़जा आदि हेतु धन के आबंटन में शासन द्वारा भेद-भाव बरतने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	104
राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि का वेतनमान केन्द्र के समान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	105
प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों, शहरी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं में गबन एवं अनियमितता सम्बन्धी पारित संकल्प की संस्तुतियों को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106
गोरखपुर जिलान्तर्गत थाना घुघली के गांव बांसपार निवासी श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र की लिखायी गयी प्राथमिक रिपोर्ट की बिना जांच कराये थानाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	108

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवक्ता के चयन में शोध कार्य के महत्व को समाप्त किये जाने के सम्बधमें औचित्य का प्रश्न ..	109
कृषि विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, कार्य प्रणाली एवं क्षेत्राधिकार को आघात पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	111
विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा करोड़ो रूपये विभिन्न मदों पर परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	111
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी श्री इन्द्रराज बहादुर सिंह की अनियमितता तथा उनकी पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम में करोड़ों रूपये के घोटाले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114
श्री राम लक्षन सदस्य विधानसभा को गोरखपुर के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	116
मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी बकाये की वसूली में बुनकरों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1986-87 एवं वर्ष 1987-88 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन---.. (पटल पर रखा गया) ..	121
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1986-87 का प्रतिवेदन (सिविल) प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड (स्थानीय निकायों एवं अन्य वित्तीय सहायता) उत्तर प्रदेश सरकार (पटल पर रखा गया) ..	121
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1986-87 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार..... (पटल पर रखा गया)	121
वित्त लेखे (1986-87 एवं विनियोग लेखे 1986-87 उत्तर प्रदेश सरकार..... (पटल पर रखा जाय)	121
जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम रायपुर कुलावल के पास से केन नदी में लिफ्ट पम्प कैनाल बनवाये जाने विषयक श्री सदल प्रसाद प्रधान आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी)	121
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव.... (स्वीकृत) ..	122
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1986.... (पुरःस्थापित)	122
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	123-135
विधान पुस्तकालय में रखी भारतीय संविधान की फोटोलिथो प्रति में स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी के कथित हस्ताक्षर के सम्बन्ध में श्री शत्रुद्र प्रकाश तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	135-136
राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्चस्तर का है; के सम्पूर्ण कार्यकलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प..... (अस्वीकृत)	136-147

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सकीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति गठित किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	147–153
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव..... (स्वीकृत)	153
प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सकीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	153–156
मद सं0 19, 20 और 21 को कार्य सूची के शेष मदों के बाद में लिये जाने का प्रस्ताव..... (अस्वीकृत)	156
राष्ट्रीय राजमार्ग के पार्श्व की भूमि के प्रयोग नियंत्रण, सुधार प्रभार का उद्ग्रहण आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में संशोधन की संस्तुति किये जाने हेतु संकल्प.....(स्वीकृत) ..	157
उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989.....(पारित)	158–171
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	171
उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर बिहार सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के हासनगर मौजे में बिहार मिलिट्री, पुलिस और गुण्डों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि की खड़ी फसल पर अवैध कब्जा करने के प्रयास के सम्बन्ध में वक्तव्य...(जारी)	172–177
प्रदेश कीआठवीं पंचवर्षीय योजना की निर्धारित प्राथमिकताओं तथा आचार्य नरेन्द्र देव शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की जानकारी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	177–178
उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर बिहार सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के हास नगर मौजे में बिहार मिलिट्री, पुलिस और गुण्डों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि की खड़ी फसल पर अवैध कब्जा करने के प्रयास के सम्बन्ध के वक्तव्य ..	178
कार्य सूची की मद संख्या 49 को पहले लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	178–179
जनपद देवरिया थाना खड्डा के ग्राम मरचहवां में जंगल पार्टी के गिरोह द्वारा द्वारा 13 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या एवं 7 लोगों को गम्भीर रूप से घायल किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में चर्चा (जारी) ..	179–184
सदन की एक सर्वदलीय समिति बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखने की मांग ..	184–187
जनपद देवरिया, थाना खड्डा के ग्राम मरचहवां में जंगल पार्टी के गिरोह द्वारा 13 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या एवं 7 लोगों को गम्भीर रूप से घायल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	187–192
नत्थियां	193–195

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डल लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	जयनरायण शर्मा, श्री	मेरठ
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	निसार हुसैन, श्री	रामपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा श्री	बरेली	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
अर्जुन सिंह यादव, श्री	जौनपुर	प्रमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	फजले मसूद, श्री	देवरिया
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
कु0 उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट,	एटा	बाबू लाल, श्री	गोण्डा
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद	बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फरन)	बरेली
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली

राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम सजीवन, श्री	बांदा	सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया	सुरेन्द्र नाथ अवस्थो, श्री	बाराबंकी
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली	हरदेव, श्री	बलिया
शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
संजय सिंह, डा०	सुल्तानपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला हमीरपुर स्थित महोबा को अलग से जनपद बनाने की मांग

** 1--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-0-89 का पत्र, श्री रमेश चंदेका, अध्यक्ष साहित्य परिषद् महोबा जिला हमीरपुर के प्रार्थना पत्र सहित, महोबा को अलग से जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)--

जी हां।

वर्ष 1976 में गठित जिलापुनर्गठन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा जिला स्तरीय प्रशासनिक आयोग द्वारा 1986 में प्रस्तुत प्रतिवेन में महोबा में नया जिला स्थापित करने की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः प्रश्नगत प्रस्ताव पर संप्रति विचार करना संभव नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर गलत दिया है, यह मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि 22-6-1976 को समाचार एजेन्सी द्वारा समाचार पत्र में राजस्व परिषद् की ओर से एक बयान छपा है। इस समाचार पत्र की कटिंग मेरे पास है और उसमें समाचार न्यूज एजेन्सी की ओर से यह छपा है कि उत्तर प्रदेश में पांच नये जिले बनेंगे। मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूं "उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के अपेक्षाकृत बड़े जिलों को छोटा करने के लिये उनका पुर्नगठन करन का निर्णय किया है।"

राज्य सरकार ने इस निर्णय को मूर्तरूप देने के लिये राजस्व परिषद् से एक विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है।

राजस्व परिषद् के एक प्रबक्ता ने आज यहां समाचार को बताया कि आरम्भ में 12 बड़े जिलों कोपुनर्गठित करने की योजना तैयार की जा रही है इनमें से 4 बड़े जिलों को विभाजित करके 5 नये जिलें इसी वर्ष बना दिये जाने की आशा है।

प्रवक्ता के अनुसार इस वर्ष मेरठ जिले में गाजियाबाद, मिर्जापुर जिले में चोपन, बांदा जिले में कर्वी, हमीरपुर में महोबा और इलाहाबाद में जमुनापार नया जिला बनाने की मांग है।

मान्यवर, 1976 में राजस्व परिषद् का यह बयान है और मंत्री जी कहते हैं कि कोई संस्तुति नहींकी गई। मंत्री जी कृपया इसका स्पष्टीकरण कर दें।]

श्री माता प्रसाद---

यह संस्तुति नहीं की गई है।

श्री हरिश्चन्द, हरीशजी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है और वहां की कुल जनसंख्या कितनी है ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल 7 हजार 166 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 11 लाख 94 हजार है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बांदा जनपद के व्यापक क्षेत्रफल को देखते हुये और बांदा जनपद के लोगों की मांग को देखते हुए करवी को नया जिला बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो उस पर विचार कर रही है।

श्री बाबूलाल (हमीरपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी हमीरपुर जिले की प्रशासनिक दृष्टि से महोबा को जिला बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, इन्हीं सारी बातों पर विचार के लिये अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो इन पर विचार करती है। इसे राजस्व परिषद् के चेयरमैन के पास भेज दिया गया है कि वह इस पर विचार कर लें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नये जिले बनाये जा रहे हैं उसके लिये मानवीय मंत्री जी ने कौन से मानक निश्चित किये हैं जिनके कि आधार पर नये जिले बनाये जाते हैं ?

श्री माता प्रसाद--

मानक यही हैं कि जिले का क्षेत्रफल, वहां की जनसंख्या, वहां की भौगोलिक और समाजिक स्थिति तथा आद्योगिक विकास तथा प्रशासनिक दृष्टि आदि पर विचार करके ही नये जिले बनाने का निर्णय लिया जाता है।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर कितनी तहसीलों को जिला बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री माता प्रसाद--

तहसीलों को जिला बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उन सभी का परीक्षण करने के लिये राजस्व परिषद को भेजे जा रहे हैं। (व्यवधान) अतः प्रस्ताव आते जा रहे हैं इसलिये उनको बताना संभव नहीं है।

श्री कौशिक रमाशंकर---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूरे प्रदेश में करवी ही एकमात्र सबडिविजन रह गया है जहां ए0 ड़ी0 एम0 रैंक का एस0 डी0 एम0 कार्य देखता है बाकी जितने सबडिवीजन थे उन सभी को जिला बना दिया गया है। तो उसकी व्यापकता को देखते हुये बांदा और हमीरपुर के इलाके मिलाकर करवी जिला बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

ऐसे और भी सब डिविजन हैं, देवरिया जिले में भी है तो इन सभी बातों पर राजस्व परिषद् विचार करेगी ?

श्री फजलुल बारी---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी सिद्धार्थ नगर का डिमारकेशन ठीक से नहीं हुआ है, बलरामपुर जिला बनाने का प्रयास चल रहा है। तो बलरामपुर जिला बनाने के बाद ही सिद्धार्थ नगर का डिमारकेशन हो इस बात की घोषणा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

यह प्रश्न भी जो बलरामपुर वाली बात है राजस्व परिषद के पास भेज दिया गया है।

श्री पूरन सिंह माहरा---

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने मानक दर्शाये जिला बनाने के लिये उसमें जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थिति और क्षेत्रफल को आधार माना गया है। पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या की कमी हो सकती है लेकिन क्षेत्रफल और भौगोलिक परिस्थितियां दुरुह हैं, तो रानीखेत जहां आई0 ए0 एस0 एस 0डी0 एम0 होता है वहां जनसंख्या के आधार को शिथिल करते हुये भौगोलिक परिस्थितियों और क्षेत्रफल को देखते हुए रानीखेत को जिला बनाने की घोषणा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या और क्षेत्रफल का मानक एक साथ नहीं है। माननीय सदस्य का जो रानीखेत को जिले बनाने का प्रश्न है इसको भी राजस्व परिषद् की संबंधित समिति को भेज दिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा---

माननीय मंत्री जी को शायद जानकारी होगी कि जब हरदोई में मल्लावां एक कस्बा है जो 1864 के पहले हरदोई का मुख्यालय मल्लावां था। अंग्रेजों के जमाने में मुख्यालय बदल दिया गया था। तो क्या इस आजाद भारत में उस मल्लावां को जिला बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

इसमें असुविधा होगी हरदोई में सारे मुख्यालय बने हुए हैं उन्हें मल्लावां ले जाने में असुविधा होगी।

श्री राम शरण दास---

मेरा गांव प्रदेश में सबसे छोटा है। मैं चाहता हूं कि उसकी जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाय जो जिला हो सके ? तो क्या अल्लादीनपुर की जनसंख्या बढ़ा कर उसे जिला बनाने पर विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं आया।)

श्री गोपी नाथ वर्मा---

मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद की अकबरपुर और टांडा तहसीलों को जिला बनाने का प्रस्ताव शासन के पास आया है तो क्या इन दोनों तहसीलों को जिला बनाने पर विचार किया जा रहा है, अगर हां तो कब तक जिला घोषित कर देंगे ?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, फैजाबाद जिलें अकबरपुर और टांडा को हेडक्वार्टर बनाने की मांग आयी है । पहले तो अकबरपुर वाले तय करलें कि कहां हेड क्वार्टर बनना है । इसलिये उनकी बात भी समिति में भेज देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, 1978 में राजस्व परिषद् ने एक कमेटी बनाई थी पुनर्सीमन की जो उसमें 5 जिलों की बात हुई थी और प्रस्ताव किया था तो उसमें महराजगंज, गोरखपुर में, जिसकी आबादी अब 41 लाख है । कमेटी ने जो 4-5 की संस्तुति किया था उनकी तो घोषणा हो गयी लेकिन महराजगंज में क्या पाप किया है जो जिला नहीं बनाया गया ?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर सही है कि महराजगंज को जिला बनाने की बात सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है अभी बहुत सी चीजों की जानकारी इसमें प्राप्त की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर आपसे शिकायत है कि आप पूरा उत्तर नहीं दिलाते हैं । 1978 की संस्तुति जो 5 जिलों की समिति ने किया था उनमें 4 की घोषणा हो गयी, मैं जानना चाहता हूं कि महराजगंज को जिला बनाने में औपचारिकता में क्या कमी रह गयी है जिससे जिला नहीं बनाते हैं, इसलिये क्या मंत्री जी चुनाव के पहले इसको जिला बनाने की घोषणा कर देंगे ?

श्री माता प्रसाद---

मुख्यालय कहां बनेगा, कितनी जमीन उपलब्ध हो सकती है इस तरह की जानकारी नहीं हो पायी है जिनका पता लगाया जा रहा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, महत्वपूर्ण सवाल है, उ0 प्र0 के कई ऐसे जिले हैं जिन की जनसंख्या 35 लाख से अधिक हो गयी और आबादी लाखों हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली है । देवरिया और गोरखपुर इसमें आता है । देवरिया की 38 लाख से अधिक आबादी है, 6 तहसीलें हैं, इसको देखते हुये देवरिया में मांग चल रही है कि कुशी नगर को जिला बनाये और कुशीनगर में हेडक्वार्टर स्थापित करें क्योंकि वहां दीवानी अदालत है, राजस्व विभाग के एस0 डी0 एम0 के दो-दो मुख्यालय हैं, इसलिये जिला बनाने का क्या आश्वासन देंगे ?

दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक किन किन स्थानों के लिये जिला बनाने के प्रस्ताव आपके और समिति के समक्ष आये हैं और उसमें क्या प्रगति है ?

श्री माता प्रसाद---

मान्यवर, देवरिया को दो भागों में कुशीनगर और पडरौना, विभाजित करने की बात आयी है । इसको भी राजस्व परिषद् की समिति में भेज रहे हैं । अभी प्रस्ताव आ रहें हैं, इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि किन किन जगहों से प्रस्ताव आये हैं ?

श्री शिव नारायण मिश्र---

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि सुल्तानपुर के अन्तर्गत अमेठी को क्या जनपद जिला बनाने जा रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद---

ऐसा कोई अभी विचार नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा---

माननीय, हर जिले को बांटने की आपके पास सूचना आ रही है और आप उन सभी को एडजस्ट कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि बजाय जिलों को बांटने के प्रदेश को बांटें और पश्चिमी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, कम से कम दो प्रदेश बना दें । ....तो एक प्रदेश के अन्दर 62 जिले तो हो गये और 100/200 तक हो जायेंगे तो यह क्या मजाक होगा ? इससे अच्छा तो यह होगा कि आप प्रदेश बांट दें तो यह जिले अपने आप ज्यादा बन जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद---

प्रदेश को बांटने का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्यों की ओर से ही जिले बनाने हेतु प्रस्ताव आते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा---

पूरा प्रदेश इनके कन्ट्रोल में नहीं है फिर इसमें आपको आपत्ति क्या है ? उत्तर प्रदेश को बांटने में इनको क्या आपत्ति है क्यों नहीं बांटना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामशरण दास---

माननीय, इससे रोज-रोज की समस्या माता प्रसाद जी की हल हो जायेगी । हम इनके दुश्मन ही तो न हो जायेंगे । आप हमारे स्पीकर हैं यहां 4 असेम्बली और 4 हाईकोर्ट बन जायें तो यह विकास के लिये बहुत जरूरी है और जन-समस्यायें भी हल हो जायेंगी । आज पहाड़ का आदमी मैदान में नहीं आना चाहता है और मैदान का आदमी पहाड़ पर नहीं जाना चाहता है । इसी तरह से पूरब का आदमी पश्चिम में जाने से बचना चाहता है और पश्चिम का आदमी पूरब में जाने से कतराता है । तो इस पर आप विचार करें यह ज्यादा सुविधाजनक होगा बनिस्बत इसके कि आप घर और रसाई बांट रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

राणा जी और रामशरण दास जी ने जो प्रदेश को बांटने का सुझाव दिया है मैं बड़े नम्रता पूर्वक अर्ज करना चाहूंगा कि जिस दिन आप प्रदेश को बांटेंगे, आपकी अहमियत कम हो जायेगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस विधान सभा के 1957-62 के विधान सभा सत्र में ही महोबा का जिला बनाने के लिये टोकन-ग्रान्ट स्वीकार कर दी गई थी और सन् 76 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने महोबा की एक जनसभा में वहां की जनता को आश्वासन दिया था कि महोबा को जिला बनाया जायगा और माननीय, महोबा में

आई०ए०एस० अधिकारी ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट रहता है "व्यवधान" इन सब चीजों को देखते हुये और यह देखते हुए कि हमीरपुर से उसकी दूरी 150 किलोमीटर है, क्या मंत्री जी महोबा को जिला बनाने का आश्वासन देंगे ?

श्री माता प्रसाद---

जो आपने सवाल उठाया है, राजस्व परिषद् की जो समिति बनी है, उसमें भेज देंगे, वह विचार कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे, तो हम उस पर विचार करेंगे ।

प्रदेश के अभिवक्ताओं को भविष्य निधि दिये जाने वाले कानून को लागू करने की मांग

**2---श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिवक्ताओं को भविष्य निधि दिये जाने वाले कानून को लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो इसे लागू करने में विलम्ब के कारण क्या है ?

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)---

प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 उ०प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1988) दिनांक 15–10–88 को अधिनियमित किया गया है जो उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाय ।

उक्त अधिनियम से संबंधित नियमावली शासन के समक्ष विचाराधीन है, जो उस तिथि से प्रवृत्त होगी जिस तिथि को राज्य सरकार द्वारा उ०प्र० अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम 1988 लागू होगा ।

उक्त अधिनियम को लागू करने के बारे में कल्याणकारी स्टाम्प के मुद्रण की व्यवस्था अपेक्षित है जिसके लिये भारत सरकार तथा इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक से अनुरोध किया गया है । कल्याणकारी स्टाम्प के मुद्रण एवं वितरण की समुचित व्यवस्था होने पर उक्त अधिनियम लागू करना संभव हो सकेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

इस प्रश्न में नारायण दत्त तिवारी जी का झूठ बेनकाब हो गया है । जब वह मुख्य मंत्री होकर यहां आये थे, तो लोगों में इस बात की चर्चा फैली थी कि अधिवक्ताओं को भविष्यनिधि दी जा रही है और विधान सभा ने 15–10–88 को इस सम्बन्ध में बिल पास कर दिया था और राज्यपाल महोदय की उस पर स्वीकृति मिल गई थी । तो मैंने साफ प्रश्न किया था क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिवक्ताओं को भविष्य निधि दिये जाने वाले कानून को लागू कर दिया गया है यह मेरा प्रश्न था इसका इन्होंने कोई जबाव नहीं दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें किन परिस्थितियों में विलम्ब किया जा रहा है क्यों आप 80 हजार से भी अधिक वकीलों के सामने अपनी सरकार को झूठा करना चाहते हैं, इसमें बार काउन्सिल ने भी हड़ताल की थी और आपने उत्तर दे दिया है कि अधिनियम से संबंधित नियमावली शासन के समक्ष विचाराधीन है, जो उस तिथि से प्रवृत्त होगी जिस तिथि को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 लागू होगा ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, यह फरवरी, के महीने में उत्तर तैयार किया गया है, लेकिन लग अब पाया है, तो यह उस वक्त की स्थिति थी जो विलम्ब हुआ वह नियमावली न बन पाने और स्टैम्प न छपने के कारण हो रहा था । नियमावली बन गई है उसका एप्रूवल भी हो गया है स्टैम्प भी छप गया है इसमें अब विलम्ब नहीं है, केवल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करनी है और यह व्यवस्था इसी माह अप्रैल के अन्दर कर ली जायगी और उसको लागू कर दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया अप्रैल में लागू हो जायगा, तो क्या स्टैम्प जो छपने थे वह क्या प्राप्त हो गये हैं फार्म वगैरह सब प्राप्त हो गये हैं। दूसरी बात जो अधिनियम पारित हुआ उसमें लिखा है कि सरकार जब से तय करेगी तब से लागू होगा, तो इसको आप अप्रैल से लागू कर रहे हैं लेकिन जब इसका लाभ वकीलों को कब से मिलेगा । पूर्वगामी मिलेगा या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

पूर्वगामी प्रभाव से व्यवस्था की जायगी । स्टैम्प छपकर आ गये हैं उसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इस संबंध में एक छोटी सी मीटिंग भी हो चुकी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, हम जानना चाहते हैं कि आप उस अधिनियम के चलते क्या ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम किसी मुकदमें की निर्धारित फीस होगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

यह प्रैक्टिस के हिसाब से निर्धारित है । पांच साल वाला, दस साल वाला इसमें प्राविधान है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

पूर्वगामी प्रभाव से लागू करने की बात मंत्री जी ने कही है तो वह तिथि कौन सी है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

जिस दिन अधिसूचना जारी हुई ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहता हूं मान्यवर, अभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वकीलों की मांग को देखते हुये सदन की भावना को देखते हुए क्या कोई निश्चित तिथि बतायेंगे कि किस तिथि से अधिसूचना जारी हो जायगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मैंने निवेदन किया कि नियमावली और स्टैम्प छपने के कारण विलम्ब हो रहा था अब इसके वितरण की व्यवस्था कैसे की जाये ? इसमें बार काउन्सिल को भी भेजा गया वह इस व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं है ।

माननीय, अगर वह इस काम को करते हैं तो उनको अलग से इसके लिये सेपरेट अरेंजमेंट करने की जरूरत है। अगर शासन करता है तो उसको अरेंजमेंट करने की जरूरत है। तो जैसा मैंने बताया इसी माह के अन्दर जो सारी व्यवस्थायें हैं वह कर ली जायेंगी और उनको लागू किया जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

रेली जनपद के नबाबगंज क्षेत्र में चीनी मिल लगाये जाने का प्रस्ताव

*1—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार बरेली जनपद के नवाबगंज क्षेत्र में चीनी मिल न होने से किसानों को असुविधा तथा उनकी मांग को देखते हुए सरकार नवाबगंज में चीनी मिल लगाए जाने की शीघ्र घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

जनपद बरेली के नबावगंज में 2500 टी0 सी0 डी0 क्षमता की चीनी मिल सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लगाये जाने हेतु लाइसेंस की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बरेली में एक और चीनी मिल के लिये प्रस्ताव भेजा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव कब भेजा गया है और चीनी मिल का निर्माण कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह प्रस्ताव 18-2-89 को भारत सरकार को भेजा गया है और ज्यों ही यह प्रस्ताव अनुमोदित होकर आ जायगा नयी चीनी मिल लगाने की कार्यवाही की जायगी।

डा0 दिनेश जौहरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसी के साथ क्या मीरगंज की फैक्ट्री का प्रस्ताव भेजा गया है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां, मीरगंज चीनी मिल का प्रस्ताव भी इसी के साथ भेजा गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जनपद हरदोई में मल्लावां में भी चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव आया था। यदि हां तो वह आज किस स्तर पर लंबित है ?

श्री अध्यक्ष—

बरेली से आप मल्लावां पहुंच गये।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, केवल बरेली में ही नहीं बल्कि प्रदेश में अन्य कई चीनी मिलों का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने किन-किन जगहों पर चीनी मिलें लगाने के लिये केन्द्र सरकार को लिखा है और किन-किन जगहों के लिये स्वीकृति आ गयी है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

मान्यवर, स्नेह रोड चीनी मिल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और कार्य प्रारम्भ है। इसी तरह से गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल का आशय पत्र प्राप्त हो चुका है और कार्य प्रारम्भ है ? शेष की सूचना उपलब्ध नहीं है। कुल 9 चीनी मिलें लगायी जानी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मेरा सवाल साफ है। मैंने पूछा है कि किन - किन जगहों पर चीनी मिल लगाने की स्वीकृति अभी नहीं आयी है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

प्रदेश के किसानों को कृषि साधनों हेतु लिये जाने वाले ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी हटाने की मांग

*2---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या सरकार को जानकारी है कि ट्रैक्टर या अन्य कृषि साधनों के लिये किसान जब ऋण लेता है तो उसे कुल रकम पर साढ़े सैंतालीस रुपये प्रति हजार स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है जबकि इस प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी दूसरे औद्योगिक ऋणों पर नही ली जाती तथा सरकार पर ही बन्धक करा लेती है ? यदि हां, तो केवल कृषकों के साथ ही कृषि साधनों के ऋण, पर ही सरकार स्टाम्प बेचने का व्यवसाय क्यों कर रही है ? क्या सरकार इस पर स्टाम्प ड्यूटी अन्य औद्योगिक ऋणों की भांति ही करने एवं साढ़े सैंतालीस रुपये प्रति हजार लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

कृषकों द्वारा कृषि सम्बन्धी क्रिया कल.प के प्रयोजनार्थ तथा पम्पिग सेट या नलकूप स्थापित करने के प्रयोजनार्थ बैंकों से क्रमश: 10,000 रु0 तथा 20,000 रुपये ऋण प्राप्त करने के संबंध में निष्पादिक बंधक पत्रों पर स्टाम्प शुल्क से छूट उपलब्ध है। उन औद्योगिक ऋणों से संबंधित बन्धक पत्रों पर केवल एक तिहाई स्टाम्प शुल्क से छूट है जो ऋण प्रदेश में स्थित पिकप, राज्य औद्योगिक निगम, वित्त निगम, लघ उद्योग निगम, एक्सपोर्ट कारपोरेशन तथा बैंक जैसे लिये जाते हैं। शासन द्वारा किसानों की भूमि ऋण के बदले 5 रुपये के स्टाम्प पर बन्धक का लेने की बात सही नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने मूल प्रश्न किया था उसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है। मेरा साफ प्रश्न था कि किसान जब ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो अपनी भूमि बंधक रखता है। तब ट्रैक्टर

की कीमत पर साढ़े 47 रु0 प्रति हजार स्टाम्प पर ही बन्धक पत्र लिखाया जाता है और जब उद्योग के लिये कोई ऋण लेता है, तो उससे केवल 5 रु0 के स्टाम्प पर ही बन्धक पत्र लिखा लिया जाता है। तो मेरा प्रश्न था कि जिस प्रकार से 5 रु0 के स्टाम्प पर जो उद्योग के लिये ऋण लेने पर बन्धक पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, उसी प्रकार से किसानों से ट्रैक्टर खरीदते समय अधिक स्टाम्प का बन्धक पत्र लेने से पूरे प्रदेश के किसानों पर ही अनावश्यक बोझ पड़ता है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

इसमें श्रीमन् अन्य कृषि साधनों के लिये भी पूछा गया था।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, केवल ट्रैक्टर का ही बता दीजिये ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

इसमें जो वर्तमान में व्यवस्था थी, उसके ऊपर बताया है और जो माननीय सदस्य ने चाहा है, उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, ट्रैक्टर के ऋण पर भिन्न-भिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। केनारा बैंक बिना स्टाम्प लिये एग्रीमेंट करता है । तो जिस तरह से केनारा बैंक में स्टाम्प फ्री है, क्या उसी तरह से अन्य बैंकों को भी निर्देशित करेंगे कि जिस तरह से केनारा बैंक में फ्री स्टाम्प पर ऋण दिया जाता है उसी प्रकार से ट्रैक्टर के लिये अन्य बैंकों से भी फ्री स्टाम्प पर ऋण दिया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मुझे इसकी सूचना नहीं है कि केनारा बैंक ऐसा कर रहा है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, इसका उत्तर दिलवाइये । मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, इसको घुमा फिरा कर उत्तर देते हैं। मान्यवर, यह बिलकुल सीधा सवाल था कि जब किसान ट्रैक्टर लेता है 50-60 हजार रुपये का, तो उसे कुल रकम पर साढ़े सैंतालीस रुपये प्रति हजार स्टाम्प पर बन्धक पत्र लिखना पड़ता है, क्या इस स्टाम्प डयूटी को कम करने के लिये जिस प्रकार से अन्य ऋण लेने पर केवल 5 रु0 के स्टाम्प पर बन्धक पत्र लिखा लिया जाता है, उस प्रकार से क्या ट्रैक्टर ऋण में भी कम स्टाम्प पर बन्धक पत्र लिखाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जैसा माननीय राम चन्द्र बख्श जी है, वैसा उन्होंने कहा कि अन्य ऋण 5 रु0 के स्टाम्प पर भी दिया जा रहा है। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था नहीं है मैं कोई आश्वासन दे दूंगा तो वह ठीक न होगा।

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

माननीय, उद्योगपतियों से 5-10रु0 के स्टाम्प पर बन्धक पत्र लिखवाते हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् मैं नहीं समझता कि कुंवर मानवेन्द्र सिंह समझ नहीं पा रहे हैं। माननीय, मूल प्रश्न का उत्तर देखें, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन औद्योगिक ऋणों से संबंधित बन्धक पत्रों पर केवल एक तिहाई स्टाम्प शुल्क से छूट है जो ऋण प्रदेश में स्थित पिकप, राज्य औद्योगिक निगम, वित्त निगम, लघु उद्योग निगम, एक्सपोर्ट कारपोरेशन तथा बैंकों से लिये जाते हैं। श्रीमन एक तिहाई जो है यानि 14 रु0 के लगभग वह उन्हें देना पड़ता है। जो ट्रैक्टर के छूट के संबंध में माननीय सदस्य कहा है, तो श्रीमन् जो आज व्यवस्था है, वह मैंने व्यवस्था बताया और यह आश्वासन दिया कि जो वह चाह रहे हैं, उसके ऊपर शासन विचार कर लेगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने यह आश्वासन सदन को दिया कि ट्रैक्टर पर जो आप ड्यूटी लेते हैं, 47 रु0 प्रति हजार लेते हैं, इस पर आप विचार करेंगे ? मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्या शासन एक माह में इस पर विचार करके इन कास्तकारों से यह जो पैसा लेते हैं, इससे मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सम्भवत: इसमें समय एक माह का निर्धारित करना उचित नहीं है क्योंकि इसमें दो प्रश्न हैं एक तो यह है कि कृषि कार्य के लिये जो उपयुक्त ट्रैक्टर होता है उसके ऊपर और दूसरे के लिये जो है तो इसमें यह सुनिश्चित करना है, आइडेन्टीफाई करेंगे कि इसका उपयोग कृषि पर हो और कहां-कहां मोटर वेहिकिल्स रूल्स में कौन-कौन संशोधन करने पड़ेंगे यह सारी चीजें होंगी तो इस सबकों देखकर जो कम से कम समय लगेगा, उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि ट्रैक्टर किस कार्य के लिये इस्तेमाल होगा माननीय, बराबर का प्रदेश जो हरियाना है वहां जो व्यवस्था है, जो सुविधा दी गयी है, वैसी ही सुविधा उत्तर प्रदेश में भी दिलाने की कृपा करेंगे ? माननीय, हरियाणा के किसान को 5 रुपये के स्टैम्प में 47 रुपये हजार बिना दिये हुए खेती के ट्रैक्टर के लिये या कोई दूसरा लोन ले, वह उपलब्ध हो जाता है तो माननीय मंत्री जी से मैं आश्वासन चाहता हूं कि दूसरे प्रदेश हरियाना के अनुकूल अपने प्रदेश में व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, जब इस पर विचार करने लगेंगे तो हरियाना में जो व्यवस्था लागू है उसको देख लिया जायेगा।

(सर्वश्री बदन सिंह, गोपी नाथ वर्मा, हरेन्द्र सिंह तथा प्रधान प्रभुदयाल सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश में पेट्रोल, डीजल से चलने वाले वाहनों के धुएं से हो रहे प्रदूषण को रोकने के उपाय

*3—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगें कि प्रदेश में पेट्रोल/डीजल चलाने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं से सभी महानगरों की वायु में प्राणवायु आक्सीजन की मात्रा का

प्रतिशत काफी कम हो गया है और कानपुर में आक्सीजन की मात्रा का प्रतिशत 15 से भी कम हो गया है ? यदि हां, तो महानगरों के जनजीवन के लिये गम्भीर खतरे की इस परिस्थिति से निपटने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

प्राणवायु आक्सीजन की मात्रा का बोर्ड द्वारा अनुश्रवण न किये जाने के फलस्वरूप आक्सीजन के आंकड़े दिया जाना सम्भव नहीं है ।

उक्त कारण से आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

अधिसूचना संख्या-3037 टी/30-4-68 के0 एम0/85, दिनांक 12-7-1988 यू0 पी0 मोटर वेहिकिल्स (बावनवा संशोधन) नियमावली, 1988 जारी कर दी गयी है। शासन द्वारा उक्त नियमावली के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु लखनऊ, कानपुर व आगरा महानगरों में उपयुक्त संयंत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

श्रीमन्, पर्यावरण पर प्रचार सामग्री और पोस्टर आदि बहुत बांटे जा रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बहुत चिन्तित है लेकिन जो प्रदेश में बड़े महानगर हैं उसमें लखनऊ भी है आप स्वयं जानते हैं टैम्पो और तमाम वाहन चलते हैं इनकी वजह से आक्सीजन की मात्रा घट गयी है और कानपुर में भी घटकर 15 प्रतिशत से कम हो गयी है,। मान्यवर, सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया और कोई अनुश्रवण न हो पाया मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिससे अनुश्रवण किया जा सके और अगर है तो यह कब तक हो जायेगा; और दूसरा है कि आक्सीजन की मात्रा को संतुलित करने का क्या उपाय सरकार कर रही है और तीसरा प्रश्न है, एक अधिसूचना का जिक्र किया गया है अच्छा होता कि उसकी प्रति इसमें नत्थी होती तो वह अधिसूचना क्या है और लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे महानगरों में संयंत्र लगाये गये हैं इसका क्या उपयोग है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

श्रीमन्, इसमें जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है तो इसमें प्रश्न यह है कि जो मोटर वेहिकिल्स से गैस बाहर पीछे निकलती है साइलेन्सर के माध्यम से उससे कभी होता है कि एयर में कार्बन मोनो आक्साइड, कार्बन डाई आक्साइड और नाइट्रोजन डाई आक्साइड आ जाती है तो उससे कभी कभी गले में खराश होने लग जाती है तो आपने इसके मानीटरिंग की बात कही तो इसमें दोहरी व्यवस्था है कुछ महानगरों में जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि लखनऊ, कानपुर और आगरा के महानगरों में आर0 टी0 ओ0 वगैरह हैं और जो पुलिस ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है उनको इसके तहत इन्स्ट्रूमेंट दिये गये हैं, जो इनसे निकलने वाली गैस की मानीटरिंग करेंगे । और जो भी वेहिकिल्स होंगी, उनके खिलाफ इस तरह के केस निकलते होंगे कि मोनो आक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होगा, उनके विरुद्ध उस एक्ट के तहत कार्यवाही करेंगे । दूसरे प्रदूषण बोर्ड जो करता है, इन महानगरों के एरिया की मानीटरिंग के लिये व्यवस्था की गयी है । ये महानगर हैं देहरादून, आगरा, कानपुर और आनपारा और मान्यवर, इस वर्ष गाजियाबाद, बनारस, मुरादाबाद, और गजरौला में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, मानीटरिंग के संबंध में मैंने प्रश्न किया, आपके माध्यम से कि आक्सीजन का परसेंटेज क्या है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ? इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी

ने कोई उत्तर नहीं दिया। इन्होंने यह बताया कि पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि उसका पालन करे। लेकिन जब तक यह जानकारी नहीं हो पायेगी कि आक्सीजन की मात्रा, परसेंटेज घटी है, कितनी घटी है, तब तक ठीक से कार्यवाही नहीं हो पायेगी। जिन महानगरों का उल्लेख किया गया है, इनके विभाग ने जो व्यवस्था की है, उसके लिये कौन-सा संयंत्र है और वह पहले से उपलब्ध है कि नहीं!

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, आखिरी प्रश्न का उत्तर आ गया। पहला प्रश्न जो था, पूरे के पूरे नेचुरल कि नोमिना में इसका परसेंटेज 21 है, पूरी पृथ्वी पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मात्रा घटती नहीं है, लेकिन कभी-कभी यह हो सकता है कि शीतकाल के समय में ओस वगैरह या ह्यूमिलिटी ज्यादा होती है, एरिया में, तो उस समय मोनो आक्साइड या कार्बन डाई आक्साइड भारी होने के कारण वहां पर थोड़े समय के लिये रुक जाती है, एक दम से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि गैस हल्की होती है, ऊपर जाकर डाइलूट हो जाती है उस एटमास्फियर में क्योंकि प्राकृतिक तरीके से ऐसी व्यवस्था होने के कारण यह सूरज की किरणों के साथ नेचर में परिणित हो जाती है। इसीलिये व्यवस्था बनायी गयी है कि जंगल लगायें सोशल बानिकी में और इसको ठीक करने के लिये जंगल लगायें और पेड़ न काटे जायं, यह सब इसी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी---

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां आक्सीजन की स्थिति क्या है, उसको नापने के लिये व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, गोरखपुर बहुत बड़ा है जिसकी स्थिति कानपुर के समान बड़ी भयावह हो गयी है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर को उन जिलों में शामिल करने की कृपा करेंगे!

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, आक्सीजन का नहीं, एरिया में जो हानिकारक चीजें आती हैं, मोनो आक्साइड वगैरह, उनकी मानीटरिंग करते हैं। गोरखपुर के बारे में जो कहा गया, इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने 21 परसेंट आक्सीजन की बात कही, जहां तक मेरी जानकारी है, मान्यवर यह 21 परसेंट न होकर 20 परसेंट आक्सीजन है, वह भी मैदानी इलाकों में, शहर में नहीं मंत्री जी ने जो एग्जास्ट का जिक्र किया कि मानीटरिंग करेंगे और उसके बाद पुलिस कार्यवाही करेगी, तो यह एग्जास्ट की मानीटरिंग कब की गयी थी और मानीटरिंग के बाद कोई मामला दर्ज किया गया लखनऊ में यदि दर्ज किया गया तो उनकी संख्या कितनी है और क्या कार्यवाही की गयी!

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर 12-7-88 को 52 वां संशोधन करके अधिकार दिया गया था। यह भारत सरकार का एक्ट है जो इन्होंने लागू किया है और उनको चूंकि प्रदूषण बोर्ड की ओर से नहीं दिया जाना था, लेकिन उन्होंने व्यवस्था की है, उसकी सूचना बतायी है। उसकी डिटेल सूचना मेरे विभाग से संबंधित न होने के कारण मेरे पास नहीं है।

श्री फजलुल बारी---

मान्यवर, मा0 मंत्री जी सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि 21 परसेंट आक्सीजन होना चाहिये तो उस वाल्यूम में.....

(माइक पर न बोलने के कारण ठीक से सुनाई न देने पर)

श्री अध्यक्ष--

माइक पर बोलें।

श्री फजलुल बारी--

आक्सीजन का परसेंटेज 21 से घटकर कितना पहुंचा है, लखनऊ में, कानपुर में, यह पूछना चाहता हूं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैंने जो बताया माननीय सदस्य ने संभवत: सुना नहीं, सुना है तो समझा नहीं। मैंने यह कहा कि टोटल विश्व का फेनोमना है उसमें 21 प्रतिशत आक्सीजन रहती है। उसी के अन्तर्गत यह भी बताया कि वैज्ञानिकों का कहना है 21 प्रतिशत से कभी कम नहीं होती है। अब आप सुन तो ले मुझे। कहीं डीजल है, उससे मशीन हैं, चिमनी से कभी-कभी कहीं दूसरे परसेंटेज के कारण आक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। फोटोसिन्थेसिस की क्रिया हम सभी जानते हैं। वनस्पति है, क्लोरोफिल के माध्यम से कार्बन डाइ आक्साइड, मोनो डाइ आक्साइड.....

(व्यवधान) होने पर

श्री अध्यक्ष--

अभी आप लोग बैठें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

लेकर कम्पोज करती है। यह प्राकृतिक सर्किल है यह चलता रहता है, इससे बैलेंस बना रहता है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नेचुरल फिनोमिना की बात कही। 100 फीसदी में से 21 प्रतिशत आक्सीजन रहती है। कार्बनडाइ आक्साइड मोनो डाइ आक्साइड हानिकारक हैं स्वास्थ्य के लिये, पर्यावरण को नष्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करे।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मेरा प्रश्न यही था कि नापने की कोई व्यवस्था सरकार ने की है।

श्री ओमप्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा कि मानिटरिंग करने की और नापने की व्यवस्था की गयी है। मैंने शहर भी बताये--देहरादून, आगरा, कानपुर, लखनऊ में, आनपारा में प्रदूषण बोर्ड की व्यवस्था की गयी है। तीन शहरों में इस वर्ष की जा रही है, गाजियाबाद, गजरौला, नोएडा, फिरोजाबाद। इसमें इस वर्ष की जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 88 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

मुजफ्फरनगर व खतौली में हुए दंगे की जांच रिपोर्ट

*2–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अक्टूबर, 1988 में मुजफ्फरनगर तथा खतौली में हुए दंगों के कारण की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि जांच नहीं कराई गई, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

प्रश्नगत दंगों के कारणों की जांच का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

अक्तूबर माह में दंगे हुए हैं उसके बाद गिरफ्तारियां की गयीं। अक्तूबर माह में यह घटित हुआ है अब अप्रैल माह आ गया है, कौन सी समस्या हो गयी जो जांच नहीं करायी गयी? आपने कहा है कि जांच का मामला विचाराधीन है, मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच कब करायेंगे और किस एजेन्सी से करायेंगे? गिरफ्तारियां की गयी बिना जांच के गिरफ्तारियां की गयीं, जिन पर एन0 एस0 ए0 लगा था, वह कौन-कौन थे?

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, यह जो घटना हुई थी, उसके संबंध में गिरफ्तारियां की गयी थीं। जो मामला है उसका परीक्षण हो रहा है। अभी तक स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की गयी थी उसके बाद जो घायल हुए थे उनकी व्यवस्था की गयी उसक बाद सारे तथ्यों को देखने के बाद सरकार परीक्षण करके निर्णय लेगी।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बड़ा संगीन मामला है, दंगे हुए हैं, कितने लोग मारे गये, कितने गिरफ्तार हुए, इसमें पूरी सूचना नहीं दी।

वहां के लोगों का यह कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किये गये, जिनका मंत्री जी से जातीय झगड़ा था, वक्ती जमीन को लेकर। अगर सरकार का दामन साफ है, सरकार पर यह भी इल्जाम है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार पर निश्चित इल्जाम है कि वहां पर दो मंत्री हैं दोनों की खींचातानी में यह दंगा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा अगर सरकार का दामन साफ है.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री मुहम्मद आजम खां--

कितने लोग मारे गये, किस तरह की व्यवस्था की गयी कि वहां उनका इलाज हो जाय, यह सरकार बताये जब दंगे के बाद की स्थिति सरकार के इलम में है तो दंगा होने की असल वजह क्या थी? मान्यवर, सरकार भी जानती है कि दंगों की असल वजह क्या थी लेकिन अगर वह इस बात को न बता सके तो इस बात को माने, कि दंगे में मंत्री जी का भी हाथ है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार को मालूम है दंगे के बाद क्या हुआ, तो सरकार उसे छुपाना क्यों चाहती है ?

श्री अध्यक्ष --

यह कोई प्रश्न नहीं है, आप अपना प्रश्न नहीं कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां-- [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय आजम साहब आप बठें, यह कोई तरीका प्रश्न करने का नहीं है, जो आप बोल) रहे हैं, वह नहीं लिख जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां-- [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आजम साहब, आप बैठें, आपका प्रश्न साफ नहीं है। मैंने रघुवर दयाल वर्मा जी को बुलाया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बिल्कुल साफ प्रश्न मेरा है। सरकार ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि शासन के विचाराधीन है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि वह कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मामला शासन के विचाराधीन है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, पहले आपके प्रश्न का उत्तर है कि माह अक्तूबर की 8 तारीख को 9.30 बजे विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल वालों ने कुछ अल्पसंख्यकों की दुकानों को बन्द कराने का प्रयास किया, जिस पर उक्त घटना घटी। जहां तक आपने कुछ और प्रश्न किये है, उनके संबंध में बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से भरसक यह प्रयास रहा है कि किसी तरीके से दंगों को न भड़कने दिया जाय। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां के 99 प्रतिशत हर वर्ग के लोगों ने इस बात की तारीफ की कि मैंने पूरे मुजफ्फरनगर में हर वर्ग के लोगों के साथ लेकर शांति व्यवस्था कायम करने की चेष्टा की।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन यह करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप पूरा प्रश्न देखें कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अक्तूबर, 88 में मुजफ्फरनगर तथा बतौली में हुये दंगों के कारणों की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और श्रीमन, इसका, उत्तर आया है कि प्रश्नगत दंगों के कारणों की जांच का मामला शासन के

नोट--[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विचाराधीन है। श्रीमन्, प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ दिया गया है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह जांच न कराने के क्या कारण हैं? अक्तूबर में दंगे हुये और अक्तूबर से आज तक जांच न कराने के क्या कारण हैं और जो दोषी व्यक्ति हैं; उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, इस घटना के संबंध में करीब 278 मुकदमें कायम हुये। तो इन सब मुकदमों, में सब कागजात का परीक्षण करना, दोषी व्यक्तियों के बारे में निरीक्षण करने और परीक्षण करने में समय तो लगता ही है जैसे ही परीक्षण हो जायेगा, कार्यवाही की जायगी। जहां तक आपने बाकी जो प्रश्न किये हैं, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से मरे हुये लोगों तथा घायल हुये लोगों के परिवारों के इमदाद दी गयी है। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी स्थिति का जायजा लेने के लिये वहां गये थे। हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि भविष्य में किसी किस्म की बात न हो, परन्तु कुछ अराजक तत्वों ने स्थिति को विगाड़ने का प्रयास किया था। इसके बावजूद भी हम लोगों ने शान्तिव्यवस्था को कायम करने के लिये जो प्रयास किया, उसकी सभी वर्गों के लोगों ने ताईद की है।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जिस जनपद में 1947 में दंगा नहीं हुआ था, वहां यह दंगा हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन बातें पूछना चाहता हूं, पहला वे कौन से कारण हैं, जिनकी बजह से आप जांच नहीं करा रहे हैं और यदि जांच करायेंगे तो किस एजेन्सी से करायेंगे दूसरा, शान्ति मार्च में दंगा करने वाले लोग कौन थे और किसकी उत्प्रेरणावश यह दंगा हुआ तीसरा, खतौली में जो 10 बजे घटना हुई और जिले स्तर पर इसकी सूचना एक बजे दी गई, इसके लिये दोषी अधिकारी कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मान्यवर, प्रशासन व पुलिस के खिलाफ कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं। महानिदेशक से कहा गया है कि वह इन पर तुरन्त अपनी आख्या दें। आख्या आने के बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो जांच करवाई जायेगी। जांच किससे कराई जायेगी, अभी इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार का दामन साफ है या नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि हमारे मंत्रियों पर जो आरोप लगाये गये है, वे बिल्कुल निराधार हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का जबाव नहीं आया। मैंने तीन बातें पूछी थीं। पहला खतौली में जो घटना 10 बजे हुई उसकी सूचना जिला स्तर पर 1 बजे पहुंचाई गई, इस बिलम्ब के लिये कौन दोषी अधिकारी हैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? दूसरा आप जांच किस एजेन्सी से करवायेंगे, और वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से आप जांच नहीं करवा रहे हैं, तीसरा, शान्ति मार्च का आयोजन किसने कराया और जिन लोगों ने हमला किया, वे किस मंत्री के आदमी थे? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोग जेल में हैं?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, जो शान्ति जुलूस निकल रहा था, उसमें सभी वर्गों के लोग थे। उसमें कुछ लोग असामाजिक तत्व थे। हरीश छाबड़ा आदि लोग थे, उनको वह छुड़वाना चाहते थे, उन्होंने ही शान्ति मार्च पर डण्डे बरसाये और दुकानें लूटीं। मान्यवर, यह बहुत ही

तकलीफ देय घटना है, मेले पास इसके लिये एल्फाज नहीं है कि कैसे मैं इस घटना के बारे में कहूं, जहां कभी इस किस्म की कभी कोई बात ही नहीं हुई हो। खतौली के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 10 बजे की घटना की सूचना 1 बजे जिला स्तर पर दी गई है, इसे हम दिखवायेंगे, जो भी दोषी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी वैसे अभी तो परीक्षण चल ही रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके सम्बध में एक तरफ तो माननीय मन्त्री जी ने यह नहीं कहा कि कोई जांच करायी गयी है और सम्पूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है। उनक उत्तर से मालूम होता है कि या तो जांच पूरी नहीं हुई है या कोई जांच चल रही है। दूसरी तरफ वातावरण को खराब करने के लिये दो संगठनों का नाम ले लिया कि उन्होंने बाजार बन्द कराये। मेरा निवेदन है कि जब तक मन्त्री जी कह रहे हैं कि जांच चल रही है तब तक दो संगठनों का जिनका नाम लिया है, उनके नाम को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(अध्यक्ष पीठ की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया)

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है, जैसा मलिक साहब ने बताया था, इसका उत्तर आया है कि कारणों का मामला शासन के विचाराधीन है। जानना चाहता हूं कि जब विचाराधीन है तो उन लोगों को जिनको जेल भेजा है, उनको जेल भेजने का क्या कारण है? दूसरी बात, इन दंगे में जो लोग मरे हैं, क्या शासन उनको परिवारजनों को मुआवजा देने का काम करेगा? मृतकों क नाम क्या-क्या हैं?

श्रीसईदुज्जमा---

जो घटनायें हुई थीं, उनके सम्बन्ध में जो-जो एफ0 आई0 आर0 लाज की गयी थी उसके सम्बन्ध में लोगों को जेल भेजा गया था। सब लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं, 3-4 लोगों को छोड़कर।

(विपक्ष की ओर से "कांग्रेसी कितने हैं?" की आवाज आने पर) इसमें कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी की बात नहीं है, इसमें अराजक तत्वों की बात है। जितने भी मृतक थे उनको मुआवजा दे दिया गया है और जो घायल थे उनको भी मुआवजा दे दिया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री बाबू सिंह:---

माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि दंगाग्रस्त इलाकों में जो सरगरमी पैदा कर रहे थे, किस दल के लोग थे? दूसरी बात, जिस समय झगड़े की शुरुवात हुई, मन्त्री जी वहां मौजद थे और उनके मकान के निकट ही 20 गज के फासले पर लोगों को मकान में बन्द करके जलाया गया, ऐसी स्थिति में जानना चाहूंगा कि कौन मुख्य लोग थे, जो दंगा भड़काने में सक्रिय थे?

श्री सईदुज्जमा---

इसका पहले ही जवाब दे चुका हूं, जिस पर माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी। जहां तक दूसरा प्रश्न किया है जब मैं पहुंचा झगड़ा शुरू हो चुका था।

(घोर व्यवधान)

जनता पार्टी और दूसरे दलों के लोग थे, कांग्रेस के लोगों का हाथ नहीं था।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उस दंगे में सभी पार्टियों के लोग थे मैं जनता पार्टी का उप नेता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उसमें कोई जनता पार्टी का आदमी शामिल नहीं था और माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि या तो माननीय मंत्री जी उन लोगों के नाम बतायें जो दंगे में शामिल थे अन्यथा फिर जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना ढंग से जनता पार्टी का नाम लिया है, उस पर अपना खेद प्रकट करें और अपने शब्द वापस लें।

श्री सईदुज्जमा--

इसमें जैसा कि क्वेश्चन आया था उसमें जो तथ्य थे, वह ऐसे तथ्य थे कि जिनके नाम आये, वह भेज दिये गये। इसमें पार्टी से संबंधित कोई बात नहीं थी।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, इनसे कहिये कि अपने शब्द वापस लें और वह कार्यवाही में लिखा जाय।

श्रीअनुग्रह नारायण सिंह--

उस दंगे में कांग्रेस के लोग शामिल थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

श्री अनुग्रह नारायण सिंह, आप बैठे।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, यह मेरा पड़ोसी जिला है, मुजफ्फरनगर कोई दूर नहीं है। अभी मा0 सईदुज्जमा साहब ने जो कहा, इनका भी क्षेत्र मेरे यहां से मिला हुआ है और मेरी निश्चित जानकारी है कि इनके लोग उस दंगे में इनवाल्व थे। उस दंगे में कांग्रेस (आई0) के तमाम लोग शामिल थे। यही कारण है कि उस दंगे की जांच नहीं करवायी जा रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि जैसा अभी माननीय मलिक जी ने भी कहा है कि इस तरह की घटना मुजफ्फरनगर में नहीं हुई। मैंने पहले भी कहा है कि यह संवेदनशील मामला है। हम आख्या मांग रहे हैं, यदि आवश्यकता हुई तो जांच भी करायी जायेगी।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे सदन को भ्रमित न करें। 1988 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था उसमें किन-किन लोगों के नाम हैं ? आपने सीधे-सीधे किसी पार्टी पर आरोप लगा दिया, क्या जो रिपोर्ट आयी है उसकी जांच आप करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? यह सरकार आज पूरे प्रदेश में दंगे भी करा रही है क्रिमिनल लोगों को तमाम तरह के हथियार प्रदान कर रही है, इसकी सांठगांठ दंगायियों के साथ है। दंगायियों के साथ कांग्रेस सरकार की सीधे सांठगांठ है। यदि ऐसा नहीं है, तो आप एलान करिये कि 1988 के मुजफ्फरनगर के दंगे के बारे में कि आप उसकी जांच करायेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मैं इससे इन्कार नहीं कर रही हूं, लेकिन मैंने अभी कहा है कि आख्या मांगी गयी है, यदि आवश्यकता हुई तो जांच भी करायी जायेगी । आ जाने दीजिये अगर आवश्यकता हुई तो जांच अवश्य करायी जायेगी । (एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय तिवारी और मा0 रेवती रमण सिंह जी ने इस दंगे के प्रति जांच कराये जाने की जो मांग रखी है और जो मा0 मंत्री जी की ओर से कुछ दलों के नाम लिये जाने की बात कहीं है, पहले इन दोनों को स्पष्ट किया जाए कि अपने दल के पापों को छुपाने के लिए एक नया मोड़ दिये जाने के लिए इस तरह के गलत नाम लिये जा रहे हैं जो किसी भी तरह से उचित नहीं है और इस बात की जानकारी सभी को उस समय हुई जब समाचार पत्रों में चारों तरफ यह बात प्रचारित हुई कि यहां पर दंगा कराने के लिये दो मंत्रियों के हाथ हैं, आपसी रंजिश के कारण। एक तो मा0 हुकुम सिंह जी का नाम और दूसरा सईदुज्जमा साहब का नाम..... (कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस गम्भीर मामले की तत्काल जांच कराने की घोषणा करेंगे ? (घोर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रश्नकाल में केवल प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ माननीय सदस्य अपना भाषण दे रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आज समूचा विपक्ष चाह रहा है कि इन तथ्यों की ब्योरेवार पूरी रिपोर्ट आए, साथ ही सारे लोग यह भी जानते हैं कि यह बात हर जगह समाचार-पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित हुई कि मुजफ्फरनगर में दो मंत्रियों के टकराव के कारण दंगे हुए, इसलिये इन तथ्यों की गम्भीरता को देखते हुए कोई न्यायिक जांच कराने पर आखिर यह सरकार क्यों कतरा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी-

मान्यवर, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि सारी चीजों के परीक्षण हो रहे हैं, जिस पर आख्या मांगी गयी है, उन्हें आ जाने दीजिये अगर आवश्यक हुआ तो जांच भी करायी जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, यह सरकार अपने दो मंत्रियों के काले कारनामे के कारण सारे प्रदेश में साम्प्रदायिकता को भड़काना चाहती है और सारे वातावरण भड़काने पर आमादा है, इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का अपने दल के साथ त्याग करता हूं.....(व्यवधान

(तदुपरान्त श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह तो अब सभी जान गये हैं कि यह सरकार यह सत्तारूढ़ दल के लोग जानबूझ कर अपने वोटों की लालच मे साम्प्रदायिक टकराव को पैदा करना चाहते हैं और इस संबंध में

हमारा स्पष्ट आरोप है कि माननीय हुकुम सिंह और मा0 सईदुज्जमा साहब के काले कारनामों के कारण ही दंग हुए हैं, इसलिए माननीय तिवारी जी ने जो भी आरोप इन पर लगाए हैं, न अपने को तथा अपने दल को उनसे सम्बद्ध करते हुए मैं एवं मेरा दल भी इस सदन का बहिर्गमन करता है। (व्यवधान)

(तदुपरान्त श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सहारनपुर में उस समय मौजूद थे और इनकी मौजूदगी ही इस तरह के दंगे हुए हैं, इसलिये मेरा स्पष्ट आरोप है कि इन मा0 मंत्रियों के काले कारनामों की जांच करायी जाए ताकि तथ्य स्पष्ट हों, इसी के विरोध में मैं एवं मेरा दल भी सदन का त्याग करता है।

(तदुपरान्त श्री राम आसरे वर्मा भी निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या—3, माननीय मंत्री जी.....

प्रदेश में पुलिस एवं होमगार्डस् की सुविधाओं में विषमता को दूर किया जाना

*3—श्री शारदा प्रताप—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि सिविल पुलिस के जवानों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की अपेक्षा होमगार्ड के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में असमानता है जैसे चिकित्सा सुविधा से वंचित होना, पौष्टिक आहार भत्ते से रहित होना एवं परिवार की जीविका के लिए निर्धारित वेतन का कम होना, वर्दी की व्यवस्था आदि? यदि हां, तो क्या इस असमानता को दूर करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

होमगार्ड राज्य मंत्री श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

जी हां।

सिविल पुलिस के जवान पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित वेतन मिलता है जबकि होमगार्ड के जवान अवैतनिक स्वयं सेवक हैं। अतः सिविल पुलिस के जवानों एवं होमगार्ड के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में समानता का प्रश्न ही नहीं है। ड्युटी एवं प्रशिक्षण के दौरान आहत एवं बीमार होने वाले होमगार्डस स्वयं सेवकों को निः शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु उन्हें सिविल पुलिस के जवानों की भांति कोई पौष्टिक आहार भत्ता नहीं दिया जाता है। होम गार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संस्था है जिसके सदस्य ड्युटी के दिनों में "पारिश्रमिक" पाते हैं, वेतन नहीं। इन स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक की दर दिनांक 1—1—89 से रु0 15 से बढ़ाकर रु0 22 प्रतिदिन कर दी गई है। जनपद के बाहर ड्युटियों के लिये भी पारिश्रमिक रु0 23.50 से बढ़ाकर रु0 30.50 प्रतिदिन कर दिया गया है। होमगार्डस के जवानों को ड्युटी एवं प्रशिक्षण के दौरान मौसम के अनुसार वर्दी उपलब्ध कराई जाती है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सिविल पुलिस और पी0 ए0 सी0 के संगठन हैं, उसी प्रकार से होमगार्ड को भी

बढ़ाने पर विचार करेगी; क्योंकि उनके काम के घंटे और उनकी कार्य कुशलता एक समान है ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

श्रीमन्, होमगार्ड संगठन पुलिस बल के सहायक के रूप में काम करता है और यह एक स्वयं सेवी संगठन है। भारत सरकार भी इसे स्वयं सेवी बनाये रखने पर बल दे रही है, तो यह प्रश्न नहीं उठता है।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो होम गार्ड की ड्युटी है और जो पुलिस की ड्युटी है, उसी प्रकार से प्रादेशिक विकास दल के जवान काम करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनको भी वही सुविधायें देने पर विचार करगी जो होम-गार्ड के लोगों को दे रही है। वह किसी प्रकार से कम काम नहीं करते हैं, क्या उनका संगठन बनाने की कृपा करेंगे।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

श्रीमन्, यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो होमगार्ड अधिनियम है, उसकी धारा 50 है, उसमें यह प्राविधान है कि जब वह ड्युटी पर होगा तो उसको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक सिविल पुलिस को प्राप्त होते हैं, तो उन की सेवा शर्तो में विभेद रखने का क्या कारण है ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया कि होमगार्ड एक स्वयं सेवी संस्था है, जब वह काम करेंगे तो उसका उनको पारिश्रमिक मिलता है। इसलिये उनकी सुविधाओं में समानता होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(मंगलवार दिनांक 4 अप्रैल, 198 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जनपद फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल द्वारा किसानों को गन्ने के बढ़े हुए मूल्य का भुगतान

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानारी है कि सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में दिसम्बर, 1987 से 50 पैसे कुन्तल की, की गई बढ़ोत्तरी का भुगतान फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल द्वारा किसानों को नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और किसानों को सही दाम दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में दिसम्बर, 1987 से 50 पैसे प्रति कुन्टल की दर से की गई बढ़ोत्तरी का भुगतान (दिनांक 1-12-87 से 19-1-88 तक) चीनी मिल मसौधा द्वारा गन्ना समितियों को कर दिया गया है। गन्ना समितियां किसानों को भुगतान कर रही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने किसानों का कुल कितना धन गन्ना समितियों को दिया गया है और एक साल बीत जाने पर भी अभी तक कुल कितना धन दिया जा चुका है और कितना अब भी बकाया है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, दिसम्बर, 1987 से 1988 तक जो गन्ना क्रय किया गया उसका कुल मूल्य 3,79,792.50 रुपया है। मसौधा मिल के अन्तर्गत तीन समितियां हैं एक फैजाबाद, मसौधा और दरियाबाद/फैजाबाद को 17–9–88 को 1,66,579.61 रुपये का भुगतान होना था और 84,074.59 पैसा का भुगतान कर दिया गया है और 82,505.02 रुपये शेष रह गये हैं। इसी तरह से मसौधा का 12–7–87 से 1,86,712.58 रुपया रहा जिसमें से 71,312.58 रुपये का भुगतान किया गया और 1,15,400 रुपया शेष रह गया। बलिया का 22–11–88 से 26,500.31 रुपया था जिसमें से 18,475 रुपये का भुगतान किया गया और 8,025.31 रुपया बाकी रहा। इस तरह से जिसका अवशेष रह गया है, वे वहां जायं और भुगतान ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*2—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

श्री मित्रसेन, सदस्य विधान सभा पर हुए प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच व कृत कार्यवाही का विवरण

*3—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 में प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राणघातक हमलों तथा साजिश पूर्ण कार्यवाही के विषय में अब तक किन-किन अभियुक्तों को गिरफ्तार व नीलामी की कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

माननीय विधायक श्री मित्रसेन यादव द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट मु0 अ0 सं0 99/87 थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद के सम्बन्ध में अभियुक्त दल बहादुर सिंह, कल्लू सिंह तथा माता बक्स सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके विरुद्ध आरोप पत्र दि0 16–12–1988 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अन्य के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुआ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के अनुसार मू–राजस्व को समाप्त करने पर विचार

*4—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भारत के लेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1985–86 के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के पैरा 1.4 के अनुसार वर्ष

नोट—नक्षत्री 'क' तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

1985-86 में भू-राजस्व के सकल संग्रह पर संग्रह व्यय सकल संग्रह का 96 प्रतिशत था ? यदि हां, तो सरकार इस भू-राजस्व को तत्काल समाप्त करने अथवा इसे ग्राम सभाओं को स्थानान्तरित करने, जिसे ग्राम सभायें स्वयं संग्रहीत करें, की घोषणा तत्काल करेगी ? यदि नहीं ? तो क्यों ?'

श्री माता प्रसाद--

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1985-86 के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के पैरा 1.4 में संग्रह व्यय 96 प्रतिशत केवल भू-राजस्व की वसूली पर ही संग्रह अधिष्ठान पर हुये कुल व्यय के अनुपात में दर्शाया गया है, जो तथ्य संगत नहीं है। सकल वसूली के अनुपात में सकल संग्रह व्यय का प्रतिशत 13.89 था।

ग्राम सभाओं को भू-राजस्व संग्रह करने के अधिकार कलेक्शन मैनुएल में नहीं है और न तो इसे ग्राम सभाओं को स्थानान्तरित करने की ही, आवश्यकता है।

* 5--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[दि0 21-2-89 को अता0 प्र0 सं0 71 द्वारा उत्तरित]

* 6--श्री दीप चन्द्र सोनकर--

[दि0 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 37 द्वारा उत्तरित]

श्री एहसान उल्ला ग्राम रघौली, थाना घोसी जनपद आजमगढ़ की रघौली थाना के पुलिस द्वारा पीट-पीट कर मार डालने का आरोप

* 7- श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रघौली, थाना घोसी जनपद आजमगढ़ के निवासी एहसानउल्ला को दिनांक 25/26-2-88 की रात को थाना घोसी की पुलिस घर से पकड़ ले गई, और थाने में पीट-पीट कर मार डाला जिसके बारे में पुलिस-कर्मियों के विरुद्ध अपराध संख्या 42/88 अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 26-2-88 को मुकदमा कायम हुआ ? यदि हां, तो इस मामले की तफ्तीश कौन कर रहा है तथा मुलजिम कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां।

मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गई। जांच आख्या के अनुसार पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

* 8--श्री सूर्य प्रताप शाही--

(दि0 28-3-89 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित)

जनपद मुजफ्फरनगर में हड्डी मिलों से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों का स्थल परिवर्तन

* 9--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा खतौली जनपद मुजफ्फरनगर में हड्डी मिलों के प्रदूषण (वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषण) से वहां के नागरिकों का जीवन दुःखद हो गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में हड्डी मिलों को खतौली आबादी क्षेत्र से हटाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

खतौली (मुजफ्फरनगर) में स्थित हड्डी मिलों की प्रक्रिया से दुर्गन्ध उत्पन्न होती है तथा हड्डियों के भन्डारण के कारण जल प्रदूषण होता है।

जी हां।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था न करने के कारण उद्योगों के विरुद्ध अभियोजन करने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा उद्योग के स्थल परिवर्तन हेतु जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर को 9 फरवरी, 1987 को कार्यवाही किये जाने हेतु सन्दर्भित किया गया था। उद्योगों के स्थल परिवर्तन का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

लागू नहीं होता है।

बरेली महानगर में परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

*10---डाक्टर दिनेश जौहरी---

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगर की बढ़ती हुई परिवहन की समस्या को देखते हुए यहां बसों की मुन्द्रिका सेवा प्रारम्भ करना अति आवश्यक हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मुन्द्रिका सेवा यथा शीघ्र प्रारम्भ करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

बरेली नगर में नगरीय परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस निमित्त नगर के बाहर की नई आबादियों के जोड़ने हेतु अतिरिक्त सेवायें चलाये जाने के प्रस्ताव हैं। इनमें से कुछ सेवायें शहर के चारों ओर भी चक्कर लगायेंगी।

1-4-89 से अतिरिक्त सेवायें चलाने का प्रस्ताव है, जिसमें मुन्द्रिका सेवाओं का भी प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे में मृतकों, घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिया जाना एवं दंगो का रोक थाम

*11---श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में दिनांक 3 जुलाई, 1988 को हुये उपद्रव में कितने लोग घायल हुये और कितने व्यक्ति मारे गये ? इनके मृतकों व घायलों के आश्रितों को क्या आर्थिक सहायता दी गई ? क्या सरकार ने भविष्य में साम्प्रदायिक उपद्रवों की रोक-थाम के लिये कोई योजना में तैयार की है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद में दिनांक 3-4 जुलाई, 1988 को हुये उपद्रव में घायल व्यक्तियों की संख्या शून्य तथा मृतकों की संख्या केवल एक है। जी हां, मृतक की विधवा को रु0 बीस हजार की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है।

साम्प्रदायिक उपद्रवों की रोकथाम के लिये समय समय पर आवश्यकतानुसार आवश्यक कदम उठाये जाते है तथा प्रदेश के समस्त जिलों में दंगा नियंत्रण योजना उपलब्ध है। चूंकि यह एक परमगोपनीय अभिलेख है अतः इसके स्वरूप के बार में कोई सूचना देना लोकहित में नहीं है।

देवरिया में सलेमपुर तहसील के बाढ़ पीड़ितों को क्षति पूर्ति

*12--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में इस वर्ष लगभग 90 गांव बाढ़ की चपेट में आ गये थे और जिसमें करीब पचास लोग पानी में डूबे या बह कर मर चुके हैं ? यदि हां, तो बाढ़ पीड़ितों एवं मरे हुए लोगों को शासन ने तत्काल क्या सहायता दी है ? मकान गिरने एवं फसल की क्षति पूर्ति के लिए शासन क्या कर रहा है ?

श्री माता प्रसाद---

देवरिया जनपद के तहसील सलेमपुर में इस वर्ष (1988-89) में कुल 585 ग्राम बाढ़ से प्रभावित रहे हैं जिसमें बाढ़ के फलस्वरूप 39 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें से 35 मृतक आश्रितों को रु0 5000.00 प्रत्येक मृतक की दर से कुल रु0 1,75,000 अनुग्रह धनराशि के रूप में वितरित किया गया है। शेष 4 मृतकों में एक मृतक के उत्तराधिकार का विवाद चल रहा है, एक मृतक उत्तराधिकारी ने अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने से अस्वीकार कर दिया तथा दो की मृत्यु संदिग्ध होने के कारण अनुग्रह धनराशि नहीं दी गई। क्षतिग्रस्त मकान से प्रभावित परिवारों में 10.01 लाख रुपये गृह अनुदान वितरित करा दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित 585 ग्रामों में भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई है।

दि लक्ष्मी शुगर मिल्स एण्ड आयल मिल्स लि0 हरदोई द्वारा कतिपय ग्राम सभाओं के कृषकों से खरीदे गये गन्ने के बकाये धनराशि का भुगतान

*13---चौधरी महाराज सिंह---

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि लक्ष्मी शुगर मिल्स एण्ड आयल मिल्स लि0 हरदोई ने जून एवं जुलाई, 1978 में ग्राम पंचायत चचरापुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं के किसानों से गन्ना खरीदा था ? यह गन्ना कितनी मात्रा में खरीदा था ? इसका भुगतान किस विधि से किया गया था ? क्या भुगतान किसानों को प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो कितने किसानों को उनके गन्ने का मूल्य प्राप्त हो गया था ? क्या यह सही है कि पर्चियां जारी करने के बाद किसानों का आज तक उनके गन्ने का मूल्य प्राप्त नहीं हो सका है ? यदि हां, तो शासन बकाया धनराशि के मय ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? भुगतान में विलम्ब के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां।

2421.42 कुन्तल गन्ना खरीदा गया था। कोई भुगतान नहीं हुआ। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

चीनी मिल का अधिग्रहण हो चुका है। अधिग्रहण से पूर्व के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान उ0 प्र0 चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत होना है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के कोतवाली थाने के अन्तर्गत कथित अपराधी की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही

*14--श्री अचल सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के कोतवाली थाने के अन्तर्गत अपराध सं0 42/83 धारा 323/304 आई0 पी0 सी0 की विवेचना सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? क्या सी0 आई0 डी0 ने अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए शासन से अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो अभी तक अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मुकदमा अपराध संख्या-42/83 अन्तर्गत धारा 309 भारतीय दण्ड विधान तथा मुकदमा अपराध संख्या 42ए/83 अन्तर्गत धारा 330/342/34 भारतीय दण्ड विधान की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की गई। मुकदमा अपराध सं0 42/83 में जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए अतएव विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

मुकदमा अपराध संख्या-42ए/83 में विवेचना के उपरान्त दो उपनिरीक्षकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

*15--श्री महाबीर सिंह राणा--

[7वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कारागार में बन्दी की मृत्योपरान्त दाह संस्कार हेतु व्यय होने वाली धनराशि में वृद्धि की मांग

*16--श्री हर्षवर्धन--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कारागार में किसी बन्दी की मृत्यु होने पर अंतिम क्रिया कर्म हेतु शासन द्वारा मात्र 40 रुपये खर्च किये जाने का प्राविधान है जिसके चलते अंतिम क्रिया कर्म विधिवत् होना असम्भव है ? क्या इस राशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

कारागार में बन्दी की मृत्यु होने पर बिना दावे के मृत शरीर का दाह संस्कार करने या दफन करने हेतु 40 रुपये नहीं बल्कि 45 रुपये व्यय किये जाने का प्राविधान है।

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

*17--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

(9वें मंगलवार के लिए स्थगित)

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट

*18--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार की जांच अक्टूबर, 1988 के प्रथम सप्ताह से मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सतर्कता विभाग से करायी जा रही है ? यदि हां, तो कितने दिनों में जांच रपट पूरी करनी थी और जांच रपट क्या है ? क्या तत्काल जांच पूरी कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां।

जांच कार्यवाही की जा रही है। अभी इसे पूरा करने में कुछ समय लगेगा।

*19--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

*20--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

अतारांकित प्रश्न

1-3--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बलिया जनपद के कतिपय थानान्तर्गत लाइसेन्स धारी व्यक्तियों की संख्या

4--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव, थाना क्षेत्र नगरा और थाना क्षेत्र भीमपुरा में कितने कितने व्यक्तियों के पास कार्बाइन, रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल और बन्दूक आदि के हथियारों के लाइसेंस हैं और उसमें कितने-कितने लाइसेंस पिछड़ी जातियों व अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों व अल्पसंख्यक समुदाय के पास है ? क्या सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मरक्षार्थ हथियारों के लाइसेंस देने की नीति सुगम करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया के थाना क्षेत्र उभांव में रिवाल्वर के 10, राईफल के 7, तथा बन्दूक के 126 अनुज्ञापी हैं जिनमें से पिछड़ी जाति के 12 अनुज्ञापी हैं। थाना क्षेत्र नगरा में रिवाल्वर के 7, पिस्टल के 1, राईफल के 3 तथा बन्दूक के 130 अनुज्ञापी हैं जिनमें से 9 अनुज्ञापी पिछड़ी जाति के हैं। थाना क्षेत्र भीमपुरा में रिवाल्वर के 4, राईफल के 4 तथा बन्दूक के 133 अनुज्ञापी हैं, जिनमें से पिछड़ी जाति के 7 तथा अनुसूचित जाति का एक अनुज्ञापी है।

आग्नेयास्त्र के लाइसेंस आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। इसमें वर्ग विशेष के लिये कोई अलग प्राविधान नहीं है। उक्त अधिनियम व नियमावली में संशोधन/परिवर्तन के लिये राज्य सरकार सक्षम नहीं है।

श्री एस0 आर0 सिंह डिप्टी एस0 पी0 उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद लखनऊ द्वारा थाना कोतवाली, फैजाबाद में लिखाई गई प्रथित रिपोर्ट की जांच

5--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 आर0 सिंह डिप्टी एस0 पी0 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लखनऊ द्वारा थाना कोतवाली फैजाबाद में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ0 सं0-1140/88 धारा 409 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 19-11-88 को लिखाई गयी है ? यदि हां तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां।

इस अभियोग की विवेचना की जा रही है, विवेचक को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि विवेचना शीघ्र पूर्ण कर प्रगति/परिणाम से अवगत करावें।

मांट क्षेत्र जनपद मथुरा में चीनी मिल लगाने की मांग

6--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या गन्ना मंत्री की जानकारी में है कि प्रथम सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार के प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-86 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि मांट क्षेत्र में गन्ना क्रय केन्द्रों को साथा शुगर मिल नियमित रूप से नहीं चला रही है ? क्या यह सही है कि पिछले सालों से इसी दुर्व्यवस्था के कारण मांट तहसील में गन्ना का उत्पादन गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भारत सरकार की चीनी मिल लगाने की नीति के अनुसार मांट, गोकुल, सादाबाद व खैर (अलीगढ़) क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन व सुविधा के लिये मांट तहसील में गन्ना फैक्ट्री लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्नकर्त्ता के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-86 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि साथा शुगर मिल को अभ्यर्पित दरबै कैनाल जरारा तथा बाजना क्रय केन्द्रों पर गन्ने की नियमित खरीद मिल द्वारा नहीं की गई है।

जी नहीं। विगत वर्षों की अपेक्षा गन्ना उत्पादन में वर्ष 85-86, 86-87, 87-88 में क्रमशः 4.86, 5.60 एवं 6.10 लाख कुन्टल का उत्पादन हुआ है जो वृद्धि का द्योतक है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण मांट तहसील में चीनी मिल की स्थापना सम्भव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सोना देवी पत्नी स्व0 श्री राजाराम तिवारी जनपद बाराबंकी के चक की पैमाइस कराने एवं कब्जा दिलाये जाने की मांग

7--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सोना देवी पत्नी स्व0 श्री राजाराम तिवारी ग्राम व पोस्ट सिल्हौर, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी का शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक 15-9-88 चक संख्या-16 मौजा रमगढ़ा में चकबन्दी की पैमाइश

के समय की गई अनियमितता के संबंध में अनुसचिव, उ0प्र0 शासन (राजस्व अनुभाग-8) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रार्थी को पुलिस द्वारा कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

प्रार्थिनी के चक संख्या-16 की हदबरारी चकबन्दी प्रक्रिया के समय करा दी गई थी और प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर पुनः पैमाइश करा दी गई है। परन्तु फसल खड़ी होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका जो फसल काटने के पश्चात दिलाया जाना सम्भव है।

जनपद लखनऊ के बारा बिरवा, काकोरी एवं तेलीबाग के ताड़ी के ठेके एवं बकाये बिक्री कर के सम्बन्ध में जानकारी

8--श्री मूलचन्द्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 144 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या 452 दिनांक 2-5-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? दिनांक 1-10-80 से 30-9-88 तक ठेका की अवधि में खण्ड अधिकारी व एस0 आई0 बी0 अधिकारी ने राजस्व के हित में क्या-क्या कार्यवाही की, आरोपित कर में से कितना वसूल हुआ ? पूरा कर वसूल न होने के क्या कारण हैं ? राजस्व की हानि के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

पत्र पर बिक्रीकर आयुक्त से आख्या मांगी गई है ।

अपेक्षित सूचना बिक्रीकर आयुक्त से मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ताड़ी और भांग की बिक्री पर बिक्रीकर निर्धारण, वसूली व बकाये का विवरण

9--श्री मूलचन्द्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-5 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या-402 मुख्य मंत्री को दिनांक 26-4-88 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 26-4-88 प्राप्त हुआ है। उसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है।

10-12--श्री मूल चन्द्र--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

कानपुर परिक्षेत्र में करदाताओं को बिक्री कर रिफंड करने के सम्बन्ध संबंध में पत्र

13--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-106 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2196 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 3-10-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

14--श्री यदुनाथ सिंह--

(दि0 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 88 द्वारा उत्तरित)

फर्म बी0 के0 इन्डस्ट्रीज, शक्कर मट्टी कानपुर के कर निर्धारण की नोटिस के सन्दर्भ में पत्र

15--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0-122 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-140 सचिव' संस्थागत वित्त को ता0 3-4-87 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां तो जांच का क्या परिणाम रहा तथा रु0 18750 राजस्व की हानि के लिये अधिकारी को जिम्मेदार न ठहराने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

प्रश्नगत मामले के संबंध में ही माननीय विधायक के पत्र संख्या 827 दिनांक 31-5-86 तथा 2226 दिनांक 13-10-86 भी प्राप्त हुए थे जिनका उत्तर माननीय राजमंत्री वित्त के अर्धशा0 पत्र संख्या 1237 दिनांक 10-3-87 द्वारा दिया गया था । उसके परिप्रेक्ष्य में उक्त पत्र संख्या 140 दिनांक 3-4-87 पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं प्रतीत हुई और उसे निक्षेपित कर दिया गया ।

16-श्री यदुनाथ सिंह--

(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

17--श्री यदुनाथ सिंह--

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

जनपद मेरठ के खेकड़ा थानान्तर्गत हुई हत्याओं, डकैती एवं राहजनी के सम्बन्ध में जानकारी

18--श्री रिछपाल सिंह बंसल --

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के थाना-खेकड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1988 में कितनी हत्यायें डकैती व राहजनी हुई हैं और इसमें कितने केसेज खुल चुके हैं तथा कितने बाकी हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष, 1988 में थाना खेकड़ा में जनपद मेरठ में डकैती की कोई घटना घटित नहीं हुई है। हत्या के नौ अभियोगों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से पांच अभियोगों में आरोप -पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये तथा तीन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है एवं शेष एक अभियोग की विवेचना प्रचलित है। लूट जिसमें राहजनी के अभियोग भी शामिल हैं के पांच अभियोगों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से दो अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई तथा तीन अभियोगों में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये।

जनपद गाजियाबाद के मोहन मीकिन्स लि0 द्वारा प्रवाहित प्रदूषित पानी के कारण मछलियों के मरने का आरोप एवं ठेकेदारों को राहत देने की मांग

19—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87-88में जनपद गाजियाबाद के मोहन मीकिन लि0 द्वारा हिण्डन नदी में गन्दे पानी को प्रवाहित किये जाने से जो मछलियां मरी हैं उनके ठेकेदारों को सरकार राहत देने का कष्ट करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी

वर्ष 1987-88 में उद्योग द्वारा हिण्डन नदी में उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया गया। मछलियों के मरने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद में खंड विकास अधिकारी नरैनी द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत खाद्यान्न विक्रय के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराये जाने की जानकारी

20— श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अगस्त-सितम्बर, वर्ष 1986 में बांदा जनपद की नरैनी कोतवाली में खंड विकास अधिकारी, नरैनी द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत खाद्यान्न के विक्रय के संबंध में रिपोर्ट अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण, सेवा नरैनी के विरूद्ध दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट तफतीश में सही पायी गयी ? यदि नहीं, तो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण का तकतीश अधिकारी कौन था ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी नहीं, प्राप्त सूचनानुसार अंकित अवधि माह अगस्त, सितम्बर, 1986 में खण्ड विकास अधिकारी नरैनी द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत खाद्यान्न विक्रय करने के संबंध में कोई अभियोग थाना नरैनी में पंजीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं, उसांवां रोड पर स्थित मरौरी स्थान पर बस स्टैण्ड बनाये जाने की मांग

21—डाक्टर बंगाली सिंह

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री नरोत्तम सिंह विधायक उस हेतु तथा श्री अवनीश कुमार सिंह विधायक दातागंज जिला बदायूं के पत्र दिनांक 5-5-88 व

9-6-88 बदायूं--उसावां रोड पर स्थित मरौरी स्थान को अधीकृत रूप से बस स्टैण्ड घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी बदायूं उसावां रोड पर स्थित मरौरी स्थान को व्यापक जनहित के दृष्टिकोण से तुरन्त बस स्टैण्ड घोषित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार---
जी हां ।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी बरेली ने स्थान का निरीक्षण करवा कर यहां, बस स्टाप घोषित करने की संस्तुति की है, जिस पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णय लिया जायगा ।

स्व0 श्री राम सुखलाल चकबन्दी कर्ता बहराइच के समस्त अवशेष देयों का भुगतान कराये जाने एवं उनके आश्रित श्री रवीन्द्र किशोर गौड़ को सेवा में लिये जाने की मांग

22---श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री राम सुखलाल चकबन्दीकर्ता जनपद बहराइच की मृत्यु उसकी सेवाकाल में ही वर्ष 1980 में हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उनके समस्त अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया ? क्या उनकी बेवा पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी की उपर्युक्त विषयक प्रार्थना-पत्र मा0 मंत्री जी को दिनांक 15-8-88 को प्राप्त हुआ है और क्या उनके पुत्र श्री रवीन्द्र किशोर गौड़ का उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवाओं में आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अन्तर्गत नौकरी हेतु प्रार्थना-पत्र माह अक्टूबर, 1988 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपर्युक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद---
जी हां ।

जहां तक मृतक के समस्त अवशेष देयों के भुगतान का प्रश्न है केवल सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता में जमा धनराशि का भुगतान शेष है जो महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद स्तर पर लम्बित है। इसके सम्बन्ध में सितम्बर, 1980 से उन्हें अनेक बार लिखा गया है।

जीं हां ।

कथित मृतक आश्रित की जन्म-तिथि दिनांक 20-6-1970 है तथा वह दिनांक 20-6-88 को बालिग हुये हैं। बालिग होने पर इन्होंने नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। इनकी योग्यतानुसार इनको बहराइच जनपद में लेखपाल का पद प्रस्तावित किया गया है।

जनपद फैजाबाद के मृतक पल्टू हरिजन के आश्रित को आर्थिक सहायता एवं आग्नेयास्त्र लाइसेन्स की स्वीकृत

23-श्री मित्रसेन---

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री समुधन पुत्र श्री पल्टू पासी नि0 पूरेकुजंक ग्राम मखौली, थाना खण्डासा के घर दि0 7/8 जून, 86 की पड़ी डकैती की घटना में पल्टू हरिजन की प्राणघातक चोटों के कारण जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई जिसकी रिपोर्ट मु0 अ0 सं0 60/86 धारा-395/397 दि0 8-6-86 को अंकित कराई गई है ? यदि हां,

तो मृतक के परिवार को अब तक क्या आर्थिक सहायता दी गई है और मृतक की आश्रित परिवार की सुरक्षा हेतु क्या आग्नेयास्त्र लाइसेंस की स्वीकृति देने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां, श्री समुधन नहीं बल्कि श्री शत्रुधन के घर डकैती पड़ी थी।

दिनांक 24-10-86 को मृतक पल्टू हरिजन के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने हेतु एक आख्या जिला हरिजन समाज कल्याण विभाग फैजाबाद को भेजी गयी थी।

मृतक पल्टू के पुत्र मंशाराम ने एक नाली बन्दूक का लाइसेन्स दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके सम्बन्ध में जांच/लाइसेंन्स दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के खण्डासा थानान्तर्गत झूठा मुकदमा अंकित कराने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

24--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि मु0 अ0 संख्या-160/88 धारा 395 भा0 द0 विधान थाना खण्डासा में अंकित कराया गया था जिसे पुलिस ने दिनांक 22-12-88 को खारिज कर दिया था ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? जुर्म खारिज किये जाने का कारण क्या था ? क्या यह सही है कि उक्त झूठा मुकदमा अंकित करानें वालों के विरुद्ध उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद ने दफा-82 का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां, विवेचना से धारा 395 भा0 द0 वि0 के जुर्म का होना नहीं पाया गया। मामला शराब पीने व पैसे के लेनदेन की बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने सम्बन्धी पाया गया। अतः यह अभियोग धारा 395 भा0 द0वि0 से धारा 323 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया। यह जुर्म खारिज नहीं हुआ है बल्कि धारा 395 भा0 द0वि0 से धारा 323 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया है।

यह सही है कि उक्त झूठा मुकदमा अंकित कराने वालों के विरुद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र फैजाबद ने धारा 182 भा0 द0 वि0 का मुकदमा चलाने का आदेश दिनांक 05-01-89 द्वारा दिया था, परन्तु इस मुकदमें में धारा 395 भा0 द0 वि0 से धारा 323 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित कर विवेचना की जा रही है। अभी यह अभियोग विवेचनाधीन है, इसलिये धारा 182 भा0 द0 वि0 की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

जनपद फैजाबाद के थाना इनायत नगर में सवर्णों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम लखन पासी पुत्र नन्हकू ग्राम अछोरा पूरे शिवपाल पाण्डे, थाना इनायतनगर फैजाबाद में सवर्णों द्वारा किये गये उत्पीड़न की कोई रिपोर्ट अ0 सं0-134 अन्तर्गत धारा 427/506 दिनांक 6-7-87 तथा मु0 अ0 सं0-216/88 अन्तर्गत धारा-436 दिनांक 28-10-88 को थाना इनायतनगर, फैजाबाद में उन्हीं

अभियुक्तों के विरुद्ध अंकित कराया है ? यदि हां, तो दोनों रिपोर्ट का विवरण क्या है और उसके अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

श्री रामलखन पासी पुत्र श्री नन्हकू पासी नि0 अछौरा पूरे शिवपाल पाण्डे थाना इनायतनगर जनपद फैजाबाद द्वारा दिनांक 5-7-87 की घटना के संबंध में दिनांक 06-07-87 को स्थानीय थाने पर दी कि रामदेव पाण्डेय के यहां मजदूरी कम होने के कारण काम करने से इन्कार कर दिया जिससे रामदेव पाण्डेय तथा उनके लड़के हृदय राम ने प्रार्थी के मकान के सहन की तरफ दरवाजा कर लिया और प्रार्थी के उठने बैठने तथा रहने वाला छप्पर भी गिराकर उजाड़ दिया। रोकने पर खून कत्ल के लिये आमादा हो गये। इस सूचना के आधार पर चिक गैर दस्तन्दाजी संख्या 134/87 धारा 427/506 भा0 द0 वि0 का अभियोग अभियुक्त (1) रामदेव पाण्डे (2) हृदयराम पुत्र रामदेव पाण्डेय निवासी अछौरा थाना इनायतनगर केविरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

मु0 अ0 सं0 216/88 अन्तर्गत धारा 436 दिनांक 28-10-88 को थाना इनायतनगर पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है बल्कि मु0 अ0 सं0 296/88 धारा 436 भ0 द0 वि0 का अभियोग दिनांक 28-10-88 को स्थानीय थाने पर श्री रामलखन पासी पुत्र श्री नन्हकू पासी नि0 अछोरा पूरे शिवपाल पाण्डेय द्वारा मु0 अ0 सं0 134/87 धारा 427/506 भा0 द0 वि0 में नामित अभि0 हृदयराम पुत्र रामदेव पाण्डे के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

मु0 अ0 सं0 134/87 धारा 427/506 भा0 द0 वि0 की विवेचना की अनुमति न्यायालय से दिनांक 13-8-87 को प्राप्त करके विवेचनोपरान्त नामित दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 427/506 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 12-9-87 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

मु0 अ0 सं0 296/88 धारा 436 भा0 द0 वि का अभियोग वादी रामलखन पासी द्वारा हृदयराम के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था और दिनांक 28-10-88 को ही श्रीमती उदयराजी (अभि0 हृदयराम की मां) द्वारा मु0 अ0 सं0 296ए/88 धारा 436/506 भा0 द0 वि0 का अभियोग (1) रामलखन पासी (2) बुधई पासी पुत्रगण नन्कू पासी (3) जोखू पुत्र रसियावन पासी (4) जगपति पाण्डे पुत्र रामराज पाण्डे साकिनानदेह के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है इन दोनों अभियोगों की बिवेचना से कुंआ खोदने की जमीन सम्बन्धी विवाद के कारण रंजिशन यह अभियोग एक दूसरे के विरुद्ध लिखाये जाने पाये गये। अतः द्रोनों अभियोगों में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट दि0 30-10-88 को न्यायालय में प्रेषित की गयी।

जनपद उन्नाव के श्री सुरेन्द्र सिंह उर्फ बचऊ सिंह के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स निरस्त किया जाना

26---राय लक्ष्मी नारायण सिंह---

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि श्री सुरेन्द्र सिंह उर्फ बचऊ सिंह पुत्र श्री अनरुद्ध सिंह, निवासी ग्राम मदूदखेड़ा, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अतर्गत जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है ? यह सही है कि उक्त व्यक्ति बन्दूक का लाइसेन्सदार भी है ? यदि हां, तो क्या उक्त लाइसेन्सदार का लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां।

श्री सुरेन्द्र सिंह की बन्दूक के लाइसेंस के निरस्तीकरण का मामला जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन है।

लखनऊ निवासी श्री आदेश सेठ पर बाराबंकी के नबाबगंज में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप

27--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ निवासी आदेश सेठ ने जनपद बाराबंकी की तहसील नबावगंज के ग्राम मिताई में ग्राम समाज की भूमि पर कोठी बनवाई है तथा कई तालाब खोदवा कर मत्स्य पालन का कार्य अवैध रूप से प्रारम्भ किया है। क्या यह सही है कि कुछ ऐसी भूमि पर तालाब खोदवाया गया है जो हरिजनों के नाम आवंटित थे यदि हां, तो उक्त सेठ की कोठी तथा तालाब किन-किन भूमि नम्बरों पर बने है और वह किसके नाम कागजात में अंकित हैं क्या उक्त सेठ को गांव सभा द्वारा भूमि पट्टे पर दी गई है। यदि हां तो किस आधार पर ?

श्री माता प्रसाद--

लखनऊ के निवासी आदेश सेठ ने जनपद बाराबंकी की तहसील नबावगंज के ग्राम मितई में ग्राम सभा की भूमि पर कोठी नहीं बनवायी है और न ही कोई तालाब खोदवा कर अवैध रूप से मत्स्य पालन का कार्य प्रारम्भ किया है। हरिजनों की आवंटित भूमि पर कोई तालाब नहीं खोदे गये है। श्री आदेश सेठ की पत्नी श्रीमती पूनम सेठ द्वारा खसरा सं0 1547 मि0 क्षेत्रफल 10 बीघा श्री गनी अहमद पुत्र अली अहमद संक्रमणीय भूमिधर से क्रय किया गया है, जिसका नामान्तरण श्रीमती सेठ के नाम हो चुका है। श्री आदेश सेठ को गांव सभा की कोई भूमि पट्टेपर नहीं दी गयी है।

28--श्री राम बक्श सिंह--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

खण्ड विकास अधिकारी करंजा कला, जौनपुर द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट की विवेचना

29--श्री अर्जुन सिंह यादव--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 15-12-88 को खण्ड विकास अधिकारी करंजा कला; जिला जौनपुर द्वारा थाना कोतवाली सदर, जौनपुर में जे0 ई0 एम0 आई0 करंजा कला व अन्य के विरुद्ध अनियमितता विषयक जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे। यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां।

अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

30--श्री राम सजीवन--

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

जनपद आगरा की तहसील किरावली के अकबरा ग्राम में चकबन्दी कराने विषयक पत्र

31--श्री बदन सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का 4 जनवरी, 88 को लिखा पत्र जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम अकबरा में चकबन्दी करने के संबंध में प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

मामले में चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

हरदोई जनपद में परगनाधिकारी/मजिस्ट्रेट संडीला के न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या

32--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में परगनाधिकारी सन्डीला के 3 न्यायालय में विभिन्न मामलों के कुल कितने मुकदमें लम्बित हैं ?

श्री माता प्रसाद--

प्राप्त सूचनानुसार परगनाधिकारी मजिस्ट्रेट संडीला के न्यायालय में 28 फरवरी, 1989 तक कुल 636 वाद लम्बित हैं

33--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

हरदोई जनपद के सण्डीला विकास खंड कार्यालय के पास ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से चावल मिल का भवन बनाने का आरोप

4--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि हरदोई जनपद में सण्डीला विकास खण्ड कार्यालय के बगल में ग्राम सभा की भूमि पर एक चावल मिल का अवैध रूप से निर्माण हो रहा है यदि हां तो क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करायेंगे ?

श्री माता प्रसाद--

जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि में पहले से ही भवन बना हुआ था जिसे गिरवाकर नये सिरे से राइस मिल के भवन का निर्माण कराया गया है।चकबन्दी अधिकारी आदेशानुसार उक्त भूमि पहले से ही आबादी के रूप में होने के कारण वर्ग-6 में दर्ज की गयी है। कथित निर्माण की वैधता/स्वत्व का मामला दीवानी न्यायालय के अधिकारिता का विषय होने के कारण राजस्व विभाग के कार्य परिधि में नहीं आता है।

बांदा जनपद के ग्राम हस्तम के श्री गया दीन उर्फ गइदा से दुबारा लगान की वसूली के आरोप में संग्रह अमीन के विरुद्ध कार्यवाही

35--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गयादीन उर्फ गइदा ग्राम हस्तम, तहसील नरैनी, जनपद बांदा के पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 86 दोबारा

लगान मांगने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या उपरोक्त की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जायेगी और दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

जांच कराने पर अभिलेखी त्रुटि का मामला प्रकाश में आया जिसके लिये उत्तरदायी संग्रह अमीन को कठोर चेतावनी दी जा चुकी है।

36--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

जनपद बांदा में गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु गन्ना अधिकारी की नियुक्ति की मांग

37--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कितने एकड़ ऐसी भूमि है जिसमें गन्ने की खेती की जा सकती है क्या इसका सर्वे कराकर गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये जनपद में एक गन्ना अधिकारी को नियुक्ति की जायेगी जिससे इस पिछड़े क्षेत्र में गन्ना की खेती का विकास हो सके? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बांदा जनपद में गन्ना विकास कार्यक्रम की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम यूनिवर्सल टूल्स कार्पोरेशन रामपुर में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

38--श्री यदुनाथ सिंह

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अतः प्र0 सं0 27 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मूल आदेश दिनांक 6-9-73 को पारित करते समय अधिकारी ने केन्द्रीय बिक्री में रियायती दर का लाभ दिया जबकि सी0 फार्म करदाता द्वारा दाखिल नहीं किये गये थे यदि हां, तो कितने रुपये का अनियमित लाभ दिया गया। ता0 6-9-73 को आदेश पारित करने वाले अधिकारी की पदोन्नति कब-कब और किस किस पद पर हुई ? दोषी अधिकारी को क्या दपड दिया गया

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

मिल स्टोर्स की बिक्रीकर 2 प्रतिशत कर लगाने के कारण रु0 7920 कम कर लगा।

मूल कर निर्धारण आदेश पारित करने वाले तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी अब सहायक आयुक्त को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दंडित किया जा चुका है।

न्यू बाथम शुगर इण्डस्ट्रीज, उमरिया खोरी के बिक्रीकर का निर्धारण

39--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 11 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र

संख्या 269 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 23-5-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक का पत्र संख्या 269 प्राप्त नहीं हुआ।

बिक्रीकर कार्यालय जनपद देवरिया में कतिपय भट्ठा व्यापारियों द्वारा फर्जी चालानों से लाभ लेने के आरोप की जांच

40—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सन 1985 में देवरिया बिक्रीकर कार्यालय में 18 भट्ठा के व्यापारियों ने फर्जी चालानों का लाभ लिया है और इस संबंध में खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य, विधान परिषद का पत्र संख्या 548 मुख्य सचिव को ता 3-9-87 को मिला था? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले पर क्या कार्यवाही हुई ? जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 548/87 लोकदल (अ) दिनांक 2-9-87 प्राप्त हुआ।

उक्त पत्र पर बिक्रीकर आयुक्त से आख्या मांगी गई। प्राप्त रिपोर्ट पर विचारोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

41—श्री यदुनाथ सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

42—श्री यदुनाथ सिंह—

(दि0 21-2-89 को अता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित)

43—श्री मूल चन्द्र—

(9वें मंगलवार के लिए स्थगित)

44—श्री मूल चन्द्र—

(दि0 28-2-89 को अता0 प्र0 सं0 65 द्वारा उत्तरित)

जनपद उन्नाव के ग्राम पारा के ग्रामप्रधान द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर जांच

45—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के थाना मौरावां की पुलिस को ग्राम पारा के प्रधान श्री जाकिर का कुछ अभियुक्तों द्वारा मछली मार लेने व गांव समाज की लाखों रुपये की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने विषयक प्रार्थना-पत्र माह नवम्बर/दिसम्बर, 1988 में मिला ? यदि हां, तो इस संबंध में प्राथमिकी किस धारा में अंकित की गयी क्या प्रधान श्री जाकिर ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव को भी तद्विषयक प्रार्थना पत्र उक्त अवधि में दिया था ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार।

इस संबंध में थाना मौरावां में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी।

जी हां।

प्रार्थना पत्र की जांच थानाध्यक्ष मौरावां द्वारा की गयी। जांच से अपराध की पुष्टि न होने के कारण कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी।

सामुदायिक टेलीविजन योजनान्तर्गत वाराणसी एवं जौनपुर जनपदों में पंजीकृत संस्थाओं को टेलीविजन सेट उपलब्ध कराया जाना

46---श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या सूचनामंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर व वाराणसी जनपदों में पंजीकृत संस्थाओं से मई, 1987 से फरवरी, 1988 तक कितने आवेदन-पत्र सामुदायिक, टेलीविजन योजना के अन्तर्गत टेलीविजन सेट प्राप्त करने हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में प्राप्त हुए? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? प्रश्नगत संस्थाओं को कब तक टेलीविजन प्रदान कर दिया जायेगा ?

नगर विकास, सूचना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)---

सामुदायिक टेलीविजन योजना के अन्तर्गत उल्लिखित अवधि में जौनपुर तथा वाराणसी जनपदों में टेलीविजन प्राप्त करने हेतु क्रमशः 96 तथा 16 प्रार्थना-पत्र जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय में प्राप्त हुये थे।

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से जौनपुर जनपद में 53 तथा वाराणसी जनपद में 15 संस्थाओं की टेलीविजन सैट, उपलब्ध करा दिये गये हैं।

शेष संस्थाओं द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने पर, टेवीविजन सेट, उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

जनपद जौनपुर के शाहगंज तहसील में भूदान समिति को दान में दी गयी भूमि का विवरण

47---श्री सूर्य प्रताप शाही

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के शाहगंज तहसील में भू-दान समिति के श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (राजा जौनपुर) ने कौन-कौन से गांव में कितने एकड़ जमीन दान की थी? क्या दान दी गयी जमीन पर भूदान समिति का नाम अंकित हो गया था? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद---

तहसील शाहगंज जिला जौनपुर में श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (राजा जौनपुर) ने कुल 37 ग्रामों (सूची संलग्न) में 1998-85 एकड़ भूमि दान में दिया था। दान दी गई जमीन पर भूदान समिति का नाम अंकित नहीं हुआ है, क्योंकि भूदान समिति द्वारा गाटावार विवरण नामान्तर हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(देखिये नत्थो 'क' आगे पृष्ठ 194 पर)

48--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(दि0 21-2-89 को आता0 प्र0 सं0 168 द्वारा उत्तरित)

अष्टम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्वीकृत कारागार विभाग के कतिपय निर्माण कार्यों को हरिवास द्वारा कराया जाना

49--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अष्टम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्वीकृत कारागार विभाग के कतिपय निर्माण-कार्य हरिवास द्वारा कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिला कारागार लेखनऊ में हरिवास द्वारा कराये गये बंदी रक्षकों के आवासीय भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों की जांच सा0नि0वि0के टेक्निकल आडिट सेल द्वारा करायी जा रही है? यदि हां, तो इन घटिया निर्माण कार्यों के बावजूद भी कारागार विभाग का विशेष मरम्मती कार्य एवं अन्य निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त उपकारागार बुलन्दशहर का निर्माण भी हरिवास द्वारा कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो इनका क्या औचित्य है?

श्रीमान पाल सिंह एडवोकेट--

जी हां।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 1987-88 में कारागार विभाग के विशेष मरम्मती कार्य हरिवास से कराने का निर्णय लिया गया था, किन्तु इस कार्य हेतु उन्हें कोई धनराशि आवन्टित नहीं की गयी थी। बुलन्दशहर में जिला कारागार के नये भवन का निर्माण हरिवास से कराने का निर्णय लिया गया है।

हरिवास भी राज्य की एक प्रमुख निर्माण इकाई है अतः अन्य विभागों की तरह कारागार विभाग भी हरिवास से निर्माण कार्य करवा रहा है।

जनपद गोण्डा के सकरोर ग्राम सभा की कब्रिस्तान की भूमि को अवैधानिक ढंग से पट्टा किये जाने के आरोप में लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

50--श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा सकरोर (रानीगंज के निकट) तहसील करनैलगंज जनपद गोण्डा में भूमि संख्या 1986/30 जो कब्रिस्तान है का कुल क्षेत्रफल क्या है? क्या यह सही है कि लेखपाल द्वारा उक्त भूमि का पट्टा किसी के नाम कर दिया गया है? यदि हां, तो पट्टा कब तक किसके नाम किया गया? क्या पट्टा निरस्त कर दोषी लेखपाल केविरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के श्री विजय मिश्र को दिये गये स्टेनगनधारी अंगरक्षक को को वापस किये जाने विषयक शिकायती पत्र

51--श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय मिश्र पुत्र श्री रामदव मिश्र, निवासी ग्राम खपटिहा, थाना हण्डिया, जनपद इलाहाबाद पर हत्या तथा अन्य अपराधिक मुकदमें

न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी उन्हें वाराणसी से किन परिस्थितियों में स्टेनगनों धारी अंगरक्षक दिया गया ? क्या गृह मंत्री जी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए श्री मिश्र का स्टेनगनधारी अंगरक्षक वापस लेने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी सन्दर्भ में मा0 मुख्य मंत्री तथा गृह सचिव उ0प्र0 शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-1-1989 मिल गया है ? यदि हां तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा शुगर मिल पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा खीरी पीलीभीत उपनिदेशक सहकारी विकास संघ लि0 सम्पूर्णानगर से कर्ज लिये जाने का आरोप

52---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा शुगर मिल पलिया, जनपद-लखीमपुर-खीरी द्वारा खीरी-पीलीभीत उपनिदेशक सहकारी विकास संघ लि0, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी में सशर्त कब व कितना पैसा कर्ज स्वरूप लिया गया है? क्या यह सच है कि संघ व जिलाधिकारी के अनवरत प्रयास के उपरान्त मिल प्रशासन ने मात्र मूलधन ही संघ को भुगतान किया है, ब्याज आज भी बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संघ के बकाये धन का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

शारदा शुगर मिल पलिया, जनपद-लखीमपुर-खीरी द्वारा खीरी पीलीभीत उपनिदेशक सहकारी विकास संघ लि0, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी से कर्ज स्वरूप पैसा लिये जाने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा द्वारा जनपद मथुरा का भ्रमण

53---श्री सरदार सिंह---

क्या गृह मन्त्री की जानकारी में है कि आगरा परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने 28, 29 व 30 दिसम्बर, 88 को मथुरा का दौरा किया था और अनेक शिलान्यास,उद्घाटन एवं सभाओं में भाषण किये थे ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ? क्या सरकार उपमहानिरीक्षक के मथुरा प्रवास के दौरान पूरे कार्यक्रम को सदन के पटल पर रखते हुए, शिलान्यास, उद्घाटन एवं सभाओं में मुख्य अतिथि/अध्यक्ष पद से दिये गये भाषणों का औचित्य बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा द्वारा जनपद मथुरा को भ्रमण 29, 30 व 31 दिसम्बर, 1988 को शासकीय कार्य हेतु किया गया था। इस दौरान उन्होंने कोई शिलान्यास नहीं किया। उन्होंने स्वतः कोई उद्घाटन भी नहीं किया, बल्कि वे मात्र एक विभागीय भवन का एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा उद्घाटन के समारोह में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी विभागीय बैठक एवं निरीक्षण आदि किये तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि की दो गोष्ठियों में भी भाग लिया। उपर्युक्त स्थिति में प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर उर्सला अस्पताल परिसर स्थित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के बंगले के पास कथित मृतक स्व0 श्री बाबू राम की मत्यु के कारणों की विवेचना

54--श्री मैनेजर सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 24/25 दिसम्बर, 1988 को कानपुर उर्सला अस्पताल परिसर स्थित वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (डा0 वी0 डी0 मिश्र) के बंगले से बाबूराम नामक चाय के दुकानदार की जली हुई लाश मिली है ? यदि हां, तो मृत्यु का कारण क्या है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 23-12-88 को मृतक बाबूराम का अधजला शव डा0 बी0 डी0 मिश्रा के बंगला परिसर में पाया गया । विवेचना से मृतक की हत्या करने के पश्चात् शव को पेट्रोल डालकर जलाना पाया गया ।

जनपद सुल्तानपुर, थाना अमेठी के श्री शिवबहादुर सिंह द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

55--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के थाना-अमेठी के ग्राम सीतारामपुर मजरा महमदपुर के श्री शिवबहादुर सिंह द्वारा संबंधित थाने में दिनांक 30-5-87 को एक मुकदमा अपराध संख्या-135/87, धारा-452/336 भा0 द0 सं0 एवं दिनांक 2-6-87 को एक मुकदमा अपराध सं0 140/87 धारा 436 भा द0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां । इन दोनों मुकदमों में लिखाये गये चश्मदीद गवाहों ने अपने बयान के माध्यम से घटना के समय मौजूद होने से इन्कार किया है एवं अन्य ग्रामीणों ने भी घटना को गलत बताया है । इस कारण दोनों मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी थी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो गयी ।

मु0 अ0 सं0 140/87, धारा 436 भा0 द0 वि0 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से पुन: कराई जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय तहसीलों में गन्ना सहकारी समिति का गठन

56--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गन्ना विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा जनपद फैजाबाद की टाण्डा और अकबरपुर की तहसीलों के लिए कोई गन्ना सहकारी समिति गठित करने की अनुमति हेतु गन्ना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के टाण्डा और अकबरपुर तहसीलों के गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु अलग से एक गन्ना समिति गठित करने की अनुमति देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

उक्त समिति का निबन्धन पंजीयन संख्या-138 सी0सी0, दिनांक 30-1-89 द्वारा हो गया है ।

श्री बृजलाल नि0ग्रा0 टिटिहरा, थाना बदौसा, जनपद बांदा के कथित शिकायती-पत्र की जांच

57--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री बृजलाल, नि0 टिटिहरा, थाना बदौसा, जनपद बांदा का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 86 घर के दरवाजे पर कब्जा करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है और पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार श्री बृजलाल, ग्राम टिटिहरा, थाना बदौसा, जनपद बांदा संदर्भित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उसके द्वारा मुख्य रूप से दरवाजा एवं नाबदान बन्द करने तथा कुंयें से पानी भरने को रोकने की शिकायत की गयी थी।

जांच से विदित हुआ कि प्रार्थी बृजलाल का दरवाजा एवं नाबदान खुला हुआ है। घर से निकलने हेतु पर्याप्त जगह है। आबादी की भूमि पर प्रार्थी एवं श्री बल्देव आत्मज लालमणि दोनों का कब्जा है। यह सार्वजनिक भूमि है जिस पर श्री बृज लाल पूरा कब्जा करना चाहता है। कुंयें से पानी न भरने देने की बात जांच से अप्रमाणित रही।

बांदा जनपद के ग्राम कन्दोहरा के हरिजनों द्वारा कथित चौकीदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

58--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ग्राम कन्दोहरा थाना कालिंजर जनपद-बांदा के हरिजनों के पत्र के साथ दिनांक 13 नवम्बर, 86 को चौकीदार की ज्यादती के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है और पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में संदर्भित पत्र में चौकीदार के सम्बन्ध में अंकित किया गया है कि वह पुराना हिस्ट्रीशीटर, गुण्डा व बदमाश व्यक्ति है और दो चार वर्ष पूर्व कत्ल कर चुका है। डकैती के मामले में जेल गया है। इसमें आग्रह किया गया है कि वर्तमान चौकीदार श्री जीवन लाल की जगह पर उसके भाई हीरालाल को रखा जाय।

इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नरैनी से की गयी जांच से विदित हुआ कि जीवन लाल चौकीदार न तो हिस्ट्रीशीटर है न ही किसी हत्या में सम्मिलित रहा। वर्ष 1962 में थाना बरौधा जनपद सतना (म0प्र0) में डकैती के अभियोग में जेल भेजा गया था लेकिन शनाख्त न होने के कारण धारा 169 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत रिहा हो गया। ग्राम वासियों से सम्पर्क स्थापित करने पर चौकीदार के विरुद्ध ज्यादती करने तथा अन्य आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

थाना कालिंजर, जनपद बांदा के हरिजनों द्वारा दर्ज कराये मुकदमे की संख्या तथा उनका निपटारा

59--श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह मार्च, 86 से नवम्बर, 86 तक थाना कालिंजर, जनपद बांदा में कितने हरिजनों ने मुकदमें दर्ज कराये कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और कितने मुकदमों में चार्ज सीट (आरोप-पत्र) लगाई गई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार माह मार्च 8 6 से नवम्बर, 8 6 तक थाना कालिंजर जनपद बांदा पर हरिजनों ने 2 दस्तनदाजी व 10 गैर दस्तनदाजी अभियोग पंजीकृत कराये, जिनमें 2 दस्तनदाजी व 6 गैर दस्तानदाजी अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 4 गैर व दस्तनदाजी अभियोगों में न्यायालय से विवेचना हेतु अनुमति नहीं मिली ।

जनपद फर्रुखाबाद के श्री प्रह्लाद सिंह भूतपूर्व चपरासी की सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध करार देते हुए बहाली की मांग

60-- डा0 बंगाली सिंह---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रहलाद सिंह, चपरासी, फर्रुखाबाद के सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध करार देते हुए बहाल करने के लिये शासनादेश संख्या 35/31/84 (343)/राजस्व-8, दिनांक 21-11-87 द्वारा निर्देश चकबन्दी आयुक्त तथा जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को दिये गये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? शासनादेश का अनुपालन न करने के लिये कौन दोषी है ?

श्री माता प्रसाद--

शासनादेश दिनांक 21-11-87 में श्री प्रहलाद सिंह भूतपूर्व चपरासी की सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध करार देते हुये बहाल करने के आदेश नहीं दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ--कानपुर राज मार्ग पर चलने वाली समस्त बसों का लिखित रिकार्ड रखने की व्यवस्था

61---श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ से कानपुर व कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली परिवहन निगम की सभी बसें उन्नाव बाईपास चौराहे पर बस स्टाप पर अनिवार्य रूप से रुकती है ? यदि हां, तो क्या इनकी इन्ट्री (लिखित रिकार्ड) करने के लिये बस स्टाप पर कोई कर्मचारी उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार--

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री एवं एक्सप्रेस बसें उन्नाव बाईपास पर रुकती हैं, परन्तु लम्बी दूरी एवं नानस्टाप बसें नहीं रोकी जाती हैं ।

जी हां ।

उन्नाव बाई पास पर पूर्व से ही प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बसों के आवा-गमन की प्रविष्टि करने हेतु शिफ्ट वाईज़ एक-एक कर्मचारी तैनात हैं, जो एक रजिस्टर में उन्नाव बाई पास से होकर आने जाने वाली उन वाहनों का विवरण अंकित करते हैं जो बाई पास पर रुकवाई जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

62---श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा--

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

स्व0 श्री अरुणसिंह ग्राम रैकरा पोटर मडरी जनपद गोन्डा की हत्या की सी0 आई0 डी0 जांच

63--श्री मूल चन्द्र--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के द्वितीय मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 115 के सन्दर्भ मे गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अपराध अनुसंधान विभाग की जांच रपट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

जी हां ।

अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त आख्या के अनुसार मृतक अरुण सिंह की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम से ज्ञात नहीं हो सका । अत: बिसरा परीक्षण कराये जाने पर मृतक के पेट से अल्प मात्रा में अफीम का विष पाया गया जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री बंशराज सिंह व रणजीत सिंह के परिवारों में रंजिश थी । अत: इस बात की प्रबल सम्भावना पाई गई कि बंशराज सिंह की पुत्री माया ने ही अरुण को अफीम खिलाई और उसने स्वयं या किसी के माध्यम से अरुण को कुएं में फिकवाया । परन्तु इस सम्भावना की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और प्रश्नगत अपराध में विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गई ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम उपेन्द्र कुमार के निर्णय के सम्बन्ध में पत्र

64--श्री यदुनाथ सिंह---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 141 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1360 वित्त राज्य मंत्री को ता0 29-8-86 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

माननीय विधायक को उक्त पत्र का उत्तर भेज दिया गया है ।

65--श्री यदुनाथ सिंह--

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

उच्च न्यायालय लखनऊ पी0 द्वारा आयुक्त बिक्रीकर बनाम घनश्याम दास राज नारायन फैजाबाद के रिवीजन में निर्णय

66---श्री यदुनाथ सिंह---

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 94 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 351 मुख्य मंत्री को ता0 1-4-86 को मिला था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां ।

माननीय विधायक को उक्त पत्र का उत्तर भेज दिया गया है ।

67—श्री यदुनाथ सिंह—

(9वें मंगलवार के लिये स्थगित)

बिक्री कर कार्यालय, आजमगढ़ में फार्म 31 की अवैध बिक्री

68—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता प्र0 सं0 132 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ता0 24-1-86 को पुलिस में प्रथम सूचना रपट दर्ज करायी गयी थी, उसकी जांच का क्या परिणाम रहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी --

उपलब्ध सूचनानुसार पुलिस द्वारा मुकदमे की विवेचना चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां भेजी गई, जो उनके न्यायालय में लम्बित है। मामले में प्रगति, परिणाम आदि की सूचना गृह पुलिस विभाग द्वार ही दी जा सकती है।

जनपद गोरखपुर के सरदार नगर स्थित लेडी प्रसन्ना कौर ट्रस्ट की भूमि को अतिरिक्त घोषित करने के आरोप में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

69--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित सरदार नगर मिल मालिकों से संबंधित लेडी प्रसन्न कौर ट्रस्ट के पास कितने सौ एकड़ कृषि योग्य भूमि है और उसे अतिरिक्त घोषित न करने का कारण क्या है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि परगनाधिकारी (नियत प्राधिकारी) ने उक्त भूमि को सीलिंग से प्रभावित नहीं माना है? इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध तथा भूमि को अतिरिक्त घोषित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं की गयी है, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद--

तथाकथित लेडी प्रसन्न कौर ट्रस्ट के नाम 972.14 एकड़ भूमि थी जिसमें 18.02 एकड़ भूमि छोड़ते हुए शेष 910.05 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित किया जाना प्रस्तावित थी जिसे नियत प्राधिकारी ने सीलिंग से प्रभावित नहीं माना। इस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से मण्डलायुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। मण्डलायुक्त ने अपने आदेश दिनांक 11-10-88 द्वारा मामले को नियत प्राधिकारी को रिमाण्ड कर दिया। इसके विरुद्ध खातेदार ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। नियत प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है।

देवरिया जनपद के श्री गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान सेवरही में डा0 डी0 एन0 सिंह की भार साधक केन्द्र प्रभारी के पद पर नियुक्ति

70--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद स्थित श्री गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान सेबरही के भार साधक केन्द्र प्रभारी डा0 डी0 एन0 सिंह की नियुक्ति कब और किस पद से प्रारम्भ हुई थी? क्या वे केन्द्र प्रभारी पद की योग्यता रखते हैं? यदि नहीं, तो किन कारणों से उन्हें विगत तीन वर्षों से केन्द्र प्रभारी बनाये रखा गया है? क्या सरकार उनके कार्यकाल के वित्तीय लाभ-हानि की जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि उनके कार्यकाल में बोये गये गन्ने का क्षेत्रफल कामर्शियल एवं बीज के उत्पादन में भारी कमी आयी तथा फार्म की हालत जर्जर हो गयी? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

डा0 डी0 एन0 सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान सेवरही की मूल नियुक्ति वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ग्रेड-1 के पद पर वर्ष 1979 में की गयी थी। डा0 डी0 एन0 सिंह, सेवरही केन्द्र पर कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी थे, जिसके कारण उन्हें दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों की देख-रेख हेतु केन्द्र का प्रभार सौंपा गया था। इनके कार्यकाल में केन्द्र की व्यवस्था के संबध में जांच करायी गयी थी। वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में उत्पादन में कमी अवश्य आयी किन्तु इसके लिय डा0 सिंह दोषी नहीं पाये गये। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद ग्रामसभा अशरफ पुर के ग्राम प्रधान की मृत्यु की जांच

71--श्री मैनेजर सिंह--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद जनपद के थाना जलालपुर के ग्रामसभा अशरफपुर के ग्राम प्रधान श्री हौसिला प्रसाद वर्मा की हत्या 19 दिसम्बर, 88 को कर दी गई। यदि हां, तो हत्या का विवरण क्या है और क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

वादी श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र मृतक श्री हौसिला प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम मसूदपुर थाना जलालपुर जनपद फैजाबाद ने दिनांक 20-12-88 को थाना जलालपुर में एक लिखित सूचना दिया कि आज सुबह 6 बजे उसके पिता श्री हौसिलाप्रसाद वर्मा पुत्र राजा राम वर्मा चोटहिल अवस्था में मैनपुर गांव के सामने सड़क के किनारे थे उनकी मोटर साईकिल भी पड़ी थी, हम लोग जाकर देखे तो उनके मुंह से खून आ रहा था, उन्हें उठाकर प्रा0 स्वा0 केन्द्र जलालपुर ले गये, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पिता का किसी ने एक्सीडेन्ट कर दिया है, उनकी अंगूठी तथा चेन सोने की गायब है। इस सूचना पर मु0 अ0 सं0 234/88 धारा 279/304ए भा0 द0 वि0 बनाम अज्ञात समय 8.30 दिनांक 20-12-88 को पंजीकृत किया गया।

अब तक की विवेचना से ज्ञात हुआ है कि हौसला वर्मा शराब पीते थे और शराब के नशे में जलालपुर से चले थे तथा एक्सीडेन्ट हो गया परन्तु किसी ने इस एक्सीडेन्ट को नहीं देखा है। श्री हौसिला प्रसाद वर्मा की हत्या के संबंध में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इनकी मृत्यु एक्सीडेन्ट के कारण हुई है। इस अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है विवेचक को गोपनीय तौर पर गहरायी से जांच करने तथा मुकदमे का शीघ्रनिस्तारण करने संबंधी कड़े निर्देश दिये गये हैं।

72--श्री जफर अली नकवी--

[दि0 14-3-89 को अता 0 प्र0 सं0 12 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के विभिन्न कारागारों में दवाओं व कीटनाशकों की अनियमित रूप से क्रय करने की सतर्कता जांच रिपोर्ट का परीक्षण

73--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कारागार मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों में अनियमित रूप से क्रय की गयी दवाओं/कीटनाशकों का सतर्कता जांच रिपोर्ट शासन को बहुत पहले ही प्राप्त हो गयी थी ? उक्त मामले में कितने अधिकारी/कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं क्या यह सत्य है कि मामले में वर्तमान उप कारागार उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) अन्तर्ग्रस्त हैं यदि नहीं, तो क्या यह रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त हो गयी है इस गम्भीर मामले में अब क्या कार्यवाही की जा रही है यदि नहीं, तो उक्त गम्भीर प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट--

जी हां।

26 कारागारों से संबंधित प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 86 अधिकारी/कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त पायें गये हैं।

जी हां। किन्तु उपमहानिरीक्षक कारागार (मु0) के बारे में अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

सतर्कता जांच रिपोर्टों का परीक्षण करने की कार्यवाही सक्रिय रूप से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

74--श्री अफजाल अंसारी--

[दि0 28-2-89 को अता0 प्र0 सं0 28 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव की पुरवा तहसील के ग्रामसभा पारा में 115 डी0 के मुकदमा के निस्तारण हेतु ज0 वि0 नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही

75--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के तहसील पुरवा की ग्राम सभा पारा में 115 डी0 के मुकदमा के जुर्माना स्वरूप कितनी धनराशि वसूली हेतु शेष है वसूली न किये जाने के कारण क्या है क्या जुर्माना की गयी धनराशि से संबंधित जमीन को अवैध कब्जे से अवमुक्त करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

प्रश्नगत गांव सभा पारा तहसील पुरवा जनपद उन्नाव में नियम-115 डी0, ज0 वि0 नियमावली के अन्तर्गत जुर्माना वसूली एवं बेदखली से संबधित कार्यवाही का कोई प्रकरण अवशेष नहीं है।

जनपद उन्नाव के पुरवा तहसील के ग्राम पारा व लउवा सिंहन खेड़ा में ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि की जानकारी एवं अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

76--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के ग्राम पारा व ग्राम लउवा सिंहन खेड़ा, तहसील-पुरवा में ग्राम समाज की अलग-अलग कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि है कितने एकड़ कृषि योग्य खेती पर अवैध कब्जा है ? कब्जे कब से हैं ? क्या यह कब्जे संबंधित भूलेख निरीक्षक और लेखपाल की जानकारी में है यदि हां, तो अवैध कब्जों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? कार्यवाही न करने के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है

साकेत डिग्री कालेज, फैजाबाद में प्राचार्य के साथ छात्रों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की स्थिति एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

77--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 3-1-89 को जनपद फैजाबाद में साकेत डिग्री कालेज में दिन में कुछ अवांछनीय और अराजकतत्वों ने कुछ छात्रों के साथ प्राचार्य के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ किया और प्राचार्य के साथ दुर्व्यहार किया यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इस स्थिति को रोकने तथा अराजक और अपराधिक तत्वों तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करनें वालों को दडित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां, दिनांक 3-1-89 को साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में श्री सुरेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बू, ओम प्रकाश सिंह राकेश मिश्र, अनिरुद्ध कुमार सिंह एवं शेषनाथ दुबे अपने अन्य छात्र साथियों क साथ घुस गय तथा मेज पर रखा शीशा,घण्टी, कार्यालय की कुर्सी आदि तोड़ दिया ।

इस सबंध में थाना कोतवाली अयोध्या पर मु0 अ0 सं0 6/89 धारा 147/353/427/504 भा0 दं0 वि0 का अभियोग उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त सुरेश प्रताप सिंह (2) अभि0 ओम प्रकाश सिंह (3) अभि0 राकेश मिश्रा, दिनांक 4-1-89 को गिरफ्तार करके जेल भज गय तथा अभि0 शेषनाथ नाथ दुबे व अनिरुद्ध प्रताप सिंह को दिनांक 15-3-89 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सभी नामजद उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध विचारोपरान्त आरोप-पत्र क्रमश: दिनांक 1-3-89 व 15-3-89 को प्रेषित किया गया। शेष अन्य अभि0 छात्रों का नाम पता विवेचना से ज्ञात नहीं हो सका। अब इस अभियोग म कोई कायवाही शेष नहीं है।

प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आपराधिक स्थिति पर नियन्त्रण हेतु निर्देश

78--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या यह सही है कि गृह मंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 10 दिन के अन्दर लखनऊ की अपराध स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु आवश्यक निर्देश माह जनवरी, 89 में दिये हैं यदि हां, तो क्या इसी प्रकार का निर्देश समूचे प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण हेतु जारी करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

यह सत्य है कि लखनऊ की अपराधिक स्थिति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गृह मंत्री द्वारा बठक की गयीथी और उसमें सभी अधिकायिों को अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रदेश में प्रमुख अपराधों में कमी हुयी है। अपराधों के नियंत्रण के लिये समय समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

फैजाबाद जनपद के मालीपुर थानान्तर्गत ग्राम रसूल पुर बाकरगंज में वर्ष 1982-88 तक पड़ी डकैती में मृतकों की संख्या एवं लूटे गये धन का ब्यौरा

79--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना गाजीपुर के ग्राम रसूलपुर बाकरगंज में वर्ष 1982 से 1988 तक कितनी डकैतियां पड़ी हैं इनमें मृतकों

की संख्या क्या है और लूटे गये धन का ब्यौरा क्या है ? क्या बाकरगंज बाजार में किसी व्यक्ति के पास असलहे का लाइसेन्स है ? यदि नहीं, तो क्या सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिन लोगों ने लाईसेन्स के लिये आवेदन किया है उनको लाईसेन्स देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

एकडकैती पड़ी है।

मृतकों की संख्या 2 है और डकैती में एक एच0 एम0 टी0 घड़ी कीमत 250.00 रु0 टार्च सेल एवरेडी कीमत 52.00 रु0, दूध का डिब्बा कीमत 30.00 रु0, व साबुन कीमत 50.00 रु0 का धन लूटा गया था।

जी नहीं।

ग्राम रसूलपुर बाकरगंज के 5 व्यक्तियों ने लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। जिनकी जांच से प्रकाश में आया कि कुछ के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हुये है एवं कुछ स्थानीय पार्टी बन्दी में लिप्त है, फलस्वरुप लाईसेन्स देने की संस्तुति नहीं की गयी थी।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम गुमाई में हरिजन मजदूरों को राहत दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

80--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या, 0'20903, दिनांक 17-8-87. बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम गुमाई के हरिजन मजदूरों के राहत के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी बांदा को मूल रूप में आवश्यक कार्यवाहीं हेतु भेज दिया गया।

जनपद बांदा की नरैनी तहसील के ग्राम नगवारा के श्री जोकर के पुत्र श्री मंगलिया के पत्र पर की गई कार्यवाही

81--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 020907 दिनांक 17-8-87 बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम नगवारा के श्री जोकर पुत्र श्री मंगलिया के पत्र के साथ भूमि के पट्टों के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं, अपितु मा0 विधायक का पत्र दिनांक 15-10-87 प्राप्त हुआ था। इसी विषय में एक अन्य प्रार्थना पत्र श्री जोकर पुत्र श्री मंगलिया निवासी नगवारा से प्राप्त हुआ था जो दिनांक 15-7-87 का है। उक्त दोनों पत्रों पर जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि शिकायतकर्त्ता के नाम गाटा संख्या 263 रकबा 0.29 डिसमिल व गाटा सं0 536 रकबा 0.21 डिसमिल, कुल 0.50 डिसमिल आवंटित है जिन पर पट्टेदार को कब्जा पूर्व में ही दे दिया गया था। पुनः ग्राम प्रधान को मौजूदगी में दिये गये कब्जे का स्थलीय सत्यापन किया गया है, पट्टेदार मौके पर काबिज है।

बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम आऊ के भूमिहीन हरिजनों को कब्जा दिया जाना

82--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम आऊ में अभी तक कितने हरिजन भूमिहीनों को भूमि के पट्टे एवं कब्जा मिल गये है तथा कितने भूमिहीनों को भूमि का पट्टा मिला है परन्तु नाप कर कब्जा नहीं दिया गया ? क्या इन्हें कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

बांदा जनपद तहसील नरैनी के ग्राम आऊ में अब तक सीलिंग भूमि के "14" भूमिहीनों एवं गांव सभा को भूमि के 11 भूमिहीनों, कुल 25 भूमिहीनों को भूमि के पट्टे किये गये है और बाकी सभी को मौके पर नापकर कब्जा भी दिया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम आऊ में सीलिंग की भूमि पर भूमिहीनों का कब्जा दिलाना

83--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या यह सही है कि उक्त गांव में सीलिंग से निकली भूमि पर अधिकांश पर अभी भी कुछ व्यक्ति अवैधानिक कब्जा किये हैं यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों से सीलिंग भूमि से कब्जा हटवाकर हरिजन भूमिहीनों को कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ;

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के अतर्रा थानान्तर्गत पुलिस द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच

84--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 24फरवरी, 88 का पत्र जो बांदा जनपद के थाना अतर्रा की पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार, जुर्म छुपाने, रिश्वत खोरी करने के संबंध में था, पुलिस महानिरीक्षक उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में संदर्भित प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कर्बी से करायी गयी। जांच से थानाध्यक्ष अतर्रा के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार जुर्म छिपाने, रिश्वत खोरी करने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए लेकिन श्रीमती गीता देवी पत्नी अनरूद्ध पाण्डे की कुएं में गिर कर मृत्यु के मामले में उदासीनता अवश्य परिलक्षित हुई। परिणामस्वरूप तत्कालीन थानाध्यक्ष अतर्रा श्री राज नरायन तिवारी को दिनांक 31-7-88 को एक दुश्चरित्र लेख प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त श्री देवीशरण कुशवाहा ग्राम पचोखर थाना अतर्रा की दुकान में दिनांक 11/12-2-88 को चोरी होने तथा उसकी रिपोर्ट थानाध्यक्ष उपरोक्त द्वारा अंकित न किये जाने के संबंध में थानाध्यक्ष श्री राजनरायन तिवारी को दिनांक 13-3-89 को एक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है तत्कालीन थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण भी झांसी किया जा चुका है।

वर्णित प्रकरण में मुकदमा कायम कर बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ।

जनपद बांदा के नरैनी कोतवाली के श्री सुखलाल वन कर्मी की हत्या की जांच

85--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 4 फरवरी, 88 का पत्र जो बांदा जनपद के नरैनी कोतवाली के अन्तर्गत हुई दिनांक 11/11/87 को श्री सुखलाल वन कर्मी की हत्या के संबंध में सी0 आई0 डी0 जांच कराने के संबंध में था, गृह सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश पारित होकर सी0 आई0 डी0 जांच प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी नहीं, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-2-88 प्राप्त नहीं हुआ अपितु दिनांक 24-2-88 का प्राप्त हुआ है । श्री सुखलाल बन कर्मी हत्या के सम्बन्ध में मु0 लतीफ की सूचना पर दिनांक 11-11-87 को थाना नरैनी पर मु0 अ0 सं0 238/87 धारा, 302/404 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ ।

उक्त प्रकरण में विवेचना में आये चार अभियुक्तों में अभियुक्त भेड़ा पुत्र लुरू लोध, निवासी नन्दवारा को 3-12-87 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

अभियुक्त बड़े भाई उर्फ रमेश को 23-7-88 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष अभियुक्तगण चन्द्र कुमार उर्फ सेठ लोध बकदौल निवासीगण मुकेरा, थाना नरैनी ने दिनांक 6-8-88 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया ।

साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 8-8-88 को आरोप-पत्र न्यायलय प्रेषित किया गया है जो न्यायालय के विचारधीन है । चूंकि जांच से अभियुक्त प्रकाश में आ चुके थे, और पुलिस द्वारा जांच ठीक प्रकार से की जा रही थी । अतः घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

बलिया जनपद में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षेत्रवार स्वीकृत पदों का विवरण एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति की कार्यवाही

86--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक पुलिस, उप निरीक्षक पुलिस, हेड मुहर्रिर पुलिस तथा कांस्टेबिल (पुलिस) ने कितने-कितने पद क्षेत्रवार स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र समायोजन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जनपद में स्वीकृत पुलिस स्टाफ तथा रिक्त स्थानों का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है । रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 196 पर ।)

बलिया जनपद के विकास खंड रतनपुरा के ग्राम गाढ़ा में चकबन्दी विभाग द्वारा धारा-52 के शीघ्र प्रकाशन की मांग

87--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड रतनपुरा जो नवसृजित जनपद मऊनाथ भंजन का अंग बन चुका है चकबन्दी विभाग द्वारा मौजा गाढ़ा का धारा 52 का प्रकाशन लम्बित रहने का क्या कारण है ? क्या सरकार धारा 52 का प्रकाशन शीघ्र करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद (श्री श्यामलाल तिवारी) पर किये गये हमले की जांच एवं कृत कार्यवाही का विवरण

88--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उप संचालक चकबन्दी फैजाबाद (श्री श्याम लाल तिवारी) पर लाठियों से किये गये हमले और उक्त मामले में पुलिस द्वारा अपराधी को दिए गए संरक्षण के बारे में गृह सचिव उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-88 मिल गया है ? यदि हां तो उक्त मामले की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट तथा उसके आधार पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां । प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी सदर फैजाबाद द्वारा करायी गयी । जांच से पाया गया कि इस घटना की सूचना पर मु0 अ0 सं0 297/88 धारा 332/353 भाग दं0 वि0 तथा 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट का अभियोग थाना रौनाही जनपद फैजाबाद में शिवदर्शन उर्फ सुदर्शन, पुत्र जगदम्बा, सा0 मजनावां, थाना रौनाही के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के फरार हो जाने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका । दिनांक 21-12-88 को अभियुक्त की चल सम्पत्ति कुर्क की गयी । दिनांक 26-12-88 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 28-12-1988 आबोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है ।

दिनांक 04-01-89 को अभि0 शिवदर्शन सिंह को रा0 सु0 अधि0 में निरुद्ध किये जाने के संबंध में आख्या जिलाधिकारी फैजाबाद को प्रेषित की गयी । अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही शेष नहीं है । श्री तिवारी जी द्वारा लगाये गये अन्य आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुये ।

89--डा0 दिनेश जौहरी--

(दिनांक 7-3-89 को अतरांकित प्रश्न संख्या 87 द्वारा उत्तरित)

गाजियाबाद के विकास खंड लोनी के ग्राम पचारा की यमुना नदी के कटान द्वारा दिल्ली प्रदेश में गयी भूमि का लगान दिया जाना एवं कब्जे की मांग

90--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गाजियाद के विकास खण्ड लोनी के गांव पचारा की सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना के काटन से दिल्ली प्रदेश में चली गयी है जिसका लगान गांव पचारा के लोग नियमित रूप से दे रहे हैं ? यदि हां तो क्या सरकार पचारा के लोगों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्राधिकारी सादाबाद (मथुरा) को मथुरा में रह कर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप एवं सादाबाद में ही रहने की मांग

91--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि क्षेत्राधिकारी सादाबाद (मथुरा) अपने सादाबाद स्थित सरकारी आवास में न रह कर, मथुरा में रह कर सरकारी खजाने को हजारों रुपये की हानि पहुंचा रहे हैं तथा उनके न रहने के कारण जंगल में स्थित एस0 डी0 ओ0 काम्पलैक्स के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी भयभीत रहते हैं और रात्रि भर जागरण करते है, जिससे जनहित के कार्यों को हानि हो रही है तथा वे रात में जगने के कारण दिन में कार्य नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्षेत्राधिकारी सादाबाद को उनके सादाबाद स्थित आवास में कब तक भेज दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जनपद मुख्यालय पर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की कमी तथा कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्राधिकारी सादाबाद को मुख्यालय पर जनहित में बुला लिया गया है । यह कहना सही नहीं है कि क्षेत्राधिकारी के सादाबाद में न रहने के कारण एस0 डी0 ओ0 कम्पलैक्स के निवासीगण भयभीत हैं । स्थिति में सुधार होने पर क्षेत्राधिकारी सादाबाद को सादाबाद में निवास करने के लिये निर्देशित कर दिया जायेगा ।

92--श्री यदुनाथ सिंह--

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

93--श्री मूल चन्द्र--

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

आयुक्त बिक्रीकर बनाम कृष्ण राइस एण्ड आयल मिल विषयक पत्र पर जाँच एवं कार्यवाही

94--श्री मूल चन्द्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के आठवें मंगल के लिये निर्धारित अतां0 प्रश्न संख्या-48 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या-266 में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच न कराने का निर्णय किस अधिकारी ने किस कारण से लिया ? करदाता के ऊपर कितना सरचार्ज लगना चाहिये था, जो नहीं लगाया गया ? क्या अब इस मामले की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जांच न कराने का निर्णय राज्य वित्त मंत्री के स्तर पर लिया गया था। कर निर्धारक अधिकारी ने व्यापारी की कर योग्य बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से 2020 रु0 अतिरिक्त कर लगया था। किन्तु अपील में जब कर योग्य बिक्रय धन घटाकर 1,57,000 रु0 किया गया तब उस पर देय अतिरिक्त कर 1570 रु0 नहीं लगाया गया; यद्यपि व्यापारी का कुल बिक्रय धन 2 लाख से अधिक निर्धारित हुआ था। इस त्रुटि के सुधार हेतु विभाग की ओर से धारा 22 में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र दायर किया गया जो स्वीकार किया गया और पूर्व अपीलीय आदेश तदनुसार संशोधित कर दिया गया ।

2--अपीलीय आदेश में विन्रय धन में की गई कमी के विरुद्ध भी आयुक्त बिक्रीकर की ओर से अपील दायर की गई किन्तु अधिकरण ने प्रथम अपील में निश्चित किये गये विन्रय धन की पुष्टि की।

3-- प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 22 में किये गये संशोधन के विरुद्ध व्यापारी ने अपील दायर की जो बिक्रीकर अधिकरण ने अस्वीकार कर दी। तत्पश्चात् व्यापारी ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया जो स्वीकार कर लिया गया। इस निर्णय स व्यापारी पर एक प्रतिशत की दर से धारा-22 में त्रुटि के सुधार हेतु पारित प्रथम अपीलीय आदेश भी निरस्त हो गया। न्याय विभाग के परामर्श स उच्च न्यायालय का निर्णय विधि विपरीत समझा गया और उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई जो अभी निर्णीत नहीं हुई।

4--मामले का परीक्षण पूर्ण रूप से कर लिया गया था और जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

95--श्री मूल चन्द्र--

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

96-99--श्री यदुनाथ सिंह--

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

100--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

गन्ना समिति, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या एवं नियमित करने की मांग

101--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या गन्ना विकास मंन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना समिति, सम्पूर्णागर, जनपद लखीमपुर खीरी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणों के पदों पर कुल कितने कर्मचारी कब से दैनिक वेतन पर सेवा-रत हैं? क्या यह सच है कि समिति प्रशासन द्वारा अन्य शाहरी बाहरी समितियों से आये कर्मचारियों का योगदान लेकर स्थानीय कर्मचारियों की सेवायें श्रम-नियमों व सेवा-नियमों के विरुद्ध समाप्त की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगाते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु आदेश पारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

गन्ना समिति सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी में तृतीय श्रेणी के तेरह तथा चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं जिनमें तृतीय श्रेणी के तीन कर्मचारी जनवरी, 1983 से, एक कर्मचारी नवम्बर, 1985 से तीन कर्मचारी जनवरी 1986 से तथा छः कर्मचारी फरवरी 1986 से और चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी जनवरी 1985 से तथा एक कर्मचारी 1987 से कार्य पर लगाये गये।

अन्य समितियों के नियमित सामयिक लिपिकों के स्थानान्तरण से रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

नायब तहसीलदार, तहसील टाण्डा, फैजाबाद को पदोन्नतोपरान्त स्थानान्तरण की मांग

102––श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा के नायब तहसीलदार जो वहां लगभग 8 वर्ष से कार्यरत हैं, को प्रमोशन देकर वहीं तहसीलदार बना दिया गया है ? यदि हां, तो 8 वर्ष की अवधि तक एक ही स्थान पर कार्यरत रहने वाले अधिकारी को पदोन्नति देकर उसी स्थान पर तैनात किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण करने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद––

जी हां ।

यह आवश्यक नहीं है कि प्रोन्नति के उपरान्त किसी अधिकारी/कर्मचारी को अन्यत्र ही तैनात किया जाय ।

सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा ।

ग्राम सभा खुर्रमपुर, तहसील व जिला लखनऊ के लेखपाल के विरुद्ध ग्राम प्रधान के कथित पत्र पर जांच

103––श्री शारदा प्रताप––

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 7 जनवरी, 89 तथा उसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र श्री सहदेव सिंह ग्राम प्रधान ग्राम सभा खुर्रमपुर, तहसील व जिला लखनऊ का जो ग्राम सभा खुर्रमपुर में तैनात लेखपाल द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद––

जी हां । जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिये गये हैं ।

उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति

104––श्री गोपी नाथ वर्मा––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 88 में उ0 प्र0 रा0स0 परि0 नि0 मुख्यालय लखनऊ में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की परिचालक पद पर नियुक्तियां की गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंग कि उक्त नियुक्तियां शासनादेश के अनुरूप नियमित नियुक्ति के रूप में की गई अथवा दैनिक वेतन भोगी के रूप में ? यदि उक्त नियुक्तियां दै0 वेतन भोगी के रूप में की गयी है, तो क्या सरकार मृतक आश्रित परिचालकों की नियुक्ति नियमित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रमोद कुमार––

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में किसी भी मृतक कर्मचारी के आश्रित को परिचालक के पद पर नियुक्ति नहीं दी गयी है, अपितु क्षेत्रों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की परिचालक के पद पर नियुक्त की गयी है ।

शासनादेश दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 में मृतक कर्मचारी के आश्रित को उपर्युक्त सेवा-योजन प्रदान करने के आदेश हैं। उसमें यह निर्देश नहीं ह कि उन्हें दैनिक दर पर अथवा नियमित नियुक्ति प्रदान की जाय ।

दैनिक दर पर कार्यरत परिचालकों को नियमित करने के लिये क्षेत्रों को स्वीकृति सितम्बर 1988 में रिलीज की गयी है। उक्त स्वीकृति के विपरीत दैनिक दर पर कार्यरत परिचालकों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जा रहा है। मृतक आश्रित भी नम्बर आने पर तथा नियमित जगह उपलब्ध होने पर नियमित कर दिये जायेंगे।

उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 इलाहाबाद में कथित टी0आई0 (श्री हेरिक) के स्थानान्तरण की मांग

105--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 परि0 नि0 इलाहाबाद क्षेत्र के टी0 आई0 श्री हेरिक इलाहाबाद में कितने दिनों से कार्यरत हैं? क्या श्री हेरिक के विरुद्ध कर्मचारी संगठनों एवं जनता की ओर से क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रधान प्रबन्धक एवं शासन को जनवरी, 88 स जुलाई, 88 से मध्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री हेरिक का स्थानान्तरण अविलम्ब अन्यत्र करने तथा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने का कष्ट करेंगे। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इलाहाबाद क्षेत्र में श्री हेरिक नाम का कोई टी0 आई0 कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कतिपय भवन ठेकेदारों के विरुद्ध चोरी का आरोप

106--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के पहले संगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 15 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तीनों ठेकेदारों के बारे में प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 995 उनके कार्यालय में तारीख 8-6-84 को व पत्र संख्या 474 के पत्र संख्या 552 मुख्य मंत्री को क्रमश: 5-4-86 व 21-4-86 को प्राप्त हुये हैं यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्रश्न में उल्लिखित पत्रों की प्रतिलिपि की मांग माननीय सदस्य से की गई है।

107-108--श्री मूल चन्द्र--

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित!

उ0 प्र0 सचिवालय के सा0 नि0 वि0 अनुभाग-6 में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र पर जांच

109--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय के सा0नि0वि0 अनुभाग-6 के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध श्री मनोहर लाल विधायक तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह विधायक के पत्र दिनांक 8-8-88 जो कि उनको सम्बोधित था 9 अगस्त

1988 को प्राप्त हुआ है ? क्या उन शिकायती-पत्रों पर लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के आदेश कब दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जांच से पूर्व सरकार इनके स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ताकि जांच निष्पक्ष हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुये हैं ? उनमें उल्लिखित शिकायतों का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा में हरिजनों के उत्पीड़न के आधार पर हुई गिरफ्तारी का विवरण एवं सहकारिता विभाग में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच

110---श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1986 से 30 जून, 1988 तक जौनपुर जनपद के थाना सरायख्वाजा के अन्तर्गत हरिजनों के उत्पीड़न, सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार तथा जबर्दस्ती मछली पकड़ने, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के उत्पीड़न की कुल कितनी शिकायतें मिलीं ? अब तक उन शिकायतों के आधार पर कितनी गिरफ्तारियां की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा के अन्तर्गत हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में 7 शिकायतें प्राप्त हुयीं जिसके आधार पर 7 हस्तक्षेपीय अभियोग पंजीकृत कर 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। विवेचनोपरान्त 6 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा एक अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

प्रश्नगत अवधि में उपरोक्त थाने पर सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई जिसके आधार पर दो अभियोग पंजीकृत हुये। दोनों अभियोगों की विवेचना कोआपरेटिव सेल वाराणसी द्वारा की जा रही है।

जबरदस्ती मंछली पकड़ने व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के उत्पीड़न से संबंधित उपरोक्त थाने पर उक्त अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद हमीरपुर के सरीला को तहसील बनाने का प्रस्ताव

111---श्री राम सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में सरीला को तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस संबंध में घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

श्री माता प्रसाद---

जी नहीं। इस विषय में अभी राजस्व परिषद् से कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राम सूरत शुक्ल निवासी ग्राम गड़मा कोइरीपुर, थाना चांदा, जिला सुल्तानपुर के कथित शिकायती पत्र की जांच रिपोर्ट

112---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री रामसूरत शुक्ल निवासी ग्राम गड़मा कोइरीपुर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर का प्रार्थना पत्र गृह सचिव उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित

प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 31–12–88 के पत्र के साथ मिल गया है? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा कराया गया और जांच रिपोर्ट तथा उसके आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी––

जी हां, इस पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, फैजाबाद से करायी गयी ।

जांच से पाया गया कि दिनांक 22–11–88 को थाना गोसाईगंज में प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित मुकदमा धारा 498 ए/304 बी भा0 दं0 वि0 बनाम दानबहादुर, दानबहादुर की माता व उसकी भौजाई के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसका संबंध थाना भीटी से होने के के कारण उक्त अभियोग को थाना भीटी के अ0 सं0 136/88 पर पंजीकृत कर विवेचना की गयी । विवेचना से तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 10–2–89 को उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया । जांच रिपोर्ट तथा उसके आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जनपद बाराबंकी के श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा वैध परमिट लेकर हरे पेड़ की कटान

113––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सरकार को जानकारी है कि गांव सभा शेखपुर, तहसील नबाबगंज, जनपद बाराबंकी के ग्राम प्रधान श्री महेश सिंह ने दिनांक 21–6–88 को थाना इंचार्ज कोतवाली देवा, जनपद बाराबंकी को एक प्रार्थना पत्र देकर इस बात की शिकायत की थी कि दिनांक 20/21–6–88 की रात में श्री अजय प्रताप सिंह ने गांव सभा के शीशम के हरे पेड़ों को चोरी से कटवाया था और ट्रक नं0 यू0 टी0 डी0 5477 पर लादकर उसे ले जा रहे थे जिसे गांव वालों ने तथा प्रधान ने पुलिस के हवाले भी किया था ? क्या यह सच है कि उक्त ट्रक पर लदी लकड़ी को बाद में पुलिस ने छोड़ दिया और अजय प्रताप सिंह के विरुद्ध भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने और लकड़ी को छोड़ देने के लिये कौन दोषी है और दोषी लोगों तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी––

जी हां ।

जी हां ।

श्री अजय प्रताप सिंह ने वन विभाग से वैध परमिट प्राप्त करके कटान कराया था । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

114––श्री सूर्य प्रताप शाही––

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा के श्री रामपाल पुत्र श्री मनोदत्त निवासी ग्राम गुरसड़ी की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

115––श्री अर्जुन सिंह यादव––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1–12–88 को मा0 विधायक श्री बंगाली सिंह व दिनांक 6–1–89 को मा0 विधायक श्री राम शरण दास का पत्र श्री राम पाल पुत्र श्री मनोदत्त निवासी ग्राम गुरसड़ी पूरे बहारी, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा की जान-माल की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बाबत आवश्यक कागजाती सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

जी हां।

मामले की जांच कराई गई। जांच आख्या के अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा विपक्षी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जिस संबंध में दीवानी न्यायालय में एक वाद विचाराधीन है। दोनों पक्षों के मध्य शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 के कथित प्रवर वर्ग सहायक के विरुद्ध शिकायत की जांच

116---श्री हर्ष वर्धन---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-3 में कार्यरत किसी प्रकार वर्ग सहायक के विरुद्ध मुख्य सचिव को सम्बोधित मा0 विधायक श्री मैनेजर सिंह व रघुबर दयाल वर्मा के पत्र दिनांक 23-8-88 एवं 23-12-88 द्वारा शिकायतें प्राप्त हुयी हैं? यदि हां, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं? क्या सरकार सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर शिकायतों की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। माननीय विधायकों के पत्र में निम्नलिखित मुख्य शिकायतें थीं:--

(1) उर्दू अनुवादक श्री तारिक मोहम्मद खालिक सिद्दीकी से सांठ-गांठ कर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाना।

(2) उर्दू अनुवादकों की ज्येष्ठता ठीक निर्धारित न किया जाना।

(3) मुकदमे में ठीक से पैरवी न करना।

परीक्षण में शिकायतें निराधार पाई गईं। कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष श्री मुक्तेश्वर राय, सम्पूर्णानगर, खीरी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

117-- श्री सतीश अजमानी तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री निरंजन सिंह निवासी ग्राम बालपुर, थाना-सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर का पुलिस अधीक्षक खीरी को सम्बोधित पत्र दिनांक 11-11-88 तथा श्री गुरु दयाल सिंह नागरा निवासी ग्राम सुमेरपुर पलिया जिला लखीमपुर का गृह मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 9-11-88 तथा डी0जी0 पुलिस को सम्बोधित पत्र दि0 7-1-89 जो थानाध्यक्ष श्री मुक्तेश्वर राय थाना सम्पूर्णानगर जिला खीरी की ज्यादतियों एवं रिश्वत खोरी के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में तथा अविलम्ब स्थानान्तरण के संबंध में था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

प्राप्त सूचनानुसार मामले से संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की गयी। जांच से थानाध्यक्ष सम्पूर्णानगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी।

श्री ओम उर्फ बबलू पुत्र श्री बंशीलाल, कस्बा गोला गोकरन नाथ, लखीमपुर खीरी की हत्या की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच एवं कार्यवाही

118--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 19 अक्तूबर, 87 को जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा गोला गोकरन नाथ निवासी ओम उर्फ बबलू पुत्र बंशीलाल की हत्या

कर दी गयी थी ? यदि हां, तो हत्या के लिये कौन दोषी है क्या यह सत्य है कि बरेली निवासी सरदार जसबीर सिंह को हत्या के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी––

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत हत्या के मामले में थाना गोला जनपद खीरी पर पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या 248/87 अन्तर्गत धारा 302/307 भा0 दं0 वि0 के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी विवेचना से उक्त हत्या के मामले में मृतक बहनोई शिव सरन एवं उसके दो साथियों सरदार जसबीर सिंह तथा सरदार बलबीर सिंह निवासीगण बरेली को दोषी पाया गया एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये।

प्रश्नगत प्रकरण में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गयी जांच से भी यह पाया गया है कि उक्त हत्या उपरोक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा ही की गयी है। जांच से उक्त हत्या के अभियोग में सरदार जसबीर सिंह को झूठा फंसाये जाने के कथन की पुष्टि नहीं हुई है।

फैजाबाद स्थित सोहावल चौराहे पर राजकीय बसों के रुकने की व्यवस्था

119––श्री अवधेश प्रसाद––

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित सोहावल चौराहे पर सभी राजकीय बसों के रुकने की व्यवस्था तथा एक बुकिंग क्लक की व्यवस्था थी जो अब बन्द हो गयी है। यदि हां, तो क्यों ? क्या परिवहन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद से ड्यांढ़ी तथा फैजाबाद से सोहावल होते हुय रानी बाजार सरकारी बस सेवा पहले थी जो अब बन्द है परन्तु उपरोक्त तीनों को चालू करने के लिय जिलाधिकारी फजाबाद ने क्षेत्रीय प्रबन्धक को दिनांक 5–1–89 को लिखित आदेश कर दिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त तीनों बस सेवाओं को चालू कराने तथा सोहावल चौराहे पर बसें रोकने के संबंध में आदेशों का क्रियान्वयन कब तक करा दिया जाएगा ?

श्री प्रमोद कुमार––

जी हां।

अत्यन्त कम आय प्राप्त होने के कारण मार्च, 1984 से उक्त सोहावल चौराहे का बुकिंग कार्यालय बन्द कर दिया गया। सोहावल चौराहा फेयर स्टापेज है जहां पर फैजाबाद क्षेत्र की 22 बसे रुकती हैं।

जी हां।

जिलाधिकारी फैजाबाद के पत्र दिनांक 5–1–89 क अनुपालन में दिनांक 19–1–89 से 31–1–89 तक एक सेवा फैजाबाद से रानीबाजार वाया सोहावल चौराहा संचालित की गयी, परन्तु उसे 14 प्रतिशत लोड फैक्टर एवं अत्यन्त कम आय के कारण पुनः बन्द करना पड़ा।

उपरोक्त तीनों सेवाओं को पुनः चालू करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सोहावल चौराहा फेयर बस स्टाप है, जहां पर फैजाबाद क्षेत्र की 22 बसें रुकती ह।

जनपद फैजाबाद के परगना मगलसी के कतिपय गांवों की चकबन्दी एवं कटा परिवर्तन सम्बन्धी फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

120––श्री अवधेश प्रसाद––

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद फजाबाद स्थित परगना मगलसी तहसील व जिला फजाबाद के ग्राम हाजीपुर बरसेंडी देवरकोट सरंगापुर करेरू, पिरखाली बेबई अगंथुवा मजनावां, अरथर लखोरी चिर्रा जगनपुर इब्राहीमपुर कदई, खिरौनी ब कोट सराय, रायपुर, मानापुर, भदरसा सरैया, मीरपुर काटा मानापुर आदि गांवों में जहां पर

चकबन्दी हो रही है अभी भी किसानों को उनके नये चकों पर कब्जा नहीं मिला है जबकि जिले के चकबन्दी अधिकारियों ने जो शासन को प्रगति रिपोर्ट भेजी है उसमें कब्जा परिवर्तन दिखा दिया है। यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मामले की उक्च स्तरीय जांच बैठा कर संबंधित फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और शीघ्र किसानों को कब्जा परिवर्तन करायें गये यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद––

जी हां।

अधिकांश ग्रामों में कब्जा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है।

जांच की जा चुकी है। फर्जी रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। चक अपील स्तर के पूर्व के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर एवं चक अपीले निस्तारित होने के उपरान्त नियमानुसार कब्जा परिवर्तन कराया जाना सम्भव है।

121––श्री अवधेश प्रसाद––

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जनपद फैजाबाद में चकबन्दी में हो रही व्यापक अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी फैजाबाद के पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

122––श्री अवधेश प्रसाद––

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1989 को जिला अधिकारी फैजाबाद जिला उप संचालक चकबन्दी को सम्बोधित करके दिया जो जनपद फैजाबाद में चकबंदी में व्यापक पैमाने पर हो रही अनियमितताओं आदि के संबंध में था। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री माता प्रसाद––

जी हां।

सोहावल क्षेत्र का फील्ड कार्य करने हेतु एक कार्यालय की व्यवस्था कर दी गयी है। वर्ष 86-87 व 87-88 की प्रगति रिपोर्ट सही न भेजने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है। देवराकोट, मीरपुर कोटा तथा अगेथुआ में चकबन्दी का कार्य कराया जा रहा है। ग्राम भदरसा की जांच निदेशालय के संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा करायी गयी थी तथा प्रकाश में आयी त्रुटियों को चक निगरानियों के सुनवाई के समय निराकरण किया जायगा।

ग्राम सरैया में हुई अनियमितता के संबंध में पूर्व में ही नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई थी तथा ग्राम सभा की भूमि को जो खातेदार के खाते में दर्ज कर दी गई थी उस निरस्त कर ग्राम सभा के खाते में दर्ज करा दिया गया। अलगू पासी के चक के मामले में अभिलेख की दुरुस्ती की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव सहायक अधिवक्ता बांसी, बस्ती की जिला शासकीय अधिवक्ता (माल) बस्ती के पद पर नियुक्ति

123––श्री सुखपाल पांडे––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अंजनी कुमार श्रीवास्तव सहायक अधिवक्ता बांसी, बस्ती को 5-8-85 को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 20-8-88 को जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के पद पर शासन द्वारा श्री श्रीवास्तव को पुनः नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इनको पुनः नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी नहीं।

श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव के अधीनस्थ जिला शासकीय अभिवक्ता (दीवानी) बांसी के पद पर कायकाल में अग्रेतर नवीनीकरण न किये जाकर नवीन नियुक्ति के प्रस्ताव मंगाये जाने के आदेश अगस्त 1983 में हुये। इसके बाद श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध कुछ शिकायतें आयी जो जिलाधिकारी द्वारा जांच कराये जाने पर निराधार पायी गयीं।

इसके पश्चात जिला जज के परामर्श से जिलाधिकारी द्वारा अधीनस्थ जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) बांसी तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (माल) बस्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु भेजे गये अलग अलग दोनों पैनल में श्री श्रीवास्तव का नाम सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात विचारोपरान्त, गुणावगुण के आधार पर जिला शासकीय अधिवक्ता (माल) बस्ती के पद के लिये प्राप्त पैनल में से समिति के माध्यम से श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति की गयी जिसका पदभार उन्होंने 23-8-88 को ग्रहण किया। इस प्रकार यह नियुक्ति श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायतें निराधार पायी जाने, पैनल में नाम आने तथा नियमित प्रक्रिया अपनाई जाकर की जाने के कारण औचित्यपूर्ण है।

प्रदेश मेंपानी की टंकी और ट्रैक्टर ट्रालो के निर्माण हेतु खरीदे गये आयरन के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं के विषय में पत्र

124--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 39 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0-2038 मुख्य मंत्री को दिनांक 19-11-88 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की ग ई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

माननीय विधायक को उक्त पत्र का उत्तर भेज दिया गया है।

125--श्री मूल चन्द्र--

[दि0 14-3-89 को अता0 प्र0 सं0 112 द्वारा उत्तरित]

126--श्री मूल चन्द्र--

[दि0 7-2-89 को अतारा0 प्र0 सं0 162 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 परिवाहन विभाग में चालक पद पर कार्यरत श्री गिरिजा शंकर ग्राम सभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही

127--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि सचिव परिवहन व जिलाधिकारी फतेहपुर व संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर को श्री अजीम अहमद पुत्र मेवली पुत्र मिर्जा जिला फतेहपुर का पत्र दि0 5-7-88 प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो चालक पद पर कार्यरत होते हुये भी गिरजा शंकर ने जो ग्राम सभा मेवली का चुनाव लड़ा? क्या उन पर कोई विभागीय कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार--

सचिव, परिवहन को श्री अजीम अहमद ग्राम मेवली, डाकखाना मिस्सी ब्लाक खजुहा, जिला फतेहपुर का पत्र दिनांक 5-7-88 प्राप्त हुआ था।

चालक पद पर कार्यरत होते हुए भी श्री गिरिजा शंकर को ग्राम सभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के कारण आरोपित कर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

128--श्री राम चन्द्र शर्मा--

[7 वें सोमवार में अता० प्र० सं० 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों व नवयुवकों को आय-प्रमाण पत्र लेने हेतु तहसील दार के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करने का आरोप

129--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों व नवयुवकों को आय-प्रमाण पत्र हासिल करने के लिये तहसीलदार के समक्ष हलफनामा देना पड़ता है ? यदि नहीं, तो पुरवा तहसील जिला उन्नाव में अनुसूचित जाति के लोगों से आय प्रमाण पत्र जारी करते समय हलफनामा क्यों लिया जाता है ? क्या यह सच है कि पुरवा तहसील में जिन क्षेत्रों में चकबन्दी चल रही है उन्हीं क्षेत्रों के निवासियों से चकबन्दी का बहाना बनाकर हलफनामा मांगा जाता है ? क्या सरकार इस प्रथा को खत्म करेगी ?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं।

हलफनामा नहीं लिया जाता है।

जी नहीं।

हलफनामा मांगने की कोई प्रथा नहीं है। अतः उसे खत्म करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में चकबन्दी के तहत चल रही कार्यवाही की अवधि के अनुसार ग्रामों का विवरण एवं किसानों को सुविधा दिया जाना

130--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा उन्नाव में कितने राजस्व गांव ऐसे है जिनमें चकबन्दी कार्य पिछले बीस वर्ष से चल रहा है व कितने ऐसे हैं जिनमें 15 साल से, कितने ऐसे हैं जिनमें 10 साल से, कितने ऐसे हे जिनमें 5 साल से चकबन्दी कार्य चल रहा है ? क्या सरकार 10 वर्ष से अधिक चकबन्दी चलाने वाले गांवों के कागज प्रपत्र किसानों को सुविधा को देखते हुये तहसील मुख्यालय में रखवाये जाने पर विचार कर रही है यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसान सिर्फ इन्तखाफ के लिये डेढ़ सौ कि० मी० लगभग आवागमन जिला मुख्यालय के लिये करते हैं यदि हां, तो सरकार किसानों की सुविधा के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री माला प्रसाद--

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में चकबन्दी के अन्तर्गत चल रहे कार्यवाही की अवधि अनुसार ग्रामों का विवरण निम्न प्रकार है:--

1--20 वर्ष से अधिक	--	3
2--20 वर्ष से कम व 15 वर्षों से अधिक अवधि के ग्राम	--	7

3---15 वर्ष से कम एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि के ग्राम -- 13

4---5 वर्ष से कम अवधि के ग्राम -- कोई नहीं।

ग्राम दऊ, दरसवां, मौरावां, डेला तथा त्रिपुरारपुर के अभिलेख सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय मौरावां में है जो कृषकों की सुविधानुसार एवं ग्रामों के समीप के कार्यालय में हैं। ग्राम अकबरपुर के अभिलेख सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र सिकन्दरपुर में हैं जो किसानों की सुविधा के अनुसार हैं।

ग्राम चमियानी, जालापुर, देवारा, लतुवासिंघन खेड़ा, पारा, अकोहर, गुलिरहा सरवन, मवई, हिलौली समाधा जुरावरगंज, लोटना, शाहपुर, पकराखुर्द, रामा अमरापुर तथा लंगरपुर ग्रामों का कब्जा परिवर्तन हो चुका है और अन्तिम अभिलेख कार्यालय उन्नाव में इन ग्रामों के अभिलेख हैं तथा अन्तिम अभिलेख की तैयारी का कार्य चल रहा है।

जिल्द चकबन्दी तैयार हो जाने के बाद उसकी एक प्रति तहसील भेज दी जाती है। चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चल रहे ग्रामों के अभिलेख तहसील मुख्यालय पर रखना सम्भव नहीं है और न ही तहसील मुख्यालय पर अभिलेख रखने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ मंगलवार को लेखपालों को अभिलेखों सहित संबंधित विकास खण्ड कार्यालय पर जाने के लिये आदेश भी प्रसारित कर दिये गये हैं।

प्रदेश में कृषि (पशुपालन सहित) खण्ड की आय के ब्योरे की जानकारी

131---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि प्रचलित भावों पर प्रदेश की कुल आय में कृषि (पशु पालन सहित) खण्ड की आय वर्ष 1970--71 में 58.4 प्रतिशत थी, वर्ष 1982--83 में वह घटकर 41.6 प्रतिशत रह गई तथा कृषि (पशुपालन सहित) खण्ड की यह आय वर्ष 1984--85 तक मात्र 38.7 प्रतिशत रह गई ? यदि हां, तो कृषि (पशुपालन सहित) खंड से अन्य खंडों पर आश्रित जनता के मुकाबले तेजी से घटती हुई आय को बढ़ाने के लिए शासन ने क्या-क्या ठोस समयबद्ध योजना बनाई है तथा इन योजनाओं पर राज्य के बजट का कितनी प्रतिशत निर्धारित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1986- 87 तथा 1987--88 में कृषि (पशुपालन सहित) खण्ड की आय प्रदेश की कुल आय में प्रचलत भावों पर क्या-क्या थी ?

नियोजन मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)---

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरदार केवल सिंह व गुरुमेल सिंह पुत्र गण बन्तासिंह, निवासी विक्रम बन पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ ग्राम प्रधान इब्राहिम पुरी, पलिया, लखीमपुर खीरी के शिकायती पत्र पर जांच

132---श्री मैनेजर सिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगन्नाथ प्रधान ग्राम सभा इब्राहिमपुरी, पलिया जिला लखीमपुर खीरी का राजस्व मंत्री को सम्बोधित 4 अलग-अलग पत्र दिनांक 9--11--1988 जो सरकार केवल सिंह व सरदार गुरुमेल सिंह पुत्रगण, बन्ता सिंह, निवासी-विक्रम बन पलिया जिला लखीमपुर खीरी के अनाधिकृत कब्जे में क्रमशः 78, 21 एकड़ 89.00 एकड़, 150 एकड़ (ग्राम-भोला सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के संबंध में है, प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद--

श्री जगन्नाथ प्रधान ग्रामसभा इब्राहीमपुर पलिया जिला लखीमपुर खीरी के केवल दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें पहले प्रार्थना-पत्र में सरदार केवलसिंह, पुत्र बन्ता सिंह व गुरूमेल सिंह तथा उनकी सालियों के नाम ग्राम विक्रमवन एवं पूरनपुरवा में अंकित भूमि के संबंध में सीलिंग की कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी खीरी द्वारा तहसीलदार निधासन को उक्त खातेदारों की समस्त भूमि की जांच करके सीलिंग सीमा से अधिक भूमि पाये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

दूसरा शिकायती-पत्र ग्राम विक्रमवन के गाटा संख्या-30 जो सीलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई थी, के संबंध में फर्जी पट्टे बनाने, उस पर सरदार केवल सिंह का कब्जा होने और अनुदान की रकम हड़पने की शिकायत है जिसकी जांच करके अनियमित पट्टों को निरस्त कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश तहसीलदार निधासन को दे दिये गये हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर में श्री राजबीर सिंह प्रधान मुन्डे तथा श्री नरेन्द्र प्रधान बधेव को गिरोहबन्द अधिनियम 86 के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाना

133--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 18-12-88 को गिरोह बन्द अधिनियम 86 के अन्तर्गत श्री राजवीर सिंह प्रधान मुन्डे, नरेन्द्र प्रधान बधेव को थाना कैराना से निरुद्ध किया गया था ? यदि हां, तो इनका पूर्व का अपराधिक इतिहास क्या है ? क्या यह सही है कि इन्हें बिना किसी अपराधिक आधार पर निरुद्ध किया गया ? यदि हां, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक तथा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

दिनांक 18-12-88 को विकास खण्ड कार्यालय कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर में जिला परिषद् के सदस्य पद के चुनाव के मध्य श्री जयपाल सिंह जो ग्राम सभा कसेरवा खुर्द का प्रधान भी है, अपने साथ श्री राजवीर सिंह, प्रधान मुन्डेट, श्री नरेन्द्र प्रधान बधेव तथा 13-14 अन्य साथियों को लेकर अवैध शहरों से लैस होकर मतदान केन्द्र पर पहुंचे तथा मतदान कक्ष में जबरन घुस गये और मतपेटिका उठा ली। ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों ने जब अभियुक्तगण को पड़ने का प्रयास किया तो उनके एक सहयोगी ने फायर किया। इस बीच श्री जयपाल सिंह अपने साथियों के साथ मतपेटिका लेकर भागने में सफल हो गये। मौके पर अपराधियों द्वारा उपनिरीक्षक को चोट भी पहुंचाई गई। घटनास्थल पर पुलिस द्वारा चार अभियुक्तगण पकड़ लिये गये।

श्री राजवीर सिंह एवं श्री नरेन्द्र ने कुख्यात अपराधी एवं सरगना जयपाल सिंह के साथ गिरोह बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अपराध किया। अतः घटना के आधार पर श्री राजवीर सिंह प्रधान मुन्डेट, श्री नरेन्द्रप्रधान बधेव तथा श्री जयपालसिंह प्रधान कसेरवा खुर्द आदि के विरुद्ध अ0सं0 210/88 धारा 395/397/332 भा0दं0वि0, मु0अ0सं0 211/88 धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम व मु0अ0सं0 212 से 214 तक धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये।

उपरोक्त स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

134--श्री अकबर हुसैन बाबर--

(दिनांक 28-3-88 को अतां प्र0 सं0 79 द्वारा उत्तरित।)

श्री छोटे पाण्डेय पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासीय ग्राम कोटवा मोहम्मदपुर को एन0 एस0 ए0 में निरुद्ध किये जाने के पश्चात् मुक्त किया जाना

135--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पाण्डेय, पुत्र श्री लक्ष्मी नरायन, निवासी ग्राम कोटवा मोहम्मदपुर का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास है और जिलाधिकारी फैजाबाद ने उसे ध्यान में रखते हुए दिनांक 19-12-88 को उक्त छोटे पाण्डेय को एन0 एस0 ए0 में निरुद्ध कर पत्रावली शासन को भेज दी थी ? यदि हां, तो किसके आदेश पर और किस आधार पर उक्त छोटे पाण्डेय को एन0 एस0 ए0 से मुक्त किया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

जी हां। श्री छोटे पाण्डेय के विरुद्ध पारित निरोधादेश का अनुमोदन विधिक त्रुटि होने के कारण शासन द्वारा नहीं किया गया।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय द्वारा भांग डीलर, श्री संतोष कुमार पर लगाया गया बिक्रीकर और जमा किया गया कथित माहवारी फार्म

136--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1984 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अतां0 प्रश्न सं0 86 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी कर आदेश दिनांक 11-1-83 व 26-2-83 किस तिथि को डिस्पैच किये थे और किस तिथि को करदाता पर तामील हुए ? उसकी अवधि 31-3-83 तक खण्ड अधिकारी व एस0 आई0 बी0 अधिकारी ने राजस्व के हित में क्या क्या कार्यवाही की ? लगाये गये कर 70,000 रुपये में से कितना वसूल हुआ ? वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के श्री शंकर सिंह जगतपाल पर लगाया गया बिक्रीकर एवं सालवेंसी

प्रमाण-पत्र

137--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अतां0 प्रश्न सं0 19 व 20 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तीनों अस्थायी कर आदेश दिनांक 27-8-82, 20-12-82 व 19-1-83 किस तिथि को डिस्पैच हुये थे और किस तारीख को करदाता के ऊपर तामील हुये ? पंजीयन के लिये क्या कोई जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच एवं ठेका की अवधि 1-4-82 से 31-3-83 तक राजस्व के हित में खण्ड अधिकारी व एस0 आई0 वी0 अधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की ? 38,500 रुपये में से कितना वसूल हुआ ? वसूल न होने के क्या कारण है ? कितने राजस्व की हानि हुई ? इसके लिये दोषी अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

संदर्भित प्रश्न संख्या 19 व 20 विधान सभा के प्रथम सत्र, 1984 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित हुआ था। सूचना एकत्र की जा रही है।

हजरतगंज लखनऊ के भांग के ठेके का पंजीकरण तथा कर निर्धारण

138--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 31 के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ठेका की अवधि 1-4-80 से 31-3-81 तक खण्ड अधिकारी व एस0 आई0 अधिकारी ने राजस्व के हित में क्या-क्या कार्यवाही की ? लगाये गये कर 14,300 रुपया में से कितना वसूल हुआ बकाया धनराशि वसूल न होने के क्या कारण हैं ? कितने राजस्व की हानि हुई ? इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अपेक्षित सूचनायें आयुक्त विक्रीकर से मांगी गई हैं जो अभी प्राप्त नहीं हुई ।

जनपद फैजाबाद में चकबन्दी के अभिलेखों में पायी गयी गम्भीर आरोपों की जांच

139--श्री अवधेश प्रसाद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 (11 मार्च, 1988) के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सन्दर्भ में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा उप-संचालक चकबन्दी के फर्जी प्रगति रिपोर्ट देने के संबंध में मांगे गये स्पष्टीकरण के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद--

संबंधित अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। **उनके विरुद्ध** शीघ्र कार्यवाही सम्पादित करने के निदेश चकबन्दी आयुक्त को दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद सदर तहसील के चकबन्दी अधिकारी द्वारा मालियत लगाया जाना

140--श्री अवधेश प्रसाद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 (11 मार्च, 1988) के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सन्दर्भ में जनपद फैजाबाद स्थित तहसील-सदर के ग्राम भदरसा कैल और सरईया में हुई चकबन्दी में व्यापक अनियमितताओं की दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी कर्ता के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम सरैया में प्रकाश में आई त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है। ग्राम कैल की प्रकाश में आई त्रुटियों में से 3 त्रुटियों को छोड़कर अन्य त्रुटियां दूर की जा चुकी है । उक्त 3 त्रुटियों के निराकरण के लिये वाद विचाराधीन है ।

ग्राम भदरसा की चक निगरानियां अभी लम्बित हैं जिनके निस्तारण के समय प्रकाश में आई अनियमितताओं के निस्तारण हेतु विचार न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

अनियमिताओं के लिये उत्तरदायी चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी को विभागीय कार्यवाही में दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने का दण्ड दिया जा चुका है। संबंधित चकबन्दी कर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है।

141--श्री राम पाल वर्मा--

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

वेतन समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते का पुनरीक्षण

142--श्री राम पाल वर्मा--

क्या वित मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वेतन समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतन 1--1--1986 से पुनरीक्षित होकर अन्य भत्ते 1--1--1987 से अनुमन्य कराये गये हैं तदनुसार मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता 1--7--1988 से भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो भवन निर्माण की लागत में वृद्धि हो जाने से निर्माण अग्रिम के नवीनतम शासनादेश दिनांक 8--12--88 को दिनांक 1--1--1987 से लागू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

राज्य कर्मचारियों के वेतन दिनांक 1--1--1986 से अभी पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं। इस हेतु अलग से समता समिति गठित की गई है। विभिन्न भत्ते वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आधार पर अनुमन्य कराये गये हैं। मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता की दरें दिनांक 1--7--1988 से पुनरीक्षित की गई हैं।

राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का पुनरीक्षण तथा उन्हें स्वीकृत किये जाने वाले भवन निर्माण अग्रिम की अनुमन्य राशि को सीमा में वृद्धि दो पृथक-पृथक विषय है अतः यह आवश्यक नहीं है कि उनके कार्यान्वयन की तिथि एक ही हो।

कानपुर महानगर के कतिपय मुहल्लों की कथित सम्पत्तियों के अधिग्रहण की मांग

143---श्री सुन्दर लाल तथा श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में स्थित शत्रु सम्पत्ति मकानात नम्बरी 105/646, 647, 648 648 ई, 649, 650 फहीमाबाद व 88/512, 88/150 मोहल्ला चमनगंज एवं अन्य दूसरे मोहल्लों में है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

भवन संख्या 105/646, 647, 648, 648 ई, 649 व 650 कानपुर महानगर के मोहल्ला फहीमाबाद स्थित शत्रु सम्पत्ति है। इस सम्बन्ध में एक सिविल सूट अतिरिक्त सिविल जज के न्यायालय में विचाराधीन है। भवन संख्या 88/512 कानपुर महानगर के चमनगंज मोहल्ले में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्ति है और यह सम्पत्ति श्री ठाकुरदास कालरा के पक्ष में निस्तारित कर दी गयी है।

भवन संख्या 88/150 कानपुर महानगर के चमनगंज मुहल्ले में स्थित है। इस भवन के एक हिस्सेदार श्रीमती जुवेदा खातून के हिस्से को शत्रु सम्पत्ति घोषित किये जाने की कार्यवाही विधि प्रक्रिया के अन्तर्गत चल रही है। साथ ही इस सम्पत्ति से संबंधित प्रकरण पर एक रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विचार किया जा रहा है।

प्रदेश में सत्र न्यायालयों में नामिका वकील नियुक्त करने हेतु जिलों में स्पेशल काऊंसेल्ज लिस्ट रखने का प्राविधान

144––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे सत्र न्यायालयों में सरकार की तरफ से नामिका वकील नियुक्त करने के लिये जिलों में स्पेशल काऊंसेल्ज लिस्ट रखने का प्राविधान है ? यदि हां तो क्या बरेली में नामिका वकील नियुक्त करने के लिये उक्त प्राविधान का पालन हो रहा है ? यदि हां, तो बरेली में स्पेशल काऊंसेल्ज लिस्ट कब बनाई गई तथा उक्त लिस्ट में किस-किस अधिवक्ता का नाम है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया––

1––जी नहीं । (क) नामिका वकील (फौजदारी) को अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रेणी–3 के समवर्ग में आते हैं की नियुक्ति शासन द्वारा पद रिक्त होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा जिला जज के परामर्श से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (4) के अन्तर्गत गठित पैनल (जो पांच अधिवक्ताओं का मांगा जाता है) से की जाती है ।

(ख) नामिका वकील (फौजदारी) अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रेणी–3 के संवर्ग में वर्णित पदों से अधिक संख्या में वकीलों की सत्र न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिये बीच बीच में आवश्यकता होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–2(ए) के अन्तर्गत लोक अभियोजक के परामर्श से जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विशेष परिस्थितियों में अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में नामिका वकील (फौजदारी) की नियुक्ति की जा सकती है । इस संबंध में सरकार की तरफ से ऐसी अल्पकालिक नियुक्तियां के लिये जिलों में स्पेशल कौंसिल की लिस्ट रखे जाने का कोई प्राविधान नहीं है । यह नियुक्तियां जिलाधिकारी अपने विवेक से शासकीय कार्य के हित में करने के लिये सक्षम है ।

(ग) सरकार की तरफ से किसी विशेष मुकदमें में अथवा मुकदमों में पैरवी करने के लिये आवश्यकता होने पर विधि परामर्शी निदेशिकों के प्रस्तर–9 के पैरा 9.03 के अनुसार विशेष अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का प्राविधान हैं । जिसके लिये भी लिस्ट नहीं रखी जाती है ।

2––प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रताप सिंह परमार पत्र प्रतिनिधि दैनिक "आज" निवासी चरखारी, हमीरपुर के विरुद्ध आरोपित मामलों की उच्च स्तरीय जांच

145––कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 22–12–88 का पत्र, श्री प्रताप सिंह परमार पत्र प्रतिनिधि दैनिक "आज", निवासी चरखारी जिला हमीरपुर के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपित समस्त कार्यवाहियों को वापिस लिये जाने तथा मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी––

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में परगना मजिस्ट्रेट, चरखारी द्वारा जांच की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में कथित आपराधिक दफाओं के निस्तारण की जानकारी

146--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर के पुलिस थानों में दिसम्बर, 88 व जनवरी, 89 के महीनों में चोरी,डकैती,राहजनी, लूट, हत्या अपहरण और बलात्कार की दफाओं के अन्तर्गत कितने मुकदमें दर्ज हुये ? दिसम्बर 87, व जनवरी, 88 की तुलना में अपराधों की स्थित में कितनी वृद्धि हुयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मुकदमों में कितने में अपराधियों का पता लगाकर जेल भेजा क्या है और कितने मामलों में पुलिस पता लगाने में असफल रही है ? असफल रहने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्रीकर कार्यालय, लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) द्वारा वसूलयाबी में ढील देने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

147---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय में तैनात डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) द्वारा वसूलयाबी में ढील देने के बारे में व संबंधित डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के विरुद्ध कार्यवाही न करने की उच्चस्तरीय जांच के लिये प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या-743, उनके कार्यालय में दिनांक 22-12-87 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ । पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करा ली गई है ।

नकहा हिंडोला, लखनऊ के भांग के व्यापारी श्री राम शंकर पर बकाया बिक्रीकर एवं उसकी वसूली

148---श्री यदुनाथ सिंह---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या -82 के संदर्भ में वित मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी कर के लिये रिकवरी प्रमाण-पत्र किस तारीख को डिस्पैच किया गया और किस तारीख को वसूली अधिकारी के पास पहुंचा ? खण्ड अधिकारी में राजस्व के हित में वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की ? रु0 45,000 के बकाया में से कितना वसूल हुआ ? बकाया पर कितना अर्थदण्ड लगाया गया ? राजस्व की हानि के कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? उनके प्रति क्या कार्यवाही की गई है ? बकाया वसूल न होने के क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

149---श्री मूल चन्द्र---

[दि0 14-2-89 को अता0 प्र0 सं0 130 द्वारा उत्तरित]

150---श्री हृदय नारायन दीक्षित---

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियों के निरस्तीकरण के आदेश

151––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शासनादेश के विपरीत 5 लिपिकों की तदर्थ नियुक्तियां करने के बारे में राज्य मंत्री श्री सीताराम निषाद का दिनांक 10–8–88 को तथा इसी बारे में विधायक श्री मित्रसेन का दिनांक 30–8–88 का पत्र आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद (श्री रोशनलाल) को मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों और उन पर अब तक की क्या कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जी हां। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा तदर्थ आधार पर की गई 5 नियुक्तियों को निरस्त करने के लिये आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को निर्देश दे दिये गये हैं।

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

152––श्री सरजू प्रसाद सरोज तथा चौधरी श्याम लाल––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में सूचना विभाग में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने तथा पद रिजर्व मानकर अनुसूचित जाति की महिला की नियुक्ति महिला स्वागती के पद पर की गयी थी? यदि हां तो किन परिस्थितियों में महिला स्वागती का पद अनरिजर्ब्ड कर वर्ष 1977 में लोक सेवा आयोग को भेजा गया और आरक्षण नियमों एवं शासनादेशों का उल्लंघन कर सामान्य महिला अभ्यर्थी से भर लिया गया और दूसरा पद इंचार्ज महिला एवं बाल कक्ष का पद एक साथ लोक सेवा आयोग को चयन हेतु क्यों नहीं भेजा गया ? इस पद पर नियमित चयन न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री नरेश चन्द्र––

जी नहीं। पद रिजर्व मानकर अनुसूचित जाति की महिला की नियुक्ति नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

153––श्री सरजू प्रसाद सरोज तथा चौधरी श्याम लाल––

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि इंचार्ज महिला एवं बाल कक्ष के पद पर तैनात महिला की प्रथम नियुक्ति किस पद पर कब और कैसे की गयी थी? क्या यह सही है कि नियुक्ति के समय उक्त महिला सरकारी सेवा के अयोग्य थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उसकी नियुक्ति की गयी ? क्या सरकार उसकी सेवायें समाप्त करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र––

दोनों पद अलग-अलग श्रेणी के हैं तथा विभिन्न समय में रिक्त होने के कारण अलग-अलग तरीके से आयोग को सन्दर्भित किये गये।

महिला इंचार्ज पद पर वर्तमान में तैनात महिला कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति राज्य सूचना केन्द्र लखनऊ में क्लर्क के पद पर दिनांक 2–12–1970 को सीधी भर्ती द्वारा की गयी थी।

सम्बन्धित महिला कर्मारी पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करती थी लेकिन अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी थी। सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी गयी है। अतः अयोग्यता का प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

सम्बन्धित महिला कर्मचारी स्थायी है। सेवा समाप्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां।

154---श्री सरजू प्रसाद सरोज तथा चौधरी श्याम लाल--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में श्री बिहारी लाल दोहरे राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं मा0 नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 16-9-88, 18-10-88 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या उक्त अनुसूचित जाति की महिला को महिला स्वागती इंचार्ज के पद पर आरक्षण के तहत सरकार नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र--

परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

दोनों पद एकल प्रकृति के अलग-अलग संवर्ग के हैं। अतः आरक्षण के तहत नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

इन्टर इस्टेट प्रापर्टी (विभिन्न राज्यों से संबंधित विवादित सम्पत्ति) के लिये महा प्रबन्धक प्रशासक एवं राज्य न्यासी उ0 प्र0 (एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल) की नियुक्ति एवं राज्य न्यासी (श्री जे0 एम0 पन्त) के कार्य काल की जानकारी

155---श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर इस्टेट प्रापर्टी (विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित विवादित सम्पत्ति) की व्यवस्था के लिये महाप्रबन्धक प्रशासक एवं राज्य न्यासी उ0 प्र0 (एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल) को नियुक्ति किन नियमों के अन्तर्गत की जाती है ? इन नियुक्तियों का आधार और मानक क्या है ? वर्तमान में कार्यरत राज्य न्यासी श्री जे0 एम0 पन्त कब से कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उनके विरुद्ध अनियमितता तथा सम्पत्ति के दुरुपयोग करने की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उन्हें किन कारणों से पद पर बनाये रखा गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

महाप्रशासक एवं राज्य न्यासी की नियुक्ति उ0 प्र0 महाप्रशासक एवं राज्य न्यासी नियमावली, 1953 के अन्तर्गत की जाती है। इस नियमावली के नियम 4, 5, 7 व 8 के अन्तर्गत नियुक्तियों का आधार तथा मानक दर्शाये गये हैं। उनका पालन करते हुए इस पद पर नियुक्ति की जाती है।

श्री जे0 एम0 पन्त दिनांक 19 जुलाई, 1971 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री पन्त के विरुद्ध अनियमितता तथा सम्पत्ति के दुरुपयोग करने की शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

इन्टर स्टेट प्रापर्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के नियन्त्रण में प्रापर्टी जनरल द्वारा उत्तर न लगाने के कारण दिल्ली मार्ग व लेन में मथुरा इस्टेट की करोड़ों रुपये की क्षति होने के आरोप में कार्यवाही की मांग

156––श्री सूर्य प्रताप शाही–––

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर इस्टेट प्रापर्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के नियंत्रण में दिल्ली के मार्ग व लेन में मथुरा इस्टेट की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति रही है जो दिल्ली प्रशासन के पास थी ? यदि हां, तो उसे दिल्ली प्रशासन से कब प्राप्त किया गया ? क्या यह सही है कि उस सम्पत्ति को श्री गिरवर सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा किये गये टेस्टामेण्टरी-सूट में इण्टर इस्टेट प्रापर्टी जनरल द्वारा हाजिर होकर उत्तर न लगाने से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति श्री गिरवर सिंह को देने का आदेश हो गया ? यदि हां, तो करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की क्षति पहुंचाने के लिये उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? साथ ही इस सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

157––श्री राम आसरे वर्मा––

[आठवें गुरुवार में अता० प्र० सं० 48 पर स्थानान्तरित]

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का टी० ए०, डियरनेस एलाउन्स लेने के आरोप में कार्यवाही की मांग

158––श्री कामेश्वर उपाध्याय–––

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला देवरिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का टी० ए०, डियरनेस एलाउन्स ले रहे हैं जबकि ये प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा जन्माष्टमी एवं मन्दिर निर्माण के नाम पर पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन बिल से धन की कटौती करने के आरोप में कार्यवाही की मांग

159––श्री कामेश्वर उपाध्याय––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यकाल में जन्म-अष्टमी तथा मन्दिर निर्माण के नाम पर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तथा अभियोजन अधिकारी/कर्मचारी से कितने रुपये की धन की कटौती वेतन बिल से की गई तथा उक्त कटौती की धनराशि का उपयोग किन-किन मन्दिरों तथा जन्म-अष्टमी के अवसर पर हुआ ? क्या उक्त कटौती नियमानुसार की गई ? यदि हां, तो किस नियम से ? यदि नहीं, तो पुलिस अधीक्षक देवरिया के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से की गई कटौती की धनराशि वापस करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में मोटर गाड़ियों पर लाल एवं नीली बत्ती लगाने वाले अधिकृत अधिकारियों का विवरण

160––श्री सुखपाल पाण्डे––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले में कौन-कौन अधिकारी लाल एवं नीली बत्ती, कार या जीप में लगाने के लिये अधिकृत हैं ? इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार––

प्रदेश के निम्न अधिकारी मोटर गाड़ियों पर लाल/नीली बत्ती लगाने के लिये अधिकृत हैं:––

1––मुख्य सचिव	लाल बत्ती फ्लैग मास्ट पर ।
2––अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्व परिषद्	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
3––मण्डलायुक्त/गृह सचिव	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
4––पुलिस महानिदेशक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
5––जोनल पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
6––समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
7––जिलाधिकारी	नीली फ्लैश बत्ती गाड़ी की छत के बीच में ।
8––वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जिस जिले में जैसी स्थिति हो) ।	नीली फ्लैश बत्ती गाड़ी की छत के बीच में ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 के नियम 112(7) के अनुसार राज्यपाल तथा विशिष्ट व्यक्ति, जो अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिये अधिकृत हैं, कार के सामने की ओर लाल बत्ती लगा सकते हैं ।

जनपद गाजीपुर के परगना जहूराबाद के कतिपय गांवों की चकबन्दी कराने की जानकारी

161––श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)––

कृपा राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगना जहूराबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत ग्राम बंका, शिउरा, रसूलपुर, सतना, फरीदनपुर, बहादुरगंज एवं सबना की चकबन्दी कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद––

परगना जहूराबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के ग्राम रसूलपुर, फरीदनपुर तथा सातनपुर में चकबन्दी प्रसार कराये जाने हेतु उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्रख्यापन कराये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी करने संबंधी कार्यवाही कर दी गई है ।

ग्राम सबना के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराकर धारा 4(2) का प्रस्ताव भेजने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, गाजीपुर को लिखा जा चुका है ।

ग्राम बहादुरगंज तथा बंका आराजी टाउन एरिया बहादुरगंज के अन्तर्गत घोषित हो चुके हैं जिस कारण वहां चकबन्दी प्रसार कराया जाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम शिउरा की प्रथम चक्क की चकबन्दी हो चुकी है और दिनांक 13–12–69 को धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है ।

श्री सत्य नारायण सिंह तथा श्री बीर बहादुर सिंह, निवासी ग्राम रुस्तमपुर थाना बांसडीह, बलिया के लाइसेन्स निरस्त कर अस्त्रों को जमा कराने के आदेश

162–श्री राम आसरे वर्मा––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 सुमेश्वर सिंह, श्री वीर बहादुर सिंह पुत्र श्री शंकर दयाल सिंह मूल निवासी ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया हाल मुकाम क्रमशः एफ– 4, कारपोरेशन फ्लैट्स, नवलकिशोर रोड, थाना–कोतवाली हजरतगंज व नीलकंठ मन्दिर के निकट माडल जेल के पीछे आजाद नगर, थाना आलमबाग, जनपद लखनऊ की दो नली बन्दूकों का लाइसेन्स जिलाधिकारी बलिया एवं राइफल व रिवाल्वर का लाइसेन्स जिलाधिकारी, लखनऊ ने शान्ति व्यवस्था व जन-सुरक्षा के हित में निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या निरस्त शुदा लाइसेन्सों से संबंधित शस्त्र पुलिस कब्जे में ले लिये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी––

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित श्री बीर बहादुर सिंह की दो नली कारतूसी बन्दूक का लाइसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के आदेश दिनांक 2–5–1988 द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा बन्दूक एक शस्त्र व्यवसायी की दुकान में दिनांक 31–8–88 को जमा कर दी गई है ।

श्री सत्य नारायण सिंह की बन्दूक का लाइसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट बलिया के आदेश दिनांक 29–8–88 द्वारा तथा राइफल का लाइसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के आदेश दिनांक 22–1–1986 द्वारा और पिस्टल का लाइसेन्स जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के आदेश दिनांक 8–8–86 द्वारा निरस्त कर दिया गया है । श्री सत्य नारायण सिंह की बन्दूक दिनांक 20–8–82 से तथा राइफल 11–2–1986 से एक शस्त्र व्यवसायी की दुकान में जमा है ।

उक्त पिस्टल लाइसेन्स के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के आदेश दिनांक 8–8–86 के विरुद्ध श्री सत्य नारायण सिंह द्वारा मण्डलायुक्त, लखनऊ के न्यायालय में अपील दायर की गई थी जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 17–10–1988 को निरस्त कर दी गई है । इस आदेश के परिपेक्ष्य में श्री सत्य नारायण सिंह की पिस्टल कब्जे में लेने के आदेश संबंधित पुलिस अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

श्री रंग बहादुर पाण्डे के आपराधिक मामलों के आरोप में लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश

163––कुंवर रेवती रमण सिंह––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रंग बहादुर पाण्डे, निवासी पनासा, थाना करछना, जिला इलाहाबाद हिस्ट्रीशीटर हैं और कई संघातिक मामलों में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तथा इनके पास अभी हाल में काफी मात्रा में नाजायज असलहा बरामद हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके बन्दूक व रायफल के लाइसेन्स को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी––

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रंग बहादुर पाण्डे हिस्ट्रीशीटर नहीं हैं किन्तु वे कतिपय अपराधों में गिरफ्तार किये गये हैं और इनके विरुद्ध कई मुकदमें दायर हैं ।

दिनांक 14-6-1985 को अपर जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा श्री रंग बहादुर पाण्डे की बन्दूक का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध श्री पाण्डे की रिट याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त निरस्तीकरण आदेश को निरस्त कर दिया गया।

दिनांक 5-8-1988 को श्री रंग बहादुर पाण्डे व अन्य 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से काफी मात्रा में शस्त्र व कारतूस बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाने में अपराध पंजीकृत किये गये और श्री रंग बहादुर पाण्डे की बन्दूक का लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। श्री पाण्डे के राइफल लाइसेन्स के बारे में भी जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है।

164-165---श्री फूल सिंह सौदाई तथा श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर---

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

वाराणसी जनपद के सदर तहसील अन्तर्गत आराजी नं0 167/ व 187/को खेलकूद के प्रयोजनार्थ सुरक्षित किया जाना

166---श्री राजकिशोर सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के तहसील सदर अन्तर्गत परगना कसवार सरकारी के ग्राम मंगलपुर में चकबन्दी प्रक्रिया में खेलकूद के लिये 10 वर्ष से आवंटित भूमि खंड सं0-167 रकबा 14 डी व भूमि खण्ड संख्या-187 रकबा 16 डी का ग्रामवासियों के लगातार प्रार्थना-पत्र पर पैमाइश कराकर सीमाबद्ध करा दिया गया है और पूर्ण रकबे का खेलकूद के लिये प्रयोग हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या उक्त आरक्षित भूमि पर से अवैध कब्जे को हटाकर पैमाइश व हदबस्त की कार्यवाही शीघ्र करा दी जायगी ?

श्री माता प्रसाद---

प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी के दौरान आराजी नं0 167/0-14, 187/0-16 खेलकूद के लिये आरक्षित की गयी है। ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र पर इसकी पैमाइश कराई गई। प्रश्नगत भूमि पर ग्रामवासियों के आने-जाने का रास्ता रिहायसी मकानों के सहन तथा नाबदान तथा गड्ढा विद्यमान है जिसपर ग्राम के कतिपय व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा होने के कारण उक्त भूमि का प्रयोग खेलकूद के लिये नहीं हो रहा है। अनधिकृत कब्जे की बेदखली का वाद सक्षम न्यायाल में विचाराधीन है।

जनपद बाराबंकी में चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत नक्शा दुरुस्ती की मांग

167---श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री राम खेलावन व अन्य निवासी ग्राम सभा बरावां, परगना रुदौली, जनपद बाराबंकी का चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नक्शा दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा माह दिसम्बर, 1988 में जिला अधिकारी एवं उपसंचालक चकबन्दी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ ह ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के काश्तकारों के चक दुरुस्ती की मांग

168–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–59 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भ संख्या–817 तथा संदर्भ संख्या–977 उप संचालक चकबन्दी, बाराबंकी के क्रमश: आदेश दिनांक 8–9–88 तथा दिनांक 18–9–88 के अनुसार सभी कागजी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं यदि हां, तो क्या उपयुक्त आदेश के अनुपालन में मौके पर भी पैमाइश करके प्रश्नगत रकबा संबंधित काश्तकारों को दिया गया ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

जी नहीं ।

मौके पर फसल खड़ी होने के कारण संबंधित काश्तकारों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है । फसल कटने के उपरान्त ही स्थल पर पैमाइश कराकर संबंधित काश्तकारों को कब्जा दिलाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम खानपुर की ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीन हरिजनों को आवंटित करने की मांग

169–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खानपुर, त0 बीकापुर फैजाबाद में भूमि संख्या 290/289/288/287/504/437/384 आदि ग्राम समाज के खाते में बंजर एवं कृषि योग्य अंकित है और गांव के भूमिहीन हरिजन आवंटन के पात्र व्यक्ति अब भी आवंटन के लाभ से वंचित है ? यदि हां तो आवंटन की कार्यवाही कराकर पात्र व्यक्तियों में कब तक भूमि आवंटित करा दी जायेगी ।

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम में स्थित कृषि योग्य गांव सभा भूमि का सर्वेक्षण कराया गया । प्राप्त सूचनानुसार, गाटा संख्या 290 मि/3–16–5 तथा 287 मि/4–13–19 के संबंध में परगनाधिकारी, बीकापुर एवं अतिरिक्त परगना मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद के न्यायालयों में वाद विचाराधीन है । गाटा संख्या 289 मि/2–0–0, 288 मि/4–18–10 तथा 287 मि0/4–17–0 मौके पर खाली हैं, जिनका कुछ क्षेत्रफल ऊसर है । शेष गाटा संख्या 504/3–12–5, 437 मि/1–17–3 तथा 384/4–14–5 में मौके पर अधिक संख्या में पेड़ मौजूद हैं फलस्वरूप भूमि कृषि योग्य न होने के कारण इसका आवंटन सम्भव नहीं है । कृषि योग्य खाली भूमि को नियमानुसार यथाशीघ्र आवंटित करने के आदेश जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में भूमिहीनों को दिये गये पट्टे/कब्जे के बारे में जानकारी

170–श्रीमती उमा त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेटली व मा0 सांसद श्री सुमन, अकबरपुर ने जिला अधिकारी फैजाबाद को दिनांक 25–8–88 व 4–10–88 को दो पत्र अलग-अलग उक्त तहसील मो भूमिहीनों को दिये गये पट्टों/कब्जों के बारे में लिखे हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर किन-किन ग्रामों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां।

ग्राम बेचाना व लालापुर में सभी पटेट्दारों का कब्जा व दखल दिलाकर पट्टे वितरित कर दिये गये हैं।

ग्राम ससपना में आवंटित भूमि के संबंध में जांच की कार्यवाही अपर परगनाधिकारी अकबरपुर के समक्ष विचाराधीन है। ग्राम भिसवां चितौना में गत दस वर्षों के अन्दर कृषि आवंटन का कोई प्रस्ताव जांच हेतु किसी स्तर पर लम्बित नहीं है। इस ग्राम में 9-11-82 को आवास हेतु 17 हरिजन परिवारों को भूमि आवंटित की गयी है, जिनका कब्जा स्थल पर है।

ग्राम हसनपुर जलालापुर में बंशू कोहार पुत्र कुंवर की कोई भी भूमि गांव सभा द्वारा आवंटित नहीं की गयी है, फलस्वरूप इनको कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता। इस ग्राम में कोई भी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है, न ही किसी गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण ही है।

ग्राम सिसवा में विरन्ती पुत्र जिवधन हरिजन तथा ग्राम चकिया दमोदरपुर के सभी पट्टेदारों का कब्जा स्थल पर करा दिया गया है।

ग्राम अरियोजना में वर्ष 1977-78 में जिन व्यक्तियों को ग्राम सभा की भूमि आवंटित की गयी थी उसमें से तीन पट्टेदारों श्री बहादुर, श्री कुशल तथा श्री रोशई को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिला है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 198 (क) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं। शेष आवंटियों का कब्जा, स्थल पर मौजूद है।

ग्राम अफजलपुर में भृगुनाथ को कोई भी भूमि आवंटित नहीं की गयी है, फलस्वरूप इनको कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कजरी के लिये छोड़ी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है अपितु आबादी हेतु छोड़ी भूमि संख्या-95 मि0/0-1-1 पर श्री राम कुमार पुत्र रामदेव का अवैध कब्जा है जिस के विरुद्ध धारा 122-बी के अन्तर्गत तहसीलदार के न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

ग्राम मंझियारी अठवारा के सार्वजनिक मार्गों की पैमाईश कराकर सभी गांव सभा मार्ग ठीक करा दिया गया है। ग्राम माऊख में सभी आवंटियों का आवंटित भूमि पर कब्जा है, राम आसरे को दिये गये पट्टे के विरुद्ध 198 ('4) का वाद मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम सिसानी अखईपुर में अकबरपुर-शाहगंज रोड के किनारे भूमि संख्या 246/ 4-19-0 पर श्री उदयराज, जियावन, हरगोविन्द राधेश्याम द्वारिका व ओम प्रकाश का मकान हाल ही में बना है। यह भूमि पहले गांव सभा की थी परन्तु बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के आदेश दिनांक 1-8-73 द्वारा उक्त भूमि रामदेव, रामकरन विद्या मंदिर के नाम बतौर सीरदार अंकित हो गयी है फलस्वरूप उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही सम्भव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

कैसरबाग डिपो, लखनऊ में कन्डक्टरों की कमी के कारण निरस्त बसों की संख्या की जानकारी

171—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ शहर के कैसरबाग डिपो की कितनी बस सेवाएं कंडक्टरों की कमी के कारण माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 87 में निरस्त

हुई है क्या कैसरबाग डिपो में कंडक्टरों की संख्या बस सेवाओं के अनुपात में मानक से कम है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी जानकारी देंगे कि 4 नवम्बर 87 की सायं सवा पांच बजे की लखनऊ-पुरवा बस सेवा के लिये रजिस्टर पर किसी भी कंडक्टर की ड्यूटी नहीं लगायी गयी थी ? यदि लगायी भी तो किस कंडक्टर की ड्यूटी लगायी गयी थी और बस कितने समय पर गयी है ?

श्री प्रमोद कुमार––

माह सितम्बर में 97, अक्टूबर में 67 तथा नवम्बर 1987 में कैसरबाग डिपो की 156 ट्रिपें परिचालकों की कमी के कारण स्थगित हुई थीं ।

जी नहीं ।

रजिस्टर पर किसी कन्डक्टर की ड्यूटी नहीं लगायी गयी थी ।

दिनांक 5- 11- 87 को गुरु गोविन्द सिंह जन्म दिवस, कार्तिक पूर्णिमा के गंगास्नान एवं बारावफात के त्यौहार एक ही दिवस में पड़ जाने के कारण 121 परिचालक दिनांक 4–11–87 से ही अनुपस्थित हो गये थे । अत: मोरावां पूरवा जाने वाली बस पर पहले से रजिस्टर पर परिचालक की ड्यूटी नहीं लगायी जा सकी । परन्तु बाद में मौके पर उपलब्ध परिचालक श्री पी0 डी0 मिश्रा की ड्यूटी लगायी गयी और बस एक घंटा विलम्ब से 18.15 बजे भेजी गयी ।

172––कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद जौनपुर के मेहरावां ग्राम में उप संचालक चकबन्दी द्वारा चक न काटने के आदेश की अवहेलना का आरोप

173––कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के मेहरावां ग्राम में उप संचालक चकबन्दी ने भूदान समिति के पट्टाधारियों के प्रार्थना पत्र पर 17 फरवरी, 1983 के महरावां ग्राम में चक न काटने का आदेश चकबन्दी अधिकारी, खेतासराय को दिया था, क्या उसका पालन किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री माता प्रसाद–

ऐसा कोई आदेश उप संचालक चकबन्दी द्वारा दिया जाना नहीं पाया जाता है। अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मेरठ के विकास खंड खेकड़ा में ग्राम समाज की भूमि पर से अवैध कब्जे हटाने की मांग

174––श्री कनक सिंह––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा के ग्राम रटौल में कितने बाग, कितनी जमीन जोत की और कितने मकान ग्राम समाज की सम्पत्ति में हैं तथा उन पर किन-किन का अवैध कब्जा है तथा अवैध कब्जे कब से है? इनको हटवाने की अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद––

प्रश्नगत ग्राम में रकबा 10- 18- 0 (12·756 हेक्टेयर) भूमि ग्रामसभा सम्पत्ति खतौनी वर्ग–1 में 1383 फ0 से अंकित है। यह भूमि 1383 फ0 से पूर्व मो0 अहमद पुत्र

जमीलुद्दीन निवासी रटौल के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज थी जिनके लावल्द मृत्यु हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज सम्पत्ति दर्ज हो गयी। इस भूमि पर बाग है। बागात पर कब्जा ग्राम समाज का है जिसके 698 वर्ग गज क्षेत्र पर मृतक के संयुक्त परिवार का एक मकान है जिनमें ग्राम समाज का 1/3 अंश है। इस पर संयुक्त परिवार के मुकरब फात्मा पुत्री इकबाल, मु0 मुमताज बानो बेवा मो0 मोहसीन काबिज हैं। ग्राम सभा सम्पत्ति के विभाजन की कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं, ग्राम समाज की कृषि योग्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के कतिपय गांव के लोगों को भूदान समिति द्वारा दिये गये पट्टे पर पट्टाधारियों को कब्जा दिलाने की मांग

175–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद, शाहगंज तहसील के ग्राम बरगांव, धौरइल, सराय ख्वाजा, मेहरावां, हड़ही, सोनिकपुर, समादहा तथा जमदहां गांव में कितने लोगों को भूदान समिति का पट्टा दिया गया। कितने पट्टाधारी जमीन पर कब्जा पा चुके हैं? जो पट्टाधारी जमीन पर कब्जा नहीं पाये है सरकार उन्हें कब तक कब्जा दिलायेगी? अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम बरगांव में 10, धोरइल में 22, मेहरावां में 22, हड़ही में 32, सानिकपुर में 6, जमदहां में 30 (अर्थात कुल 122) लोगों को भूदान समिति द्वारा पट्टा दिया गया था। ग्राम सराय ख्वाजा व समदहा में भूदान समिति की भूमि न होने के कारण कोई आवंटन नहीं हुआ। 27 पट्टाधारी कब्जा पा चुके हैं।

जिन पट्टाधारियों ने पट्टे के आधार पर नामान्तरण का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया अथवा प्रार्थना-पत्र दिया था, परन्तु चकबन्दी प्रक्रिया में मुकदमा लडकर हार चुके है और उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या निगरानी दाखिल नहीं की है, उन्हें अब कब्जा दिलाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा आवंटित भूमि पर नहीं है।

ग्राम बछरामपुर, त0 बीकापुर, जनपद फैजाबाद के पात्र हरिजनों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन

176–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बछरामपुर परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, फैजाबाद के पात्र हरिजनों एवं पात्र व्यक्तियों को उक्त गांव की कृषि योग्य भूमि का आवंटन कब व कितने लोगों में किया गया और अब तक उनको उक्त भूमि पर कब्जा न दिलाने का क्या कारण है? इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं परगना अधिकारी को वर्ष 1987–88 में कितने पत्र लिखे गये हैं?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम बछरामपुर परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 31–12–83 द्वारा 17 व प्रस्ताव दिनांक 9–2–85 द्वारा 42 कुल 59 व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि के आवंटन का प्रस्ताव किया गया जिसकी स्वीकृति तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 21–2–84 व दिनांक 16–4–85 को प्रदान की गयी।

जिन 17 पट्टे का प्रस्ताव दिनांक 31-12-83 द्वारा किये गये उनपर आवंटियों का कब्जा है। दिनांक 9-2-85 को हुये 42 पट्टों में अधिकांश पट्टा के संबंध में धारा 198 (4) के अन्तर्गत वाद संक्षेप न्यायालय में तथा कुछ वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।

कब्जा दिलाने के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र राम प्रसाद रसिक का 17-3-88 को प्राप्त हुआ परन्तु वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कब्जा दिलाया जाना संभव नहीं हो सका है।

जनपद बस्ती के मुख्यालय पर स्थित राजस्व अभिलेखागार में ग्राम जिल्द बन्दोबस्त में श्रीमती शोभा देवी के नाम गलत इन्द्राज करने के आरोप में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

177--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के मुख्यालय पर स्थित राजस्व अभिलेखागार में ग्राम जिल्द बन्दोबस्त में ग्राम मनैतापुर, तहसील बांसी, जनपद बस्ती के श्रीमती शोभा देवी के नाम 346 व 352 नम्बरान के पट्टे का इन्द्राज उपलब्ध है? यदि हां, तो कब यह किया गया? यदि नहीं, तो क्या तहसील बांसी में उपरोक्त नम्बरान का पट्टा उपरोक्त के नाम किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी गलत इन्द्राज करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब और क्या?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं।

तहसील बांसी जनपद बस्ती के अधिकारियों द्वारा कोई पट्टा नहीं किया गया है अपितु तहसील बांसी को प्राप्त कराए गए जिल्द बन्दोबस्त चकबन्दी के द्वितीय प्रति पर श्रीमती शोभा देवी के नाम चौपारा लाईन के ऊपर फर्जी अमलदरामद का उल्लख उपलब्ध है जिस पर श्री बंशराज लेखपाल चकबन्दी का अमलदरामद करने का सतिथि हस्ताक्षर बना है। इसी आधार को लेकर 1390 से 1395 फ0 में श्रीमती शोभा देवी के नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज हुआ। उक्त इन्द्राज गलत तथा फर्जी पाये जाने पर हल्का लेखपाल श्री राम बुझारत को दोषी पाया गया और उनको आरोपित करके उनकी उदासीनता और असावधानी के लिये दो वेतन वृद्धियां रोकदी गयी तथा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दण्डित किया गया। उक्त भूमि से संबंधित वाद मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री ओम प्रकाश भांग व्यापारी चौक, लखनऊ के कर निर्धारण की कार्यवाही

178 --श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के छठवां मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 157 के संदर्भ में क्या वित्तमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ठेका की अवधि में खण्ड विकास अधिकारी ने राजस्व के हित में करदाता के संबंध में क्या कार्यवाही की? बकाया में से कितना वसूल हुआ? उक्त बकाया वसूल न होने के क्या कारण है? कितने राजस्व की हानि हुई? इस हानि के लिये कौन जिम्मेदार है? उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

राजस्व के हित में व्यापारी का कर निर्धारण आदेश पारित करके रुपये 19,479 की मांग निकाली गयी तथा वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया।

कुछ भी वसूल नहीं हुआ।

व्यापारी का कोई पता नहीं है और न ही उसकी चल व अचल सम्पत्ति की जानकारी है।

मामला संयुक्त जांच में चल रहा है। अतः राजस्व की हानि का अभी प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की फर्म मोहन लाल ओम प्राकाश के ऊपर बिक्रीकर के बकाये के सम्बन्ध में जानकारी

179--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बहराइच की फर्म मोहन लाल ओम प्रकाश के ऊपर बिक्री कर का बकाया राशि 516,935.10रुपये थी और इसके लिये मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ से ता0 30-8-83 को स्थगन आदेश प्राप्ति किया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बकाया किन-किन वर्षो की थी? रिकवरी प्रमाण पत्र किस तारीख को जिलाधिकारी के पास प्राप्त हुआ? बकाया के ऊपर कितना अर्थदण्ड कब लगाया गया? रिट याचिका का क्या परिणाम हुआ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

क्षेत्र से प्राप्त सामग्री की छानबीन की जा रही है।

जनपद बाराबंकी में एक ही तहसील में 5 वर्षो से अधिक समय कार्यरत लेखपालों की संख्या एवं स्थानान्तरण की मांग

180--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कितने लेखपाल ऐसे हैं जिनको एक ही तहसील में कार्य करते हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है? क्या प्रशासनिक आधार पर इनको अन्य तहसीलों में स्थानान्तरित किये जाने पर शासन विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद---

जनपद बाराबंकी में 168 लेखपाल एक ही तहसील में 5 वर्ष से अधिक समय सें कार्यरत हैं। दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लेखपालों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश विद्यमान हैं। अन्य आदेश की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है।

जनपद मैनपुरी के तहसील शिकोहाबाद में ग्राम प्रधान (श्री राम) मौजा भरोल पर रिस्वत लेकर भूमि आबन्टन का आरोप एवं उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही

181---श्री मित्रसेन---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संख्या 838 मि0 रकबा 90 कड़ी प्राइमरी स्कूल व भूमि संख्या 787, 790, 846 जूनियर हाई स्कूल तथा भूमि संख्या 848 रकबा 76 कड़ा स्थित मौजा भरोला परगना व तहसील शिकोहाबाद जिला मैनपुरी के राजस्व अभिलेखों में अंकित है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के प्रधान श्रीराम ने कुछ लोगों को अनुचित धन प्राप्त कर उन्हें सार्वजनिक हित में सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा एवं निर्माण की अनुमति दे दी है? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री माता प्रसाद––

कथित ग्राम में स्थित गाटा संख्या 838/0–90 प्राइमरी पाठशाला, गाटा संख्या 787/0–41, 790/0–13 एवं 847/77 जूनियर हाई स्कूल तथा गाटा संख्या 848/0–76 राजकीय चिकित्सालय की सम्पत्ति अंकित है। गाटा संख्या 846/0–03 श्रीमती श्यामकली के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधान, श्रीराम द्वारा अनुचित धन प्राप्त कर सार्वजनिक हित के लिये सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा एवं निर्माण की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी कोई जानकारी जनपद स्तर पर नहीं है।

गाटा संख्या 838 एवं 848 पर अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज के ग्राम मेहरावां लपरी के हरिजनों की समस्या से सम्बन्धित श्री हरिश्चन्द्र "हरीश जी" स0 वि0 स0 के कथित पत्र पर कृत कार्यवाही

182––श्री धनराज यादव––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्य श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के 14 अगस्त, 1988 के पत्र पर जो जौनपुर जनपद के तहसील शाहगंज के मेहरावां लपरी गांव के हरिजनों की समस्या के बारे में था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उस पर कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी ?

श्री माता प्रसाद––

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी) के पत्र दिनांक 14–8–88 जो जिलाधिकारी जौनपुर को सम्बोधित था, पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार, शाहगंज ने ग्राम मेहरावां के भूदान समिति के पट्टाधारकों की सूची बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के यहां भेज दी है और सूची के अनुसार पट्टे में दी गई 14.60 एकड़ भूमि का अमलदरामद बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अभिलेखों पर करा दिया गया है। पत्र दिनांक 14–8–88 में ग्राम लपरी का उल्लेख नहीं है।

जनपद जौनपुर के ग्राम मेहरावां के भूदान के पट्टाधारियों के कब्जे के जांचोपरान्त कब्जा दिलाना

183––श्री धनराज यादव––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलराज मिश्र सदस्य विधान परिषद के पत्र पर जिलाधिकारी जौनपुर को 15–9–88 को उनके द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया गया ? यदि हां, तो कितने पट्टाधारियों को कब जमीन पर कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आदेश पालन करने के संबंध में दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद––

जी हां। श्री कलराज मिश्र, सदस्य विधान परिषद के पत्र पर माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा दिनांक 25-3-88 को जिलाधिकारी जौनपुर को ग्राम मेहरावां के भूदान के पट्टाधारियों के कब्जों की जांच करके कब्जा दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। प्राप्त सूचना के अनुसार भूदान के 22 पट्टेदारों में से 20 पट्टेदारों जिनके नाम अभिलेखों में 14.60 एकड़ भूमि पर अंकित है, को वास्तविक कब्जा दिया जा चुका है। शेष 2 पट्टेदारों ने

चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है जिसके कारण उनका नाम अभिलेखों में अंकित नहीं हुआ। अतः उन्हें कब्जा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य नियन्त्रक मेरठ पर आरोपित बिक्रीकर पर गलत ब्याज को मांग के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

184--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि खाद्य नियंत्रण मेरठ पर वर्ष 1975-76 में 19,87 070.71 रुपया बिक्रीकर आरोपित किया गया था और लखनऊ के सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) बिक्रीकर 3 ने अपने पत्र संख्या 355 दिनांक 25-10-86 से रु0 50,738.36 रु0 ब्याज की मांग की? यदि हां, तो क्या यह सही है कि करदाता ने रु033,268.25 वापसी के लिये आवेदन पत्र दिया है यदि हां, तो ब्याज की मांग किस आधार पर निकाली गई तथा गलत मांग निकालने के लिये कौन अधिकारी दोषी है? क्या अधिक जमा किया गया धन मय ब्याज के वापिस कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-8 द्वारा सर्वश्री पाण्डे ट्रेडिंग कम्पनी एवं भवानी इन्टर प्राइजेज को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवं आरोपित कर की वसूली

185--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-8 में सर्वश्री शान्तीय इन्टर प्राइजेज, पाण्डे ट्रेडिंग कं0 व भवानी शंकर को जारी किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र वर्ष 84-85/85-86 में फर्जी पाये गये? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्जी पंजीयन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है इसमें कितने राजस्व की हानि हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं। बिक्रीकर कार्यालय खण्ड-8 द्वारा केवल दो फर्मों सर्वश्री पांडे ट्रेडिंग कंपनी व भवानी इन्टर प्राइजेज को 1984-85 के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र दिये गये। उनके फर्जी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त दोनों फर्मों पर आरोपित कर की वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये अभी राजस्व हानि का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के थाना घुघली के श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र द्वारा लिखायी गयी एक एफ0 आई0 आर0 की अन्तर्गत रिपोर्ट

186--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के थाना घुघली अन्तर्गत गांव बांसपार के श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र ने 21-11-88 को रात में 10.30 बजे थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज करायी जिसकी जांच के लिये रवानगी पर गया सिपाही 22-11-88 को आया लेकिन मात्र रात के 1.30 बजे ही बिना जांच किये तथा घटना की

जानकारी प्राप्त किये थानाध्यक्ष ने अन्तिम रिपोर्ट लगा दिया ? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

दिनांक 21-11-88 को रात्रि 10.30 पर नहीं बल्कि 18.30 बजे प्राथमिकी थाना-घुघली पर दर्ज कराई गयी । सिपाही जांच पर नहीं गया था, वरन् प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि विवेचक को, जो अन्य मामले में तफतीश में अपने हल्के में गये हुए थे, उपलब्ध कराने गया था । यह कहना निराधार है कि बिना जांच और घटना की जाकारी किये ही रात्रि 1.30 बजे ही अंतिम रिपोर्ट थानाध्यक्ष द्वारा लगा दी गयी । वस्तुत: प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होते ही विवेचक द्वारा प्रथम सूचना के साक्षी गण एवं अन्य स्वतन्त्र गवाहों के बयानात लिये गये । साथ ही प्रथम सूचना में नामजद अभियुक्तों में से 12 के बयान भी लिये । विवेचना से डकैती की घटना का होना नहीं पाया गया । अत: विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट उसी दिन रात्रि में लगा दी गयी थी। परन्तु प्रश्नगत मामले में दिनांक 24-11-88 को महेन्द्र मिश्रा का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मामले की पुन-विवेचना की गई तथा विवेचक द्वारा पूर्व जांच आख्या की पुष्टि की गई ।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में राजकीय आस्थान की भूमि पर किये गए अवैध कब्जे पर बेदखली की कार्यवाही

187--श्री विजय सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम झारो कलां में राजकीय आस्थान के नाम से कितनी भूमि है ? क्या उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा धारक को बेदखल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि का उपयोग किस प्रयोजन हेतु किया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद--

जनपद मिर्जापुर की तहसील दुद्धी के ग्राम झारों कलां में राजकीय स्थान के नाम से आराजी नं0 703 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भू-अभिलेखों में दर्ज है। उक्त नं0 के 4 बीघा भूमि पर दुद्धी के निवासी श्री गनेश पुत्र दुक्खी ने अवैध कब्जा कर रखा है उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु श्री गनेश के विरुद्ध पी0पी0 ऐक्ट 1971 के अन्तर्गत बेदखली का वाद परगनाधिकारी दुद्धी के न्यायालय में वर्ष 1986 में दायर किया गया है। अद्यतन प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। निर्णयोपरान्त भूमि के प्रयोजन पर विचार किया जायगा ।

परगना तुलसी पुर, बहराइच स्थित अलल खैर वक्फ नं0 25 (दरगाह पीरहनीफ) मदार गढ़ की सम्पत्ति का बरासतन दर्ज किया जाना

188--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि यू0पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में वर्ष 1946 से पंजीकृत अलल खैर वक्फ नं0 25 (दरगाह पीर हनीफ) मदारगढ़ की सम्पत्ति स्थित जनपद बहराइच को तुलसीपुर तहसील कर्मियों द्वारा खतौनी सं0 172 में शहिनवाज शाह नाबालिग व नूरजहां के नाम निराधार रूप से दर्ज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी तहसील कर्मियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद--

तुलसीपुर तहसील, जनपद बहराइच में स्थित नहीं बल्कि परगना तुलसीपुर जनपद बहराइच में स्थित है। प्रश्नगत सम्पत्ति अब्दुल करीम शाह चेला अब्दुल अजीज शाह फकीर निवासी दरगाह शरीफ जिला गोंडा की भूमिधरी के रूप में अंकित थी और अब्दुल करीम शाह की मृत्यु के उपरान्त भूलेख निरीक्षक के आदेशानुसार मोहम्मद शाहेनवाज शाह नाबालिग बबलायत माता नूरजहां बेगम चेला अब्दुल करीम शाह के नाम वरासतन दर्ज हुयी। प्रश्नगत भूमि के सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत होने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तहसील कर्मियों द्वारा अनियमित रूप इन्दराज करने की बात निराधार है, अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सरकार के शासनादेश के तहत चकबन्दी विभाग में कार्यरत चकबन्दी कर्ताओं को सुपरवाइजर के बराबर वेतन देने के अनुपालन हेतु निर्देश

189--श्रीमती शारदा देवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या 42/96/84/501 रा0-8 दिनांक 12-3-88 के द्वारा चकबन्दी विभाग में कार्यरत चकबन्दी कर्ताओं को सुपरवाइजर कानूनगो के बराबर वेतन देने का निर्देश जारी हुआ है? यदि हां, तो प्रदेश के किन जिलों में अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है तथा कितने कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं?

श्री माता प्रसाद--

जी हां। चकबन्दी निदेशालय को सूचना प्राप्त हुई थी कि गोरखपुर, वाराणसी, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, देवरिया, बलिया, हरदोई, सीतापुर, गोण्डा, बहराइच, तथा बरती जनपदों में उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। उपरोक्त सूचना के आधार पर निदेशालय से संबंधित जनपदों के संबंधित अधिकारियों को पुनः शीघ्र अनुपालन के निर्देश भेज दिये गये हैं।

चकबन्दी विभाग, उ0 प्र0 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं आरक्षण कोटा

190--चौधरी श्याम लाल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी विभाग, उ0प्र0 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? उनमें से अलग-अलग प्रत्येक श्रेणियों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या रोस्टर शासनादेश 1976 के आधार पर सभी श्रेणियों में 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा?

श्री माता प्रसाद---

चकबन्दी विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार है:

1--प्रथम श्रेणी	..	31
2--द्वितीय श्रेणी	..	307
3--तृतीय श्रेणी	..	4,473
4--चतुर्थ श्रेणी	..	9,953

जनजाति का कोई अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में कार्यरत नहीं है। अनुसूचित जाति के प्रत्येक श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :--

1--प्रथम श्रेणी	..	7
2--द्वितीय श्रेणी	..	18
3--तृतीय श्रेणी	..	465
4--चतुर्थ श्रेणी	..	1012

प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण कोटा पूरा है। अन्य किसी श्रेणी में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है।

द्वितीय श्रेणी संवर्ग के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं तथा आयोग द्वारा चयन में आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है। चकबन्दी अधिकारी तथा उससे ऊपर के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। पर्याप्त संख्या में आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो पाता।

2--तृतीय श्रेणी--इस समूह में सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक आयतीकरण अधिकारी के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं जिनमें से क्रमशः 67 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 33 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस समूह में अधिकांश पद चकबन्दीकर्ता तथा लिपिक वर्ग के हैं, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है :--

(1) लिपिक वर्ग :--लिपिक संवर्ग में लगभग 25 वर्षों से कोई नये पद सृजित नहीं हुये हैं। विभाग में जो पद वर्ष 1960 से स्वीकृत चले आ रहे हैं उनमें केवल कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने या असामयिक निधन आदि हो जाने के फलस्वरूप ही पद रिक्त होते हैं। कर्मचारियों के असामयिक निधन हो जाने के कारण उनके आश्रितों को प्रचलित शासनादेश दिनांक 7-10-74 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को भी उनकी योग्यता के अनुसार प्रदेश स्तर पर नियुक्त किया जाता है। अधिकांश आश्रित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त होते हैं जिनको केवल लिपिक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है इसलिये इस संवर्ग में आरक्षण कोटा पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(2) चकबन्दीकर्ता---इस वर्ग में नियुक्तियां लेखपाल पद पर कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा की जाती हैं। विभाग द्वारा इस संवर्ग में प्रदेश स्तर पर आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु भरसक प्रयास किया गया है परन्तु समुचित संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो सका है। अभी वर्ष 1960 के सामान्य लेखपाल प्रोन्नति हुय ह जबकि आरक्षित कोटा पूरा करने के लिये वर्ष 1970 के अनुसूचित जाति के लेखपाल प्रोन्नत कर दिये गये हैं।

सेवा नियमावली के अनुसार चकबन्दीकर्ता पद पर केवल वही लेखपाल प्रोन्नत किये जा सकते हैं जिन्होंने 10 वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली हो तथा लेखपाल पद पर स्थायी हों। इस विभाग में आरक्षण कोटा बहुत पहले से ही कम चला आ रहा है परन्तु विगत कई वर्षों से विभाग ने इस कमी को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जिसमें सफलता भी मिली है। इस समय प्रदेश स्तर पर चकबन्दीकर्ता संवर्ग में कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर आरक्षण कोटा 14.7 प्रतिशत तक पूर्ण किया जा चुका है।

(3) चतुर्थ श्रेणी--इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी होते हैं। इस संवर्ग में भी बड़ी संख्या में मृतक आश्रितों की नियुक्ति की गई

है। ऊपर के संवर्गों के अधिकारिय./कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियां भी लेखपाल के पद पर की गई हैं जो शासनादेशानुसार लोक सेवा आयोग की परिधि में होने के कारण ऊपर के श्रेणी के पदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते। विभाग द्वारा आरक्षण कोटा पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया है।

इन सभी संवर्गों में वर्ष 1960 के बाद पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सामान्यत: सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु के कारण ही रिक्तियां होती हैं जिन पर नियुक्तियां की जाती हैं। सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को चकबन्दी निदेशालय द्वारा यह निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं कि जब तक आरक्षण कोटा पूरा न हो जाय 30 प्रतिशत रिक्तियों में अनुसूचित जाति के अर्हथियों की ही नियुक्ति की जाय।

गाजीपुर जनपद की मुहम्मदाबाद तहसील में सीलिंग मद की भूमि पर आवंन्टियों को कब्जा दिलाने की मांग

191---श्री अफजाल अंसारी---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरतापुर बांड में 10 बीघा सीलिंग मद की भूमि जो पात्र व्यक्तियों में वितरित कर दी गई थी, क्या उस भूमि से आवंटी व्यक्तियों को बेदखल कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सीलिंग मद की उक्त 10 बीघा भूमि पर पुनः पात्र व्यक्तियों को कब्जा दखल दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद---

प्रश्नगत ग्राम में खातेदार श्री महेन्द्र सिंह की 10 बीघा नहीं, बल्कि 4-17-18 धूर भूमि दिनांक 23-1-78 को अतिरिक्त घोषित की थी तथा भूमि का कब्जा दखल प्राप्त करके 10 व्यक्तियों को आवंटित कर दी गयी थी। तत्पश्चात् खातेदार श्री महेन्द्र सिंह की मां श्रीमती राम परी देवी ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त घोषित भूमि में वह सह खातेदार हैं परन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया फलस्वरूप उनका प्रार्थन पत्र स्वीकार करके दिनांक 8-10-85 को परवाना अमल-दरामद निरस्त करके उनको सुनवाई का अवसर दिया गया जिसके फलस्वरूप आवंटियों का कब्जा दखल समाप्त होगा। दिनांक 29-7-86 को पुनर्स्थापना पत्र खारिज कर दिया गया परन्तु श्रीमती बीना देवी पुत्री श्रीमती रामपरी देवी द्वारा 14-8-86 को अपील न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। चूंकि मामला अब भी न्यायालय में विचाराधीन है अत: अभी आवंटियों को कब्जा देने का प्रश्न नहीं है।

192---श्री अफजाल अंसारी---

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश के राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर वृत्तिकर की बकाया धनराशि की वसूली

193---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि तत्कालीन आयुक्त बिक्रीकर श्री जी0 गणेश के एक परिपत्र सं0 वि0 व0 वृत्तिकर 62 (83-84)-2555/बिक्रीकर संग्रह दि0 14-12-83 के अनुसार राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर वृत्तिकर की बकाया राशि एक करोड़ रुपये से ऊपर थी ? यदि हां, तो इस बकाया राशि से तां0 30-6-88 तक

कितना वसूला गया, कितना बकाया है ? इसे संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से न काटे जानेका क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां । अन्य बिन्दुओं में मांगी गई सुचना अत्यन्त विस्तीर्ण होने के कारण उसे उपलब्ध कराने हेतु बिक्रीकर आयुक्त द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है ।

जनपद गाजीपुर के परगना जमानियां में भूमि आबटंन में कथित धांधली के आरोप की जांच एवं कृत कार्यवाही का विवर

194--श्री राम सजीवन- -

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री जवाहर व लक्षमण राय आदि (हरिजन) ग्राम नगसर, नैवाजूराम, परगना जमानिया जनपद गाजीपुर ने विधायक श्री राजकिशोर सिह की संस्तुति सहित एक प्रार्थना-पत्र आयुक्त वाराणसी मण्डल को 7-7-88 को भेजा था तथा उसको एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गाजीपुर को 27-7- 88 को भेजी थी जिसमें भूमि आवंटन अनियमितताओं व धांधली के आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या ग्राम समाज की गांव से सटी जमीनों पर अवैध रूप से मकान बनाये जाने पर परगनाधिकारी द्वारा कार्यवाही न किये जाने तथा अपात्र व्यक्तियों को भूमि के आवंटन क दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या अपात्र व्यक्तियों के अवैंध पट्टों को खारिज करने की कड़ी कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां ।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति, नगसर नैवाजू राम ने दिनांक 29-10-86 को दो अलग-अलग प्रस्ताव द्वारा क्रमश: दो तथा चार व्यक्तियों तथा प्रस्ताव दिनांक 10-4-87 द्वारा 31 व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन हेतु ग्राम सभा भूमि का आवंटन प्रस्तावित किया था जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा किया जा चुका है । दिनांक 29-10-86 को प्रस्तावित चार व्यक्तियों तथा 10-4-87 को प्रस्तावित 31 व्यक्तियों के आवंटन प्रस्ताव नियमानुसार नहीं पाये गये । फलस्वरूप इन आवंटनों को निरस्त करने हेतु कार्यवाही कर दी गयी है । आवंटन में अनियमितता के लिये प्रथम दृष्टया दोषी लेखपाल निलम्बित कर दिया गया है । ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का कोई मामला जांच के समय प्रकाश में नहीं आया है । अत: अवैध कब्जे के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं नहीं उठता है ।

श्रीमती मधु श्रीवास्तव, विशेष सचिव, संस्थागत वित्त के विरुद्ध दिए गए पत्र कृत कार्यवाही

195--श्री यदुनाथ सिह--

विधान सभा के 1987 क द्वितीय सत्र के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 154 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 1401 व पत्र सं0 754 पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मा0 विधायक के पत्र सं0 1401 दिनांक 29-10-84, में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में की गयी छान-बीन के उपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया । सम्बन्धित अधिकारी दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 अपरान्ह में ही सेवा निवृत्त हो चुकी है ।

मा0 विधायक महोदय के पत्र सं0 754, दिनांक 20-5-86 में उठाये गये दो नये बिन्दुओं पर छान-बीन अभी जारी है ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड–2 में फर्म केदार नाथ आजाद कुमार से बिक्रीकर वसूलने के सम्बन्ध में कार्यवाही

196–श्री मूलचन्द्र–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 100 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र स0–366 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 13–4–88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का अनुरोध मा0 सदस्य विधान सभा से किया गया है ।

बिक्रीकर अधिकारी, बस्ती द्वारा कथित कर दाता के कागजातों सम्बन्धी शिकायती पत्र की मांग

197–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती के बिक्री-कर अधिकारी ने एक करदाता के कागजों की छानबीन करने पर उक्त करदाता से ता0 28–2–86 तक 23,93,536 रुपया बिक्रीकर का जमा करा लिया जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र स0 354 माननीय मुख्य मंत्री जी को ता0 1–4–86 को मिला था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी–

माननीय सदस्य से प्रश्न में सन्दर्भित पत्र की प्रति की मांग की गई है ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के चपरासी की भूमि हथियानों एवं अन्य घपले के आरोप की जांच

198–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करमे कि प्रश्नकर्ता का पत्र एव उसके साथ सलग्न दिनांक 9 अप्रैल, 1988 का पत्र जो साकिन अमारी पगना व तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी के चपरासी द्वारा नाजायज भूमि हथियाने एव अनेक घपले किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं संलग्नक के समस्त बिन्दुओं की जांच करायी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई गयी । जांच से श्री पारस नाथ पुत्र झूरी चपरासी तहसील पट्टी के विरुद्ध की गई शिकायत तथ्यहीन पाई गई ।

श्री यूसुफ पुत्र मजीद,निवासी खारीबुआ जनपद गाजियाबाद की सम्पत्तियों को निषक्रान्त घोषित किये जाने का औचित्य

199–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र 1988 के तृतीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सख्या–82 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या विस्तृत जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि अपूर्ण है, तो कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री माता प्रसाद---

अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच यथाशीघ्र पूरी कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

राजकीय एस0 टी0 एस0 झांसी के घोषित परीक्षाफल को क्रास लिस्ट में घोषित करने की मांग

200---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 25-8-88 का पत्र राजकीय एस0 टी0 एस0 झांसी के घोषित परीक्षाफल नेशनल हेराल्ड 14-3-88 में 22 छात्र प्रथम श्रेणी में 18 छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, को क्रास लिस्ट में रोके गये परीक्षाफलों में दर्शाये जाने के सम्बन्ध में, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो छात्रों का भविष्य देखते हुए अखबार में घोषित परीक्षाफल को क्रास लिस्ट में घोषित मानने के आदेश करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम 311 और 110 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

* श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

पहले 311 और 110 की दो सूचनायें आई हैं। उनको तो सुनें। 311 और 110 की जो दो सूचनायें आयी हैं उनके सम्बन्ध में जो लोग इस यात्रा में गये हैं, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। मगर उसके लिये इस सदन के प्रस्ताव की जरूरत नहीं है वरना एक आदमी गया मेरठ और सुनीलदत्त गये जापान। तो इससे एक प्रक्रिया जारी हो जायगी। लिहाजा मैं इसकी अनुज्ञा नहीं देता हूं। नं0 110 की और नं0 311 की।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

[* * * * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

जो आप बोल रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायेगा। उसके बारे में मैं निर्णय दे चुका हूं। ऐसी प्रक्रिया न डालिये। यह सदन है। इसकी गम्भीरता को समझिये।

जनपद देवरिया को ग्राम मरचहवां में सामूहिक हत्याकान्ड के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सूचना न दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न जो है वह आज का निर्णय जो एजेन्डा है जो कार्य-सूची है, उसके सम्बन्ध में है। हमने कल एक कामरोको प्रस्ताव दिया था जो देवरिया के ग्राम मरचहवा में 13 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या के सम्बन्ध में था। उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कल यहां पर कहा था कि उसके बारे में चर्चा होगी। उन्होंने कल की

(× ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही के पृष्ठ 61 पर बयान किया है कि यह घटना मान्यवर, दिल को हिला देने वाली है। और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये हैं। माननीय तिवारी जी ने कहा कि जब वे आ जायें तब लिया जाय। इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि इसको चर्चा के लिये स्वीकार कर लें। मैं पता लगाता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी अवेलेबुल रहते तो आज नहीं तो कल इसको चर्चा के लिये लें माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस चर्चा में मौजूद रहेंगे ताकि माननीय सदस्यगण जो कुछ कहना चाहेंगे और जो कुछ कार्यवाही सरकार ने की है वह बता दी जायेगी। मान्यवर, कल मुख्य मंत्री जी वहां पर गये और उन्होंने वहां पर कुछ घोषणाएं भी की हैं लेकिन इसकी गम्भीरता को सरकार ने लिया नहीं इसे चर्चा के लिये मद संख्या 49 पर इसे रखा है। इससे पहले 7 चर्चायें एक-एक घंटे की हैं.....

श्री अध्यक्ष---

इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी जहां तक मेरी जानकारी है छः पौने छः बजे आयेंगे और जो सूचना होगी वह देंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आप से बता दिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)।

कृपया शांति रखें। एक-एक करके ही तो सुन सकता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा---

आज की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 52 में मैंने यह पूछा था....

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होकर कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कह तो दिया कि मुख्य मंत्री जी 6, पौने छ बजे आयेंगे तो वे सूचना देंगे।

अतारंकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर अस्पष्ट दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के बारे में जो उत्तर दिया गया है उसके बारे में आपसे व्यवस्था चाहता हूं। उसमें यह पूछा गया था कि एक सहकारी समिति है लखीमपुर खीरी की, उसका कुछ पैसा शारदा शुगर मिल पलिया के ऊपर बाकी था। मूलधन तो दे दिया गया किन्तु ब्याज नहीं दिया गया। जब हमने इससे सम्बन्धित प्रश्न किया तो मंत्री जी द्वारा यह उत्तर आया है कि शारदा शुगर मिल पलिया, जनपद लखीमपुर-खीरी द्वारा खीरी पीलीभीत उपनिदेशक सहकारी विकास संघ लि0, सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी से कर्ज स्वरूप पैसा लिय जाने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जब किसान और उद्योगपतियों के बीच में कोई निर्णय करने की बात आती है तो यह आंखमूद कर उद्योगपतियों का पक्ष ले लेते ह। मैं आपके समक्ष उन पत्रों का हवाला देना चाहता हूं जो पत्राचार किसानों के अंशदान के सम्बन्ध में सहकारी समिति और शुगरमिल के बीच में हुआ। किसानों के अंशदान का 5,58,507 रु0 शारदा शुगर मिल पलिया के पास जमा है शुगर इंडस्ट्री की तरफ से 13 जुलाई, 1976 को लिखित

अनुरोध किया गया कि इस धन को उनके पास जमा रहने दें जिसमें प्रति वर्ष 13, 14 और 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो और भी चारे हैं आप प्रश्न संदर्भ समिति को संदर्भ करने के लिये अनुज्ञा मांग लीजिये (व्यवधान) ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---

आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास चारा है (व्यवधान) ।

कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हरेन्द्र सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज की कार्यसूची में मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 133 देखने का कष्ट करें जिसमें मैंने गृह मंत्री से पूछा है हमारे जनपद में दिनांक 18-12-88 को गिरोहबन्द अधिनियम 86 के अन्तर्गत श्री राजबीर सिंह प्रधान मुण्डे, श्री जयपाल सिंह केसरवा और श्री नरेन्द्र प्रधान बधेव की थाना कैराना से निरुद्ध किया गया था, यदि हां तो इनका पूर्व का अपराधिक इतिहास क्या है ? यदि अपराधिक इतिहास नहीं है तो जिन अधिकारियों ने उन्हें निरुद्ध किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है...

श्री अध्यक्ष---

आपने नियम 49 में सूचना दी है उसको देख रहे हैं । इस समय मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

जनपद वाराणसी के सुरियावां विकास खंड में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुईं इसमें से 7 सूचनायें शलाका के आधार पर चयनित कर स्वीकार की गयी हैं जिनमें श्री मूल चन्द, श्री राजकिशोर सिंह, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री रामगोविन्द चौधरी, श्री दीपनारायन, डा0 बंगाली सिंह और श्री राम बदन एडवोकेट की सूचनायें हैं । इनको पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

*श्री मूलचन्द्र---

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र भदोही जनपद वाराणसी में विद्युत विभाग के काले कारनामे व फर्जी आंकड़े के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मेरे क्षेत्र के सुरियावां विकास खंड में विद्युतीकरण सन् 1985 व 86 में 3 ग्राम व 86, 87 में 8 ग्राम 87/88 में 3 ग्राम व 88/89 में 3 ग्राम स्वीकृत हैं । शायद मंत्री जी को लिखकर भेज दिया गया होगा । मगर विद्युतीकरण किया नहीं गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक अतारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर में मंत्री जी बतायें हैं कि प्रथम वर्ष में 1 द्वितीय वर्ष में 1 तृतीय वर्ष में 3 व चतुर्थ वर्ष में प्रगति पर है। जबकि एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किये हैं और ग्राम सभा अमौली में पावर हाउस स्वीकृत हुआ है नहीं बनाया गया बोल्टेज हाफ है। क्षेत्र में किसानों को पूरा बोल्टेज नहीं मिल रहा है। त्राहि-त्राहि मच गयी है। पूरे भदोही में विद्युतीकरण के लिये जितने ग्राम स्वीकृत हैं उनमें अधिकांश ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के अराजी लाइन ब्लाक के गांवों में सिंचाई हेतु नलकूप की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकिशोर सिंह----

[मान्यवर, वाराणसी के अराजी लाइन ब्लाक के ग्राम दीपापुर, कृष्णदस्तपुर, बंगालीपुर भीमचण्डी, खेमईपुर आदि गांवों बीच की व ढढौरापुर माततदेई बहोरनपुर गरहपुर की सकड़ों एकड़ असिंचित भूमि व दरेखू, दाउदपुर मनियारीपुर व पांडेपुर खेवीपुर के पास की सैकड़ों एकड़ भूमि तथा काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत बच्छांवा, ऊंचेगांव, ढडिया, कोटवां की जतीने, सेवापुरी ब्लाक के अमरीपुर दयापुर, पतेर, गांव की जमीनें तथा पिण्डरा ब्लाक अन्तर्गत निमाह के ताल की जमीन, व सैरा ईगरखापुर जमालपुर, बाबतपुर, चिउरापुर सुरवां, केरवां, आदि गांवों की दो फसली सैकड़ों एकड़ भूमि असिंचित अवस्था में होने के कारण किसानों की लम्बे अरसे से अपूर्णीय क्षति हो रही है। उक्त गांव सिंचाई साधन से वंचित है।

प्रश्न गत गांवों में नलकूप न लगने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। सैकड़ों किसान परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सं0 सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण कराकर पर्याप्त संख्या में नलकूप निर्माण कराने हेतु शासन से मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर की पुलिस द्वारा अवैध वसूली एवं जन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनपद बाराबंकी में थाना जैदपुर की पुलिस बेगुनाह लोगों को फर्जी मुकदमों में खास-तौर से एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट जैसे खतरनाक मामलों में फंसाने की धमकी देकर पैसा वसूल रही है पैसा न मिलने पर उन्हें फंसा दिया जाता है और तस्करों से मिल कर मार्फीन जैसीखतरनाक वस्तुओं की तस्करी भी करा रही है। कुछ पुराने सिपाही तस्करों के पार्टनर भी हैं।

नोट[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपराध संख्या 148/149 सन् 1987 थाना जैदपुर की सी0 आई0 डी0 चेकअप के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में आये थे तथा सी0 आई0 डी0 द्वारा के इस थाने के कुछ अधिकारियों और सिपाहियों के बारे में कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी दरोगाओं क खिला तो कार्यवाही की गयी परन्तु सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पायी। जैदपुर थान के दो सिपाहियों का फरवरी, 89 में स्थानान्तरण आर्म्स ऐक्ट पुलिस में किया गया था परन्तु वह पुलिस अस्पताल गये बगैर सीधे मेडिकल अवकाश पर चले गये तथा अपना स्थानान्तरण निरस्त करा लिया। जनता में पुलिस आतंक व्याप्त है और बगुनाहों से पैसा वसूला जा रहा है।

मैं शासन से इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के जिला परिषद् के अभियन्ता द्वारा लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना

*श्री रामगोविन्द चौधरी--

[मान्यवर, बलिया के जिला परिषद् के अभियन्ता आर0 के0 सिंह द्वारा 88/89 में आई0 आर0 डी0, एन0 आर0 ई0पी0 तथा विभाग के लाखों रुपये का फर्जी भुगतान जनपद के बड़े अधिकारियों की मिली भगत से किया गया उपरोक्त अभियन्ता परिषद् कार्यालय में नहीं बैठता तथा अपने घर से ही सरकारी कार्यों का निस्तारण करता है। तथा शराब के नशे में मस्त रहता है। अभी हाल ही में उसने अपने गृह जनपद देवरिया में बैठकर परिषद् के लाखों रुपये का भुगतान 15 से 31 मार्च के बीच किया है। जो अधिकांश फर्जी हैं। एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आई0 आर0 डी0 योजनाओं में ठेकेदारी प्रथा से परिषद् में कार्य कराया जा हा है।

उपरोक्त प्रकरण में लिप्त अभियन्ता द्वारा नौकरी प्राप्त करने के बाद भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित सम्पति की जांच न करने एवं जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से लाखों रुपया फर्जी भुगतान प्राप्त कर ने की जांच न कराने की नीति से जनता में रोष व्याप्त है। उपरोक्त लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद के बाहर क किसी अधिकारी द्वारा जांच की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर ब्लाक को तहसील बनाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना

*श्री दीप नारायण--

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अति लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनपद आजमगढ़ से तहसील लालगंज क्षेत्रफल आबादी एवं भौगोलिक दृष्टिकोषण से काफी बड़ी तहसील है जो पूरब से पश्चिम लगभग 80 कि0मी0 तथा उत्तर दक्षिण लगभग 50 कि0मी0 से भी ज्यादा है जिसमें 4 ब्लाक (मेहनगर, ठेकमा, तरवा, और लालगंज) आते हैं मेहनगर ब्लाक के उत्तर रानी की सराय, पूर्व में जहानागंज, दक्षिण में लालगंज और पश्चिम मार्टीन गंज तथा मोहम्मदपुर ब्लाक आते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि मऊ जिला बन जाने से सठियांव और जहानागंज मऊ से निकल गये हैं उन्हें भी किसी तहसील

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

में रखना अनिवार्य है । यदि सदर तहसील में लिया जाता है तो यह तहसील जो पहले ही से बड़ी है और जिले का मुख्यालय है और भी बड़ी हो जायेगी । इस लिय इसे मेहनगर तहसील बनाकर और मेहनगर में जोड़ लिया जाय तो अति उत्तम होगा, क्यों कि लालगंज तहसील के बड़ी होने के कारण प्रशासकि व्यवस्था का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता । लोगों को तहसील मुख्यालय पहुंचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मेरी आप से प्रबल मांग है कि मेहनगर ब्लाक को तहसील बनाते हुए सदर और मोहम्मदपुर (दक्षिणी पूर्वी भाग तथा सठियांव का दक्षिणी एवं जहानागंज ब्लाक पूर्वी भाग मिलाकर मेहनगर तहसील का सीमांकन किया जायम।]

जनपद लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर स्थित अमेटी से महुराकला सम्पर्क मार्ग सेन्टर को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 बंगाली सिंह--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं लखनऊ सुल्तान पुर रोड के 28वें किलोमीटर पर अमेठी से महुरा कला के लिये 4 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग 3 वर्ष से पत्थर की सोलिंग किया हुआ पड़ा है इससे जनता को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है । उक्त मार्ग का डामर लेपन, पुल एवं पुलिया का निर्माण कराने हेतु श्री जयकरण सिंह, प्रधान ग्राम महुरा कला तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ ने दिनांक 15-12-88 को सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र दिया है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अत: आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जनता के आवागमन की परेशानी को देखते हुए उक्त कार्य यथाशीघ्र कराया जाय ।]

जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर प्रथम के सहायक अभियन्ता तृतीय सेन्टर के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामबदन एडवोकेट--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोकमहत्व के जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर प्रथम के सहायक अभियन्ता तृतीय के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जिसका प्रमाण निम्नवत है :--

अनुबन्ध संख्या	कार्य का नाम	रीच
1--06/86-87	विरनो राजवाहा पर मिट्टी का	किमी0 9.120 से 9.200
2--66/ए0इ0 11/86-87		किमी0 9.100 से 9.140

उपरोक्त रिच के संबंध में आपको अवगत कराना है कि विरनी राजवाहा के कि0मी0 9.100 पर एन0एच0 गाजीपुर का पुल निर्मित है जो कि 15 मी0 चौड़ी है जिसके निर्माण हेतु देवकली पम्प नहर प्रथम गाजीपुर द्वारा वर्ष 84-85 एवं 85-86 में ही 7.30 लाख रुपये का भुगतान एन0 एच0 गाजीपुर को किया गया । इस प्रकार 9.100 से 8.115 तक जिस पर पुल निर्मित है (15 मी0) का फर्जी भुगतान किया उपरोक्त अनुबन्ध फर्जी है ।

नोट :--[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[वर्ष [87-88 में 2230 सूखा राहत एव एम0 और आर0 के मद में नहरों पर फर्जी भुगतान किया गया है--

1--तरोटी राजवाहा	2230 सूखा राहत रु0 99.873-00	एम0 और आर0 मद रु0 2,69,310-00
2--विरनो राजवाहा	रु0 99.140-50	रु0 612107-00
3--राजापुर राजवाहा	रु0 1,06,258-50	रु0 2,74,092-00
योग ..	3,06,072-00	

[वर्ष 87-88 में 2,230 सूखा राहत का 3,06,072.00 रु0 का मास्टर रोल का फर्जी भुगतान किया गया । उपरोक्त नहरों से टेल तक सिंचाई नहीं होती है इस कारण जनता ने धरना एवं प्रदर्शन किया ।

आप सरकार को निर्देशित करें, कि उपरोक्त प्रकरणों की टेक्निकल सेल से जांच करायें, नहरों में पानी की व्यवस्था करवायें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री महेन्द्र भाटी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं । (व्यवधान) आप कृपा कर बैठें ।

नियम 300 के अन्तर्गत आज 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैं नम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करूंगा अगर प्रति सूचना पर 2 मिनट ही लगा लें तों आधा घटा लग जायेगा । आज का एजेंडा जो है आप कृपा कर उस पर ध्यान दें । यह देखिये कि यह आया 300 के अन्तर्गत आता है या नहीं । मैं बड़ी अदब से अनुरोध करूंगा जो सूचनायें हैं उन माननीय सदस्यों के नाम बता दे । 1--श्री राजकिशोर सिंह, 2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, 3--श्री सूर्य प्रताप शाही, 4--श्री राम सागर, श्री शारदानन्द अंचल, श्री गया प्रसाद वर्मा, 5--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री अकबरहुसैन बाबर, 6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, 7--श्री अशोक बाजपेयी, 8--श्री बलराम यादव, 9- श्री गोपीनाथ वर्मा, 10- डा0 दिनेश जौहरी, 11--श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री माता प्रसाद पांडेय, 12--श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री काशी सिंह ऐरी आदि 13-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री गौरीशंकर भइया आदि, 14-श्री हृदय नारायन दीक्षित और 15--श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री मैनेजर सिंह तो कुल इतनी हैं ।

माननीय राजकिशोर सिंह जी आप दल के नेता हैं, निर्दलीय नहीं हैं जो आपने बात उठाई है उसे मैं सुन लूंगा । जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त का प्रश्न है उन्होंने बंदूकों के लाइसेंस के फार्म जो छपे हैं उसके लिये कहा है माननीय ससदीय कार्य मंत्री जी कि वह हिन्दी में होने चाहिये अग्रेजी में नहीं होना चाहिये जहां तक तीसरी सूचना जो श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने सूचित किया है कृपा करके वह मेरे कक्ष में आ जायें मै देख लूंगा ।- बाकी सभी सूचनायें स्वीकार की गयीं । (व्यवधान) नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिये शेष सूचनायें अस्वीकार हुई ।

नोट:--[ ]यह अंश पड़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य आवास नीति, 1989

नगर विकास एवं आवास राज्य मत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)--

माान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज्य आवास नीति, 1989, †को सदन के पटल पर रखता हूं।

(शोर व्यवधान)

औचित्य के प्रश्नों की शेष सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री रामशरण दास--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। ऐसे सदन नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष --

मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि नियम 300 के अन्तर्गत शेष सूचनायें नहीं आती हैं -इसलिये अस्वीकार किया। लम्बा एजेन्डा है, इसलिये आप लोग बैठ जांय वरना मजबूरन सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

(श्री रामशरणदास, श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं अन्य कई सदस्यों के एक साथ बोलने से-व्यवधान)

श्री रामशरण दास--

हम अपने क्षेत्र की बात नहीं उठा सकते हैं तो हम यहां किस लिये आये हैं ? [×××]

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, श्री राम शरणादास जी धमकी दे रहें हैं, आप अपना तर्क पेश करें धमकी क्यों दे रहे हैं ? नियमों के अन्तर्गत बात करें। (शोर)

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, जब आप किसी मामले पर निर्णय दे देते हैं तो उसे शिरोधार्य करने केअलावा जनतंत्र में हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। लेकिन एक निवेदन है कि एक विशेष स्थिति है। आप जानते हैं कि दो दिन और सदन चलना है, मा0 सदस्य श्री रामशरणदास की सूचना को मैंने देखा है, उन्होंने अपनी भावना को उस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से रखा था। जहां तक मेरी जानकारी है--एक विभाग विशेष में 5 जिलों में जितना पैसा आबंटित कर दिया गया है, बाकी प्रदेश के सारे जिलों को मिलाकर उतना धन आवंटित नहीं किया गया है इससे हम सभी के क्षेत्रों के विकास की योजनाओं पर असर पड़ रहा है उसकी पीड़ा मा0 सदस्य ने नियम 300 के माध्यम से कहना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने निश्चय किया उसको चुनौती नहीं देता हूं लेकिन दो दिन शेष है, इसलिये हम इस आपत्तिजनक तथ्य को आपके संज्ञान में न लायें तो किस से कहें ? मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से पिछले वर्ष यहां पर मैं एक संकल्प लाया था.... कि निगमों के घाटे पर अंकुश लगाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय। उस पक्ष से बरार जी ने उस पर एक संशोधन दिया था और वह संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से सदन ने पास किया था। आज निगमों की हालत यह है कि 1 करोड़ 85 लाख रुपयों का

---

†छापी नहीं गई।

नोट:--[×××]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रतिदिन उनमें घाटा हो रहा है। हम उसको नियम 300 में न उठायें सदन के एक विनिश्चय को तो हम किस रूप में उठावें ? अत: मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वह 300 में आवें या न आवें-आपने कह दिया नहीं आता, तो वह ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को कोई चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन यह इतनी गम्भीर समस्यायें हैं कि उस पर किसी भी तरह से आप कोई रास्ता निकालें कि हम सदन के संज्ञान में वह बातें ला दें। आपका मान्यवर, हमें संरक्षण मिल जायगा तो अवश्य हमारी बात यहां पर आ जायेगी। यही मेरा आपसे अनुरोध है, आपके निर्णय को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी (व्यवधान) माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। आप बैठें। यह बात आपने कही कि नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता मगर सूचना की गम्भीरता को देखते हुए मै सुन लूं किसी तरह। ठीक है, दो सूचनायें गंभीरता के आधार पर मैं सुन रहा हूं। यह मैं अब आप पर ही छोड़े दे रहा हूं कि कौन सी दो सुनूं। 15 सूचनायें हैं, आप कोई दो सूचनायें निर्धारित कर दीजिए, (व्यवधान) आप ही निर्धारित कर दीजिए। मैंने तो आप पर छोड़ दिया। आप दो सूचनायें बता दीजिए, मैं सुन लूंगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, आपका दिया हुआ फैसला और निर्णय ठीक है। उससे हम एग्री कर रहे हैं, ठीक किया है।

श्री राम शरण दास----

मान्यवर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करने की चेष्टा कर रहा हुं.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपके नेता पर छोड़ दिया है। यह बता दें कि नियम 300 में तो नहीं आते, लेकिन उसकी महत्ता को देखते हुए मैं सुन लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री खान गुफरान जाहिदी---

मान्यवर, आपके निर्णय के बाद कोई व्यवस्था का सवाल नहीं हो सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

व्यवस्था का सवाल आप सुनेंगे या नहीं ?

(घोर-व्यवधान)

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, [× × ×] (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष----

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 12 बजकर 55 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक और बढ़ा दिया है।

तदुपरान्त 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश के जनपदों में नाली–खड़ंजा आदि हेतु धन के आवंटन में शासन द्वारा भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम शरण दास––

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि कुछ विलम्ब के साथ मुझे टाइम मिल ही गया । मान्यवर, हमारे इस प्रदेश में 62 जिले हैं, पहले यह प्रदेश 58 जिलों में विभाजित था। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में खड़ंजा तथा नालियों के लिये जो सरकार ने पैसा आवंटित किया है तो 4 जिलों के लिये 13 करोड़ रुपये दिये हैं और 54 जिलों के लिये 15 करोड़ दिया गया । सुल्तानपुर, रायबरेली, को साढ़े 4–4 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इलाहाबाद को 2 करोड़ और नैनीताल को 2 करोड़ रुपये दिये गये हैं लेकिन बाकी 54 जिलों को 15 करोड़ रुपये दिये गये हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसको 50 लाख रुपया मिला हो लेकिन दूसरी तरफ कुछ जिलों को 2–2, 4- 4 करोड़ रुपया मिला है यह-कितना अनियमित कार्य है, जिलों के साथ कितना विभेद किया जा रहा है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि विधायकों में भी इस सरकार ने भेद पैदा कर दिया है।

(इस समय 1 बजकर 16 मिनट पर श्री उपाध्याय पीठासीन हुए)

इस प्रदेश में 425 विधान सभा क्षेत्र है, हो सकता है कि किसी क्षेत्र को लाख दो लाख ज्यादा दे दिया जाय, थोड़ा सा फर्क हो सकता है लेकिन अगर यह फर्क करोड़ों रुपयों का हो तो यह गलत बात है। इतना ही नहीं 9 करोड़ रुपय सिर्फ अमेठी सीट के लिये खर्च होगा जिसमें 2 रायबरेली की और दो सुल्तानपुर की तहसीलें हैं। मान्यवर, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बुन्देलखंड के साथ अन्याय हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 14 में साफ कहा गया है कि भेद भाव न किया जाय । लेंकिन इस सरकार की नीति भेदभाव करने की है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे औचित्य के प्रश्न की आज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मान्यवर, जो क्षेत्र जितना पिछड़ा होता है उस हिसाब से धनराशि दी जाती है। जैसा कि राम शरण दास जी ने कहा, जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दी हैं, मेरे सामने वह नहीं हैं, मैं उनको दिखवाऊंगा कि इतना पैसा गया है कि नहीं । लेकिन एक बात जरुर कहना चाहूंगा कि जो पैसे के वितरण का आधार है वह पिछड़ेपन के हिसाब से है यह नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के क्षेत्र को दिया जाय । देने से पहले यह देखा जाता है कि कौन सा क्षेत्र कितना पिछड़ा है ? जो क्षेत्र जितना पिछड़ा होता है उसी के हिसाब से सहायता दी जाती है। जो व्यक्ति जितना प्यासा होता है उतना पानी उसको पिलाया जाता है इसलिये यह कहना कि व्यक्ति विशेष का क्षेत्र होने की वजह से दिया जा रहा है यह बात उचित नही है। जहां तक हमारी नीति का प्रश्न है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम पूरे प्रदेश में उन पिछड़े क्षेत्रों को जो अभी तक पूरी तरह से प्रगति नहीं कर पाये हैं, या उस लेबिल पर नहीं आ पाये हैं उनकी बराबर करना चाहते हैं। अगर पैसे का बराबर वितरण कर दिया जाय तो जो क्षेत्र विकसित हो चुके हैं यदि हम पिछड़े जिले को 50 रुपये दें और विकसित जिले को 50 रुपये दें तो यह न्याय नहीं होगा और न यह प्रदेश के विकास के लिये हितकर है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, विकास को आगे बढ़ाने की बात है और उसी के अनुसार सारी कार्यवाही की गयी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि यह नोटिस उन्हें अभी मिली, इसलिए उनके पास आंकड़े नहीं हैं । इसलिये श्रीमन् यह परम्परा है कि जिस विभाग के मंत्री से संबंधित सूचना हो, उस मंत्री को यहां पर उपस्थित होना चाहिए, अगर माननीय श्याम सूरत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपाध्याय जी यहां पर होते, तो शायद वह यह जवाब न दे पाते योजना आयोग जो है, विकास कार्यों के लिये धन आबंटन करने के लिये निर्धारित उसके फार्मूले के अनुसार, केन्द्र से उसके एक फार्मूला बना रखा है, उससे राज्यों को विकास योजनाओं के लिये धन मिलता है और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि जिलों की धन अवमुक्त करते समय वे भी उन मानको का कड़ाई से पालन करेंगे। माननीय राम शरण दास जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ सवाल है, सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रों के विकास से जुड़ा हुआ है। इसलिये हमें संरक्षण प्रदान करें और देखें कि किसी विभाग के मंत्री द्वारा या सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के साथ अन्याय न होने पावे और उस क्षेत्र के विकास की संभावनायें समाप्त न होने पावें।

राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि का वेतनमान केन्द्र के समान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों तथा निगमों के कर्मचारियों एवं माध्यमिक शिक्षकों के वेतन को केन्द्र के समान वेतन करने के लिये पिछले दो वर्षों से आन्दोलन चल रहा है। पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा किया कि केन्द्र के समान वेतन देंगे। समता समिति गठित की गयी, लगातार वह निर्धारित समय टालती चली जा रही है। अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के जरिये, नियम 300 के अन्तर्गत, नियम 56 के अन्तर्गत यह सवाल सदन में उठाया जा चुका है, जो माननीय संसदीय कार्य मंवी ने कहा कि 31 मार्च तक इसकी रिपोर्ट आ जायगी। हम लोग अपना वेतन भत्ता एवं पेंशन यहां बैठ कर पुनरीक्षित कर लेते हैं और अभी करने भी जा रहे हैं, इससे नागरिकों और कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है। सदन की गरिमा भी इससे गिरती है यहां पर कही गयी बातों का पालन नहीं किया जाता और अपने लिये हम सब कुछ कर लेते हैं। इसलिये इसकी औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करने का कष्ट करें और माननीय मंत्री जी निश्चित तिथि की घोषणा करें कि किस तिथि तक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जायगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उस समय जब माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने कार्य स्थगन के रूप में यह प्रश्न उठाया था, तो उस समय मैंने यह कहा था कि इसकी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेंगे। समता समिति जो बनी, वह राज्य कर्मचारियों और सरकार के बीच में बनी, ताकि जो असमानतायें है उसका निराकरण हो जाय उसके अन्दर काफी लोगों के साक्ष्य आ जांय क्योंकि यह भी नहीं ठीक था कि कोई काम छूट जाय। हमें विश्वास है कि जल्दी ही वह रिपोर्ट आ जायगी। इसमें जो माननीय सदस्यों को चिन्ता है उससे अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। उससे सरकार को भी चिन्ता है। पूरे प्रदेश में जो हमारे भाई और बहनें हैं, उनके प्रति हमें भी चिन्ता है, हम चाहते हैं कि रिपोर्ट जल्दी ही आ जाय। इस संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य कर्मचारियों के प्रति जो उदारता से कार्य किया है, वैसा हर राज्य में, हर प्रान्त में नहीं किया गया है। जहां तक कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखने की बात है मेरा यही निवेदन है कि हम प्रयास कर रहें है कि वह रिपोर्ट जल्दी ही आ जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

समता समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? आप तारीख बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने तो यथाशीघ्र कह दिया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

31 मार्च को समता समिति की रिपोर्ट आ जानी चाहिये थी।

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों, शहरी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं में गबन एवं अनियमितता सम्बन्धी पारित संकल्प की संस्तुतियों को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, यह औचित्य का प्रश्न प्रदेश के सारे उपक्रमों के संबंध में है जिसके बारे में पिछले वर्ष इस सदन में मेरे एक संकल्प पर विचार हुआ और सत्तारूढ़ दल की तरफ से माननीय बरार ने एक संशोधन पेश किया था और उस संशोधन को ग्राह्य करते हुए सर्वसम्मति से इस सदन में वह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और सिफारिश किया था कि प्रदेश में यह सारे उपक्रम जो है उनके बढ़ते घाटों पर प्रभावी अंकुश लायगा जाय श्रीमन, उसके बावजूद आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ हे। 7,000 करोड़ विनियोजन से जो निगम शुरू हुए बदइन्तजामी और नौकरशाहीं के द्वारा मनमाने ढंग से संचालित होने कें कारण उसमें से 4600 करोड़ रुपये डुबा दिया गया है और आज स्थिति इतनी बदत्तर हो गयी है कि निगमों का रोजाना का घाटा एक करोड़ पच्चासी लाख तक पहुंच गया है इसके साथ ही यह जो शहरी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जिनकी संख्या 26 है शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं में लगातार वित्तीय स्थिति गड़बड़ होती जा रही है और आज उनकी स्थिति यह हो गयी है कि यह अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे है और बहुत से निगमों में 6 माह से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाया है। हमने जो संकल्प पारित किया था इस सदन में उसकी मंशा को लागू करना तो दूर रहा यह कराधान समिति ने एक प्रतिवेदन दिया था अगर उनकी संस्तुतियों को लागू कर दिया होता तो करीब 3500 करोड़ वित्तीय साधन उनको मिल सकता था। इस सरकार ने उसको भी लागू नहीं किया। इसी सदन द्वारा जो सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया उसको यह सरकार नहीं लागू कर रही है मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस सदन ने जो संकल्प पारित किया था निगमों के घाटे पर अंकुश लगाने के लिये उसको आप इम्पलीमेन्ट करायें क्योंकि आप ही संरक्षक है इस सदन के।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

तिवारी जी ने कह दिया है काहे को ज्यादा बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा कार्यस्थगन इसी विषय पर था आपने कहा था कि कार्यस्थगन नहीं किया जायेगा इस पर बोल लेना।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। तिवारी जी के बाद मुझको सुन लें उसके बाद गुप्ता जी को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको भी सुन लूंगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने सार्वजनिक उपक्रमों की बदइन्तजामी की चर्चा की। मान्यवर, हालत इतनी बदतर हो गयी है मैं तो वह नाम देना चाहता हूं जिसमें आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखेंगे कि कई कई महीने से वेतन नहीं मिला है इलाहाबाद मंडल विकास निगम को 4 माह से, चलचित्र निगम को 2 से 14 माह तक, आटो ट्रैक्टर प्रतापगढ़ 2 से 5 माह तक, लखनऊ मंडल विकास निगम 3 माह से तथा गोरखपुर मंडल विकास निगम को 4 माह से वेतन नहीं मिला है । यह सब व्यवस्था हो सकती थी अगर सरकर ने सिफारिशों को लागू किया होता । में आरोप लगाता हूं कि सरकार की नीयत नहीं थी कि कमेटी की रिपोर्ट सही मायने में आये, इच्छा यह भी नहीं है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्य सचिव के निर्देश पर श्री सुरेन्द्र मोहन को जांच का काम सौंपा गया था उसके बाद मुख्य सचिव शासन के द्वारा उस काम को रोक दिया गया । इसके पहले श्री सुरेन्द्र मोहन, श्री बनर्जी और श्री सुरेन्द्र सिंह की एक कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आ गयी सब ने एक बात कहा कि मानी टरिंग, अनुश्रवण की व्यवस्था और आडिट की व्यवस्था सही होनी चाहिये। एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि जैसे केन्द्र सरकार में व्यवस्था है कि बजट सत्र जब प्रारम्भ होता है तो उसी समय सभी निगमों की रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है और उस पर चर्चा भी होती लेकिन यह सरकार जानबूझकर वह व्यवस्था लागू नहीं करती अगर यह हो जाये तो उनकी एकाउन्टबिलिटी हो जायेगी, यह बात नहीं हो रही है और वह आटोनामस अपने को समझकर न जाने कितना भ्रष्टाचार कर रहे है । उस पर पर्दा पड़ा रहता है । यह सही है कि मा0 तिवारी जी की बात से अपने को जोड़ते हुए बल देता हूं कि इन कमेटियों ने जो अनुशंसा की है उन्हें लागू किया जाय और सार्वजनिक उपक्रम व्यरों को प्रभावी अधिकार दिये जांय ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन् इससे महत्वपूर्ण और कोई औचित्य का प्रश्न हो ही नहीं सकता । एक तरफ सरकार कहती है कि संसाधन के अभाव में यह काम करने में असमर्थ है, दूसरी तरफ जिन संस्थाओं को लाभ कमाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार का 7 हजार करोड़ रुपया लगा, उनमें प्रतिदिन 1.85 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और वह घाटा है इनके नकारापने से हो रहा है और अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है । मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस समय जो घाटा हो रहा है, मा0 मंत्री जी इसकी पूरी जांच करा लें और जो दोषी अधिकारी है, उसे तत्काल निलम्बित करें और जो घाटे का पैसा है, उसे वसूल करने का काम करें । श्रीमन्, यह कराधान समिति की संस्तुतियों को सदन के पटल पर नहीं रखते हैं ताकि हम विचार करते इससे प्रदेश के अधिकारियों का मन बढ़ रहा है और इनको लूटने का काम करते हैं । इस लिये लाभ की दृष्टि से बनाये गये उपक्रम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और बड़े राजनीतिक लोगों के चारागाह बन गये हैं । यह प्रदेश को उस चारागाह से बचाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस औचित्य के प्रश्न को लें और इस पर सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निलम्बित करें और.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें । सब बोलेंगे तो बड़ा समय लगेगा ।

***श्री गौरी शंकर भइया--**

मा0 उपाध्यक्ष जी, 1975 में विधान सभा का गठन हुआ तो मैंने और अशोक बाजपेयी जी ने बराबर इनके भ्रष्टाचार के बारे में, घाटे के बारे में बराबर आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया । बार बार आपकी ओर से निर्देश भी जारी हुए और उस तरफ से कहा गया कि कुछ निगम ऐसे हैं जो कल्याणकारी हैं, कुछ निगम फायदे में हैं, इनको छोड़कर शेष घाटे में हैं । आप देखें कि सात हजार करोड़ रुपया लगा है और 46 सौ करोड़ का घाटा हो गया है । प्रतिदिन 1.85 करोड़ का घाटा हो रहा है जो सरकारी खजाने का है, जनता का है। ये सफेद हाथी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का काम कर रहें हैं। श्रीमन्, इसमें जब जब जो भी चेयरमैन रहें हैं, आप उनकी प्रापर्टी की जांच करा लें। आप देखेंगे कि उन्होंने इन निगमों का घाटा करके अपनी निजी प्रापर्टी कितनी बढ़ा ली है। अभी ब्यूरो की रिपोर्ट लागू करने की बात हुई, वह रिपोर्ट लागू करने से कुछ नहीं बढ़ेगा और उससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। जो भी निगम जन कल्याणकारी कामों में लगे हैं, उनको छोड़ कर दूसरे सभी निगमों को तत्काल तोड़ दिया जाय। जनहित में यह व्यवस्था करने की कृपा करें। इसमें सेतु निगम को छोड़ दिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मा0 उपाध्यक्ष जी, मुझे कुछ निवेदन करना है। मान्यवर मा0 सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है, एक ही कलम में सारे निगमों को ले लिया है। कुछ निगम फायदे में हैं और कुछ घाटे में हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सेतु निगम को मना कर रहे है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, किसी एक निगम का नाम नहीं लिया है। यह कहना कि सारे निगम सिरे से घाटे में है, यह ज्यादती की बात है। कुछ निगमों में फायदा नहीं है। मा0 सदस्यगण ने जो चिंता व्यक्त की है, ठीक है। सबको चिन्ता है। जहां तक संस्तुतियों की बात कही, मा0 तिवारी जी चले गये, दूसरे मा0 सदस्यों ने बात कही, हम प्रयास करेंगे कि संस्तुतियां लागू करावें। और इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे निगमों की जितनी फिजूल खर्ची की चीजें हैं उनको समाप्त करके, इनको फायदे की तरफ ले जाया जाये। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

गोरखपुर जिलान्तर्गत थाना घघली के गांव बांसपार निवासी श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र के द्वारा लिखायी गयी प्राथमिक रिपोर्ट की बिना जांच कराये थानाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के सातवें मंगलावर के लिये निर्धारित मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के सन्दर्भ में जो मेरा यह औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत है, इनकी हुकूमत करने का क्या तरीका है, इससे वह चीज पता चलती है। साढ़े दस बजे एफ0 आई0 आर0 दर्ज होती है, डेढ़ बजे फाइनल रिपोर्ट लग जाती है 395 का मामला है मान्यवर। मंत्री जी का कहना है कि साढ़े छः बजे एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। चलिये उनकी ही बात को सही मान लें साढ़े दस बजे के बजाय साढ़े छः बजे ही दर्ज हुई, तब भी डेढ़ बजे फाइनल रिपोर्ट लग गयी 7 घंटे में फाइनल रिपोर्ट लग गयी। किस तरह से पुलिस काम करती है? 395 का केस है एफ0 आई0 आर0 दर्ज होती है दूसरे दिन डाक्टरी रिपोर्ट आती है, जो इनजर्ड लोग है उनकी रिपोर्ट आती है, अगर पहले ही फाइनल रिपोर्ट लग जाती है तो यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मान्यवर, इस प्रदेश का कोई भी बड़ा आदमी कानून के ऊपर नहीं है बड़े आदमी को बचाने के लिये, जब तफशीश को ट्रांसफर करने के लिये एप्लीकेशन दी गयी, बैक डेट में यह सब किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय गृह मंत्री जी इनको गम्भीरता से लें । एस0 ओ0 को तत्काल हटाये, लेकिन यह आपके लिये संभव नहीं है एफ0 आई0 आर0 दर्ज होने के बाद विवेचक के वहां सिपाही को भेजा गया। विवेचक कौन है, सिपाही को भेजने जाने का क्या औचित्य है ? उसी रात में सिपाही आ जाता है । 15 कि0 मी0 पर गांव है । इतनी उत्सुक रही पुलिस ? उसी रात चला जाता है 8 आदमियों से बयान लेता है दोनों पक्षों के जो लोग हैं उनका बयान लेता है, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है । दूसरे दिन मेडिकल रिपोर्ट आती है । यह सब मेनुपुलेटेड है । दरोगा ने जानबूझकर मामले को दबाने का काम किया है । दबाव में आकर, पैसा लेकर, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी । इसकी जांच होनी चाहिये सरकारी जांच होनी चाहिये । ऐसा दरोगा होगा तो अपराधियों को छूट मिलेगी, प्रशासन को छूट मिलेगी, उस दरोगा को निलम्बित किया जाय । मैं मांग करता हूं कि उस दरोगा को निलम्बित किया जाय । उस एफ0 आई0 आर0 पर फाइनल रिपोर्ट राजनीतिक दबाव में आकर लगायी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय का ध्यान रखे, ओझा जी समाप्त करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह प्रश्न-औचित्य में, प्रश्नों के संबंध में, इस तरह से औचित्य क्या आ सकता है, इसका औचित्य आप स्वयं बता दें ? कार्यवाही की जहां तक बात है, माननीय सदस्य ने इस मामले में कह दिया है, ध्यान आकृष्ट कर दिया है । सारी जानकारी करायेंगे और कार्यवाही करेंगे ।

लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवक्ता के चयन में शोध कार्य के महत्व को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति में जो पी0 एच0 डी0 के लोगों को वरीयता दी जाती थी, शिक्षा अनुभाग-10 की विज्ञप्ति संख्या 5418, दिनांक 12-10-88 के द्वारा यह संशोधन कर दिया गया तथा वरीयता समाप्त कर दी गयी है जिसके कारण शोध कार्य और शोध प्रकाशन का कार्य बन्द हो जायेगा । दुनिया में रिसर्च से संबंधित हर चीज को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अब पी0 एच0 डी0 की वेल्यू नहीं रह जायेगी जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि रिसर्च करना लोग बन्द कर देंगे । तमाम विषयों में जो तमाम थीसिस और ज्ञान दिया जाता था वह बन्द हो जायेगा । इसमें प्राविधान किया जा सकता है कि जो सदैव फर्स्ट क्लास है उनको नियुक्ति में पी0एच0डी0 के इक्वीलेंट कर दें । मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि वरीयता को समाप्त करके शासनादेशों, संविधान व कानूनों का उल्लंघन किया गया है । यह इनका सबका उल्लंघन है । अगर आपकी नयी शिक्षा नीति के तहत यह हो रहा है तो इससे आपकी नीति का पर्दाफाश होता है । मान्यवर इस तरह से शोध कार्य और शोध से संबंधित प्रकाशन कार्य बन्द हो जायेगा यह अनुचित है । इस पर आप सरकार को उचित निर्देश दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको देख लीजिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहती हैं ।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय, जिस विषय में माननीय सदस्य ने कहा मिनिमम क्वालिफिकेशन के संबंध में, तो मान्यवर, यू0 जी0 सी0 के नये मानक आये हैं, उसके अनुसार जो मिनिमम नम्बर रखे गये हैं, स्नातकोत्तर परीक्षा में, वह 55 नम्बर रखे गये हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी भी उच्चकोटि की सर्विस के लिए बहुत आवश्यक है और जिसका पी0 एच-डी0 है उसको तो वरीयता दी ही जायगी लेकिन एकेडमिक रिकार्ड भी उत्तम होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महा विद्यालय हैं, उनमें जो लोग पी0 एच-डी0 किये हुये अंशकालिक काम कर रहे हैं। यह ठीक है कि आप फर्स्ट डिवीजन वालों को रखें, लेकिन उन पी0 एच-डी0 किये लोगों को वहां से निकालने की साजिश की जा रही है, जो ठीक नहीं है और इस प्रकार शोध कार्य समाप्त हो जायगा, इसमें आप व्यवस्था दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मित्रसेन जी, आप बैठें। हमने उनको नोटिस दिया ही नहीं है। तो मैं उनसे जवाब की क्या अपेक्षा करूं, हमको भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। डा0 दिनेश जौहरी.....

बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है, ध्यान से सुन लीजिये।

*डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हाउस के के समय सदन में मौजूद रहें। एक राज्य मंत्री ऐसे हैं, जो बरेली से सम्बन्धित हैं, वह पूरे सत्र भर विधान सभा में नहीं आये और हम लोगों के सवाल के जवाब दूसरे मंत्री दे रहे हैं। अभी मुख्य मंत्री जी 2 तारीख को बरेली गये थे, वहां भी यह नहीं आये। 30 तारीख को दल की रैली थी, उसमें भी नहीं गये। लोग यह सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या फिर मुख्य मंत्री जी से नाराज हैं कि उन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया जाय। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

डा0 दिनेश जौहरी जी का माननीय मंत्री, बरेली से काफी प्रेम है और मंत्रियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—

बरेली वालों को बरेली का ही ध्यान होगा, आगरे का नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, कार्य प्रणाली एवं क्षेत्राधिकार को आघात पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया है। उत्तर प्रदेश शासन के कृषि अनुभाग-8 द्वारा एक अधिसूचना संख्या 20/12–8–400 (40), 1989, दिनांक 4–3–1989 जारी कर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता; कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार को आघात पहुंचाया गया है और कृषि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों एवं पूर्व में हुयी नियुक्तियों के अनुमोदन पर 3 साल के लिए रोक लगा दी गयी है, इससे बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गयी है। कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में इस अधिसूचना के जारी होने के पहले नवम्बर, 1987 में गवर्नर द्वारा एक पैनल बनाया गया था। पेनल ने साक्षात्कार कर चयन किया। उस चयन की आखिरी कड़ी के रूप में 6 दिसम्बर, 1988 को 18 वैज्ञानिक और शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिये गये।

उसके बाद यह अधिसूचना जारी कर दी गई। उनका अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में होना था, जो अब खटाई में पड़ गया है। इससे विश्वविद्यालय में शोध तथा कृषि विकास के कार्यों को धक्का लगा है इसके साथ ही साथ अध्यापकों का जीवन भी अन्धकार-मय हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिसूचना के पहले जो भी नियुक्ति की गयी हैं, उनको अनुमोदन के लिए छूट मिलनी चाहिए। वैसे भी यह जो अधि-सूचना है इससे कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता और उनके क्षेत्राधिकार तथा कार्य-प्रणाली पर एक प्रहार है। इसलिए मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, माननीय श्री वर्मा जी ने कृषि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। अधिसूचना की फोटो-स्टेट कापी भी लगी हुई है। राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है कि विश्वविद्यालयों में एक रूपता रहे जहां तक 'क्वालिफिकेशन का सवाल है, सारे विश्वविद्यालयों में एक तरह की नियुक्ति हो, उसमें किसी भी प्रकार की कमी व अधिकता न हो। फिर भी श्री वर्मा जी ने जो सुझाव दिया है, हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री भगवानदीन कुशवाहा––

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष––

आप कृपा करके बैठ जाएं। आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। लिखा नहीं जायेगा। आप लिखकर दे दें।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये विभिन्न मद पर परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अशोक बाजपेयी––

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, हम लोग 2 महीने से निरन्तर यहां पर बजट पास कर रहे हैं और उसमें विभिन्न मदों में हर कार्य के लिए धन का आवंटन करते हैं। परन्तु इस पैसे का बुरी तरीके से दुरूपयोग हो रहां है। 700 करोड़ रुपए 30 व 31 मार्च, को विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने बैठ कर मदों के नाम परिवर्तित कर दिये। वह पैसा

नोट––[×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लोक महत्व व जनहित में खर्च होना था। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे पूरे नहीं किए गए और न ही वह पैसा सरकारी खजाने में जमा किया गया और अधिकारियों ने बैठ करके उस पैसे की मदों को परिवर्तित कर दिया। यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है। कार्यों के निष्पादन के लिए हम लोग विभिन्न मदों में पैसा आवंटित करते हैं और सरकार वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन उन्हीं मदों में परिवर्तन कर देती है। हर विभाग में यह किया गया है। हर कार्य के लिए मानक तय किये जाते हैं और लक्ष्य निर्धारित किया जाता है किन्तु उनका निष्पादन नहीं किया जाता है। इस पर मान्यवर, मैं आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहूंगा। इसी के साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वर्ष हम जो बजट पास कर चुके हैं, उसका सही ढंग से उपयोग किया जाय। उसका मिसएप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, पी0 एल0 ए0 आदि से सम्बन्धित मेरा मामला भी इसी तरह का था, इसलिये उसे भी इसी में जोड़ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, वह भी सन्दर्भित हो गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, इसके अन्तर्गत कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि 700 व 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ हो।

31 मार्च को सारा जो पैसा होता है, वित्तीय सुविधायें भी होती हैं, जो शुरू से चली आ रही है, 'फाइनेन्सियल' कनवीनियन्सेज, उसके हिसाब से सारा पैसा रखा जाता है। वह विकास पर खर्च होता है, ऐसा नहीं है कि किसी की जेब में चला गया। यह पैसा सुरक्षित है, सारा पैसा विकास कार्यों में खर्च किया जायेगा। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, सारा पैसा इस प्रदेश की गरीब जनता के विकास में खर्च होगा।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के खड़े होने से व्यवधान)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी श्री इन्द्रराज बहादुर सिंह की अनियमितता तथा उनकी पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बलराम यादव---

पिछली 30 तारीख को औचित्य के प्रश्न के रूप में हमने अपने यहां के भूमि अध्याप्ति अधिकारी के विरुद्ध, जिसको पुनर्नियुक्ति दी गयी थी, उसका मामला उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आदेश दिया है कि कमिश्नर को लिख दिया है, वह वार्षिक व्यवस्था में इनको स्थानान्तरित कर देंगे। शारदा सहायक योजना का 2 करोड़ रु0 भुगतान के लिये वहां गया है। वह अधिकारी इसमें लाखों रु0 का घोटाला करेगा। पिछले 10 वर्षों से हमारे जिले में उसी पद पर पोस्टेड है। जब उसके स्थानान्तरण की मांग होती थी, शासन की तरफ से कहा जाता था कि रिटायर होने जा रहा है, इस बार उसने चौथी बार पुनर्नियुक्ति का लाभ लिया। उस भ्रष्टाचारी अधिकारी के लिए मैंने मांग की थी कि चाहे उसे कलेक्टर बना दीजिये लेकिन प्रतिकर का भुगतान उससे मत करवाइए। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब किसान और किससे फरियाद करने जायगा? मेरा अनुरोध है कि अपनी पीठ से निर्देश दें कि उसको प्रतिकर के कार्य से हटा लिया जाय।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

जो आदेश मैंने दिये हैं उन आदेशों के बारे में मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि मैंने यह कहा था कि जांच करायी जाय और जांच में इनकी मौजूदगी से अगर कोई अवरोध हो उसे दूर कर दिया जाय। जो कुछ मैंने लिखा है, माननीय सदस्य ने स्वयं कह दिया है। जो बात यहां पर हुई थी उसके हिसाब से पूरी कार्यवाही हो चुकी है।

श्री शारदानन्द अंचल–

वह घपला कर रहा है उसके सम्बन्ध में क्या करेंगे? मेरी मांग है कि प्रतिकर वितरण की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारी को सौंपी जाये। यह आश्वासन चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

बैठ जाइए। बाद में बात कर लेंगे।

श्री बलराम यादव––

उसकी पुर्नियुवित के सम्बन्ध में बतायें ?

(घोर व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल––

वह लाखों रु0 लूट रहा है, उसको प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति दी जा रही है। हमने आरोप लगाये हैं, जांच चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता उत्तर देने के लिये। सदन में कैसे कोई बात कह देंगे ? आप बैठें। बाद में बात हो जायेगी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गोपी नाथ वर्मा––

अगर संसदीय कार्य मंत्री को यहां बहुत ज्यादा शर्म आ रही है बताने में तो यही कह दें कि उस भ्रष्टाचारी अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही है तो उसको वहां से हटा देंगे। यदि उसे वहां से नहीं हटा पाते हैं तो उसका जो जिम्मेदारी प्रतिकर की है उसे किसी दूसरे अधिकारी को हस्तान्तरित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं उनको जवाब देने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकता।

श्री शारदानन्द अंचल––

भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये यह सरकार कृतसंकल्प है। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शारदानन्द अंचल ने सदन से बर्हिगमन किया।)

श्री बलराम यादव––

मान्यवर, आप भ्रष्टाचारी अधिकारी के विरुद्ध, उसे वहां से हटाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी को निदेश देने का कष्ट करें !

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उनको निदेश नहीं दे सकता ।

श्री बलराम यादव--

ये भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं, इस असेम्बली में आप न्याय नहीं करवा सकते हैं । मैं मा० अम्मार रिजवी की चुप्पी के विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री बलराम यादव तथा श्री गोपीनाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम में करोड़ों रुपये के सरकारी धन के गबन व फर्जी कागजी परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये के धन की लूट और बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी तथा करोड़ों रुपये टंगस्टन परियोजना अल्मोड़ा पर व्यय करने एवं करोड़ों रुपये के धन की बरबादी और झूठी घोषणा से राष्ट्र की छवि को धूमिल करने के सम्बन्ध में सदन को सूचित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम आजकल करोड़ों रुपये के घाटे से गुजर रहा है । उसका मूल कारण यह है कि खनन की परियोजनाओं जैसे देहरादून, लक्ष्मी खनन परियोजना, कैलिसियम कार्बाइड परियोजना देहरादून, सेनयेटिक एम्बरी परियोजना बांदा एवं चोपन खदान के यंत्रीकरण में करोड़ों रुपये के सरकारी धन का गबन किया गया । करोड़ों की स्टील, सीमेन्ट की चोरी हुयी और परियोजनायें ज्यादातर बन्द पड़ी हैं जिससे करोड़ों रुपये की हानि सरकार को उठानी पड़ रही है । आडिट रिपोर्ट में भी 12 करोड़ रु० का गबन इन परियोजनाओं में दर्शाया गया जिसकी जांच के लिये मांग की गयी लेकिन आज तक आडिटर की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हो सकी ।

देहरादून परियोजना में 16 डम्फर टाटा कम्पनी से खरीदे गये जिनकी कुल लागत एक करोड़ से ऊपर वर्ष 1983-84 में थी, यह डम्फर वह हैं जिन्हें टाटा कम्पनी ने रिजेक्ट किया था । इस कारण आज तक यह डम्फर नहीं चल सके और न इनकी रजिस्ट्रेशन ही हुआ और न यह मैदानी क्षेत्र में उपयोग में आ सके हैं और टाटा ने इस माडल को बनाना भी बन्द कर दिया है, लेकिन प्रबन्ध निदेशक ने 28 लाख रु० कमीशन खा कर यह डम्फर खरीदे । यह आज तक चलाये नहीं गये, खड़े हैं । इसी प्रकार टाटा कम्पनी को देहरादून का चूना पत्थर 30 रु० प्रति टन के हिसाब से दिया जा रहा है जबकि स्थानीय अन्य लोगों को 120 रु० प्रति टन भारत सरकार के उपक्रम स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को देने का प्रयास किया गया तथा जबकि वह बाजार भाव पर खरीदने को तैयार थे । इसमें करोड़ों रु० की कमीशन खायी गयी, आडिटर ने भी इसमें एक करोड़ रु० के गबन का मामला दर्शाया है ।

ऐसे ही टंगस्टन परियोजना अल्मोड़ा, स्वर्ण परियोजना, सहारनपुर के नाम शासन को गुमराह एवं झूठी सूचना देकर लम्बी-लम्बी सहायता पूंजी ली गयी । परियोजना के पैसों से खुली लूट हुयी और विदेशी दौरों पर लाखों रुपय का व्यय किया गया, लेकिन वह परियोजना आज तक नहीं चल सकी । टंगस्टन के कन्टेन्टस का परीक्षण प० जर्मनी की फर्म से कराया गया । उसने बताया कि दशमलव जीरो चार प्रतिशत टंगस्टन उपलब्ध है, इस खान को औद्योगिक दृष्टि से चलाना हानिकारक होगा, क्योंकि उद्योग की दृष्टि से खान चलाने के लिए कन्टेन्टस एवं प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए इसके बाद भी विदेशी दौरे और झूठा प्रचार देश की छवि को बिगाड़ने वाला है । इसके अतिरिक्त नियुक्तियों में भी उसी प्रबन्ध

निदेशक ने गड़बड़ियां की हैं। जनरल मैनेजर श्री प्रभूदयाल श्रीवास ने उसकी जांच की और अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी, 1989 को प्रस्तुत की और उसमें कहा गया है कि खदानों में 12 करोड़ रुपये के कर की चोरी की गयी है। चोपन की खदान है, उसमें 2 सौ मजदूरों से काम नहीं लिया जाता है, जिससे खदानों को नुकसान हो रहा है और श्रीवास की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मजदूरों की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, जितनी भी व्यक्तिगत (प्राइवेट) खदाने चल रही हैं, वह मुनाफे पर चल रही हैं और यह खदान घाटे पर चल रही है। श्रीवास ने यह आरोप बोर्ड आफ डाइरेक्टर की बैठक में लगाया है। मान्यवर, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाये और प्रबन्ध निदेशक को वहां से हटाया जाये और इस मामले की जांच की जाये।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर,. . . .मैंने भी दिया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, आपको तो मुझे पता नहीं लगता है कि किस पर बोल रहे हैं? आप हर समय खड़े हो जाते हैं। आप अपनी सीमा को लांघ जाते हैं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

आपने मुझे समय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

इनका नाम है, पहले यह बोल लें, फिर।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम का मामला है। इस मामले को वर्मा जी ने नियम 56 के अन्तर्गत भी उठाया था और इस पर सरकार का वक्तव्य आया था और यह कहा गया था कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मान्यवर, जितने तथ्य इकट्ठे किये गये हैं, उससे यह साबित होता है कि यह मामला हाई कोर्ट में लम्बित नहीं है। यह भ्रष्टाचार का गम्भीर मामला है। करोड़ों रुपये का घपला किया गया है और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार हाई कोर्ट का बहाना ले रही है। सारे तथ्य वर्मा जी ने सदन के समक्ष रख दिये हैं, जनता का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा है, इसे बरबाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। प्रबन्ध निदेशक को वहां से तुरन्त हटाया जाये।

श्री हर्ष वर्धन--

हमने एक सूचना दी थी तो हमें भी सुन लें। नियम 56 में सूचना दी थी। हम लोगों को भी सुन लें और फिर मंत्री जी उत्तर दे दें। मान्यवर, 1987-88 में गोरखपुर में 2 करोड़ 27 लाख 22 हजार 846 रुपये का पेमेन्ट किया गया और यह पेमेन्ट 12-13 आदमियों को पेमेन्ट किया गया है, लेकिन पावर आफ एटारनी लेकर एक आदमी को पेपेन्ट कर दिया गया है और यह आदमी साहेब सिंह, एक अध्यापक हैं, इनको सारा पेमेन्ट किया गया है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसकी जांच आप करा लीजिए तो यह स्वयं सिद्ध हो जायेगा। इसमें गोरखपुर के जो राजनीतिक व्यक्ति है उनका भी खुला हाथ है। उन्होंने भी इसमें पैसा लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका रोज पढ़ा हुआ माना जाता है आज आपका बोला हुआ माना जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी---

मेरा नाम भी इसमें जुड़वा दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, इससे पहले भी सदन में खनिज निगम के बारे में बात हुई थी और उस समय इसके बारे में मामला सब्जुडिस होने की वजह से बात नहीं हो पायी थी । जो बिन्दु इस बारे में उठाया गया है उसके बारे में हम जांच करा लेंगे । अगर कोई ऐसी बात है जिसके अन्दर किसी की गल्ती हो तो उसको सजा मिलेगी ।..... (व्यवधान)

श्री हर्ष बर्धन---

किस एजेन्सी से जांच करायेंगे, यह बता दें ?... (व्यवधान) इसमें केन्द्र के कुछ मंत्रियों और कुछ कुछ अन्य राजनीतिक लोगों का हाथ है ।

श्री उपाध्यक्ष ...

उन्होंने कह दिया है कि हम जांच करा लेंगे । इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ।

श्री राम लक्षन सदस्य विधान सभा की गोरखपुर के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में कई बार सरकार द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि माननीय सदस्यगण यहां पर जब अपने विचार व्यक्त करेंगे उस विषय पर इस सदन के बाहर उनको किसी प्रकार से सताया नहीं जायेगा । माननीय राम लक्षन जी ने अभी कुछ दिन पहले एक मामला यहां पर उठाया था और उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में उन्हें आश्वासन दिया था कि उनको सताया नहीं जायेगा....

(श्री राम लक्षन जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

जब माननीय राम लक्षन जी स्वयं खड़े हैं और वे बोलना चाहते हैं तो उन्हें ही बोलने दीजिये ।..... (व्यवधान)

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, उन्होंने यहां पर यह सवाल उठाया था कि जिन लोगों के घर उजड़ गये थे, उनको बस ा जाय । जब उन्होंने यहां पर यह बात कही इससे प्रशासन नाराज हुआ और एक केन्द्रीय मंत्री वी0 वीर बहादुर सिंह जी के निर्देश पर उन्हें धमकाया गया । मंत्री जी जब वहां पर जाते हैं अधिकारी विधायक को धमकाते हैं, वहां का एस0 डी0 एम0 माननीय सदस्य को धमकाता है, पुलिस वाले धमकाते हैं । जब सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि ऐसा नहीं होगा लेकिन माननीय राम लक्षन जी को गोरखपुर के परगनाधिकारी और इन्सपेक्टर ने देख लेने की धमकी दी है । मान्यवर, यह अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लोगों का मामला है, यह सरकार अनुसूचित जाति के हितों का संरक्षण नहीं कर पा रही है । फिर यह तो सत्ता पक्ष के एक विधायक का मामला है इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*श्री राम लक्षन--

मान्यवर, इसी पहली तारीख को जब मैं अपने क्षेत्र पनियरा, गोरखपुर पहुंचा तो वहां के परगनाधिकारी महाराजगंज तथा कोतवा महाराजगंज, ये दो आदमी वहां पर पहले से पहुंचे हुये थे। जब वे हमसे मिले तो मुझे वे धमकी देने लगे कि तुमने वहां के सी0 ओ0 को हटाने की मांग की है इसलिये तुम यहां पर आओगे तो तुम्हें जिन्दा वापस नहीं जाने देंगे। मुझे सदन में अपनी बात बोलने से ये अधिकारी मुझे बाहर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिस अधिकारी पर आरोप है उनकी जांच हो और उनको हटाया जाय। मान्यवर, मैं इस सरकार में एक हरिजन विधायक हूं। मैंने कोई गल्ती नहीं की है। फिर भी परगनाधिकारी और कोतवाल महाराजगंज इन दो आदमियों ने वहां पर चौराहे में मेरे लिये अपशब्दों से कहा कि चमार होकर ऐसी बात कहते हो। ऐसे चमार को हम जूते से मारते हैं। तुमको जिन्दा नहीं रहना है। मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है कि सरकार में रहकर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने बार-बार उनको हटाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री को, गृह मंत्री को, राजस्व मंत्री को और संसदीय कार्य मंत्री को कहा है लेकिन आजतक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या मुझे धोखा दिया जा रहा है? यदि धोखा दिया जा रहा है तो मेरा कहीं दूसरी जगह इन्तजाम कर दीजिए मुझसे गोरखपुर छुड़वा दीजिये। यदि मेरा वहां पर रहने का हक नहीं है, इस प्रदेश में रहने का हक नहीं है तो आप सदन में घोषणा कर दें नहीं तो आप उस कोतवाल को और एस0 डी0 एम0 को तुरन्त स्थानान्तरित कर दें, उनको वहां से हटवा दें। नहीं तो मान्यवर, इस सदन को नहीं चलने देंगे। मंत्री जी को कहना पड़ेगा कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है।

दूसरी बात यह कि परगना अधिकारी ने सीजनल पोस्टिंग लोगों की की है उसमें सब अपने रिस्तेदारों की पोस्टिंग की है और बाहर के जिलों के लोगों की देवरिया और आजमगढ़ के लोगों की पोस्टिंग की है कम से कम 70 लोग सीजनल रखे हैं, चपरासी तक के लिए वहां के बहुत से लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं। (व्यवधान) महाराजगंज में यह अत्याचार हो रहा है सरकार और मंत्री की कोई सुनने वाला नहीं है, कहा जाता है कि यह गोरखपुर है तो अगर गोरखपुर में कुछ नहीं करना है तो गोरखपुर को प्रदेश से हटा दें। जब कहा जाता है मुख्य मंत्री जी कहते हैं गोरखपुर है मजबूरी है। गोरखपुर से कांग्रेस का सफाया हो रहा है शर्म करनी चाहिये। हम लोग जब जाते हैं तो लोग नारे लगाते हैं वापस जाओ, मुर्दाबाद आदि के नारे लगाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें, आप भाषण कर रहे हैं।

श्री राम लक्षन--

हमारे विकास खण्ड में भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने हरिजनों के लिये आवास बनाये। अब वहां का विकास खण्ड अधिकारी दो-दो हजार रुपया लेकर हरिजनों को आवास दे रहा है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने बारे में कह रहे हैं या कोई सूचना दे रहे हैं (व्यवधान) किस मंत्री के बारे में कह रहे हैं?

श्री राम लक्षन--

[× × × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × × ×]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो कह रहे हैं कुछ नहीं लिखा जायेगा वसूली का इससे क्या मतलब है? (व्यवधान) मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं (व्यवधान) कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय राम लक्षन जी का मामला पहले भी उठा था आज भी उठा है । वहां की स्थिति बड़ी गम्भीर है इसमें कोई शक नहीं है (व्यवधान) जब यहां पर प्रकरण आया तो आश्वासन दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

वह आश्वासन दे कि वह होस्टाइल नहीं होंगे तब तो उनके साथ हमदर्दी हो सकती है (व्यवधान) जहां तक गम्भीरता की बात है वहां स्थिति गम्भीर है समझ लीजिए आज नहीं तो कल या परसों गोरखपुर में फांसी का फन्दा उनके लिए तैयार रखा है...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह नहीं सोच पा रहा हूं कि क्या व्यवस्था उठा रहे हैं ? आपने तो भाषण शुरू कर दिया (व्यवधान) मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × × ×] (व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय राम आसरे जी का फांसी के फन्दे से क्या आशय है..

(व्यवधान)

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय राम आसरे जी को पहले से कैसे पता है कि इनके लिये फांसी का फंदा लटक रहा है, क्या कोई पूर्व प्लानिंग है इनकी तरफ से...

(व्यवधान)

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

श्रीमन्, आपने मुझे सुन लिया, और माननीय राम लक्षन प्रसाद जी को भी सुन लिया जो बराबर धमकायें जा रहे है सत्ता पक्ष वालों की तरफ से इसलिये यह धमका कर चुप न कर दिये जायें इसके पूर्व इस पर आप अपनी क्या व्यवस्था दे रहे है ? ... (व्यवधान)

श्री राम लक्षन--

मान्यवर, यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस मामले में अश्वासन दें कि हम इस अधिकारी को हटा लेंगें या हटा रहे हैं और यदि यह कुछ भी कह देंगे तो हमें इन पर पूर्ण विश्वास है कि वह कार्यवाही होगी, अगर यह आश्वासन इस मामलें में दे दें तो सदन चलावें (एक साथ कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर) (व्यवधान)

नोट--[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, सर्व श्री राम लक्षन, हृदय नरायन दीक्षित व माननीय राम आसरे वर्मा आदि ने कुछ बातें कहीं, जहां तक वहां की स्थिति का प्रश्न है, इससे पहले भी मान्यवर आप को याद होगा कि जब इनके द्वारा कुछ बातें यहां पर कही गयीं थी तो उसपर बड़ी तत्परता से कार्यवाही की गयी थी और आज भी जानकारी जो सारी स्थिति है हृदय नरायन दीक्षित व अन्य माननीय सदस्यों ने दी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं यदि माननीय सदस्य स्वयं इससे पहले मुझ से मिलकर सारी बातें बता दिये होते तो शायद आज इन्हें यहां पर यह सारी बातें उठाने का मौका ही न आता वह मेरे नेचर से स्वयं वाकिफ हैं और सारी कार्यवाही अब तक हो गयी होती । मुझे मान्यवर बहुत दुख है यह जानकर कि मा0 राम लक्षन जी को वहां के संबंधित बी0 डी0 ओ0 व अन्य अधिकारियों द्वारा तकलीफ पहुंची है , मैं इस मामले पर पूरी संजीदगी के साथ विचार करूंगा ताकि किसी भी प्रकार से इन्हें अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न पहुंचे और वहां के विकास के लिये जो यह योगदान अपने दे सकते हों, वह स्वतन्त्र रूप से दे सकें । इस पर मैं विचार करूंगा और दूसरी बातें तो बाद में करुंगा लेकिन माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि श्री राम लक्षन प्रसाद जी की मदद करना चाहते है हम परन्तु कहीं वह होस्टाईल विटनेस न हो जाये, तो मान्यवर यह मदद क्या करना चाहते थे, मदद में तो कोई इनको इन्ट्रेस्ट था नहीं । मान्यवर यह न होना चाहिये यदि किसी भी तरह की कोई बात कहीं आती है तो 'पालीटिकल इन्ट्रेस्ट' से, एक दूसरे से फायदा उठाने के उद्देश्य से अगर कोई बात होती है, विधायक चाहे किसी भी पक्ष का हो, सब एक हैं और यह कहना कि हम तो इनकी मदद करना चाहते हैं यदि यह 'हास्टाईल विटनेस' न हो जाय अगर यह वायदा करें तो कुछ किया जाय, यह सुनकर मान्यवर मुझे बहुत दुख हुआ इस तरह के 'बैरियर' और 'पार्टीशन' न होने चाहियें और जहां तक राम लक्षन जी की समस्यायों का प्रश्न है , इस ओर माननीय वर्मा जी का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा, लेकिन माननीय राम लक्षन जी की जो समस्यायें हैं, तकलीफें व जो भी कठिनाईयां होंगी उनका निराकरण हम अवश्य करेंगे और पूरी तरह से निराकरण करेंगे और जब तक इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जायेगा और उससे यह संतुष्ट न हो जायेंगे, जब तक हम दूर करते रहेंगे ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब कृपया शांति बनायें, माननीय गोपी नाथ वर्मा जी (व्यवधान) (श्री राम आसरे वर्मा और श्री राम लक्षन के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग बैठ जांय, शांत रहे ।

मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी बकाये की वसूली में बुनकरों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपी नाथ वर्मा---

मान्यवर, कल बुनकरों के संबंध में कार्य स्थगन के प्रस्ताव द्वारा यहां मामला उठाया था, एक घंटे, की चर्चा हुई और उद्योग मंत्री ने बयान दिया कि बुनकरों के प्रति उत्पीड़न की कार्यवाही को समाप्त करेंगे, बकाया वसूली मुख्यालय पर की जायगी और 6 हजार रुपये जो मूलधन बुनकर दे देगा उसका ब्याज माफ कर देंगे, यह घोषणा की गयी थी लेकिन प्रदेश के किसी जिलाधिकारी को आदेश जारी नहीं किया गया । दिनांक 30 मार्च को यही मामला यहां उठाया था तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जानकारी करेंगे

लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसलिये बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है । इसलिये अनुरोध आपसे है कि आप अपने स्तर से आदेश करें कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायगी, बकाया वसूली किश्तों में और मुख्यालय पर की जायेगी और ब्याज माफ किया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पूरे प्रदेश का बुनकर आज पीड़ित है और यहां झूठे अश्वासन दे दिये जाते हैं . . . . ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जांय, आपको नहीं समय दिया है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, गोपी नाथ वर्मा जीने चर्चा की बात कही और मंत्री जी ने घोषणायें की थीं यह कहा है । तो मान्यवर, सरकार की ओर से घोषणायें हुई और उसके बाद आप ने औचित्य का प्रश्न दिया है । मान्यवर, उस समय जो मंत्री जी जवाव दे रहे थे जिसका हवाला दिया है तो उस संबंध में आज ही टैलेक्स जिला मुख्यालयों को चला जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या—3

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर मेरी बात सुन लें । कल मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था । कि आजमगढ़ से सूचना एकत्रित करके माननीय सदस्यों को दे देंगे और यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो सी० आई० डी० जांच की घोषणा करेंगे । मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कहा था कि अमर सेनानी गालिबगंज, राजा जयलाल सिंह आदि के वंशज, जो ग्राम बोड़रा लच्छिरामपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, के घर से दुर्लभ ऐतिहासिक राष्ट्रीय धरोहर के रुप में रखा मंदिर का सिंहासन जो लाखों रुपया का तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये का होगा की चोरी हो जाने के संबंध में यहां कहा था जिसके संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है । इसलिये मान्यवर आप निर्देश शासन को दें कि इस मामले में सी०आई०डी० जांच करे, यह मेरी मांग है ।

श्री अम्मार रिजवी—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने कल कही थी, वह बात आज भी है और उसके अनुसार कार्यवाही होगी । मैंने कहा था कि कल तक सूचना आजमगढ़ से मंगायेंगे और यदि मा० सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हुये तो सी०आई०डी० से जांच इसकी करायेंगे । आज अभी समाप्त नहीं हुआ है, सदन चल रहा है और इससे पहले सूचना नहीं आती है तो सी० आई० डी० जांच के आदेश दे देंगे । तो मान्यवर, इस पर सी० आई० डी० के आदेश दे दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1986–87 एवं वर्ष 1987–88 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन †

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1986–87 एवं वर्ष 1987–88 के कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का वर्ष 1986–87 का प्रतिवेदन (सिविल) प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड (स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1986–87 का प्रतिवेदन (सिविल) प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड (स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता) उत्तर प्रदेश सरकार, को संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखाकार का 1986–87 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का 1986–87 वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार, को संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे 1986–87 एवं विनियोग लेखे 1986–87 उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे 1986–87 एवं विनियोग लेखे 1986–87 उत्तर प्रदेश सरकार, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम रामपुर कुलावल के पास से केन नदी में लिफ्ट पम्प कैनाल बनवाये जाने विषयक श्री सदल प्रसाद, प्रधान आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा––

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम रायपुर कुलावल के पास केन नदी में लिफ्ट पम्प कैनाल बनवाये जाने विषयक सर्वश्री सदल प्रसाद प्रधान, बद्री प्रसाद यादव तथा सरदार का निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

नोट––†छापे नहीं गये ।
††छापी नहीं गयी ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 3 अप्रैल, 1989 को अपनी बैठक में कार्यक्रम के संबंध में निम्नलखित सिफारिशें की है :

1---दिनांक 5 अप्रैल, 1989 को पूर्व निर्धारित सरकारी विधायी कार्य के पश्चात् निम्नलिखित कार्य लिये जांय :---

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसके पारण संबंधी प्रस्ताव (आधा घंटा), तथा

(2) तम्बाकू विरोधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने के लिये विधि बनाये जाने हेतु संसद को प्राधिकृत करने विषयक संकल्प का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर विचार (आधा घंटा) ।

2---दिनांक 6 अप्रैल, 1989 को नियम 56 और 51 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जांय, तथा उस दिन पूर्व निर्धारित कार्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये किये जाने के संकल्प का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर विचार हो (आधा घंटा) ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसका प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी रखा है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेक, 1989 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 ककको पुर:स्थापित करता हूं ।

नोट---† दिनांक 7 अप्रैल, 1989 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष––

आज कार्य-स्थगल के अन्तर्गत 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उसमें से 10 सूचनायें चयनित की गई हैं। पहली सूचना माता प्रसाद पाण्डेय जी को, बस्ती जनपद के डिग्री कालेज के छात्रों पर लाठीचार्ज किये जाने के संबंध में। दूसरी सूचना श्री विजय सिंह राणा, रघुवरदयाल वर्मा, राजेन्द्र सिंह, सुरेश प्रताप सिंह गांधी, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जगवीर सिंह, कुशलपाल सिंह, बदन सिंह, मैनेजर सिंह और दिवाकर विक्रम सिंह जी की सूचना और इसी विषय पर श्री सरदार सिंह जी की भी सूचना है कि आगरा की कांग्रेस रैली में सरकारी धन और शासन के अधिकारियों का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में। तीसरी सूचना बाबूराम यादव जी की सूचना है मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चौथी सूचना श्री मनोहर लाल जी की है। इन्होंने ग्राम-पडरी, जिला उन्नाव में प्राचीन बालेश्वरी मन्दिर के वार्षिक देवी मेले में पुलिस द्वारा महिलाओं से छेड़-छाड़ करने एवं गोली चलाये जाने के संबंध में सूचना दी है। पांचवीं सूचना श्री महेन्द्र भाटी की है। इन्होंने तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के अनेक ग्रामों में हुई ओला वृष्टि से फसल को हुई क्षति के संबंध में सूचना दी है। छठीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की है। इन्होंने बांदा जनपद की तहसील नरैनी में हरिजन भूमिहीनों को भूमि के पट्टे एवं कब्जा न दिये जाने के संबंध में सूचना दी है। सातवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री गोपाल दास यादव, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह की है, इन्होंने शास्त्री पुल तथा काली सड़क रैम्प के नीचे ट्रांसफार्मर जलने से हुई क्षति का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में सूचना दी है। आठवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री किशन लाल की है इन्होंने पीलीभीत व बरली जनपद में दवा विक्रेताओं की तीन दिन से चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। नवीं सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह और श्री मित्र सेन की है इन्होंने विधायक श्री अकबर हुसैन बाबर पर पुलिस की साजिश से गुण्डों द्वारा पुनः हमला किये जाने की आशंका के संबंध में सूचना दी है। दसवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की है जो नानपारा तापीय विद्युत गृह में 24 मार्च, 89 को मजदूरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने तथा धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह––

मान्यवर, मेरे जनपद में हरिजनों की हत्या हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

आपका कल आ गया था अगर सिस्टम गलत होता तो कल भी न आता। सब कार्य नियमों के अनुसार हो रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह--

दो हरिजनों की मेरे जनपद में हत्या हो गई अगर नियमों को शिथिल करके सुन लेंगे तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

सुना जायगा तो सबको सुना जायगा वरना किसी को भी नहीं सुना जायगा ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, देवरिया जनपद में मछरेवां में जो 13 लोगों की हत्या हुई इस संबंध में जो कल मामला उठाया गया था, उसमें आश्वासन दिया गया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो क्या उस पर बयान होगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो उस पर चर्चा होगी ।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय

मान्यवर, जब से सईदुज्जमा जी गृह मंत्री हुए हैं इन्होंने अपने को तो चुस्त-दुरुस्त बना लिया है लेकिन यह अपने विभाग को चुस्त-दुरुस्त नहीं बना पाये हैं । इसका परिणाम यह है कि प्रदेश में पुलिस का राज्य हो गया है । मान्यवर बस्ती जिले में 30 मार्च, को ए0पी0 एन0 डिग्री कालेज के लड़के को कोतवाली में पकड़ कर लाया गया और उसका चालन किया गया । 29 तारीख को किसान डिग्री कालेज के लड़कों को पकड़ा गया इससे लड़के उत्तेजित हो गये और लड़कों ने अपनी बात कहने के लिये, ए0 पी0 एन0 डिग्री कालेज और किसान डिग्री कालेज के लड़के यूनइटेड होकर कलेक्टर के घर जाने को तैयार हुए, जब लड़के इकट्ठे होंगे तो भीड़ तो होगी ही और भीड़ होगी तो रास्ता खुद ब खुद रुक जायगा, तो मान्यवर, इनकी पुलिस वहां पहंची और इनके एस0 डी0 एम0 ने बड़ी बेदर्दी से डंडा पटका, मान्यवर, लड़कों को तो खुद ही जल्दी थी वह परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने डंडा पटका तो सारे लोग कालेज में जाकर छिप गये, पुलिस ने कालेज मे लड़कों को खींचकर मारा और लड़के तो लड़के लड़कियों को भी मारा गया ।

मान्यवर, 151 दफा में 150 लड़कों को गिरफ्तार किया गया । 436 दफा में, अपराधिक धाराओं में बहत से लड़के गिरफ्तार किये गये और 40 लड़कों का चालान किया गया । यह लड़के आन्दोलनरत नहीं थे, पढ़ने के उद्देश्य से ये आये थे । जो भी नौजवान 16–22 साल का मिला चाहे वह किसी रास्ते से गुजर रहा हो उसको खींच खींच कर मारा गया और कोतवाली ले जाया गया । ए0पी0एन0 डिग्री कालेज के प्रेसीडेन्ट उपाध्याय तथा अन्य दो लड़कों को कोतवाली पकड़ कर ले जाया गया और उनकी बुरी तरह से पिटायी की गयी । जब पुलिस मारती थी तो यदि ज्यादा मारती थी तो कहती थी कि इसको मिनिस्टर बनना है, कम मारती थी तो कहती थी इसको एम0 पी0 बनना है और उससे कम मारती थी तो कहती थी कि इसको एम0 एल0 ए0 बनना है । पुलिस की इस रवैये के कारण ए0 पी0 एन0 डिग्री कालेज तथा किसान डिग्री कालेज बन्द है । परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं और आतंक का वातावरण व्याप्त है । लड़के इस बात पर उतर आये हैं कि किसी न किसी तरह से आन्दोलन को तेज करें । आजकल परीक्षा का समय है और पुलिस उत्तेजना फैला रही है और ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे वहां की व्यवस्था और बिगड़ी जायगी । वहां के लड़कों की मांग है कि एस0 डी0 एम0 को वहां से तत्काल हटाया जाय तथा डी0 वाई0 एस0 पी0 को भी वहां से हटाया जाय । उनकी यह भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मांग है कि हमारे कालेज की एक अनुराधा नाम की लड़की जिसको पुलिस ने पकड़ कर पीटा है उसकी उचित जांच की जाय और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा करा दें जिससे यह बेनकाब हो जाएं और बच्चों की परीक्षाएं कायदे से हो सकें।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

माननीय वर, हमारे सम्मानित सदस्य माता प्रसाद जी ने जिस घटना के बारे में कहा है तो हमें खुद छात्रों से हमदर्दी है और यह चाहते हैं कि कोई भी ऐसी किस्म की अव्यवस्था पैदा न हो जिससे छात्रों को दिक्कत हो। इसको हम दिखवा लेंगे और न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। जो आपने बेनकाब होने की बात कही तो हम तो हमेशा बेनकाब रहते हैं। हम देख रहे हैं और जो प्रयास कर सकते हैं करेंगे ताकि जनता को कोई कठिनाई न हो और आप लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी-

माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी घटना बस्ती में हो गयी। अभी बनारस में यही स्थिति थी। पूरे जिले में हड़ताल होने जा रही है। लाठी चार्ज और पुलिस उत्पीड़न के कारण परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं और स्कूल, कालेज बन्द हैं। मंत्री जी ने एक गम्भीर चीज को कितनी आसानी से ले लिया। अगर इस पर कार्यवाही नहीं की गयी तो पूरी बस्ती आग से खेल जायगी। इस पर प्रभावी कार्यवाही कराइये।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे।

*श्री विजय सिंह राणा-

माननीय वर, कल आगरा में कांग्रेस पार्टी की रैली थी। मंच और पण्डाल की व्यवस्था तो यह सरकारी संसाधनों से करा देते हैं लेकिन इससे ऊपर जाकर जिस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और कर्मचारियों ने जिस तरह से बढ़चढ़ कर इस रैली में हिस्सा लिया उससे एक नयी परम्परा पड़ने जा रही है। वहां के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बैठकें की और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो को बुलाया गया और हिदायत दी गयी कि पार्टी के प्रचार के लिए जीपें मोहैया करायी जाय। एस0 पी0 के यहां थानाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गयी कि सभी थानों को निर्देश दे दिया जाय कि उनके इलाके में जितने ट्रैक्टर और ट्रालियां उपलब्ध हैं,वह भेजी जाएं। यही नहीं, थानों की जीप में बैठ कर सरकारी अधिकारी प्रचार करने के लिए जाते थे, थानों और तहसीलों की जीप क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों को जाने के लिए प्रचार के लिए दी गयी। आज सत्ता पक्ष के लोगों को होश नहीं है कि यह परम्परायें टूटेंगी, तो देश का क्या हाल होगा एस0 पी0 ? (आर0 ए0) अपने जीप में बैठ कर पूरे क्षेत्र में घूमता रहा। यह सत्ता पार्टी जब लोकतंत्र के मूल्यों को तोड़ देगी, तो इससे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो जायगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि शासन अपनी गलतियों को जल्दी दूर करने का कष्ट करे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

हमारे संसदीय कार्य मंत्री और राम औतार दीक्षित ये पुरानी परम्पराओं के द्योतक हैं। जो मंत्री सरकारी जीप और सरकारी धन से पेट्रोल और सरकारी टूर अपनी पार्टी की रैली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सफल बनाने में करें और वहां सरकारी टूर के अनुसार भाषण करे और स्वयं भत्ता लें, यह सरकारी धन का दुरुपयोग और लोकतंत्र की मान्य परम्पराओं के विपरीत है और सरकारी धन का खुला दुरुपयोग है और भ्रष्टाचार का द्योतक है। यदि आपकी पार्टी ने उनकी कार का उनकी जीप का और पेट्रोल का पैसा जमा नहीं किया, तो आपको चाहिए कि सीधे-सीधे उनका जवाब तलब करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें और यह पैसा कांग्रेस पार्टी कार्यालय से वसूल होकर सरकारी खजाने में जमा हो। आपके मंत्री जी ने यह आचरण किया, बिना पैसा जमा कराये सरकारी धन का प्रयोग किया और जीप और कार का इस्तेमाल किया, तो यह मंत्रियों के द्वारा आचारण संहिता का खुला उल्लंघन और उसकी अवज्ञा है। डा0 राम मनोहर लोहिया ने इस प्रकार की लोकतंत्र की मान्यताएं स्थापित की है और उनके लिए डा0 लोहिया ने लड़ाई लड़ी है। डा0 लोहिया ने कहा है कि इस प्रकार उल्लंघन को कभी माफ नहीं किया जाय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन मंत्रियों ने इस आचार संहिता को तोड़कर काम दिया है, निश्चित रूप से वह तो आपके मंत्रि-परिषद् के सदस्य रहने योग्य नहीं हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करें और उनको जवाब तलब करें।

आर0 टी0 ओ0 आफिस को आपके यहां से गुप्त आदेश गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसें उपलब्ध करावें, लोगों को ढोने की व्यवस्था करें। हरी पर्वत थाना का थाना सरकारी कांग्रेस कार्यालय में बदल गया। थाने के प्रभारी को कहा गया कि जो थाने के सामने से थ्री व्हीलर गुजरती हैं, उनकी सबको इकट्ठा करा कर कांग्रेस रैली के आदमियों को ढोन में लगावें। ऐसा लग रहा था कि थाना, थाना न होकर यहां कांग्रेस का कन्द्र खुल गया है। पुलिस के वे लोग जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, श्रीमन् वे आपकी पार्टी के प्रचारक कैसे बन गये ? श्रीमन्, एक और महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं, जो बातें राना जी ने कही, उसकी दोहराना नहीं चाहता। क्या आप अपना उत्तर देते समय यह बतायेंगे कि आपकी पार्टी ने वहां आर0 टी0 ओ0 दफ्तर में परमिट का कितना रुपया और रोडवेज विभाग में बसों के लिए कितना रुपया जमा किया ? और यदि रुपया जमा नहीं कराया गया, तो वह बसें कैसे उपलब्ध कराई गयीं ? पिछले साल की रैलियों का आगरा में तो न लाख रुपया बकाया था, वह आज तक जमा नहीं हुआ। तो क्या आप इन सारी बातों की जांच करा कर स्पष्ट उत्तर देंगे ? यह कार्य आपकी पार्टी द्वारा समस्त लोकतांत्रिक परम्पराओं और मान्यताओं की अवहेलना है। आप इन परम्पराओं की स्थापना की कोशिश करें और लोकतंत्र की मर्यादाओं को जीवित रखने के लिए अपनी पार्टी का सरकारी करण न करें। सरकार और पार्टी में जो लोकतांत्रिक भेद है, वह कायम रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। यह बहुत ही लोक महत्व का मसला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अमर चन्द्र--

माननीय, वहां की रैली को देखकर यह बौखला गये हैं और ऐसी बात कह रहे हैं। वहां माननीय, सब लोगों ने अपने अपने साधनों का इस्तेमाल किया है और कोई कार्यकर्ता ने सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया है। लोग खुद अपने ट्रैक्टर आदि से गये हैं।

श्री सरदार सिंह--

माननीय, आपने मेरा नाम पुकारा है और इन्हें क्यों बुलवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

बाद में बोल लेना।

*श्री सरदार सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र पार्टी कार्यकर्ता के बल पर चलती है जनता से चन्दा मांगे जाते है लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने यह निश्चय कर लिया है और यह सरकार के ऊपर और सरकारी तंत्र के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गयी है कोई भी कार्यक्रम हो इनके कार्यकर्ता, इनके विधायक, इनके मंत्री अभियन्ताओं से, इक्साइज वालों से और जितने भी आपके डाक्टर है, सरकारी विभाग हैं उनसे पैसा लेते जब जाकर यह अपनी रैली की व्यवस्था करते हैं आगरा के बारे में माननीय राणा जी और माननीय वर्मा जी ने बता दिया। इसी प्रकार से 8 तारीख में एक रैली मथुरा में होने जा रही है जितने भी इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हैं वह अधिकारियों से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, बसों की व्यवस्था कीजिए इस रैली को सफल बनाये इससे बहुत सा खतरा पैदा हो गया है आप लोग अधिकारियों पर निर्भर हो गये हैं इसलिए अधिकारी भी आपकी इज्जत नहीं करते है क्योंकि आप उनसे बार-बार चन्दा मांगते हैं। उनके मन में बैठ गया है कि कोई भी चुनाव कांग्रेस पार्टी बिना हमारी मदद के नहीं जीत सकती है। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, कल 3 तारीख को जो सत्ता पार्टी की रैली आगरा में हुई उसने पूरी परम्परा को तोड़ करके रख दिया है। अब तक तो यह देखने को मिलता था कि हजारों बसें लगा दी जाती थी लोगों को ढोने के लिए परन्तु इस बार आगरा में जो रैली हुई उसमें जिलाधिकारी आगरा ने और एस0 एस0 पी0आगरा ने और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा दिया और 20 सूत्री कार्यक्रम में भी कहा (व्यवधान) मान्यवर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो दूसरे माननीय सदस्यों ने कह दिया है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। मान्यवर, पूरी सत्ता को झोक देने पर भी इनकी रैली में साढ़े तीन हजार आदमी ही इकट्ठा हो पाये और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको वहां के जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 इस बात को डर दिखा रहे हैं आपने इस रैली में प्रयास नहीं किया है जो छोटे-छोटे कमंचारी हैं वह डरे हुए हैं लेकिन मान्यवर, इनकी रैली तो सफल होगी वहां की जनता की भावना से। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि आज की सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें।

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, आगरा में तो बहुत सफल रैली हुई है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, सारे झूठ का ठेकेदार डा0 साहब को बना दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, जो झूठ का क्षेत्र है उसमें 100 में एक प्रतिशत मेरे पास है और 99 प्रतिशत माननीय राणा जी के पास।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इन्होंने सारे हाउस में रोज झूठ बोलने का ठेका ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

दोनों प्रिन्सिपल हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, राणा जी झूठ बोल रहे हैं इन्होंने कुछ देखा नहीं खुद यहां तशरीफ रखे थे तो क्या इनकी आंख में कोई टेलीवीजन लगा था जो देखते रहे ?

श्री उपाध्यक्ष—

राणा जी के सहयोगी गये होंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, हरी पर्वत चौराहे पर मैं खुद देखकर आया था चारों तरफ बैनर और झण्डे लगे हुए थे और वहां पर पुलिस कर्मचारी खुद काम कर रहे थे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो भी रैली होती है और जितनी कांग्रेस पार्टी ने रैली की हैं उसमें जनता का सहयोग रहा है, योगदान रहा है उस योगदान को देख कर और जनता के जनसमूह को देखकर इनका घबरा जाना स्वाभाविक बात है । इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है । मान्यवर, किसी प्रकार का चन्दा या दुरुपयोग की बात नहीं की गयी । पुलिस के बारे में कहा गया कि जीपें दौड़ रही थीं, थानेदार, दरोगा, डिप्टी एस0 पी0 दौड़ रहे थे, तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर लोग आते हैं, मेला लगता हो, कोई मीटिंग हो, किसी भी पार्टी की मीटिंग हो, पुलिस वहां व्यवस्था करेगी और वहां भी जीपें दौड़ती दिखाई पड़ेंगी, तो क्या इससे यह समझ लिया जायगा कि आपको सहयोग दे रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकारी गाड़ियों में बैठकर प्रचार कर रहे थे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पुलिस द्वारा वहां की सारी व्यवस्था शान्ति-व्यवस्था, ला एण्ड आर्डर के लिए ड्यूटी के हिसाब से, जो करनी पड़ती है, कर रही थी । किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया गया । आपने बताया कि बसों के जरिए से आदमी लाए और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी में लाए, तो क्या हवालात पहुंचाना था जो लाए ? लोग आए, काफी लोग जमा हुए, उससे ये घबरा गये थे, और कोई बात नहीं है । मा0 सरदार सिंह ने कहा कि 5 लाख रुपये की घोषणा की गयी कि मथुरा में दिये जायेंगे, मान्यवर, 80 लाख रुपये दिये जाते तो हमने कुछ नहीं कहा, और घोषणा पांच लाख रुपये की की जाती है तो ये परेशान हो जाते हैं । आप स्वयं बतावें कि यह कहां से कार्य स्थगन में आता है । यह कहा गया कि बसों के आदेश किये गये, किसी प्रकार का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या यहां के द्वारा कोई गुप्त आदेश, सीक्रेट आदेश, ऐसा कोई भी गुप्त आदेश नहीं है जिसका दर्शन मा0 राणा जी ने न किया हो, कितने गुप्त आदेशों का दर्शन किया है, आपके पास कोई प्रतिलिपि हो तो भेज दें तो हम स्वीकार कर लेंगे । यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता । न साधनों का दुरूपयोग किया गया है । मा0 रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा कि जो मंत्रीगण वहां गये थे उनको सरकारी साधनों से भत्ता नहीं लेना चाहिए । कल रैली थी, आज रिफंड की कोई बात नहीं होती है । कोई पालिटिकल पार्टी हो, उसकी रैली हो तो मंत्री या सरकारी व्यक्ति को सरकारी दौरा नहीं बनाना चाहिए । मा0 मंत्री, जो उसमें थे, सरकारी दौरा नहीं मनायेंगे, न इस प्रकार का बिल दिया जायगा । इसलिये इसको कार्य स्थगन के रूप में लाया जाना उचित नहीं है ।

श्री मूल चन्द्र—

मान्यवर, यदुनाथ सिंह जी को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

*श्री बाबू राम यादव---

मान्यवर, मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में पिछले 4 माह पहले 230 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों यानी चपरासियों की नियुक्ति की गयी थी। मेरी निश्चित जानकारी है कि उन लोगों से जो बहुत गरीब तबके के लोग थे, मजदूर और किसानों के लड़के थे, उनसे 15-15 हजार रुपये रिश्वत के लिये गये। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे बिना रिश्वत लिये सिफारिश पर नियुक्ति कर दी गयी होगी। इनसे नवम्बर, दिसम्बर से आज तक नियुक्ति पर काम करते चले आ रहे हैं। इनमें 230 चपरासियों को एक साथ एक कलम से हटा दिया गया। यह उत्तर प्रदेश में अपने प्रकार की एक अजीब तरह की पहली घटना है। कई जगह रिश्वत लेकर नियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन इनको झूठी तरह से नौकरी दी गयी और उन गरीबों का, मजदूरों और किसानों के लड़कों का 28 लाख रुपया ले लिया गया और उनसे चार महीने काम कराकर बिना पैसों का भुगतान किये सारे के सारे लोगों का एक साथ हटा दिया गया। मान्यवर, बहुत ही गम्भीर मामला है। सारे जिले में एक भूचाल सा आया हुआ है। जो गरीब परिवार के लोग थे, खेत गिरवी रख दिये, अपने मकान गिरवी रख दिये थे। मेरी निश्चित जानकारी में ऐसे तमाम लड़के हैं जिन्होंने अपने मकान गिरवी रखकर, रुपया दिया था। सारे के सारे लोग नौकरी से निकाल दिये गये। उनको न तनख्वाह दी गयी, 4-4 महीने तक काम किया। इस मामले को मान्यवर बहुत ही गम्भीरता से लिया जाय। माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत बुजुर्ग हैं, शिक्षित हैं, उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, अक्षम हैं, उनके इस विभाग में होने से शिक्षा विभाग का सत्यानाश हो गया है। यह इनके बस का है नहीं। मान्यवर, यह पहला मामला है उत्तर प्रदेश में कि रिश्वत ले ली जाय और नौकरी से निकाल दिया जाय, नौकरी न दी जाय। रिश्वत लेकर नौकरियां दिलाना यह कांग्रेसी रोजाना करते हैं। यह विभाग की बात है, इसकी उच्चस्तरीय जांच हो। अधिकारियों ने रिश्वत ली है, 28 लाख रु० लूटे हैं। अपराधिक मामला दर्ज हो। शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा विभाग उनके बस का नहीं है। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, पद से इस्तीफा दें। नाती पोतों को खिलायें। इसी में उत्तर प्रदेश की भलाई है, शिक्षा विभाग की भलाई है।

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

मान्यवर, शिकायतें आयी थीं उस विषय में कार्यवाही की गयी। जहां तक भ्रष्टाचार दूर करने का सम्बन्ध है, उसमें हमारा शासन पूर्णतया: कटिबद्ध है। जहां भी ऐसी शिकायतें हैं रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार की, उस सम्बन्ध में हमारा विभाग पूरी तरीके से कटिबद्ध होकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है। आपने बात कही, अन्य श्रोतों से शिकायतें आयी हैं, उनके सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि इस सबन्ध में पूरे तरीके से गम्भीरता से इस विषय को लिया जा रहा है एवं जो उप विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी हैं, उनके सम्बन्ध में जो शिकायतें आयी हैं, उनको आरोप-पत्र दिया गया है। उनको निलम्बित भी कर दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच अभी तक जारी है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर विश्वास दिलाना चहती हूं माननीय सदस्य महोदय को इस सम्बन्ध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है। आपको इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बाबूराम यादव--

जो 28 लाख रु0 दिये गये उसका क्या होगा ? 4 महीने जो काम किया उसकी आप घोषणा कर दें कि 4 महीने की तनख्वाह उनको दे दी जायेगी । 4 महीने जो उन्होंने काम किया है उसकी मजदूरी दे दी जायगी, इसकी घोषणा करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

4 महीने जो काम किया है उन्होंने किया है उसकी तनख्वाह मिलने की बात वह कह रहे हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, शिक्षा निदेशक के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच हो रही है । जांच समाप्त होने पर, आख्या आयेगी, तुरन्त उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बाबू राम यादव--

जांच न खाने की है न पीने की है जांच का क्या करेंगे आप 4 महीने की तनख्वाह की घोषणा कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

जांच के बाद ही कहा जा सकता है बाबू राम जी, पहले कौन कह देगा ?

* श्री मनोहर लाल--

गृह मंत्री सुशीला जी कानपुर से आयीं हैं, उन्नाव में गोपीनाथ दीक्षित जी बैठे हुए हैं उन्नाव की जनता की सुरक्षा नहीं हो सकती है । खासतौर से जब गोपीनाथ दीक्षित जी गृह मंत्री थे, तो दशहरे के मेले में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था । मैंने मामला विधान सभा में उठाया था । उस पर सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश हुए थे, गोपीनाथ दीक्षित जी अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके चहेते एस0 पी0 राजीव उन्नाव में है, आज तक वह उठ नहीं पाया है । अभी 2/3 अप्रैल की रात को थाना अचलगंज के एस0 ओ0 जो गोपीनाथ दीक्षित जी के चहेते हैं, पडरी गांव के बालेश्वरी मन्दिर में मेला हुआ था, बहुत बड़ा मेला है उस मेले के अन्दर पुलिस के लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की जब लोगों ने मना किया तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी । फायरिंग इतनी जबरदस्त कर दी कि 100 लोग घायल हुए । कोई कार्यवाही नहीं हुई । न तो रिपोर्ट दर्ज की गयी । इसी तरह से थाना माखी के अन्तर्गत, गोपीनाथ दीक्षित जी का चहेता दरोगा मौजूद है, डा0 पाण्डेय ने एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया । 363/366/376 की रिपोर्ट दर्ज की गयी । गोपीनाथ दीक्षित के लड़के की वहज से यह सब वहां हो रहा है और जिस पाण्डे ने बलात्कार किया था, इनकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं की गयी । मान्यवर, मैं बताने को तो और अभी बहुत सी घटनाएं बता सकता हूं, लेकिन मेरी तबियत ठीक नहीं है, इसलिये मैं

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, असत्य बोलते-बोलते इनका दिल कमजोर हो गया है ।

श्री मनोहर लाल--

[x x x x x x x x]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--(x x x)यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में यह बहुत असंसदीय बात हो गयी, इसे कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, निकलवा देंगे । मनोहर लाल जी आप बैठें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उन्नाव के अन्दर तो एस 0पी 0 राजीव हैं, जिसे गोपीनाथ दीक्षित ने अपने गृह मंत्रित्वकाल में 5 लाख रुपये लेकर तैनात किया था, उसके कृत्यों की वजह से आज पूरे उन्नाव जनपद में नागरिकों के अन्दर रोष एवं क्षोभ व्याप्त है और किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि आज की सारी कार्यवाही रोककर इस गम्भीर मामले पर चर्चा कराई जाय और जो एस 0 ओ 0, एस 0 पी 0 वहां मौजूद हैं, उनको हटाने की कार्यवाही का आश्वासन आज मिलना चाहिये ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य मनोहर लाल जी ने कम से कम 20 बार मेरा नाम लिया, इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं । लेकिन इनकी सब बातों का खुलिस्ताना विरोध करता हूं । इस तरह की बातें यह पहले भी सदन में कह चुके हैं । अगर यह इन आरोपों को साबित कर दें, तो जो दण्ड आप मुनासिब समझें, उसे मैं स्वीकार करूंगा । मान्यवर, मेरे चहेत सारे उन्नाव में हैं, मेरे चहेते सारे सूबे में हैं और मेरे चहेते मनोहर लाल जी भी हैं, उसका क्या इन्तजाम हो सकता है ?

(बीच में श्री यदुनाथ सिंह, श्री शारदानन्द अंचल व कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, मैं विचार कर लूंगा ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मिर्जापुर में दो गरीब लोगों की हत्यायें हुयी हैं । अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे वहां रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझ नहीं पाया हूं, आपकी बात को, अभी आप बैठिये । पहले एक बात समाप्त हो जाने दें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, गोपी नाथ दीक्षित ने अपने चहेतों के बारे में लिस्ट बतायी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ दिया । मान्यवर, नेकचन्द्र पाण्डेय, भगवान दीन कुशवाहा उनके चहेते भी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा--

मान्यवर, यह तो [x x] है और इन्होंने एक [x x] । इनके पीठ पर घाव हैं, आप इनके कपड़े उतारकर देख लीजिये, चाकू के घाव हैं ।

नोट- -[x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशा सार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरे बारे में निर्णय क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई चर्चा हो नहीं सकती, वक्तव्य हो नहीं सकता ।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, इस मामले में जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, गोपीनाथ दीक्षित अपने को पेश कर दें और आई0 जी0 से जांच करवा लीजिये, इनके बारे में और इनके लड़के के बारे में । अगर बातें सही पाई जाये तो यह इस्तीफा दे दें और नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । आप सी0 आई0 डी0 से इसकी जांच करवा लीजिये । मैं अभी लिखकर आपको दिये दे रहा हूं ।

(श्री मनोहर लाल एवं श्री नेक चन्द्र पाण्डेयजी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मनोहर लाल जी आप जो बोल हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मनोहर लाल--

[x x x]

*श्री महेन्द्र भाटी--

मान्यवर, दादरी तहसील जिला गाजियाबाद के कुछ गांवों में पिछले 3 साल से लगातार ओला पड़ रहा है और आज तक यहां पर कोई सहायता नहीं दी गई । मैंने पिछली बार भी यह प्रश्न उठाया था और उससे पहले भी यह प्रश्न उठाया था । इस बार भी वहां जौ, मटर और सरसों की फसल नष्ट हो गई है तथा गेहूं की फसल 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुई है । पिछले साह भी इन्होंने वायदा किया था, परन्तु आज तक कोई अहेतुक सहायता नहीं दी गई है । खेतिहर मजदूरों को कोई रोजगार के साधन नहीं है । किसान का सब कुछ नुकसान हो गया है । इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां पर कोई विशेष सहायता उपलब्ध कराने की कृपा करें । 25-30 गांव हैं, जहां पर एकदम फसल नष्ट हो गई है । इनमें कचेड़ा, कल्दा, सादीपुर, छिड़ौली, आकिलपुर, प्यावली, जतवापुर, पहाड़ी, रानौली, लतीफपुर, जास्या, वीरपुरा, कलौदा, छौलस तथा लुहरली आदि में गांव हैं । मैं पुनः मांग करता हूं कि इन गांवों में लोगों को खेतिहर मजदूरों को व किसानों को आर्थिक सहायता तुरन्त दी जाय ।

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)--

मान्यवर, हाट लाईन पर जिलाधिकारी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु बात नहीं हो सकी । नोटिस दी गई है, इसकी जांच कराई जायेगी और आपदा राहत के अनुसार सहायता दी जायेगी ।

(श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी आपका पेयजल के संकट के बारे में है, कल इस पर चर्चा लगी हुई है, इसलिये उसमें आपके इस मामले को भी जोड़ दिया जायेगा । श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी आप क्या चाहते हैं ?

नोट :-- [x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय, पहले आप दो मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है । आप यदि जांच कराने के लिये कहें तो, वह बतायें ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय, सरकार का ध्यानाकर्षण करा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, ध्यानाकर्षण करा दिया गया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय, इलाहाबाद में विद्युत विभाग ट्रान्सफारमर से आग लग जाने के कारण 30-35 झोपड़ी व दुकानें नष्ट हो गई हैं उनका सब कुछ स्वाहा हो गया । इनके लिये राहत देने की घोषणा यहां पर राजस्व मंत्री करें । मेरे परिवार का सब कुछ जल गया है, उनके पास खाने को कुछ नहीं रह गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री जी इलाहाबाद में जो आग लग गई है, वहां पर राहत का काम देने की बात है ।

श्री [illegible]

मेरी कुछ सूचनाएं हैं, जो यदि [illegible] तो अच्छा हो ।

(श्री मित्रसेन द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मित्रसेन--

मेरी जो कार्यस्थगन की सूचना है, वह बाबत जो माननीय सदस्य हैं उनके [illegible] पिछले साल 10 तारीख को नवम्बर में हमला हुआ था । नामजद रिपोर्ट हुई थी गिरफ्तारी के बाद अभियन्ता पर [illegible] लगाया गया था जो अपराधिक चरित्र था उसको छिपा लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करें ।

श्री मित्रसेन--

हमारा निवेदन यह है कि उनके ऊपर हमला कराने में रिपोर्ट में ही दर्शाया गया है कि पुलिस कोतवाल और एस0 आई0 का हाथ है । उसके जरिये फिर हमला कराने की [illegible]

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस पर क्या कार्यवाही चाहते हैं, किस चीज में इन्ट्रेस्टेड हैं ?

श्री मित्रसेन—

अपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को एन0एस0ए0 में बन्द कराइए, एस0 आई0 को हटा दीजिये। उन पांच आदमियों पर 60–60 अपराधिक मुकदमें हैं। जिसे छिपाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, दो हरिजनों की हत्या हुई। मरते तो 61 लोग मर जाते, ये बिचारे, चमार जाति के होते हैं, पकरही जमालपुर थाने में.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

चाहते क्या हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह—

इनके पट्टे को महफूज करवाइए। जो दो हरिजन मर गये हैं उनको 20–20 हजार रुपये की रकम दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

(मा0 संसदीय कार्य मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)

जो दो हरिजन मर गये हैं, उनको राहत दिलवा दीजिये।

श्री अम्मार रिजवी—

आपने मुझे निर्देशित किया है और माननीय यदुनाथ जी ने ध्यान आकर्षित किया है, जिस प्रकार से जो मानक हैं मुआवजा देने के उस हिसाब से अगर ये आते हैं तो इनको भी 20–20 हजार रुपये दे दिये जायेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मैंने माननीय सदस्य बाबर जी के ऊपर प्राणघातक हमले की बात उठायी है। इस तरह से आप करेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब तो उनको देना है। मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

(मा0 संसदीय कार्य मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)

मा0 सदस्य अकबर हुसैन बाबर का मामला है, इसको दिखवा लीजियेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

ठीक है ; मान्यवर।

श्री मित्रसेन—

इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, बाबर भाई पर एक एस0 आई0 साजिश करके हमला करवाता है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह तो दिया कि देख लीजियेगा ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मा0 अकबर हुसैन बाबर पर हमला हो चुका है । वह दरोगा जहां पर मौजूद है । मान्यवर यह मामला मा0 सदस्य अकबर हुसैन बाबर से संबंधित सुरक्षा का मामला है । वह एस0 आई0 एम0 बी0 सिंह थाना अकबरपुर तमाम हरकतें कर चुका है जिससे साबित है कि वह उन्हें मार डालना चाहता है । यह सरकार उस एक एस0 आई0 को हटा नहीं सकती है । जब कुछ हो जायेगा तो सदन में खाली कंडोलेन्सेज ही क्या किये जायेंगे ? जिस गैर-जिम्मेदाराना तरीके से सरकार कार्य कर रही है इससे मान्यवर, बहुत ही असन्तोष है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह मा0 अकबर हुसैन बाबर का मामला है, उनकी सुरक्षा की बात है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी और इसकी पूरी तत्परता से जांच की जायेगी । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य और कुछ कहना चाहते हों तो वह मुझे बतला सकते हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, वहां के लाइसेन्स तो बहाल कर दें ताकि हड़ताल खुल जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिये, यह हो चुका है । माननीय गोपी नाथ वर्मा की सूचना पर सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस मद संख्या 16 पर सत्ता पक्ष की तरफ से कौन बोल रहा है, वह बोले ?

(सत्ता पक्ष से इस मद पर पहले बोलने के लिये कोई खड़ा नहीं हुआ ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप लोगों से बोलने के लिये कहा जा रहा है ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

विधान पुस्तकालय में रखी भारतीय संविधान की फोटोलिथो प्रति में स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी के कथित हस्ताक्षर के संबंध में श्री शतरुद्र प्रकाश तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

जरा एक मिनट रुकिये । पहले मैं एक निर्णय सुना दूं कि विधान पुस्तकालय में रखी भारतीय संविधान की फोटोलिथो प्रति में स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के कथित हस्ताक्षर के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 1988 को श्री शतरुद्र प्रकाश तथा कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न, जिसके बारे में निर्णय सुरक्षित रखा गया था, पर अब माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय ले लिया गया है ।

उक्त औचित्य के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा। निर्णय इस प्रकार है--

"विधान पुस्तकालय में रखी भारतीय संविधान की फोटोलिथो प्रति में स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के कथित हस्ताक्षर के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 1988 को श्री शतरुद्र प्रकाश तथा कतिपय अन्य सदस्यों ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया था। भारतीय संविधान की फोटोलिथो प्रतियां केन्द्र द्वारा तैयार कराई गयी थीं। उत्तर प्रदेश विधान पुस्तकालय में उक्त प्रति अप्रैल, 1956 में प्राप्त हुई थी जैसा कि उस पर लगी हुई मुहर से जाहिर है। संसद पुस्तकालय तथा अन्य पुस्तकालयों में जो प्रतियां रखी हैं उसके अन्तिम पृष्ठ पर केवल 5 महानुभावों के हस्ताक्षर अंकित हैं किन्तु विधान पुस्तकालय में रखी हुई प्रति में उक्त पांच हस्ताक्षरों के उपरान्त एक रेखा खींची गयी है और उक्त रेखा के नीचे दो अन्य हस्ताक्षर भी अंकित हैं।

हमारे पुस्तकालय में उक्त दो हस्ताक्षर कब किये गये और किसके द्वारा किये गये, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इसकी अग्रेतर जांच की आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती। इन दोनों हस्ताक्षरों की जैन्यता भी संदिग्ध प्रतीत होती है।

वर्णित परिस्थितियों में यह समीचीन होगा कि लोक सभा से संविधान की फोटोलिथो प्रति की अतिरिक्त प्रतियां यथासम्भव शीघ्र मंगा ली जाय और प्रश्नगत प्रति को प्रचलन से बाहर रखा जाय।"

राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्चस्तर का है के सम्पूर्ण कार्य-कलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प -(क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी, अब आप बोलिये।

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो माननीय तिवारी जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, यह अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सुबह ही औचित्य के मामले पर यहां सदन में ऐसा ही एक मामला आया था। प्रतिदिन करोड़ों रुपयों का घोटाला, किसी विभाग के द्वारा लाखों रुपयों का घोटाला, रोज यहां पर घोटालों के मामले नियम 300 के अन्तर्गत, नियम 56 के अन्तर्गत आते हैं और अखबारों में भी प्रति दिन ऐसे ही मामले छपते हैं कि यह घटना घट रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है इस प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारियों के द्वारा अपने निजी उपयोग में खर्च किया जा रहा है। आप देख लें चाहे जिस अधिकारी को, जिस किसी भी इस तरह के आदमी को कि जितना पैसा उनको अपने वेतन से मिलता है, उस पैसे में, उनकी तनख्वाह में उनका जीवन-स्तर कैसा हो सकता है, कैसा उसमें वह अपना जीवन-स्तर रख सकता है? या जो वर्तमान समय में उनका जीवन-स्तर है, वह कितने रुपयों में उसे रख सकते हैं। इन सब बातों का अनुमान लगाना कठिन है। हिन्दुस्तान में बिहार का ही ऐसा नाम था ऐसे मामले में, लेकिन मैं सरकार से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का इस समय हिन्दुस्तान में पहला नम्बर पूरे भ्रष्टाचार के मामले में है। एक बी0डी0ओ0 जिसका जीवन-स्तर ऐसा नहीं है कि वह उस तरह की उपभोग वस्तुओं का उपयोग कर सके, आप जरा जाकर देखिये।

---

†दिनांक 17-2-1989 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप जाकर जरा देखिए कि छोटे-छोटे जन प्रतिनिधियों जो जनता से चुनकर आते हैं वह हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाय और जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और हमेशा इस बात के लिए चिन्तित रहते हैं, लेकिन जनता का जीवन स्तर आजादी होने के बाद से यदि देखा जाए तो इतना नहीं ऊपर को उठा है, जितना उठना चाहिए; लेकिन आजादी के बाद इन नौकरशाहों का जीवन स्तर इतना ऊपर उठा है, जिसका कोई हद-ब-हिसाब नहीं। अभी इसी प्रकार का एक मामला मान्यवर औचित्य के रूप में हम लोग लाए थे कि 63 सार्वजनिक उपक्रम निगमों के गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने लाभ कमाने की दृष्टि से किए थे और आज श्रीमन् इनमें हो क्या रहा है आज श्रीमन् प्रति दिन के हिसाब से इन उपक्रमों में 1 लाख 85 हजार रुपयों का घाटा हो रहा है और यह घाटा क्यों हो रहा है श्रीमन्, हालांकि उसमें काम तो बराबर ही हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है और उत्पादित चीजों की बिक्री भी खूब हो रही है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार एक ऐसा काम है, जिसके कारण यह सारे सार्वजनिक उपक्रम 63 के 63 घाटा दे रहे हैं क्योंकि उस पर खर्चे में कहीं पर कोई रोक नहीं है। उनका आफिस यदि जा कर देखिए, यदि एक छोटा सा भी अधिकारी उसके आफिस को देखिए, उसके घर को देखिए कि लाखों रुपयों का सामान मिलेगा उस छोटे से आफिस में और उसके घर में, उसका आफिस भी एयर कण्डीशन होगा, कारपेट होगा फ्रिज होगा, अच्छी-अच्छी कुर्सियां व सोफासेट होंगे तो इस भ्रष्टाचार द्वारा अय्याशी वाले सारे सामान उनके मास मौजूद होंगे।

इसी की दूसरी तरफ यदि आप देखें कि एक आदमी अपने खेतों में रातदिन काम करता है तो उसको शाम को भर-पेट भोजन नहीं मिलता है और वह अपने लड़के व लड़कियों को पढ़ा लिखा भी नहीं सकता है और अपने बेटे-बेटियों की शादी करने में भी वह अक्षम है और इसी की दूसरी तरफ पैसों का दुरुपयोग करने वाले लोग कैसे-कैसे पैसे का दुरुपयोग करते हैं कि उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कोई काम नहीं होते हैं। इसलिए माननीय तिवारी जी यह संकल्प लाए हैं ताकि इस पर सदन के अन्दर हर तरह से विचार-विमर्श करके इस पर रोक लगाया जाना चाहिए कि प्रदेश में किसी भी तरह से धन का दुरुपयोग न हो और यदि इस पर रोक न लगाई गयी तो प्रदेश के विकास के लिए जब पैसा ही नहीं रहेगा तो इसका विकास कैसे होगा? अब सरकार की हालत यह हो गयी है कि कई विभागों में तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है, वह अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसी विभाग के कुछ लोक आज भी इतने पैसेका घोटाला कर रहे हैं कि वह बहुत से कार्य व खरीदारी अंट-संट कर रहे हैं और इन पर कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। बल्कि इस तरह के लोग जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करने की पाबन्दी आदी हो गये हैं, उनका मात्र यही उद्देश्य ही बन गया है।

अभी मान्यवर, एक मामला खनिज निगम का आया था, जहां पर करोड़ों रुपयों के घोटाले का मामला है, सरकार के पास अब कोई उपाय नहीं है कि इन पर कुछ अंकुश किसी प्रकार का लगा सकें, बल्कि माननीय खान गुफरान जाहिदी साहब जहां पर आप बैठे हैं, वहीं पर विराजमान थे, इस मामले को सुनकर सदन को सूचना दी कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कुछ न कहा जाए तो क्या मान्यवर जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो, उस पर हम कोई विचार ही नहीं कर सकेंगे। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा यूंही खर्च हो रहा हो और इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए कि न्यायालय में विचाराधीन है। अभी एक मामला इसी प्रकार का परसों ही उठाया गया कि हिन्दुस्तान और चीन की सीमाओं के नक्शों पर करोड़ों रु0 लेकर विदेशों के हाथ में एक अधिकारी द्वारा बेच दिया गया, यह मामला अभी तीन दिन पहले यहां पर उठाया गया था परन्तु आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है और न ही उस अधिकारी को आज तक पकड़ा गया और न ही उसे जेल भेजा गया। तो मान्यवर, इस तरह की अनेक घटनायें हो रही

हैं। तो जो भी नौकरशाही आज इन सार्वजनिक उपक्रमों में है चाहे वह डायरेक्टर हो, एम0 डी0 हो, या इससे कम स्तर का हो इनको जो तनख्वाह मिलती है उससे उनके पास यदि 100 गुना अधिक पैसा न हो तो तिवारी जी की ओर से मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि फिर यह संकल्प वापस हो जायेगा। लेकिन यह बात हैं कि सरकार में दम नहीं है। इस सरकार ने नौकरशाही के सामने घुटने टेक दिए हैं।

इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, इसी सदन में गृह मंत्री का बयान आया था और उस (इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौशिक रमा शंकर पीठासीन हुए) समय उन्होंने कहा था कि पुलिस महानिदेशक से हम आग्रह करेंगे। तो मंत्रिमण्डल के सदस्य अपने नौकरशाह से आग्रह करेगा, निवेदन करेगा तो किस प्रकार से काम चलेगा और जब इस प्रकार का कार्य वह करेगा तो नौकरशाही का जो भ्रष्टाचार है, उसको वह किस प्रकार से रोक पायेंगे और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक नहीं करेंगे, तब तक गरीब जनता का पैसा यह लोग लूट ले जायेंगे और सरकार का पैसा उनकी जेब में चला जायेगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, जनता के विकास की बात है और उसकी रोजी-रोटी का सवाल है। अगर हम यह मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क बननी चाहिये, अस्पताल बनना चाहिये, स्कूल खुलना चाहिये, तो सरकार कह देती है कि पैसा नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है और दूसरी ओर नौकरशाहों को लूटने लूटने के लिए पूरी छूट है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार क्यों उनके सामने घुटने टेक रही है ? वह भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको भी चुनकर यहां भेजा है और जनता ने हमको भी भेजा है और इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जाये। हमारा और आपका दायित्व है कि यह देखें कि जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा बेकार न जाये, अच्छे कामों में खच हो और यह संकल्प लें और जो संकल्प तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है, उसको पास करावें और यह तय करें कि भ्रष्ट अधिकारियों को जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने नहीं देंगे। सार्वजनिक हितों का जो पैसा है वह निजी हितों में न जाये। इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

(श्री लाल प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

आप खड़े हैं, आप तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करें अगर आप जनता का प्रतिनिधि मानते हैं जिन आदमियों को, जिन अफसरों को जितना वेतन मिलता है, वह उसी की परिधि में रहे। जिन अधिकारियों ने अधिक पैसा लूट लिया है, उनसे उस पैसे को वापस लिया जाये और अगर वह पैसा नहीं वापस करता है, तो उसको उस पद से पदच्युत कर दें।

*परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय तिवारी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने बहुत ही गम्भीरता के साथ अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं और उनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया है और बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। इस अवसर पर मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो विचार सदस्यों ने व्यक्त किये हैं वह ऐसे विचार हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है और समाज के किसी स्तर पर अगर भ्रष्टाचार सिर उठा रहा है, तो उसको कुचल दिया जाये। हमें आजाद हुए 40 वर्ष हो गये हैं, और अगर इस प्रकार की चीज हो रही है, जो उसको समाप्त करना निश्चित रूप से बहुत जरूरी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्यों ने जो विचार किये हैं उनमें तर्क भी है, सत्यता भी है और भावनायें भी हैं। लेकिन अगर मैं इस बात पर कहूं तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आज आवश्यकता नियमों को बनाने की ही नहीं है बल्कि उससे कहीं बड़ी आवश्यकता है कि जो नियम बने हुए हैं उनका पालन हो। मान्यवर, जब हम कोई नये नियम बनायें या नया आयोग बनायें तो पहले एक बार आप नजर डालें उन नियमों पर, उन सूत्रों पर या उन निवारणों पर जो मौजूद तो हैं लेकिन जिनका पालन किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है। मैं इस सम्मानित सदन और खास तौर से सम्मानित तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि वे एक ऐसे सम्मानित सदस्य हैं जो व्यवसाय से भी वकील हैं वे पूरी तरह से हमारे कुछ बिन्दुओं पर सहमत होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आज नये नियम और नया आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आज आवश्यकता एक जन आन्दोलन की है,एक जन सहयोग की है और उस आन्दोलन के रूप में समस्त जनता को और सरकार को जागृत होना पड़ेगा और उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके चेहरे पर पड़े नकाब हटाना पड़ेगा और उन्हें जनता की अदालत में खड़ा करना पड़ेगा और हमें पहल न करनी पड़े। मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम नये नियम, कानून और नया आयोग बनायें बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि जो नियम बने हुए हैं उसमें उनका सहयोग हो और उनका कड़ाई से पालन हो। मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा।

जो आज का मौजूदा कानून है वह पूरी तरह से सक्षम है, परिपूर्ण है। उन सभी अवगुणों पर, उन सभी कुकर्मों पर अंकुश लगाने की बात है जिससे इसमें कमी आयी है और जो जनआन्दोलन के रूप में नहीं चलते हैं। जैसे अगर कोई कमाई कर रहा है तो उसे गिरफ्त में लेना पूरी तरह से सरकार पर छोड़ा जायेगा तो निश्चित रूप से हम अपने इस मकसद पर खरे नहीं उतर सकते। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आज इस सम्मानित सदन में ऐसा संकल्प आये कि जो हमारे जन सेवक हैं, जो स्वयं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो धरती का कानून है उनका कड़ाई से पालन करने के लिये लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिनको देखने से पता लगता है कि वे भ्रष्टाचार की गंगा में नहा कर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सहयोग दें। तभी इस समस्या का निदान किया जा सकता है। आप आयोग बनायेंगे तो उसमें किसे रखेंगे। इसी धरती के लोगों को तो रखेंगे। उनका क्या स्तर होगा? उसमें वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ लोक सेवक या न्यायाधीश को रखेंगे। जो आयोग बने हुए हैं क्या उनमें यह नहीं हैं। अगर हैं तो कहां मुमानियत है, कहां रोक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सही समय पर ऐसे मामले नहीं उठाये जाते जो पैरवी के अभाव में दम तोड़ देते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं।

मैं सतर्कता आयोग के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। सभी लोक इसकी तरफ निष्ठा एवं विश्सास रखते हैं। उसके सदस्य कौन हैं। वही आई0 ए0 एस0 या वरिष्ठ अधिकारी इसको दो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी होता है और वह भी आई0 ए0 एस0 का होता है। यही नहीं। उसमें न्यायिक सेवा के भी दो अधिकारी होते हैं। अगर जुडिशियरी के प्रति हमारा सम्मान नहीं है तो उसके लिए हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस सतर्कता आयोग में एक तरफ हमारे प्रशासनिक अधिकारी और बड़े अधिकारी हैं और दूसरी तरफ इसमें न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं जो न्यायिक सेवा में रहते हुए गलत कार्य करने वाले को कत्ल करने वाले को फांसी की सजा सुनाते हैं। उनकी सेवायें इसमें ली गयी हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि सतर्कता आयोग कैसे लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं कर सकता है और कैसे भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है? अगर इसमें कहीं कमी है कोई

कुव्यवस्था है तो वह हमारी कमी है, हमारे जन प्रतिनिधियों की कमी है, जन जागृति की कमी है इसी तरह से प्रशासनिक अधिकरण की जिम्मेदारी यही है कि वह देखें कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अगर दुराचार के मामले हैं तो वह उन्हें दण्ड देने की संस्तुति करें। तो मैं नहीं समझता हूं कि इन संगठनों के रहते हुये जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं कोई और संगठन बनाया जाय जिसके लिये यह संकल्प लाये हैं। अगर कोई आयोग बनेगा भी तो उसमें भी यही अधिकारी होंगे। संगठन कोई बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि जो हमारे नियम बने हैं उनको कड़ाई से लागू करने का सवाल है।

यहां पर मैं सतर्कता अधिष्ठान का जिक्र करना भी अपना कर्तव्य समझता हूं। सतर्कता अधिष्ठान ने बहुत से मामलों में गम्भीरता के साथ, पूरी दक्षता के साथ काम किया है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। इसके गठन की प्रक्रिया को भी आप देखें। इसमें पुलिस महानिदेशक स्तर का, डी0 जी0 स्तर का अधिकारी इसका निदेशक होता है। डी0 जी0 जो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिम्मेदार होता है जो अपहरण, सामूहिक हत्याओं ला एण्ड आर्डर को देखता है उसी तरह से सतर्कता अधिष्ठान का निदेशक भी लोक सेवक से सम्बन्धित भ्रष्टाचार, घूसखोरी दुराचरण, दुर्व्यवहार और कदाचार के ऐसे समस्त मामलों को जो उसकी जानकारी में आते हैं उनको देखता है। तो जो अब आयोग बनाने की बात यह करते हैं उसमें भी यही लोग होंगे इसी धरती के लोग उसमें आयेंगे।

इसका दूसरा कार्य है किसी लोक सेवक या किसी विभाग/वर्ग या श्रेणी के लोक सेवकों के अभिसूचना आदेश पर संग्रह करना।

तीसरा कार्य भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुर्व्यवहार या अन्य कदाचार के मामलों में जो शासन के सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर इस अधिष्ठान को निर्दिष्ट किये जायं, गुप्त या खुली जांच, अनुसन्धान करना।

श्री अधिष्ठाता--

आप दो मिनट में समाप्त करें। आपने पूरी तरह से सदन की भावना से अपने को सम्बद्ध पहले ही कर लिया है।

श्री प्रमोद कुमार--

माध्यवर, मैं माननीय सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि कि आवश्यकता आयोग बनाने की नहीं है बल्कि जो नियम और जो आयोग बने हैं उनके द्वारा नियमों की कड़ाई से पालन कर अपराधियों को रोकने की आवश्यकता है। माध्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि लोक आयुक्त संगठन की जब स्थापना हुई थी, उसके बारे में बहुत ही ऊंचा विचार था और आदर्श और बड़ी ऊंची परिकल्पना से लोक अयुक्त के गठन की बात थी और इसमें लोक आयुक्त हाई कोर्ट का जज होता है जो प्रदेश में सर्वोच्च शिखर पर बैठे किसी व्यक्ति चाहे नेता विरोधी दल हों या मुख्य मंत्री हों या अधिकारी हों लोक आयुक्त किसी को नहीं बख्शते हैं। आज लोकायुक्त के यहां किन-किन प्रकरणों पर विचार हो रहा है इसके सम्बन्ध में कहना उचित नहीं होगा।

श्री हर्षवर्धन--

मुख्य मंत्री की भी लोकायुक्त जांच कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, मुख्य मंत्री के कार्य-कलापों की जांच नहीं कर सकते हैं। यदि मंत्री जी आप चाहें तो मुख्य मंत्री को शामिल करा दें।

श्री हरिशंकर तिवारी--

मैं इजाजत चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं देता हूं और इस समय जो चर्चा हो रही है उसे चलने दें।

श्री प्रमोद कुमार--

इस सदन का निश्चित मत है कि इस समय आयोग के गठन की चर्चा कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं ।

डा0 रजनी कान्त दत्त--

यूं तो सर से पैर तक डूबा है हर आदमी, फर्क इतना है कि कुछ गिरफ्तार हैं और कुछ फरार हैं।

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, बताना चाहता हूं कि लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं करती है बल्कि मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 नेता विरोधी दल, मुख्य मंत्री के सुझाव और सहमति से होती है।

मान्यवर, अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में एनुअल रिपोर्ट होती है उनमें सत्यनिष्ठा उनकी प्रमाणित की जाती है। मैं अपने विभाग के संबंध में बताना चाहता हूं कि एनुअल रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोगों को दण्डित किया गया तो कहा गया कि कड़ी कार्यवाही हो गयी। आज जो नियमावली है उसमें नियम 24 को देखें जिसमें स्पष्ट है कि "अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई अपराध है, कोई भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का मामला है या उसने अपनी कमाई से अधिक संपत्ति अर्जित कर लिया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें" "इस प्रकार पूरे अधिकार मौजूद हैं।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार---

समय नहीं है इसलिये श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को धन्यवाद देते हुये कहना चाहता हूं कि उनकी भावनायें अत्यन्त पवित्र हैं लेकिन वह जो चाहते हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आज आवश्यकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की चूंकि मौजूदा कानून में ऐसा कोई अपराध नहीं है....।

जिसका दमन नहीं किया जा सकता है और अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती है। और आवश्यकता इस बात की है कि इन कानूनों की जानकारी हो और उनका कड़ाई से पालन किया जाय और इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों और चाहे इस सम्मानित सदन के सदस्य न हों, वह सभी इन कानूनों का कड़ाई से पालन कराने में शासन को सहयोग दें, वह हमें सहयोग दे सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार है, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जी-जान से जुटी हुई है। भ्रष्टाचार को वह न बरदाश्त कर सकती है न पनपने दे सकती है और न उसे देख सकती है। कड़ाई से वह उसे हर हालत में दबायेगी। मैं आदरणीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि वह जो कहना चाहते थे, कह दिया है, हमने उसे ग्रहण कर लिया है और उनकी भावना को ध्यान में रखेंगे, लेकिन वह अब हमारा साथ दें भ्रष्टाचार से निपटने में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें।

(व्यवधान)

(श्री हरिशंकर तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी, अभी तो आप बोल चुके हैं। मंत्री जी का बयान हो चुका है। सरकार की बात आ गई है। अब प्रस्तावकर्ता सदस्य अपनी बात रखें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मैं उन सभी सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया मैंने सब की बात को ध्यान से सुना। माननीय मंत्री जी के बोलने के पहले तक तो मुझे यह एहसास हुआ था कि यह सदन सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकार करेगा, लेकिन मान्यवर, मुझे माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद काफी निराशा हुई है। मुझे ऐसा लगता कि माननीय मंत्री जी उन आदर्शों को भूल रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श रहा है। सादा जीवन उच्च विचार यह इस देश का आदर्श रहा है। और इसी लिये इस देश में हम किसी राजा महराजा की याद नहीं करते हैं आदर्श के रूप में, बल्कि हम गांधी और गौतम की याद करते हैं, और याद करते हैं आचार्य नरेन्द्रदेव जी और जयप्रकाश नारायण जैसे आदर्श पुरुषों की....

श्री प्रमोद कुमार—

अभी तिवारी जी ने कहा कि हम किसी राजा महराजा को आदर्श नहीं मानते हैं, उसे याद ही करते हैं, तो वह देख लें कि कहीं उनके दल में ही उनका नेता कोई राजा महराजा न हो।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जी मैं कह रहा था शायद माननीय मंत्री जी ने हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मैं नेता की बात नहीं, अदर्शों के बारे में कह रहा हूं। नेता हमारा कोई राजा हो सकता रंक हो सकता है, इसका सवाल नहीं है लेकिन मेरे जीवन में हमारा आदर्श आचार्य नरेन्द्रदेव, लोकनायक जयप्रकाश, गांधी जी और नेहरू जी सरीखा कोई व्यक्ति ही हो सकता है। जब मैं आदर्श के रूप में देखता हूं तो इन्हीं तमाम लोगों की तरफ देखता हूं। लेकिन उनकी तरफ नहीं देखता हूं जिनकी तरफ माननीय मंत्री जी इशारा कर रहे हैं। उन्हें नेता मान सकता हूं, आदर्श नहीं मान सकता हूं। इस सम्बन्धमें हमारी बात यह है कि मैं इस चीज को खुले दिल से स्वीकार करता हूं लेकिन उनके साथ बन्धुआ मजदूर की स्थिति है जिससे वह उसे मन में मान सकते हैं लेकिन सब के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने बड़े दर्द के साथ कहा है—जहां भी कांग्रेस की सरकार है। वह भ्रष्टाचार को बरदाश्त नहीं करना चाहेंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि 7–3–89 को सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में अपट्रान के बारे में यह कहा गया है कि 14 करोड़ 78 लाख और 16 हजार रुपये की अनियमितायें पिछले पांच सालों में की गई है तथा क्या यह तथ्य सदन में नहीं आया है कि पसा कमाने के लिये खनिज विकास विभाग के निदेशालय के अधिकारियों ने विभाग के उन महत्वपूर्ण नक्शों को गायब कर दिया है जिनसे देश की सुरक्षा और आजादी का सीधा सवाल जुड़ा हुआ है? परिचर्चा में क्या दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के मुख से एक स्वर से यह नहीं कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित आई0आर0 डी0 की जो योजना है जिसका कार्य गरीब और शोषित जनता के जीवनस्तर को ऊपर उठाना है उसमें 17 परसेंट से लेकर 25 परसेंट तक की कमीशनखोरी चल रही है और क्या मंत्री जी यह नहीं जानते कि उनके अपने विभाग में उनके यहां कमीशन के लिये रजेक्टेड आउटडेटेड और डुप्लीकेट सामान खरीदने की बात थी और पैसे के लिए चोरी कराई जाती है। चोरी होती है पैसा कमाने के लिए। क्या इस सदन में दोनों पक्षों से यह बातें नहीं उठी कि बिजली विभाग में बिजली की चोरी अधिकारियों द्वारा कराई जाती है गलत ढंग से पैसे को कमाने के लिये खम्भों की खरीदारी में मीटरों की खरीदारों में कमीशनबाजी के आरोप क्या दोनों तरफ से नहीं आये। ऐसा क्यों होता है वह कौन सी सरकार है जहां इस तरह का भ्रष्टाचार होता है।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आयोग की जरूरत नहीं है । सतर्कता आयोग का उन्होंने इस सिलसिले में जिक्र किया मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरा प्रस्ताव जो है इसकी भाषा को पढ़े मैंने कहा है कि एक ऐसा आयोग बनाइये जो सर्वाधिकार सम्पन्न हो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी सम्पत्ति सृजित की है जो उसकी जायज आमदनी और स्रोत के जरिये नहीं हो सकती है तो उसमें कार्यवाही की जा सके । अगर सतर्कता आयोग में शिकायत करने के बाद प्राग दर्शन में दोष सिद्ध हो जाता है तब उसमें कार्यवाही होनी चाहिये आर0 ई0 एस0 के चीफ इंजीनियर के खिलाफ 27 लाख रुपये की रिकवरी की संस्तुति टी0ए0सी0 ने की है और आपकी सरकार जिसके बारे में आप ने कहा है कि भ्रष्टाचार है को बर्दश्त नहीं कर सकते हैं । किन कारणों से आप उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ रियेलाइजेशन, रिकवरी की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । क्या उस भ्रष्टाचार में आपका भी हिस्सा है, आपसे मतलब आपके सहयोगियों से है, तो किन कारणों से आप मजबूर हैं, किन कारणों की वजह से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती है, उन कठिनाइयों से मुक्ति मिले उन कठिनाईयों का निवारण हो सके इसलिये इस आयोग के गठन की बात मैंने कही है ।

अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से सदन की भावना को मानने के लिये प्रतिबन्धित हैं, लोकतन्त्र में आपका विश्वास है तो सदन की भावना के अनुरूप, बिना किसी बात के, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिये । आपने लोकायुक्त की बात कही, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अर्बन सीलिंग एक्ट में लोकायुक्त का कितना दुरुपयोग हुआ, जो मामला था उसमें लोकायुक्त प्रागदर्शन में संतुष्ट थे लेकिन आपने एक साल की अवधि बढ़ा दी । सारी परम्पराओं को तोड़कर संविधान की हत्या करके, और उस मामले में फिर दोष मुक्त कर दिया गया लोकायुक्त से आपने क्या-क्या काम नहीं कराया । आपने न्यायपालिका जिसका कि गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी गरिमा को गिराने का कार्य आपने किया है । न्याय-पालिका में लोगों की निष्ठा है आप उस निष्ठा को बनाये रखिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, सारे सदन से कि विधायिका और न्यायपालिका को कलंकित करने में अपना योगदान न दें इस तरह के आयोग का विरोध करें, बहुमत आपका है आप जैसा चाहेंगे आप करा लेंगे, लेकिन मैं अगाह करना चाहता हूं कि आपके कार्यों से इस देश की जनता का न्यायपालिका और विधायिक से विश्वास खत्म हो जायगा और अगर विश्वास खत्म हो गया तो लोकतन्त्र पर प्रश्नचिन्ह लग जायगा, आप ऐसा षड़यंत्रकारी कार्य न करें ।

मान्यवर, अंतिम बात यह कहना चाहता हूं, उधर के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जितने भी मित्रों ने इस चर्चा में भाग लिया था उन्होंने खुले दिल से इस संकल्प का समर्थन किया था । अन्तर्आत्मा की आवाज के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर, जनतांत्रिक परम्पराओं के नाम पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के गौरवशाली इतिहास के नाम पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपसे अपील करना चाहूंगा कि महाभारत के इतिहास न दोहराइये । अगर आज आपने इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया तो वही होगा जो आप महाभारत का इतिहास देख रहे हैं कि द्रोपदी को नंगा किया जा रहा था और कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी चरित्रवान सर नीचा किये देख रहे थे क्योंकि उन्होंने कुपात्र का कुधान्य खाया था । मुझे विश्वास है कि सदन में बैठे हुये किसी माननीय सदस्य ने, कम से कम सदन के सदस्यों ने बहुमत में कुपात्र का कुधान्य खाया है इसलिये वह इसका विरोध नहीं करेंगे । विरोध वही करेंगे जिनके हाथ कमीशनखोरी में रंगे हैं, जिन्होंने शोषित पीड़ित जनता की खून की गाढ़ी कमाई का गलत तरीके से उपयोग किया है और इसी लिये उनकी अन्तरआत्मा इस प्रस्ताव का समर्थन करने में उन्हें धिक्कारेगी और ऐसे ही लोगों के हाथ इस प्रस्ताव के विपक्ष में उठेंगे ऐसा मेरा विश्वास है इसलिये अन्त में मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप इसकी भावना से सहमत हैं तो आप पाप में भोगीदार मत बनिये और एक कलंकित इतिहास बनवाने का पाप अपने सिर पर मत लीजिये

और इसके पक्ष में अपना हाथ उठाइये । आइये एक नये इतिहास का श्री गणेश करें । आइये इस प्रस्ताव को पारित करें और इस प्रदेश के नौकरशाही जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है उसको एक चेतावनी दें कि आगे हम भ्रष्टाचार को इस प्रदेश में सहन नहीं करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर वैसे मैं तिवारी जी का बहुत आदर करता हूं लेकिन आज मेरे हृदय में उनके लिये आदर का ज्वार उमड़ा आ रहा है । आज उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, उन्होंने कहा कि सदन की प्रोसीडिंग उठाकर देख लें, उन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव और पंडित नेहरू का नाम लिया किसी राजा की तरफ उन्होंने नहीं देखा और सचमुच यह देखने लायक है भी नहीं । मैं इसलिये उनका आदर करता हूं । मान्यवर, उन्होंने कहा कि हम जुडीशियरी का आदर नहीं करते हैं । मान्यवर, पिछले 3-4 सालों का इतिहास उठाकर देख लें । अगर किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं मात्र टिप्पणी भी कर दी है किसी कांग्रेसी मुख्य मंत्री के खिलाफ तो वह अपनी कुर्सी पर एक मिनट भी नहीं बैठा है ।

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा--

राजीव गांधी जी बैठे हुए हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला श्रीमती इंदिरागांधी के खिलाफ दिया था और उन्होंने क्या किया क्या इसको बताने की आवश्यकता है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जब कभी भी जुडीशियरी ने टिप्पणी की है तो कोई कांग्रेसी मुख्य मंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा है अगर वह बैठा है तो कर्नाटक या आंध्र में बैठा होगा । कांग्रेसी शासन में कोई नहीं बैठा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका गवाह है । आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में वह मुख्य मंत्री बैठे हैं जिनके खिलाफ उच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

अब्दुल रहमान अंतुले मान्यवर, इनके दल में हैं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ आरोप लोकायुक्त ने सीलिंग के संदर्भ में प्रथम दृष्टतया सही पाये । क्या मात्र लोकायुक्त के यहां आरोप दाखिल कर देने से कार्यवाही कर देनी चाहिये और अगर कर दी गयी होती तो आपकी बगल की कुर्सी में बैठने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी होती क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल के खिलाफ उनके यहां मामला पेंडिग हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी आप विषय से अलग हो रहे हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् जो तिवारी जी ने संकल्प रखा है, ...

(व्यवधान)

श्री भगवानदीन कुशवाहा---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक मारुति कार जो एक सेठ ने आपको भेंट की थी, उसका क्या मामला है, जरा बता दीजिये ?

श्री राम गोविन्द चौधरी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है, उसके अनुरूप माननीय मंत्री तिवारी जी अपनी बात करें और अगर हिम्मत हो इनकी सरकार में, तो भ्रष्ट, बेईमान जो अधिकारी आवश्यकता से अधिक पैसा निजी हित में है पैदा कर लेते हैं, उनको निलंबित करें तथा उनसे पैसों की रिकवरी करें। क्या माननीय मंत्री जी उन्हें तत्काल निलंबित करने की घोषणा सदन में करेंगे ? माननीय मंत्री क्या आप उनसे उन पैसों की रिकवरी भी करवाने की घोषणा करेंगे ?

श्री भगवानदीन कुशवाहा---

मान्यवर, जो माननीय तिवारी जी को एक सेठ ने मारुति कार भेंट की है, उसका क्या हुआ ?

श्री प्रमोद कुमार---

माननीय कुशवाहा जी ने जो मारुति कार के बारे में कहा, हमें तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर उनको जानकारी हो, तो वह जानकारी करा दें कि उसका क्या नम्बर है। मेरे नाम पर जो मारुति कार हो, उसका नम्बर बता दें मैं उसको उन्हें समर्पित करता हूं। मेरे पास एक ऐम्बेसडर कार वकालत के दिनों से जिसका नम्बर यू0 टी0 डी0, 166 है। मान्यवर कभी कांग्रेस सरकार ने विधायिका का अपमान नहीं किया। यदि अपमान कहीं हुआ है तो इनके द्वारा समर्थित तामिलनाडु की सरकार के कार्यकाल में एक महिला विधायिका के साथ हुआ है, जो लोकतंत्र के इतिहास में सबसे शर्मनाक बात है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आदरणीय सदन की परम्परा रही है कि ऐसे लोगों की चर्चा नहीं की जाती है, जो इस सदन के सदस्य नहीं रहें हैं, या तो हम लोगों को भी इजाजत दी जाय हम लोग भी इनकी कलई खोलें और अंतुलई से लेकर पटनायक तक के काले कारनामे का पर्दाफाश करें। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में क्या हुआ इससे इस आदरणीय सदन को क्या लेना-देना है ? अगर लेना-देना है तो ठक्कर आयोग और बोफोर्स और पनडुब्बी डील की चर्चा उठाई जाय।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री को विषय से अलग जाकर जवाब नहीं देना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, अब मैं सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं देख रहा हूं कि बरदास्त नहीं कर पा रहे है इस लिये मैं अपने आप को विराम देता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

श्री अधिष्ठाता---

कृपा करकें आप लोग बैठे, अब यह चर्चा खत्म हो चुकी है। शुक्ला जी आप क्या कह रहे है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप कृपया करक बैठे। माननीय संसदाय कार्यमंत्री जी, कृपया अपने सदस्यों को बैठायें।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप––

माननीय मंत्री जी ने विषय से हटकर बात कही है ।

श्री अधिष्ठाता––

वह मैंने पहले ही कह दिया है, आप बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार––

मान्यवर, मैं समाप्त कर लूं, अब कुछ नहीं कहूंगा सौगन्ध खाकर कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

कुछ लिखा नहीं जायेगा आप लोग बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार––

मान्यवर, मैं सौगन्ध खाकर कहता हूं कि कुछ सच नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा । अपनी बात समाप्त कर रहा हूं क्यों कि विधायिका और जुडीशियर का जिक्र आया उसका जवाब दिया था विषय से हटकर नहीं दिया । आज जो कानून है धरती पर वह पूरी तरह से सक्षम है किसी भी अपराधी को, दोषी को, किसी भी रिश्वतखोरी को किसी भी गलत काम को सजा देने के लिये मौजूदा कानून काफी है अगर आवश्यकता है किसी बात की तो मौजूदा कानून का कड़ाई से पालन करने की बात है मात्र भाषण देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात भ्रष्टाचार करते हुए देखे वह भी लगभग उतना ही दोषी है जितना भ्रष्टाचार करने वाला है । इसलिये मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार को रोकने के लिये मौजूदा कानून के सहार ही आन्दोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है । मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इसको वापस लेलें ।

श्री अधिष्ठाता––

आप कृपया बता दें कि आप . . . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

श्रीमन्, आपने मा0 मंत्री जी को दोबारा भाषण की अनुमति दे दी ।

श्री अधिष्ठाता––

उनको नियमानुसार मौका दिया गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

उनको दोबारा भी दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता––

दोबारा भी नियमानुसार दिया गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

मान्यर, मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर मंत्री जी यह बता दिये होते कि इस आयोग के गठन से यह कठिनाइयां आ जायेंगीं और भ्रष्टाचार को दूर करने में यह दिक्कत होगी तो मैं जरूर वापस ले लेता । इससे सारा सदन सहमत है कि इस तरह के आयोग की आवश्यकता है । अब यह देखने की बात है कि सरकार कितनी ईमानदारी से भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास करती है । मेरा इस प्रस्ताव को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है । अगर यह भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते हैं तो मैं अपने प्रस्ताव पर बल देकर उनके चेहरे पर जो मासूमियत की नकाब है उसको हटाने का काम करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के समस्त ऐसे विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके जीवन-यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के सम्पूर्ण कार्य कलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

श्रीमन् मैं डिवीजन की मांग करता हूं । मैं इस पर वोटिंग की मांग करता हू ।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ)

(विपक्ष में––61 मत, पक्ष में––44 मत)

प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सकी सुविधा एवं व्यवस्था सदूर ग्रामीण अंचल तक । उपलब्ध कराने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प †

अधिष्ठाता––

गोपाल दास यादव जी आपका भाषण जारी रहे । आप 8 मिनट बोल चुके हैं 7 मिनट कृपया और ले लीजिये ।

*श्री गोपाल दास यादव––

मान्यवर, पिछले दौरान में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता था कि चिकित्सकीय सुविधा और सस्ती व गुणात्मक दवा और चिकित्सकीय सुविधा गांव के सुदूर अंचल तक– उसकी व्यवस्था कैसे हो इसके लिये एक सदन की कमेटी बनायी जाय । और, मैं समझता हूं कि यहां के माननीय सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्य जो मैं यहां कहना चाहता हूं सहमत होंगे क्योंकि जो आप चिकित्सकीय सुविधा जो हमारे प्रदेश में है मान्यवर यह पर्याप्त नहीं है । इसी के साथ-साथ आज लोगों की यह धारणा है कि इस गरीब प्रान्त में उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी चिकित्सकीय सुविधा या चिकित्सा पद्धति लागू की जाय जिससे प्रदेश के सभी लोगों का चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो सके । पिछली बार मैंने मान्यवर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यहां पर जिक्र किया था और यह कहने का प्रयास किया था कि कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सर काउंट सीजर सेटी जो 1865 में इटली के निवासी थे उन्होंने प्रयास किया था कि भारत जैसे देश में जहां प्राकृतिक चीजों का भंडार है पहाड़ों से लेकर हमारे जो जंगल हैं मान्यवर वहां एक प्राकृतिक भंडार है और सूर्य की रोशनी में जो शक्ति मौजूद रहती है जो विद्युत शक्ति प्रवाहित होती रहती है इस पद्धति के द्वारा केंसर का रोग, फेमिली प्लानिंग जो इनका राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसके माध्यम से बहुत ही सस्ती और बहुत ही कम आय में इस रोग का निवारण कर सकते हैं ।

सस्ती और गुणात्मक दवा कैसे बने । सस्ती और गुणात्मक दवा बनाने के लिये ड्रग और ह्यूमन वेलफेयर जो औषधि है जो मान्यवर ज्ञान है इसके लिये हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार विचार तो बहुत करती है लेकिन मान्यवर यह अलमा रूस में रूस के अन्दर यह भी मान्यवर 1978 में भारत भी उसमें शरीक हुआ था विश्व स्वास्थ्य

---

†4 अक्टूबर, 1988 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संगठन की बैठक हुई थी वहां पर निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी तक 2000 तक हम सभी लोगों को चिकित्सकीय सुविधा मुहैया करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि 11 वर्ष बीत चुके हैं 1978 में मान्यवर या विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से वहां पर हमारे देश ने भारत ने यह वायदा किया था कि हम भी 2000 तक सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे देंगे । लेकिन मान्यवर 11 साल हो गये 11 साल हो जाने के बावजूद अब 11 साल बचे हैं 2000 में यह पूछना चाहता हूं कि क्या 11 साल में 50 प्रतिशत लोगों को चिकित्सकीय सुविधा पहुंच गयी लेकिन आज आप देखें केवल एक ढांचा अवश्य बन सका जो लक्ष्य था 50 प्रतिशत का मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एहसास करती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में किया था वायदा, उस लक्ष्य तक आज यह नहीं पहुंच पाये हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि सब से पहले गुणात्मक और सस्ती दवा बनाने के लिये कहना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट ।)

श्री गोपाल दास यादव- -

हमारे वैज्ञानिक हैं हम उनको कभी याद नहीं करते हैं वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक यू0 ब्रह्मचारी, आर0 एन0 चोपड़ा, प्रो0 एम0 एल0 स्कौफ–ऐसे लोगों ने भारतीय दवा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा माननीय सदस्यों में यहां पर मैं उनको याद करके बताऊं कि कितने सीमित साधन के माध्यम से यू0 ब्रम्हचारी ने यूरिया स्टीडमी कम्पाउन्ड की खोज किया । लेसीमिनिया जैसे घातक रोग के लिये कहते हैं ब्लड कैंसर उसके लिये यू0 ब्रम्हचारी ने सीमित साधन में उन्होंने अनेकों खोजें कीं, लेटी मिनिया की खोज की । मान्यवर, मैं आर0 एन0 चोपड़ा का नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिन्होंने, मेडीशनल प्लान्ट का आविष्कार करके भारतीय पद्धति को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन यह हमारा उत्तर प्रदेश है, जो ऐसे लोगों को भूल गया । इसी तरह एम0 एल0 स्कोफ थे, जिनके बारे में पंडित लोकपति जी भी जानते होंगे, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं । बी0एच यू0 में 1930 में एम0 एल0 स्कौफ ने पूरी फार्मेसी विभाग की खोज की थी, जो औषधि नियंत्रण के क्षेत्र में आता है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सीमित साधनों के बावजूद भी इन दवाओं की खोज हुयी जैसे, मिथाकालोन 1956 में खोजी गयी जो हिपोनोटिक है । हिमाइसीन 1961 में टापिकल एंटीफंगर, परवोनाइट 1958 में कार्डियो टानिक, सेन्टीमिजान 1962 में एंटीथाराहाइट, सिटामिन 1976 में एंटी डिप्रसेंट, क्रोमारिल 1980 में एंटी फिलमेटरी आदि हैं । लेकिन आज हमारे यहां जो क्वालिटी कन्ट्रोल है वह न के बराबर है । मैं कहना चाहूंगा कि लैटिन आयोग ने एक संस्तुति की थी कि जब तक हम दवाओं के क्षेत्र में क्वालिटी कन्ट्रोल नहीं करेंगे, तब तक सस्ती दवायें और अच्छी दवायें उपलब्ध नहीं करायी जा सकतीं । मान्यवर, इसको हमारे देश के अन्दर तीन भागों में बांट दिया गया । महाराष्ट्र , कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात, जहां 90 प्रतिशत नियमों का पालन होता है । उसके बाद मध्य प्रदेश, तामिलनाडु आन्ध्र प्रदेश , हरियाणा, उड़ीसा व राजस्थान आते हैं, जहां 60 से 70 प्रतिशत नियमों का पालन होता है । लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश व असम और बिहार में औषधि नियंत्रण का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है । अगर होता है तो सिर्फ कागजों पर होता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से एक गरीब बच्चा जब मेडिकल कालेज में भर्ती होता है, तो डाक्टर वहां कीमती-कीमती दवायें लिखता है और लिखने के बाद आदमी बाजार में दौड़ता है और दवा लाता है और सोचता है कि दवा अच्छी होगी और मेरा

मरीज बच जायगा। लेकिन जब वह सुबह लौटकर आता है, तब तक मरीज दम तोड़ चुका होता है। जिससे मां बिलखकर सोचती है कि मैंने दवाभी की थी तो फिर कौन से कारण हैं, जिससे बच्चा मर गया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि ग्लिसरीन कांड इसी तरह की देन थी, जिसमें 13 लोग मर गये थे। यह उसी का काम था' जब क्वालिटी कन्ट्रोल नाम की कोई चीज नहीं थी। अखबारों और समाचार पत्रों में आप भी पढ़ते होंगे। मान्यवर, आंख का आपरेशन होता है तब जायलोकेन बिना परीक्षा किये लगा दिया जाता है और बहुत से लोग इसमें दम तोड़ देते हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि जब आपकी सारी व्यवस्था है, आपके ड्रग इन्स्पेक्टर्स हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जो आज बाजारों में नकली दवायें बिकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा आपका नैतिक अधिकार है कि हम जो समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं उनको अच्छी और सस्ती दवायें मुहैया करायें--

परन्तु हम लोगों ने यह धारणा बना ली है कि हम सत्ता पक्ष में हैं और वो विपक्ष में हैं। जब हम अच्छी बात करते हैं तो आप कह देंगे कि आयोग बनाने की बात कही गई। श्री पाण्डेय जी आपको भी मेरी बात का समर्थन करना चाहिये। एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। आप और हम भले ही कल विधायक रहें या न रहें, लेकिन लोग याद करेंगे। माननीय मंत्री जी को तो दवाईयों के बारे में कोई ज्ञान-वान तो है नहीं। मंत्री उन्हें बना दिया गया। अफसोस है कि जो जानकार लोग हैं इस बात के उधर बैठे हुए हैं। . . .

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री को दवाईयां जानने की जरूरत नहीं होती है।

श्री गोपालदास यादव--

मान्यवर यह एक अहम प्रश्न है। औषधि नीति को लेकर,नकली दवाईयों व स्पूरियस दवाईयों को लेकर 1975 में एक हार्थी कमेटी का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि हमें केवल 116 दवाईयां चाहिये और उसे 2 हजार फर्म्स बना सकती हैं, लेकिन आज आपके प्रदेश में और देश में आठ हजार दवाईयोंकी फैक्टरियां हैं और 64 हजार फार्मुलेशन हैं, उसमें से भी 10 प्रतिशत ऐसी दवाईयां नहीं हैं, जिसके अन्तर्गत आवश्यक दवाई हो। गरीबों का भला करने के लिये, समाज का भला करने के लिये और मानवता का भला करने के लिये हार्थी कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी, परन्तु आपकी सरकार ने उसे लागू नहीं किया। उसमें यह कहा गया था कि आप एनालजीन के नाम से बेचेंगे, स्प्रिन के नाम से बेचेंगे आदि, परन्तु जो बहुधन्धी राष्ट्रीय कम्पनियां थीं, उनका राजनैतिक प्रभाव तो सभी लोग जानते हैं, हमारा देश तो निर्गुट था और निर्पेक्ष है, फिर भी आज इन बहु राष्ट्रीय कम्पनियों का शासन के ऊपर बड़ा प्रभाव है। गरीबों को दवा नहीं मिल पाती है। आज 2 रुपये दाम की दवा बनती है, टेलीवीजन व पत्रिकाओं के माध्यम से उसका प्रोपेगेन्डा किया जाता है और वह 2 रुपये की दवा 20 रुपये में मिलती है। इस प्रकार हार्थी कमेटी की रिपोर्ट को लागू न करके इस सरकार ने एक नई दवा नीति लागू कर दी।

श्री अधिष्ठाता--

सदन की कमेटी क्या करेगी यह आप बतायें ?

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री जी को इन सब चीजों के बारे में बतला रहा था। जो आई0 ए0 एस0 ने बताया होगा या फिर इनके विभाग के जो भ्रष्ट मेडिकल के अधिकारी होंगे, उन्होंने इन्हें जो बतलाया होगा, उसे माननीय मंत्री जी यहां पर बता देंगे। दवा का क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, हार्थी कमेटी की रिपोर्ट क्या होती है, यदि आपका आशीर्वाद

होगा और आपकी सरपरस्ती होगी तो मैं माननीय मंत्री जी को यह सब कुछ बतलाने में,सक्षम हो जाऊंगा । हार्थी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की गई । बहुधन्धी राष्ट्रीय कम्पनियां लो लाईसेन्स के माध्यम से– जैसे कोई व्यक्ति अपना खोया ले जाकर हलवाई से कहता है कि मेरी मिठाई बना तो, काम तो करती हैं, किन्तु उसका एग्रीमेन्ट केवल 2 साल का होता है । जो आपका यह ग्लैक्सो है, उत्तर प्रदेश की आई0 पी0पी 0एल 0 व यू0पी0डी 0एल0 है । यू0पी0डी 0पी 0एल0 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खोली थी । सोचा था सार्वजनिक कम्पनियां खुलेंगी तो गुणवत्ता होगी । लाईसेन्स के द्वारा ऐसी दवायें बनाते हैं । एक डोजल कम्पनी है, प्राइवेट आदमी है, आई0डी 0डी 0पी 0एल0 और यू0पी0डी 0पी 0एल0 की दवा बनाता है । कल तक जिस व्यक्ति के पास सायकिल न हो, उसने फैक्ट्री कैसे खोली ? जो दवायें आई0पी0डी 0पी 0एल0 और यू0पी0डी 0पी 0एल0 बनाते हैं,उन्हीं दवाओं को उसके नाम से बनाकर डुप्लीकेट दवा के नाम पर बाजारों में बेचा जाता है । जब आपके पास एक फैक्ट्री मौजूद है, बदकिस्मती यह है कि कोई भी क्वालिटी कन्ट्रोल नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपने संकल्प पर आइये ।

श्री गोपाल दास यादव—

मैं बता रहा हूं कि सस्ती दवा कैसे मिलेगी । एस्परीन की टिकिया दो पैसे की मिलती है, गलेक्सो कम्पनी बेचेगी तो 50 पैसे की बेचेगी । एनलजीन की कीमत 5 पैसे आती है..

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

"मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कार्यसूची पर "ध्यान आकृष्ट" करते हुए देखें चर्चायें भी हैं, अभी संकल्प भी बाकी है और विधेयक पर भी "मतदान" होना है । उसके महत्व को देखते हुए मा0 सदस्य के वक्तव्य को जारी रखा जाय, अगले मद को ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

5 बजे तक इस पर चर्चा करेंगे । 52 आइटम हैं अभी 17 पर ही पहुंचे हैं । 5 बजे तक इस चर्चा को लेंगे । अगर तब तक समाप्त हो जाता है तो ठीक है अन्यथा यह जारी रहेगा लेकिन मा0 गोपाल दास यादव से अनुरोध करूंगा कि अब वह अपने मुख्य संकल्प पर आ जायं भूमिका काफी हो गयी । जो समिति बनवाना चाहते हैं वह क्या काम करेगी यह बता दें ।

श्री गोपाल दास यादव—

रिसर्च और डेवलपमेन्ट की पद्धति में परिवर्तन क्वालिटी कण्ट्रोल, जैसे होम्योपैथ, आयुर्वेदिक और एलोपैथ की डायरेक्टरेट है, अगर आप चाहते हैं कि सस्ती और गुणात्मक दवा बिके तो औषधि नियंत्रण केन्द्र का अलग निदेशालय खोलें तभी स्वतंत्र रूप से कार्य होगा और जो छोटे दवा उद्योग हैं, वे सक्षम होंगे, आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी । जो निम्न स्तर की दवा है, उसमें सुधार होगा । उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ आरगेनाइजेशन में कहा था कि सन् 2000 तक आन्ध्रप्रदेश के अन्दर एन0 टी0 आर0 ने जब कांन्फ्रेन्स की तो उन्होंने कहा कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सस्ती और गुणात्मक दवा मुहैय्या करें ।

यह हमारा उत्तरदात्वि है कि हम रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक पैसा दें क्योंकि जो प्राइवेट औषधिउद्योग हैं वह एक करोड़ पचास लाख से अधिक पूंजी के उद्योग हैं; इससे कम पूंजी का कोई उद्योग नहीं है । एक नई दवा की खोज के लिये 50 करोड़ रुपया लगता है और 15 साल का समय लगता है । यहां पर यू0पी0डी0एल0 तथा आई0डी0पी0 एल0 के अलावा कोई ऐसा औषधि निर्माता नहीं है जिसके पास 50 करोड़ रु0 की लागत हो ।

अमेरिक और ब्रिट्रेन में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत 1600 करोड़ रु0 खर्च होता है, लेकिन हमारे पास में कुल 1600 करोड़ रु0 की दवा बनायी जाती है । आपने दावा किया था कि 60 हजार करोड़ रु0 तक की हम दवा बनायेंगे । प्रदेश का बजट आप देख ही रहे हैं, मैं कहता हूं कि परिवार नियोजन में आयुर्वेद सिस्टम को आप अपना लें, उसे आप अपना सकते हैं । आप एक अरब रुपया परिवार नियोजन में खर्च करते हैं जब कि आपके मेडिकल कालेज में बाई पास सर्जरी नहीं है, पेस मेकर नहीं है, डाईलिसिस की मशीन नहीं है, नीयो सर्जरी नहीं है । 50 करोड़ रु0 फजूलखर्ची में जो आप देते हैं इसको काट दें तो यह सब मशीनें आप यहां ले आयें तो जो लोग दिल्ली और बम्बई जाते हैं इलाज के लिये, डाक्टर भी आपके असहाय हो जाते हैं इनके अभाव में, डाक्टर मजबूर हो जाते हैं कि यहां पेस मेकर नहीं हैं, बाई पास सर्जरी नहीं है, डाईलिसिस नहीं है, कोई भी उचित उपाय नहीं है ।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य विभाग की फिजूलखर्ची को काट कर इस विषय के उपकरण मेडिकल कालेज में ला दें इससे प्रदेश का नाम होगा । आन्ध्र प्रदेश में, दिल्ली में और कर्नाटक में आप देखें, एक हमारा ही प्रदेश केवल पिछड़ा हुआ है । आप यहां की चिकित्सा सुविधाओं को देखिये तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रदेश इस दिशा में कितने पीछे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप दो मिनट में अपनी बात को खत्म करिये ।

श्री गोपाल दास यादव--

दो मिनट नहीं, दस मिनट लूंगा । तो मैं कह रहा था कि आपने चिकित्सीय सुविधा में फीस लगा दी है । आप ईमानदारी से बतायें कि क्या आप 5 रु0 में बाई पास सर्जरी करा लेंगे ? प्रदेश में बिना पैथालोजी की रिपोर्ट के आप दवा नहीं दे सकते हैं, लेकिन यदि आप पैथालोजी का एक परीक्षण कराइये चाहे वह ब्लड यूरिया का परीक्षण हो या ब्लड शूगर का परीक्षण हो, क्या आप उसे 5 रु0 में करा लेंगे ? केवल फीस बढ़ा देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

आप केन्द्र सरकार से मांग कीजिये कि हमें स्वास्थ्य विभाग का बजट और दिया जाय । हमारे यहां भी हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे यहां ब्लड बैंक नहीं है । इलाहाबाद जैसे प्राचीन स्थल में महिला अस्पताल में एक भी ब्लड बैंक नहीं है । आप कहते हैं कि हम महिलाओं को पौष्टिक आहार देते हैं जिससे कि बच्चे स्वस्थ्य हों, विकलांग न हों । मैं कहता हूं कि एक महिला 9 महीना बच्चे को गर्भ में रखती है और प्लेसेन्टा द्वारा बच्चे को आहार देती है, लेकिन एक भी महिला अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है । मान्यवर 2 बजे रात को अगर किसी महिला की डिलवरी हो जाय तो वह मां वहीं पर दम तोड़ देती है खून के अभाव में, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी अभी डींग मार रहे थे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर, वह सही नहीं है, सही स्थिति हो यह है कि जो भी सुविधा इस ओर दे रहे हैं, साथ ही यदि इलाहाबाद महिला अस्पताल में एक ब्लड-बैंक की भी स्थापना कर दी जाय ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके, साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे और चिकित्सीय सुविधायें कम दी जायें लेकिन गुणात्मक दवायें दी जायें ।

बच्चों के बहुत से रोग हैं जैसे डिप्थीरिया है, पोलियो है, खसरा इत्यादि है, किस तरह से बच्चे छोटे छोटे दम छोड़ देते हैं इन बीमारियों के अटैक से, लेकिन इनके लिये कोई उचित व्यवस्था आज भी नहीं हो पायी है आपके विभाग में कितने इंजेक्शन टिट बैक के और कितने बी0 सी0 जी0 व डी0 पी0 टी0 तथा ट्रपिल ऐंटीजेंट के लगे हैं, जब से यह योजना आपकी लागू हुई है, वर्ष 1985 से । परन्तु जब से 30 परसेंट लोगों के इजेक्शन नहीं लग पाये

हैं और अब तक यही बता दें कि पोलियो के कितने इंजेक्शन अब तक लगाये गये हैं बच्चों को.....(व्यवधान)।

दूसरी बात मान्यवर अब मैं यह कहना चाहूंगा.....(व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

अब यादव जी अपनी बात को समाप्त करिये, काफी समय हो गया है।.....(व्यवधान)।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर अब मैं यह कहने जा रहा था कि आपके शहरों में तो 50सों डाक्टर एक चीज के मौजूद हैं, लेकिन आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व अन्य सामुदायिक अस्पतालों में आज डाक्टरों की बहुत कमी है, आपके शहरों में हो आज 50 से 80 प्रतिशत तक डाक्टर हर क्षेत्र के मौजूद हैं, जहां पर 10 डाक्टरों की आवश्यकता है वहां पर 50 हैं तो इस प्रकार से 40 डाक्टर्स सरप्लस हैं और इन्हें वेतन कहां से मिलता है, इनको वेतन स्टेट प्लान से दी जाती है और इनके पास जबकि यहां पर इतने काम भी नहीं है और जहां पर काम है, गांवों में, वहां पर डाक्टर्स आज मुहैया नहीं है, तो इस व्यवस्था पर कैसे काबू पाया जा सकता है?.....(व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय यादव जी अब समाप्त करिये।.....

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है.....

श्री अधिष्ठाता--

आप अब तक 35 मिनट बोल चुके हैं, अब काफी हो गया और लोगों के विचार भी आने दीजिये, यादव जी आपसे हम निवेदन कर रहे हैं।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर अब तो मैं शहर से गांव की तरफ आया हूं जबकि गांवों की समस्यायें क्या हैं, उससे आप भी परिचित हैं। मान्यवर बर्थ कन्ट्रोल की बात आप चला रहे हैं....(व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने यादव जी आपसे विनती की है कि कृपया अब बैठ जायें आपको बोलते हुए काफी समय अब तक हो गया है।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर केवल एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि जिस तरह से आप दवायें दूसरे जगहों से, दूसरे प्रदेशों से जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है आदि से मंगा रहे हैं, यह दवायें जो आप बाहर से मंगा रहे हैं, जो काफी महंगी भी पड़ती है यदि इन दवाओं को आप स्वयं अपने यहां बनायें तो यह दवायें आपके लिये और आपके यहां की जनता के लिए सस्ती दवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी और जितना भी आज दवाओं पर खर्च होता है, वह सब के सब शहरों में होता है.....

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अब बैठ जायें, माननीय डा0 रजनी कान्त दत्त जी.....कृपया अब विराजें, मैंने डा0 दत्त साहब को बुला लिया है आपने जो मूल संकल्प है, उसी को नहीं रखा है कि समिति क्या करेगी। इसको आप बाद में कह लेंगे।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--

एक सूचना है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक अप्रैल 4, 1989 की अपनी बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 5 अप्रैल, 1989 को नियम 56 की सूचनायें न ली जायं ।

सिंचाई मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो सूचना माननीय अधिष्ठाता ने सदन को दी है, उससे सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किया है, उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

डा0 रजनीकान्त दत्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत लम्बे समय के बाद माननीय दीक्षित जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं और आज अस्पतालों में दवायें हैं, चिकित्सीय सुविधा है और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह भी कोशिश की जा रही है कि प्राइमरी सेन्टर्स पर जितनी चिकित्सीय सुविधा है, वह लोगों को प्राप्त हो । मुझे याद है कि पिछले सात स्वास्थ्य मंत्री ने का था कि उत्तर प्रदेश में दवाओं की मानकता निर्धारित करने के लिये जो प्रगति है, वह बहुत कम है और अधिक प्रगति करने की ओर उन्होंने आश्वासन दिया था और हमारे ख्याल से उसके प्रति दीक्षित जी की ओर से प्रयास हो रहा है । मान्यवर, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधाओं का सम्बन्ध है, तो मैं बताना चाहता हूं कि अधिकांश मेडिकल कालेज शहरों में हैं । मान्यवर, आज शिक्षा 5 सितारा हो गयी है । प्रि-मेडिकल टेस्ट जो होता है, उसमें उच्च मध्यमवर्गीय और उच्च आर्थिक वर्ग के लोगों के बच्चे आ जाते हैं, जिनका रहन सहन और लालन पालन शहरों में होता है और जब वह डाक्टर बन कर भेजे जाते हैं तो उनको देहाती माहौल अच्छा नहीं लगता है, वहां पर वह अपने को एड्जस्ट नहीं कर पाते हैं,तो मेरा सुझाव है कि अगर मेडिकल कालेज देहात में खोले जायें तो यह समस्या दूर हो जायेगी । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले एल0एस0एम0 एफ0 की डिग्री हाई स्कूल पास करने के बाद मिल जाती थी और अगर वह अच्छा डाक्टर साबित होता था, तो वह दो साल का कन्डेन्स्ड कोर्स करने के बाद एम0बी0बी0एस0 कर लेता था । अगर आप चाहते हैं कि देहात की ओर डाक्टर जायें, तो आपको यह व्यवस्था फिर से लागू करनी होगी । मान्यवर, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं, उनका काम डाइगनोसिस करने का है अगर उन सेन्टर्स पर ट्रीटमेन्ट नहीं हो पाता है, तो मरीज को एयर एम्बुलेंस से या रोड एम्बुलेंस से उस बीमारी की चिकित्सा जिस जगह पर होती है, वहां पर पहुंचाया जाना चाहिये और आशा है कि वह दिन भी आयेगा ।...

चाइना में एक रिवोल्यूशनरी परिवर्तन आया उन्होंने विदेशी चिकित्सा पद्धति का बिलकुल त्याग कर दिया है । उनके यहां कन्वेन्शनल सिस्टम आफ ट्रीटमेन्ट है । इसके ऊपर वहां विशष ध्यान दिया जा रहा है । आयुर्वेद एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसमें नाड़ी देखने से ही रोग का निदान हो सकता है । इस आयुर्वेद शास्त्र के बारे में यह कहा गया है कि

आयुर्वेद में जो मेंशन नहीं है उसके आगे न बीमारी है और न चिकित्सा ही है। यह बात दूसरी है कि वह चिकित्सा लुप्त हो रही है। उसको विकास में लाना है। हम अपने भूतकाल को भूल चुके हैं और नई चिकित्सा पद्धति की ओर भागे जा रहे है। माननीय गोपाल दास जी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि दवाओं का नाम कामर्शियल न होकर जेनारिक होना चाहिये। यह सुझाव बहुत अच्छा है। एक चीज और मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो बीमारी नहीं होगी। हर आदमी को बेसिक रूप से यह बताना जरूरी होना चाहिये कि वह किस वातावरण में रहे, मल-मूत्र का त्याग कहां करें, वैलेंस डाइट क्या होनी चाहिये और बीमारियों की प्रारम्भिक पहचान क्या है? इन सब चीजों की हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिये। हमारी शिक्षा में और खास तौर से प्राइमरी और 8वें क्लास तक इस तरह की शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिये। हमारे माननीय दीक्षित जी, इस ओर प्रयत्नशील हैं। मैं सोचता हूं कि उनके नेतृत्व में किसी और आयोग के गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय गोपाल दास जी अपने सुझाव दीक्षित जी को दे सकते हैं। जब उनके हाथ में यह महत्वपूर्ण चिकित्सा मन्त्रालय है तो उनकी सिफारिशें अवश्य लागू होंगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, हम लोगों को भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता---

इस पर पांच बजे तक ही चर्चा होगी। यह कल भी आयेगा। आप पांच बजे तक ही जो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आज साढ़े नौ घंटे की चर्चायें भी हैं। वक्तव्य भी है, संकल्प है और विधेयक भी है। इसके बारे में वैसे आप जो भी निर्णय लें, वोटिंग करा दें या इसे कल के लिये रख दें लेकिन मेरा निवेदन है कि आज 5 बजे के बाद आगे का एजेन्डा ले लें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, हमारी नियमावली में नियम 14 है। आप उसको देखने की कृपा करें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि सदन 11 बजे से प्रारम्भ होगा और जब तक आप पीठासीन होंगे तब तक चलेगा। क्या पांच बजे के बाद साढ़े नौ घंटे तक आप इस चेयर में विद्यमान रहेंगे? क्यों नहीं एक दिन आप और बढ़ा देते हैं? 6 तारीख के बजाय 7 तारीख तक बढ़ा दें। जब आपको अपने विधेयक पास कराने होते हैं तो आप रात देर तक बैठकर उन्हें पारित करा लेते हैं और जब हमारा कोई प्राइवेट बिल आता है तो आप इतनी चर्चायें एक साथ लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप कल्पना कीजिये कि 5 बजे के बाद साढ़े नौ घंटे तक कौन बैठेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप एक दिन और क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? एक दिन और बढ़ा देंगे तो सारा काम निपट जायगा। यह 9वीं विधान सभा का अंतिम बजट सत्र है। एक दिन और बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद जी का जो सुझाव है उस पर मुझे कहना है कि कार्य-मंत्रणा समिति में सारी चीजें तय हो चुकी हैं, सारी बातों पर विचार करने के बाद यह तय हुआ है.....

श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

उसके बाद हाऊस भी तय कर सकता है ।

श्री अम्मार रिजवी––

माननीय सदन भी उसे पास कर चुका है इसलिये बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

आइटम है उनके पूरा होने तक आप आज जा नहीं पायेंगे, आपको यहां एजेण्डा में जो बैठना पड़ेगा ।

श्री अम्मार रिजवी––

मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी के साथ रात भर बैठने के लिये तैयार हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय : हम को भी कोई कष्ट नहीं होगा उनके साथ बैठने में ।

श्री अधिष्ठाता––

डा0 जौहरी आप अपनी बात 5 मिनट में कह दें । माननीय मंत्री जी आपको कल भी कहने का मौका मिलेगा ।

*डा0 दिनेश जौहरी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश में सस्ती दवाओं की बहुत आवश्यकता है क्योंकि दवाइयां बाजार में इतनी महंगी होती जा रही है कि आम आदमियों के बस के बाहर उनको खरीदना है । अगर एक आदमी के परिवार में कोई दो दिन भी बीमार पड़ जाता है तो वह मुंह देखने लगता है कि कैसे इलाज कराया जाय ? माननीय गोपाल दास जी का सही कहना है कि देहात तक दवायें पहुंचाई जायं । आज शहरों और देहातों के अस्पतालों में मरीज को केवल एक ही चीज मिलती है जब वह इलाज कराने के लिये वह है धक्का । डाक्टर को दिखाने के लिये उसे घंटों लग जाते हैं और उसके बाद उसे दवा मिलती है मिक्सचर इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है । बाजार में दवा इतनी महंगी है कि वह आम आदमी खरीद नहीं सकता है । एक लाइफ सेविंग ड्रग जैंटामइसीन है जिसके दाम कुछ दिन पहले 6 रुपये थे जिसको अब सरकार ने थोड़ी सस्ती की तो उसके दाम ढाई रुपये कर दिये हैं । तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदा वह ले रहे थे । इस तरह से बहुधंधी और विदेशी कंपनियां कितना फायदा ले रही हैं यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं । आज सस्ते इलाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है । आज पूरे प्रदेश में कुत्तों के काट की दवा उपलब्ध नहीं है, कुत्ते मारे मारे फिर रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं लेकिन उनके काट की दवा अस्पतालों में नहीं है । एक इंजेक्शन बाजार से लेने में 25, 30 रुपया लगते हैं (लाल बत्ती होने पर) इस पर बोलने के लिये मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिये क्योंकि यह मेरा सब्जेक्ट है । मैं मांग करता हूं कि इस चर्चा में और समय दीजिये और हमें भी समय दीजिये ताकि हम अपनी बात रख सकें और हम कह सकें कि चिकित्सा नीति क्या हो ?

श्री अधिष्ठाता––

आप समाप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 दिनेश जौहरी---

एक बात और कहूंगा जहां सब के लिये स्वास्थ्य की बात कही जाती है वहीं यहां फर्जी डाक्टरों और फर्जी दवाओं की भी भरमार है । कोई भी डाक्टर जो किसी में भी लाइसेन्स लिये होता है वह चाहे होम्योपैथी का हो या आयुर्वेदिक का हो वह एंटीवायोटिक्स वाली दवाओं का इस्तेमाल करता है । चाहे किसी भी पद्धति का सर्टिफिकेट उसके पास है । इसलिये मेरा कहना है कि केवल उसी में किसी को प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिये जिसमें उसके पास सर्टिफिकेट है ।

श्री अधिष्ठाता ---

आप बैठें, अब माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण शुरू कर दें, कल भी जारी रहेगा । कल इस पर चर्चा होगी । इसलिये आप एक मिनट अपना भाषण शुरू कर द ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा ---

हमारा भी कल रख दें ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)---

मान्यवर, माननीय सदस्य गोपाल दास जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस प्रकार की कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है । इस समय स्वास्थ्य विभाग जो व्यवस्था दवाओं की और उनके क्रय की कर रहा है और ग्रामीण अंचलों तक दवाओं के पहुंचाने की जो बात है उसके लिये आल प्रूफ योजना बनी हुई है । इसलिये इस संकल्प की आवश्यकता नहीं थी । लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुन्दर विचार प्रकट किये हैं उनसे जो कुछ भी लाभ होगा वह उठाया जायगा । हम इस बात की चेष्ठा करेंगे कि सस्ती दवा ग्रामीण अंचलों तक पहुंचे और इसके लिये जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेंगे । माननीय सदस्य ने कहा कि दो हजार तक प्रत्येक व्यक्ति को औषधि की सुविधा कैसे प्रदान करेंगे। मुझे सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता है वह हम....

श्री अधिष्ठाता---

अब आप कल बोलें....

मा0 मंत्री जी आपका भाषण जारी रहेगा । कल इस चर्चा को फिर लेंगे ।
मद संख्या-18 को कल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

मद सं0 19, 20 और 21 को कार्यसूची के शेष मदों के बाद में लिये जाने का प्रस्ताव

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, मद संख्या 19, 20 और 21 को कार्यसूची की 52 तक मदें पूरी हो जाने के बाद ले ली जाय, यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि श्री माता प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि मद संख्या 19, 20 और 21 को अन्य मदों के समाप्त हो जाने के बाद ले लिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

राष्ट्रीय राजमार्ग के पार्श्व की भमि के प्रयोग नियंत्रण, सुधार प्रभार का उद्ग्रहण आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में संशोधन की संस्तुति किये जाने हेतु संकल्प

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि––

"चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रवृत्त होने से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित राजमार्ग केन्द्रीय सरकार की विधायी अधिकारिता के अधीन आ गये,

चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के पार्श्व की भूमि के प्रयोग से संबंधित सभी मामले, जैसे लम्बी पट्टी (रिवन) की तरह विकास पर रोक, पहुंच मार्ग का नियंत्रण, अतिक्रमण का हटाना, सड़क के पास की भूमि के प्रयोग पर नियंत्रण, सुधार प्रभार का उद्ग्रहण आदि राज्य की विधायी अधिकारिता के भीतर आते हैं और इन्हें राज्य सूची की मद संख्या–13 के रूप में सम्मिलित किया गया है,

चूंकि यह सभा समझती है कि संपूर्ण भारत में नियमों विनियमों प्रक्रिया आदि में एकरूपता प्राप्त करने के लिये एक अधिनियम पारित करना वांछनीय है,

चूंकि राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय के सम्बन्ध में विधान बनाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन आवश्यक शक्ति प्राप्त है, ऐसे विधान की अवधि एक वर्ष से अनधिक अवधि तक सीमित है

अतएव अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके यह सभा संकल्प करती है कि संसद से अनुरोध किया जाय कि वह ऊपर उल्लिखित विषयों को विनियमित करने के लिये एक अधिनियम पारित करे ।

श्री अधिष्ठाता––

श्री जयदीप सिंह बरार का संशोधन था लेकिन वह अनुपस्थित है इसलिये संशोधन प्रस्तुत नहीं हो पाया है लेकिन जो मा0 सदस्य बोलना चाहे वह बोल सकते हैं ।

(कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ ।)

मंत्री जी आप प्रकाश डालेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर विस्तार से लिखा गया है और केन्द्र सरकार को अधिकार दिया गया है राष्ट्रीय मार्ग जो है उनके बारे में एक नीति सारे भारत वर्ष में होना चाहिये चूंकि सारे राज्यों में अलग अलग चीजें हैं । आपने स्वयं मान्यवर देखा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों में काफी अतिक्रमण हो रहा है इसके लिये, एकरूपता लाने के लिये सारे भारत वर्ष में शक्तियां हम संसद को दे रहे हैं उसके लिये यह आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसलिये चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के सभी माननीय सदस्य सहमत हैं चूंकि आज सबसे बड़ी समस्या आबादी के बढ़ने के बाद सड़कों के ऊपर कंजेक्शन हो रहा है जिससे सड़कें चौड़ी नहीं कर सकते हैं और लोग जगह जगह अतिक्रमण कर रहे हैं दुकान बनवा रहे हैं,इसलिये यह शक्ति भारत सरकार को दे रहे हैं जिससे एक नीति के अधीन सड़कों को चौड़ा किया जा सके और अतिक्रमण को हटाया जा सके । इसलिये मैं समझता हूं कि संकल्प का कोई विरोध नहीं है..... ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 156 के प्रवृत्त होने से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित राजमार्ग केन्द्रीय सरकार की विधायी अधिकारिता के अधीन आ गये ।

चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के पार्श्व की भूमि के प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामले जैसे लम्बी पट्टी (रिबन) की तरह विकास पर रोक, पहुंच मार्ग का नियन्त्रण, अतिक्रमण का हटाना, सड़क के पास की भूमि के प्रयोग पर नियंत्रण, सुधार प्रभार का उदग्रहण आदि राज्य की विधायी अधिकारिता के भीतर आते हैं और इन्हें राज्य-सूची की मद संख्या--13 के रूप में सम्मिलित किया गया है,

चूंकि यह सभा समझती है कि सम्पूर्ण भारत में नियमों, विनियमों, प्रक्रिया आदि में एक-रूपता प्राप्त करने के लिये एक अधिनियम पारित करना वांछनीय है,

चूंकि राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय के सम्बन्ध में विधान बनाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन आवश्यक शक्ति प्राप्त है, ऐसे विधान की अवधि एक वर्ष से अनधिक अवधि तक सीमित है,

अतएव, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके यह सभा संकल्प करती है कि संसद से अनुरोध किया जाय कि वह ऊपर उल्लिखित विषयों को विनियमित करने के लिये अधिनियम पारित करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश चलचित्र और करा धान विधि (संशोधन विधेयक, 1989

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)---

श्रीमन मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल चित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय । श्रीमन्, यह बहुत ही छोटा और अधिक महत्वपूर्ण संशोधन है ।.....

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, मद संख्या 12 ले लीजिये, आज हमारे उत्तर प्रदेश के बीड़ी मजदूरों.....

श्री अधिष्ठाता---

मद 12 तो मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य है और अब यह बीच में तो आ नहीं सकता है । हम लोग काफी आगे बढ़ गये हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मेरे पास जो लिखित सूचना आई थी, उसके अनुसार बीड़ी मजदूरों के समान वेतन के लिये आज की तिथि निर्धारित हो गयी थी । उसको चर्चा के बारे में आज के एजेण्डे में तो कोई तारीख है नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

आज है नहीं, कल आएगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

लेकिन इसकी मेरे पास कोई नोटिस नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

तो मैं उसको दिखवा लूंगा कि किस गलती के कारण नहीं आया है ? तो कल अब वह आएगा ही ।

श्री मुहम्मद आजम खां---

आज नहीं आ रहा है तो वह आश्वासन दें कि कल आएगा ।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने कहा तो हम दिखवा लेंगे, नोटिस गयी है तो क्यों नहीं आया है ? हम इसको दिखवा कर सूचना दे देंगे ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

यह संशोधन जो 1989 में सदन के सामने रखा गया है । इसमें मान्यवर, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 और उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 में थोड़ा-थोड़ा संशोधन किया जा रहा है । इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये पड़ी, जैसा हम और आप इस बात से सहमत होंगे कि अभी विगत पिछले वर्ष में 1988 में पूरे प्रदेश के सिनेमाघरों में आन्दोलन हुआ था और उन्होंने अपने-अपने सिनेमा घर बन्द किये थे । उनकी एसोसिएशन से बातचीत हुई, तो उनको बुनियादी दिक्कतें मालूम हुई उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिये और साथ ही उत्तर प्रदेश चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें बहुत सारे शहर हैं, लेकिन शहरों के अलावा बहुत सारी आबादी छोटे देहातों में रहती है, तो बहुत सी ग्राम सभायें, टाउन एरिया, नोटी-फाइड एरिया ऐसे हैं, जहां पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे । बड़े शहरों में सिनेमा-घर थे, तो ऐसी व्यवस्था पर विचार किया गया देहातों में शहरों से दूर के जो एरिया हैं वहां मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सकें इसके लिये यह संशोधन माननीय सदन में लाया गया है । इसमें बी0 डी0 ओ0 पार्लर बनाये जाने की भी व्यवस्था की जा रही है । जगह-जगह लोगों को सस्ते मनोरंजन मिलें, आसानी से देखने को जिसकी पाकेट जितना एलाउ करती है उसी के अनुसार उसको मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जा सकें इसलिये यह किया गया है । बी0 डी0 ओ0 कैसेट लाइब्रेरी जगह-जगह खुली हैं वह एक तरह से रेगुलर नहीं है तो उनको रेगुलराइज करके लाइसेन्स दिया जा रहा है और वह ऐसी फिल्में जो सेंसर से पास हुई हैं और जिनके प्रमाण-पत्र भी हैं यह सारी चीजें बिल में आ रही हैं । इन दिनों श्रीमन् एक प्रयोग किया गया टैक्स के बारे में, बहुत से माननीय सदस्यगण चिन्ता प्रकट करते हैं । आपने देखा होगा सेल्स टैक्स में भट्ठों में कम्पाउन्डिंग किया गया, खांडसारी में किया गया इसी तरह से मनोरंजन कर की कम्पाउन्डिंग का प्रयोग किया जा रहा है एक लाख से कम की आबादी के जो शहर हैं वहां सिनेमा थियेटर हैं उनकी कम्पाउन्डिंग के प्रयास किये जा रहे हैं उसमें भी इस सदन से अनुज्ञा ली जायगी । यह छोटे-छोटे संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं । हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिये और जनता के मनोरजन को बढ़ाने के लिये, इसीलिये यह संशोधन किया गया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, कोई टैक्सेशन मेजर एडाप्ट किया जाता है या कोई कराधान किया जाता है तो उसमें 2-3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं एक तो सरकार को रेवेन्यू मिले और रेवेन्यू रियलाइजेशन के साथ-साथ उस इडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले और जो उपभोक्ता है वह भी राहत का अनुभव करे । अगर ऐसा किया जाता है तो उसको सही मानों में कराधान कहा जायगा अगर सही ढंग से कराधान नहीं किया जाता है तो उसका लाभ न उस इंडस्ट्री को होगा और न जनता को होगा । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि उनका उद्देश्य यह है कि जो सिनेमा देखने के साधन हैं वह ग्रामीण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अंचलों तक बढ़ाये जायं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और वह सस्ते मनोरंजन का साधन बने। 2-3 बातें उन्होंने बतायी है। अगर आप देखें, मैंने तो इसको विस्तार से पढने की चेष्टा की है इसमें कहीं यह देखने को नहीं मिला कि जो दर्शक है उसको क्या फायदा होगा। यह बात सही है कि आज हिन्दुस्तान में एक दो स्टेट्स को छोड़कर उत्तर प्रदेश में इंटरटेनमेन्ट टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिनेमा मालिकान उनसे मिले थे।

मेरा कहना है सिनेमा मालिकान भी आपसे संतुष्ट नहीं हुए और जो उपभोक्ता या दर्शक हैं वह भी संतुष्ट नहीं हैं। दर्शकों को कोई लाभ नहीं हुआ है। इतनी जरूर सुविधा दर्शकों को दी है कि जहां पर 25 पैसे की दर थी वहां उसको घटाकर 10 पैसे कर दिया है लेकिन टैक्स में कोई राहत आपने नहीं दी है। इक्जीबिटर्स आपसे मिले थे उनका कहना था कि हमारी नेबलिंग स्टेट दिल्ली है उससे अधिक दर यहां टैक्स की नहीं होनी चाहिये। बिहार हमसे गरीब प्रदेश है लेकिन वहां पर दिल्ली के मुकाबले केवल 40-60 फीसदी टैक्स है लेकिन उत्तर प्रदेश में 125 और 150 फीसदी टैक्स है। इसी तरह से आप सदन स्टेट्स को देख लें सदर्न स्टेट्स में सिनेमा के रेट को नीचे घटाया गया है जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ा है। हमारे यहां चूंकि रेट्स ज्यादा हैं इसलिये रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। हमारी मांग है कि इसको दिल्ली के बराबर कर दें लेकिन आप नहीं करते हैं।

एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार इस समय उत्तर प्रदेश में 19 सिनेमाघर बन्द हो गये हैं। मैं 4 तारीख की चर्चा कर रहा हूं। कानपुर में अप्सरा और जयहिन्द पहली तारीख को बन्द हो गये हैं। प्रिया गोरखपुर में 1-4-89 को बन्द हो गया है। प्रिंस और जयहिन्द लखनऊ में बन्द हो गये सिनेमा रेट्स ज्यादा होने के कारण चारों तरफ सिनेमाघर बन्द हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो बातें माननीय मंत्री जी ने कहीं हैं उसमें कोई खास बातें नहीं दिखायी दे रहीं हैं। अभी एक बात मंत्री जी ने ईंट भट्ठों की कही कि उनकी तरह कंपाउंडिंग करना चाहते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह सरकार इक्जीबिटर्स के हाथों में खेल रही है। उनको अपनी जानकारी नहीं है और सरकार को अपने हितों की जानकारी नहीं है। सिनेमा मालिकान इसलिये संतुष्ट नहीं हैं कि उनके सामने ग्रास और नेट का सवाल खड़ा हो गया है। 40 परसेंट आप करने जा रहे हैं। यह जो व्यवस्था आप कर रहे हैं इससे जिस सिनेमाहाल के मालिक को फायदा होगा वह स्वीकार करेगा लेकिन जिसको फायदा नहीं होगा वह स्वीकार नहीं करेगा। इसलिये आप यदि आंकड़े देखेंगे और टोटल रेवेन्यू का कलकुलेशन किया जायगा तो आपको घाटा होगा इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से करना है तो आप इसके ऊपर 1 लाख की बंदिश को छोड़कर प्रदेश में एक नीति अपनायें तो शायद आपको फायदा हो और उनको भी कुछ राहत मिले। आपने एक पालिसी तय की है कि 1981 की जनगणना को आधार माना जायगा। आज 1989 चल रहा है। मेरा कहना है कि आप अद्यतन, अप-टु-डेट जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको लेकर कोई नीति बनायें और यह जो ग्रास तथा नेट का झगड़ा करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

आपने एक यह भी व्यवस्था की है कि सिनेमा मालिक एयरकूल के लिये 10 पैसे तथा एयरकंडीशंन कर देगा तो 20 पैसे अतिरिक्त प्रभार वसूल कर सकता है। आपने कहा है कि 15 मार्च से प्रारम्भ होने वाली और अगले पन्द्रह सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वायुशीतन या वातानुकूलित सुविधा के लिये क्रमशः दस और बीस पैसे का अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जा सकता है। अगर सिनेमाघर का मालिक यह सुविधा उपलब्ध करायगा तो बिजली के मिनिमम चार्जेज उसे साल भर के देने पड़ेंगे लेकिन सुविधा आप केवल 4

महीने के लिये दे रहे हैं तो इस पर पुनर्विचार करिये । सिनेमा मालिकान की मांग थी कि इसको कम से कम 25 पैसे कर दें । आपने आकूपेंसी को 100 प्र तिशत माना है । जबकि आकूपेंसी 40--60 फीसदी से ज्यादा नहीं है । आपको आकूपेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा । दूसरी तरफ आपने बीडियो के बारे में जो व्यवस्था की है उसका कोई लाभ नहीं होगा । आप बस के ऊपर या यान के ऊपर 1500 रुपये रख रहे हैं । इस तरह से 50 रुपये रोज पड़ेगा । रोडवेज की बस में एक रुपया बीडियो के लिये लिया जाता है । मानलीजिये 50 आदमी बस में, और बस 3 चक्कर करती है तो 200 रुपये की आमदनी हो गयी और 50 रुपये टैक्स हो गया । तो यह पैसा सरकार को नहीं मिला और उपभोक्ता को भी फायदा नहीं मिला ।

इसी तरह से वीडियो पर आपने आमोदकर लगाया है । आज रामायण सीरियल आता है गांव में कोई वीडियो है उससे देख लिया तो आप कर लगा देंगे । इस तरह से कोई फायदा या कोई खास बात होने वाली नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि सिनेमा इण्डस्ट्री को फायदा पहुंचाना चाहत हैं तो आपको 2--3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आपको चाहिये रेवेन्यू और जनता को चाहिये सस्ता मनोरंजन । अभी आपने सिनेमा को इण्डस्ट्री घोषित नहीं किया है । सिनेमा को इण्डस्ट्री आपने घोषित क्यों नहीं किया ? उनके ऊपर लेबर डिस्प्यूट ऐक्ट लागू होगा, उनके ऊपर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू होगा, ई0एस0आई0 को सुविधा उनके ऊपर लागू होगी, इण्डस्ट्रीज को मिलने वाली सभी सुविधायें उनके ऊपर लागू होंगी । उनके लिये सभी बन्धन तो हैं, लेकिन इण्डस्ट्री को मिलने वाली सुविधा उनको नहीं है । आप किसी सिनेमा में जायं, वहां पर फायर प्रूफ के लिये अनेक संयंत्र लगाने पड़ेंगे । इसलिये आपके रूल्स जो पुराने हो गये हैं, उसमें भी संशोधन करने की जरूरत है । दिल्ली के लोग रहां के सिनेमा को ठेके पर ले लेते हैं । आप सिनेमा में विज्ञापन वगैरह देकर उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं । आपने निरीक्षण की व्यवस्था कर दिया, उसे समाप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्टरटेनमेन्ट टैक्स की चोरी होती है कि नहीं, लेकिन वहां पर जो सुविधायें मिलती हैं, वे सुविधायें मिलती हैं कि नहीं, उसको भी देखने की जरूरत है । इसको प्रवर समिति में भेजने से, उसके सारे पहलुओं पर विचार हो जायगा । हमने जो सुझाव दिये हैं, वह इस दृष्टिकोण से दिये, ताकि सरकार को रेवेन्यू मिले । इसलिये मान्यवर, इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय, उसमें इन बिन्दुओं पर विचार हो जायगा ।

श्री मूल चन्द---

मान्यवर, एजेंडे में जो मद संख्या 30 और 37 है, जो वक्तव्य के लिये लगा हुआ है, उसकी प्रति मुझे नहीं मिली है ।

श्री अधिष्ठाता---

यह तो वक्तव्य है, वक्तव्य की प्रति आपको अभी मिल जायगी ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट ।)

***श्री नेक चन्द पाण्डेय---**

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश चल-चित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक सदन के समक्ष रखा है; मैं उसके समर्थन में चन्द बातें माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, आज के समय में इसकी बहुत ही आवश्यकता थी, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में है कि आज जनता पर कर की भारी मार के कारण सिनेमा पर बन्द होने की स्थिति में आ गये थे । हमारी सरकार ने समय रहते भी निर्णय लिया है, मैं इसके लिये बधाई देता हूं । माननीय गुप्ता जी ने जो अभी इस विधेयक की प्रवर समिति में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

भेजने के लिये विचार रखा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सिनेमा वाले हड़ताल कर रहे थे, तब तो वह उनकी वकालत कर रहे थे और आज जब सरकार ने निर्णय लिया है, तो उसको प्रवर समिति में भेजने की बात कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने इसमें उल्लेख किया है, कि इस मनोरंजन कर कम किया जायगा। इससे जो एक लाख की आबादी से नीचे के कस्बे हैं, वहां पर जो सिनेमा देखने जायेंगे, उनसे कम दर वसूलने के लिये कम्पाउंडिग की व्यवस्था की जायगी। वह कम से कम दर पर देहात के सुरगामी अंचल सुदूर सिनेमा देखने में सहायता करेगा। जो बी० डी० ओ० लाइब्रेरी फ्री और रेगुलराइज करके उनको कुछ टैक्स लेकर उनको कुछ सुविधा, उपलब्ध करायी जा रही है। और साथ ही साथ जो बी० डी० ओ० पार्लर ग्रामों में सदूर अंचलों में जहां उनके लाइसेन्स वगैरह बनने में बड़ी कठिनाई थी उनमें बहुत ही सरलीकरण करते हुए जनमानस में पहुंचाया है जो आज समय की आवश्यकता है। हमारी सरकार जो विधेयक लायी है उसके सम्बन्ध में सरकार को बधाई देता हूं और जो गुप्ता जी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कही है उसका विरोध करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस संशोधन अधिनियम को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का जो प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब किसी अधिनियम में संशोधन करने की नौबत आती है और जब संशोधन की नौबत आती है उस समय पुराने अनुभवों को ध्यान में सामने रखकर जो निष्कर्ष निकलता है उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ देखने की जरूरत पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट सिनेमा मालिक सिनेमा नहीं खोलते जिसकी वजह से निगम की स्थापना हुई और निगम ने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा घर खोलने का निर्णय लिया और 200 छविगृह बनाने का निर्णय लिया गया था और 1986 तक 48 छविगृह बन पाये थे। उन 48 छविगृहों में शुरू में तो काम अच्छा चला लेकिन धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों प्रगति इसमें हुई ज्यों-ज्यों भ्रष्टाचार ने भी घर करना शुरू कर दिया।

मान्यवर, आज इस समय अगर देखा जाय तो लगभग 13 छविगृह अधूरे पड़े हुए हैं उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जा चुका है और निर्माण नहीं कराया जा सका है। एक हरिद्वार के अन्दर छविगृह बनाया जा रहा है 30 लाख रुपया खर्च हो चुके हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं कराया जा सका है। इसी तरह से कुछ दिन पहले अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से एक "कर्म कसौटी" नाम की फिल्म बनायी गयी थी आज के अधिकारी उस फिल्म को रिलीज करने में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं कुछ निहित स्वार्थ के कारण। मान्यवर, वर्ष 1987–88 में चलचित्र निगम ने 98.10 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त कराया था और 60 लाख रुपये निगम को दूसरे साधनों से प्राप्त हुआ था, 1.58 करोड़ रुपये इसकी आय हुई थी सरकार की और इसके बाद 88–89 में नवम्बर तक 55.78 लाख टैक्स के रूप में मिला। मान्यवर, 10-15 लाख नवम्बर के बा. और मिल सकता है। इस तरह से दो ही सालों में देखा जाय तो इतनी व्यवस्था अच्छी उन्होंने की और 2 साल में ही लाखों रुपये का घाटा सामने आ गया। इसलिए जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा भ्रष्टाचार ने भी अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया। आज जो इस समय उसके प्रबन्ध निदेशक है मिस्टर वार्ष्णेय, भ्रष्टाचार के मामले में वे बेजोड़ हैं तो मान्यवर, जिन बातों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है उन बातों को भी लिया जाता जब प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ठोस संशोधन अधिनियम के रूप में सदन के सामने लाया जाता तो ज्यादा

उपयोगी होता। इन शब्दों के साथ मैं गुप्ता जी के द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमान, यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधन बढ़ाने की तरफ एक तरफ सरकार कहती है और दूसरी तरफ बढ़ाकर के उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के ऊपर कर भार बढ़ाती है। अभी इन्होंने बी0 डी0 ओ0 पर भी टैक्स लगाने की बात कही थी, अभी आप देख रहें होंगे, बस से हम लोग भी यात्रा करते हैं, वीडियो लगता है बस में, उस पर भी टैक्स लगाया इन्होंने, और टैक्स लगाने का मतलब यह हुआ कि कण्डक्टर कुछ लोगों से लेगा और कुछ लोगों से नहीं लेगा और यह भ्रष्टाचार का अहम मुद्दा बनकर रह जायगा। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि प्राइवेट सिनेमा मालिक जब घाटे में होने लगे बिजनेस में तो देहाती क्षेत्रों में सिनेमा लगाना नहीं चाहते थे, न लगाने की स्थिति इसलिये आयी कि अधिकांश सिनेमा मालिक टैक्स के भार से इतने दब जाते हैं कि वे सिनेमा हाल केवल भाड़े पर चलाते हैं। फिल्म वाले भाड़े पर लेते हैं और मालिक जितने दिन फिल्म चलती है, उसका भाड़ा लेते हैं। टैक्स का इतना भार पड़ता है और जितना भार पड़ता है, आप देख लें, जनता पर ही पड़ता है। चलचित्र निगम की इसीलिये स्थापना हुई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा नहीं लग पा रहे हैं। सिनेमा मालिक वहां नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिये चलचित्र निगम के छविगृहों का देहाती इलाकों में निर्माण कराया गया ताकि देहात वाले भी मनोरंजन कर सकें। अब देहात में वीडियो के माध्यम से जो फिल्म दिखाने का काम करते हैं, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो चलचित्र निगम की स्थापना जिन उद्देश्यों से हुई, वे पूरे नहीं हो रहे हैं। जैसा कि मा0 वर्मा जी ने कहा चलचित्र निगम के 19 छविगृह अब भी बन्द पड़े हैं। चालू नहीं हो पा रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक और इन्होंने भ्रष्टाचार का शगूफा छोड़ दिया कि एक मुश्त 40 परसेन्ट दे दें। जैसे शराब का ठेका देते हैं और बाद में चाहे जहर मिलाया जाय, लेकिन इनको पहले दे दे। चाहे जितना वसूल करो, इनको 40 परसेन्ट दे दो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन विषमताओं को ध्यान में रखते हुए जनता से अच्छी राय जानी जा सकती है, एक्सपर्ट लोगों की, कराधान जानने वालों की राय जानने के लिये इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय। एक माह का समय मांगा है। एक माह में रिपोर्ट आ जायगी तब इस विधेयक को पास कर दीजिएगा। इसलिये मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

देखिये इस विधेयक के लिये सिर्फ आधा घण्टा का समय नियत किया गया है। वह हो चुका है। अब आप कृपा करके बैठ जाएं।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मान्यवर, समय बढ़ा दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक आध लोग बोलना चाहते हैं, उनकी रुचि है, उनको बोल लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

जो समय दिया था, पूरा हो गया। आप बैठें। मा0 मुख्य मंत्री जी को भी चर्चा में हिस्सा लेना है। समय नहीं है। कृपया बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मा० अधिष्ठाता महोदय, मेरे इस प्रवर समिति के प्रस्ताव पर मा० राम गोविन्द जी, मा० पाण्डेय जी ने विचार प्रकट किये, उनके लिये आभार प्रकट करता हूं। अभी मा० सदस्य जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस समय सिनेमा मालिकों की हड़ताल चल रही थी, उस समय गुप्ता जी समर्थन कर रहे थे और आज विरोध करने के लिए खड़े हो गये। मान्यवर, मैं पाण्डेय जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय सिनेमा मालिकों की हड़ताल चल रही थी, मैंने उनकी न्यायोचित मांगों का समर्थन किया था और आज भी दर्शकों के हित में, प्रदेश के हित में जो मांगें हैं, उनका समर्थन करना चाहता हूं। लेकिन समर्थन क लिए समर्थन नहीं करता, जो उचित समर्थन है, उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैंने पहले भाषा में भी कहा। अगर आप चाहते हैं कि सिनेमा इण्डस्ट्री फ्लोरिश हो, दर्शकों का भी मनोरंजन हो, सरकार की आय के स्रोत के रूप में देय हो, 2-3 मांगें हैं उनकी, यह मांग बिल्कुल सही है सिनेमा के बारे में भी डेवलपमेन्ट एलाउन्स सिनेमा के इन्टरटेनमेन्ट टैक्स में 10 प्रतिशत कटौती होने चाहिए। कर की दरें घटाने की आवश्यकता प्रदेश में है कम्पाउंडिंग इन्टरटेनमेन्ट ग्रांस के बजाय नेट रेवन्यू में करे। आप ही ने कहा कि कहीं पर 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और छोटे शहरों में तो इससे भी कम है एवरेज आक्यूपेन्सी 36 प्रतिशत है यह मान्यवर सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार कई कारणों से वहां पर होता है 4 लोग पहुंच गये फ्री सिनेमा दिखाइये पुलिस के लोग पहुंच गये, किसी ने पर्चा लिख दिया। यह सब चोरी की स्थिति है। कम से कम एक प्रतिशत कम्पलीमेन्टरी सीट दे देनी चाहिये ताकि सिनेमा वालों का वह अपना उपयोग हो सके। इसी तरह से मान्यवर सिनमा के रूल्स हैं वह आउट डेटेड हो गये हैं पुराने हो गय हैं। आज वैज्ञानिक विकास है, इसमें संशोधन की जरूरत है। प्रवर समिति को भेजने का जो मेरा मत है इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये 30 दिन का समय मांगा है अच्छे सुझाव देकर यह अपना प्रतिवेदन दे देगी। उसके बाद इसे प्रस्तुत करें फिर इन्हीं शब्दों के साथ प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। माननीय रिछारिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, दो मिनट लूंगा। जो माननीय गुप्त जी ने जो एक मुख्य बात उठायी कहा कि इसका मनोरंजन कर का वह सलेब कम किया जाना चाहिये। श्रीमन्, आपके माध्यम से सदन को सूचना देना चाहता हूं कि नियमों में संशोधन करके यह प्रस्ताव मान लिया गया और करों में रियायतें दी जा रही हैं। इसमें जो हमारा कर पहले 100 प्रतिशत या 50 पैसे के ऊपर उसको घटाकर 75 पैसे किया जा रहा है और जो 50 पैसे के बाद 51 पैसे से 1 रु0 तक सवा सौ प्रतिशत था, कम करके 100 प्रतिशत किया जा रहा है। एक रुपये से ऊपर डेढ़ सौ प्रतिशत था उसको सवा सौ प्रतिशत किया जा रहा है। एक बात और कही है कि श्रीमन् सिनेमा बन्द हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 19 सिनेमा बन्द हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। 17 बन्द हुए हैं। 8 बन्द हैं चलचित्र निगम के अपनी किसी परेशानी की वजह से बन्द हैं। सिनेमाओं का नाम लिया, उसमें कानपुर के न्यू बंसत का नाम लिया, उनके अपने स्वामित्व का और अपने टाइटल का झगड़ा चल रहा है इसलिये बन्द है कानपुर का अप्सरा बन्द है। अप्सरा और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में झगड़ा है इसलिये बन्द हो रहा है।

मान्यवर, सिनेमाघर लगातार इस प्रदेश में खुले हैं। 88-89 में 55 खुले हैं। 1985-86 में 46 खुले थे, 86-87 में 32 खुले थे, 87-88 में 48 खुले थे। इसमें श्रीमन् आपने कम्पाउंडिंग के बारे में कहा, जो टोटल कैपिसिटी है उसी पर लगाया जा रहा

है। आपने कहा कि जो रेवेन्यू है उसके ऊपर लगना चाहिये रेवन्यू के ऊपर आने से जो माननीय सदस्य ने अभी भ्रष्टाचार की बात कहीं रेवेन्यू के ऊपर लगने से भ्रष्टाचार का इसमें सन्देह रहेगा। टोटल कपिसिटी पर लगाया जा रहा है। वर्तमान स्लेब है उससे नहीं, 22 प्रतिशत टैक्स के हिसाब से उस पर जो कम्पाउंडिंग करके उसके ऊपर जो टैक्स ले रहे हैं वह अलग-अलग दरों पर है 22, 18, 17-विभिन्न आबादी के हिसाब से। इस प्रतिशत का टोटल के ऊपर कम्पाउंडिंग करके अल्टीमेटली उसी स्तर पर आकर लाभ मिल सकेगा। टोटल कैपिसिटी पर करने का इरादा है। हर चीज को रेगुराइज किया गया है। इसकी सीलिंग की परमिशन ली। डेढ़ हजार, तीन हजार जो टैक्स था वह किया गया है लेकिन टैक्स का स्लेब 10 प्रतिशत रख रहे हैं जिससे देहात के एरिया में लोगों को लाभ हो। मान्यवर, मैं नहीं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता--

वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता था कि सिनेमा को इण्डस्ट्री घोषित करने के सम्बन्ध में और अगर कोई सिनेमा मालिक मोड आफ बिजनेस चेन्ज करना चाहता है, तो उसे भी यह अनुमति नहीं देते हैं, इसके बारे में जानना चाहता था।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन् मैंने बताया कि इण्डस्ट्री घोषित करने से जो लाभ हम देते हैं जैसे आजकल सब्सिडी के लाभ काफी मिल रहे हैं और 1990 तक हाल बनाने के ऊपर काफी सब्सिडी दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

गुप्त जी, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 16, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश चल-चित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 1989

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 और उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र और कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 5 का संशोधन

2 -उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है धारा 5 में उपधारा (1) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड और उसका स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा अर्थात्---

"(ख ख) कोई जलपान-गृह उस स्थान में नहीं चलाया जाता है जहां वीडियो द्वारा कोई प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो,

स्पष्टीकरण-इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ठहरने वालों द्वारा अध्यासित किये जाने वाले कमरों मे वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिए किसी होटल को लाइसेन्स दिये जाने से रोकता है ।"

धारा 6-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 6-क मे उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी अर्थात्--

"(4) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को चलचित्र यंत्र या वीडियो द्वारा किसी ऐसे प्रदर्शन को जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया जा रहा हो रोकने की ले किन शक्ति होगी और वह इस प्रयोजन के लिये उतने न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जितना वह मामले की परिस्थितियों मे आवश्यक समझे ।"

4—मूल अधिनियम की धारा 8 में उपधारा (1) में शब्द "जुर्माने से दो हजार रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर "शब्द ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है साधारण कारावास से या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से" रख दिये जायेंगे । धारा 8 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (2) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्न लिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात्— धारा 13 का संशोधन

"(कक) पचास हजार रुपये से अनधिक के प्रशमन प्रभार का आरोपण जिसका भुगतान करने पर चलचित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थल या भवन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों से धारा 10 के अधीन छूट दी जा सकती है ।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम 1979 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

(क) खण्ड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ठठ) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जनसंख्या का तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या से है जिसे अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित किया गया है और जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं ।"

(ख) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(डड) 'सार्वजनिक सेवा यान' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए मोटर यान अधिनियम, 1939 में दिया गया है ।"

(ग) खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ध) 'वीडियो सिनेमा' का तात्पर्य वीडियो द्वारा प्रदर्शन से है जैसा कि वह उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 में परिभाषित है और उक्त अधिनियम के अधीन उसे लाइसेन्स प्राप्त है ।"

7—मूल अधिनियम की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द और अंक "धारा 4 लागू होती है के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4 या धारा 4–क या धारा 4–ख लागू होती है या इस उपधारा के परन्तुक के अधीन कोई सम्मन भुगतान किया जाना है रख दिये जायेंगे ।

(दो) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक और उसका स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु किसी सिनेमा का मालिक किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो, इस, उपधारा के अधीन भुगतान के बदले में राज्य सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये और ऐसी दर पर जो सकल संग्रहण क्षमता की चालीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, सम्मत भुगतान कर सकता है और स्थानीय क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिये सम्मत भुगतान की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं ।

स्पष्टीकरण--पूर्ववर्ती परन्तुक के प्रयोजनों के लिये "सकल संग्रहण क्षमता" की गणना चालू टिकट दरों द्वारा (जिसके अन्तर्गत प्रवेश के लिये भुगतान और उस पर आमोद कर भी है) सिनेमा में विभिन्न श्रेणियों में बैठने के स्थान की संख्या को गुणा करके और इस प्रकार प्राप्त राशि को उतने प्रदर्शनों की जितने प्रदर्शन सिनेमा का मालिक एक दिन में करने की घोषणा करे, संख्या से गुणा करके की जायगी ।"

(ख) उपधारा (3) में, जहां-जहां भी शब्द "पच्चीस पैसे" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दस पैसे" रख दिये जायेंगे ।

नयी धारा 3-क का बढ़ाया जाना

8--मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"3-क (1) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुएभी, किसी केन्द्रीय वायु शीतित या केन्द्रीय वातानुकूलित सिनेमा का मालिक जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे सिनेमा में किसी आमोद में प्रवेश के लिये भुगतान करने वाले व्यक्ति से किसी वर्ष में पन्द्रह मार्च से प्रारम्भ होने वाली और अगले पन्द्रह सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वायु शीतन या वातानुकूलन सुविधा के लिए क्रमश: दस पैसे और पच्चीस पैसे का अतिरिक्त प्रभार वसूल कर सकता है ।

वायु शीतित और वातानुकूलित सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रभार

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रसारित धनराशि को किसी आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान नहीं समझा जायगा ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार--

(क) जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा के बिना, या

(ख) यथास्थिति वायु शीतन या वातानुकूलन सुविधा की व्यवस्था किये बिना, वसूल किया गया हो, वहां इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि को आमोद में प्रवेश के लिए अतिरिक्त भुगतान और उस पर देय आमोद कर के योग के बराबर समझा जायगा ।"

9––मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्- - नई धारा 4–क और 4–ख- क बढ़ाया जान

"4-क (1) किसी वीडियो सिनेमा का मालिक प्रति सप्ताह के लिए तीन हजार रुपये से अनधिक की ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, आमोद कर का देनदार होगा ।

वीडियो सिनेमा पर कर

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को जहां स्थायी सिनेमा स्थित हों, जन-संख्या और वहां विद्यमान स्थायी सिनेमा की संख्या को ध्यान में रखकर वीडियो सिनेमा का वर्गीकरण कर सकती है और वीडियो सिनेमा के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये आमोद कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकती है ।

(3) जहां कोई मालिक जो उपधारा (1) के अधीन आमोद कर का देनदार हो, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान कर दें कि किसी विशिष्ट सप्ताह में उसके द्वारा किये गये वीडियो प्रदर्शन की संख्या इक्कीस से कम थी वहां, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसे मालिक को, किये गये प्रदर्शनों की संख्या इक्कीस से जितनी कम हो, उतने प्रदर्शनों में प्रत्येक के लिए साप्ताहिक कर की धनराशि के इक्कीसवें भाग की दर से छूट दे सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन देय कर का भुगतान, संग्रह और वसूली ऐसी रीति से की जायगी जैसी विहित की जाय ।

4-ख (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान का मालिक जो ऐसे यान में वीडियो द्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदर्शन करता है, एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमास से अनधिक की यान या होटलों में ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर, वीडियो प्रदर्शन पर कर आमोद कर का देन-दार होगा ।

(2) जहां ऐसे यान का मालिक जिलामजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान कर दें कि यान किसी विशिष्ट मास में सभी दिन नहीं चला वहां, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी ऐसे मालिक को उतने प्रत्येक दिन के लिये, जितने तीस दिन से कम हों, मासिक कर के तीसवें भाग की दर से, छूट दे सकता है ।

(3) जहां वीडियो द्वारा प्रदर्शन किसी होटल में ठहरने वालों को किराये पर दिये गये कमरों में किया जाय, वहां ऐसे होटल का मालिक, ऐसे प्रत्येक कमरे के लिये जिसमें वीडियो प्रदर्शन की सुविधा हो, एक सौ रुपये प्रति सप्ताह से अनधिक की ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधि-सूचित करे, आमोद कर का देनदार होगा ।

(4) इस धारा के अधीन देय कर का भुगतान, संग्रह और वसूली विहित रीति से की जायगी ।"

धारा 15 का संशोधन

10––मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"(4) जहां किसी आमोद के लिए स्वीकृत कोई अनुज्ञा या लाइसेन्स इस धारा के अधीन प्रतिसंहृत या निलम्बित कर दिया गया हो, वहां, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त को ऐसे आमोद को रोकने की शक्ति होगी और वह इस प्रयोजन के लिये उतने न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जितना वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे ।"

नई धारा 29–क का बढ़ाया जाना

11––मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"29–क–जो कोई धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी आमोद के लिये अनुज्ञा या लाइसेन्स के निलम्बित या प्रतिसंहृत रहने पर, ऐसे आमोद का आयोजन करता है, वह ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है, साधारण कारावास से या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ।"

अनुज्ञा के प्रतिसंहृत या निलम्बित होने पर आमोद के लिए शास्ति

धारा 30–क का संशोधन

12––मूल अधिनियम की धारा 30–क में, शब्द और अंक "धारा 29" के पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 29–क" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 32 का संशोधन

13––मूल अधिनियम की धारा 32 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "धारा 29" आये हों, उनके पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 29–क" बढ़ा दिये जायेंगे ।

नयी धारा 32–क का बढ़ाया जाना

14––मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"32-क––किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय या निपटारा करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका विनिश्चय या निपटारा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो ।"

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

अध्याय–चार

उत्तर प्रदेश विज्ञापन-कर अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

15––उत्तर प्रदेश विज्ञापन-कर अधिनियम, 1981 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"परन्तु कोई मालिक इस उपधारा के अधीन देय कर के बदले ऐसी शर्तों पर, ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे' एकमुश्त कर का भुगतान कर सकता है और जहां कोई

मालिक ऐसे एकमुश्त कर का भुगतान करने का विकल्प करता है, वहां उससे उस अवधिके लिए जिसके लिए एकमुश्तकर का भुगतान किया गया हो, धारा 5 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी,उक्त धारा के अधीन लेखा रखने और विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायगी ।"

धारा 4 का संशोधन

16––मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"परन्तु किसी मालिक द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान करने के मामले में, मालिक द्वारा इस धारा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी ओर से विज्ञापन प्रदर्शित किया जाय, वसूल की जा सकने वाली राशि ऐसे विज्ञापन पर धारा 3 के अधीन देय विज्ञापन कर की राशि के बराबर होगी ।"

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16, खण्ड एक, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता––

आज दिनांक 4–4–1989 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । इसमें श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) का नाम जहरीली शराब वाले चर्चा में जोड़ दिया जायगा । शेष सभी सूचनायें अस्वीकार ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

यह सुरेन्द्र सिंह क. नाम जहरीली शराब वाले में क्यों जोड़ रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता––

आप क्या कहना चाहते हैं, यह तो अच्छी शराब है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बड़ा अफसोस है कि उनका नाम नहीं जोड़ा गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी––

मान्यवर, वक्तव्य दिलवा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता––

अब वक्तव्य नहीं आ सकता, मैंने ध्यान आकृष्ट करा दिया है ।

उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर बिहार सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के हासनगर मौजे में बिहार मिलिट्री, पुलिस और गुण्डों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि की खड़ी फसल पर अवैध कब्जा करने के प्रयास के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)––

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बलिया एवं जनपद भोजपुर (बिहार) की अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्प्रान्तीय सीमा रेखा पूर्व में गंगा नदी द्वारा धरधूरा प्रणाली के आधार पर निर्धारित थी किन्तु गंगा नदी के प्रायः हर वर्ष अपनी.....

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय––

पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री अधिष्ठाता––

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

माता प्रसाद––

[धारा बदल देने के कारण उत्तर प्रदेश का कुछ भू-भाग बिहार में तथा बिहार का कुछ भू-भाग उत्तर प्रदेश में अन्तरित हो जाते थे। इस समस्या के निराकरण हेतु श्री चन्दू लाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था । आयोग की संस्तुतियां दिनांक 10 जून, 1970 से प्रभावी हुयीं । सीमा परिवर्तन अधिनियम लागू होने के बाद अन्तर्प्रान्तीय सीमा का निर्धारण सीमा क्षेत्र में सीमा-स्तम्भ लगाकर किया गया ।

वर्तमान समय में बलिया जनपद के ग्राम हासनगर तथा बिहार के जनपद भोजपुर के ग्राम नैनीजोर के कृषकों के बीच भूमि के अधिकार एवं स्वत्व संबंधी विवाद है । उल्लेखनीय है कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सीमा पर लगाये गये सीमा स्तम्भ बिहार के निवासियों द्वारा उखाड़ दिये गये हैं । अतः इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष फसल की कटाई के समय विवाद उत्पन्न हो जाता है और शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है ।

वर्ष 1989 में ग्राम नैनीजोर के निवासियों द्वारा दिनांक 14-3-89, 16-3-89, 17-3-89, 18-3-89 एवं 19-3-89 को शांतिपूर्वक ढंग से कटाई करते हुए सहानगर के कृषकों पर फायर किये गये किन्तु कोई हताहत नहीं हुआ ।

समस्या के निदान हेतु दिनांक 14-3-89 को ब्रम्हपुर (बिहार) में एक बैठक हुई तथा पुन दिनांक 20-3-89 को दोनों पक्षों के आयुक्त स्तर की एक बैठक बक्सर (बिहार) में हुई । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों के व्यक्तियों के आग्नेयास्त्र जमा करा लिये जायेंगे तथा दोनों प्रान्तों के राजस्व अधिकारी मौके का निरीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही करेंगे । इस संबंध में दिनांक 21-3-89 को दोनों प्रान्तों के राजस्व अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया और लगभग 242 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल को सम्बन्ध में धारा 145 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्णय लिया । इस क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा उत्तर प्रदेश के कृषकों के हितों की रक्षा हेतु पी0ए0सी0, नागरिक पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है ।

विवादित भूमि के स्वामित्व के संबंध में दोनों प्रान्तों की ओर से मामले न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । ग्रामवासियों के गांव छोड़कर भागने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी––

मान्यवर, कल ही यह वक्तव्य आया था और यह दो प्रदेशों की सीमाओं का विवाद है। कल यह तय हुआ था जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में मौजूद रहेंगे, तो इसको लिया जायगा, इसका आपकी पीठ से निर्देश हुआ था और आज 6 बजे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इसकी सूचना आपकी पीठ से दी गयी थी, लेकिल इसको अभी ही ले लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री को या तो अभी बुला लिया जाय। यह दो स्टेट का मामला है और बिहार के मुख्यमंत्री इसमें व्यक्तिगत रूप से बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल होना चाहिये।

संसदीयकार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, यह बात देवरिया कांड वाले मामले में तय हुआ था। इस मामले में आप बात शुरू करवाइये, अगर बीच में मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो वह अपनी बात कह देंगे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय––

मान्यवर, जो वक्तव्य है, उसमें बताया गया है कि संस्तुतियां दिनांक 10 जून, 1970 से प्रभावी हुई और सीमा परिवर्तन अधिनियम लागू होने के बाद अन्तरप्रान्तीय सीमा का निर्धारण सीमा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगाकर किया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीमा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगा दिये गये हैं, उसमें से आज कितने स्तम्भ शेष रह गये हैं ?

श्री माता प्रसाद––

मान्यवर, त्रिवेदी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1968 में उत्तर प्रदेश बिहार सीमा अन्तरण अधिनियम बना और जो जून, 1970 से लागू हुआ और उसी के आधार पर सीमा पर स्तम्भ लगा दिये गये। बिहार के लोगों ने शायद उसमें से कई स्तम्भों को उखाड़ दिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी––

मायवर, मेरी बात को सही मानकर त्रिवेदी आयोग के अनुसार जो भी खम्भे गाड़े गये थे, उन्हें बिहार के नैनीजोर के निवासियों ने पुलिस की मदद से उन सारे खम्भों को उखाड़ दिया। इस विवाद को समाप्त करने के लिये क्या उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार से बात करके पुन: त्रिवेदी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उन स्तम्भों को लगवायेगी और उन खम्भों की सुरक्षा के लिये दोनों सरकारें निरीक्षण का कार्य अपनी पुलिस के अधिकारियों।कर्मचारियों से करवायेगी ?

श्री माता प्रसाद––

मान्यवर, अभी दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश और बिहार के राजस्व अधिकारियों की बैठक गृह विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में हो रही है। वहीं पर यह सवाल भी लिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता––

क्या मंत्रियों की बैठक अधिकारियों की अध्यक्षता में हो रही है ?

श्री माता प्रसाद––

गृह मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हो रहीं है। यू0 पी0 और बिहार के रेवेन्यू के अधिकारियों की बैठक गृह मंत्रालय के अधिकारियों की अध्यक्षता में हो रही है। उसमें यह प्रश्न है कि स्तम्भ लगवायें जांय, यह एक विचारणीय प्रश्न वहां पर है।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, अब माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में सुधार कर लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों की अध्यक्षता में राजस्व मंत्रियों की बैठक हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में सुधार कर लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके आखिरी पैरा से पहले वाली कंडिका को देखने का कष्ट करें । माननीय मंत्री जी ने कहा कि बैठक हो रही है, परन्तु मान्यवर, वक्तव्य में इन्होंने लिखा है कि दिनांक 14-3-1989 को ब्रम्हपुर (बिहार) में एक बैठक हुई है और दिनांक 20-3-1989 को बैठक हुई है, लेकिन मैंने विस्तार से इनके वक्तव्य को पढ़ा, उसमें कहीं भी इन बैठकों में स्तम्भ लगाये जाने का कोई बिन्दु आया ही नहीं है । दूसरा, यह कि खम्भे लगवाये जा चुके थे, जब उनको पुनः लगवाये जाने की व्यवस्था करनी है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो फैसले लिये गये थे, उनके क्रियान्वयन की क्या प्रगति है ?

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, पहले 2 मार्च, 4 मार्च को बैठक हुई । उसके बाद फिर 14 मार्च को बैठक हुई दोनों ओर से भोजपुर के पटना के कमीश्नर और बलिया के वाराणसी के कमीश्नर की बैठक हुई । बैठक में तीन बातें तय हुई । उसमें एक तो यह कि दोनों क्षेत्रों बलिया और भोजपुर में जिन लोगों के पास हथियार शस्त्र है, उन्हें जमा करा लिया जाय । दूसरा, दोनों जिलों के अधिकारी संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण करें । उसके बाद वे स्तम्भ जो उखाड़ दिये गये हैं, इस सम्बन्ध में भी तय किया गया है कि उनको लगाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाय । इसी सिलसिले में आज बैठक हो रही है, भू-सर्वेक्षण विभाग में इस प्रश्न को उठाया जायगा कि खम्भों को लगा दिया जाय ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

1970 से यह सीमा विवाद चल रहा है । मा0 मन्त्री जी का कहना है कि पिछले समय में भी बैठक हुई, कल भी होने जा रही है । एक सूचना देना चाहूंगा 1978 से अब तक कुल 14 बार बैठकें हुई, जिसकी प्रतियां मेरे पास है । वहां पर 4 राउण्ड गोली चली । हर समय खेत की बुआई और कटाई के समय झगड़ा होता है । उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे अधिकारयों की बैठक कराते हैं । मामला 19 वर्ष से निलम्बित पड़ा हुआ है । चन्दू लाल त्रिवेदी की जो रिपोर्ट है, जो पार्लियामेंट में पारित होने के बाद ऐक्ट के रूप में हो गयी है, उसको न मानने का क्या कारण है ? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर अब तक क्या किया ?

श्री माता प्रसाद--

जैसा कि पहले बताया उन्हीं सभी समस्याओं पर विचार करने के लिये आज बैठक दिल्ली में है ।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 मन्त्री जी । मा0 सदस्य जानना चाहता हूं कि कार्यान्वयन में जो बाधायें आयी है उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर क्या कार्यबाही की है ?

श्री माता प्रसाद--

भोजपुर के ग्राम नैनीजोर और बलिया के गांव हास नगर में विवाद है। हासनगर में फसल तैयार होती है तो हर वर्ष नैनीजोर के लोग फसल को काटने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की पी0ए 0 सी0 और अधिकारीगण देखरेख कर रहे हैं। कई बार प्रयास किया फसलों को काटकर ले जाने के लिये लेकिन ले नहीं जा सके।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

त्रिवेदी आयोग की जो रिपार्ट है "रिपोर्ट आन दि बाउन्डरी डिस्प्यूट" उसके पृष्ठ 58 पर लिखा है, मन्त्री जी भी इससे सहमत है। आप इससे भी सहमत हैं कि नैनीजोर के लोग जबर दस्ती फसल की कटाई कर लेते हैं। मैने अपने पूर्व प्रश्न में सवाल किया था कि जब चन्दू लाल त्रिवेदी की रिपोर्ट ने ऐक्ट का रूप धारण कर लिया है तो उसको अभी तक लागू न होने का क्या कारण ?

श्री अधिष्ठाता--

आप सहमत होंगे कि दो राज्यों के झगड़े का मामला है।

श्री विक्रमादित्य पांडेय--

यह बात नहीं है, मान्यवर, 19वर्ष से लगातार उल्लंघन हो रहा है सीमाओं का, मामला तय नहीं हुआ। एक तरफ पी0ए0सी0 लगी है दूसरी तरफ नागरिक पुलिस लगी है। एक हजार राउड गोली चली है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति विस्फोटक है, ऐसी परिस्थिति में क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि 2601 एकड़ की जो जमीन है, वह निर्विवाद रुप से खरीफ की फसल को समय से ले सकेंगे कि उसमें कोई विवाद न हो, क्या आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे ?

(इस समय 5 बज कर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री माता प्रसाद- -

दोनों आयुक्तों की बैठकों में तय हुआ है कि बलिया और भोजपुर के जिलाधिकारी मौके पर निरीक्षण करेंगे और जो पैदावार है, फसल निर्विवाद होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो विवादहोगा उसके लये 145 के अन्तर्गत वह कुर्क कर ली जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के शीघ्र निर्णय का प्रयास है कि हासनगर में 800 विवाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं जल्द तय हो आप जानते हैं कि हासनगर कभी उत्तर प्रदेश में और कभी बिहार में रहा है। 1882 में हासनगर बलिया का गांव रहा और 1909 में बिहार में चला गया। इस तरह से कई बार हुआ। उस समय नदी की बीच की धारा पर सीमा तय होती थी, इसलिये चन्दू लाल त्रिवेदी आयोग बना। अन्तरण हुए 22 गांव उत्तर प्रदेश के बिहार में आये और बिहार के 100 गांव उत्तर प्रदेश में आयें। कुछ गांव उत्तर प्रदेश के रेकार्ड में थे, वह गांव जो बिहार में चले जाते रहे, उसके हिसाब से वहां का रेकार्ड रहता रहा। जब हासनगर यहां आया त्रिवेंदी आयोग के आधार पर। उससे पहले हासनगर बिहार में था। किसना तब भी, बलिया का किसान वहां जोतना रहा बिहार का किसान भी जोतता रहा। इस तरह से करीब 800 विवाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं। चूंकि विवाद अभी तय नहीं हो पाये हैं, इसलिए झगड़ा करते रहते हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूरा समय ले लिया इतिहास और भूगोल के समझाने में। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि त्रिवेदी आयोग को लागू हुए 19 वर्ष हो गये हैं, उत्तर प्रदेश म उस ऐक्ट का इम्प्लीमेन्टेशन कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद---

उत्तर प्रदेश सरकार में त्रिवेदी आयोग के आधार पर निर्णय हुआ है कि उसको लागू कराने के लिये वह बराबर प्रयास कर रही है, लेकिन जो विवाद होता है जैसे उन्होंने सीमा के स्तम्भ को उखाड़ दिया है, इसमें यह है कि 1,3,5 के स्तम्भ बिहार सरकार लगायेगी और 2;4,6 के स्तम्भ उत्तर प्रदेश द्वारा लगाये जायेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार यह प्रयास करेगी और आज दिल्ली में बैठक हो रही है और उसें त्रिवेदी आयोग के आधार पर जो सीमा निर्धारित हुई है, उसी पर स्तम्भ लगाये जाने का निर्णय लिया जायेगा ताकि आगे विवाद न हो । (श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 24 के पुकारे जाने पर) ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

अभी नहीं मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष---

हो तो गया । अब आगे बहुत सी चर्चा लगी है । (सर्वश्री विक्रमादित्य पाण्डेय, शारदा नन्द अंचल तथा राम गोविन्द चौधरी सदन के "फ्लोर" में आ गये तत्पश्चात् कुंवर रेवती रमण सिंह के प्रयास से वे अपने-अपने स्थानों पर चले गये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग वहां जाकर बात करिये । यहां खड़े रहेगें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप लोग अपनी सीट पर जाइये । अगर यह महत्वपूर्ण भी है तो क्या हम इस पर देर तक चर्चा चलायेंगे ?

(माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में प्रवेश किया ।)

*कुंवर रेवती रमण सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आ गये है । कल यह विवाद इसलिये टाल दिया गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब रहें तो वे समुचित रुप से उसका जवाब दें । तो कदाचित यह सभी माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हो सकेंगे, तो अब माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, मैं चाहूंगा कि जो बिहार व बलिया के कछार का मामला है, इसमें यदि आपके संज्ञान में कोई बात हो तो उसे कृपा पूर्वक सदन को अवगत करा दें तो इससे इन लोगों को काफी संतुष्टि होगी और उत्तेजना कफी हद तक समाप्त हो जायेगी।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, जो प्रश्न अभी सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, इस संबंध में मेरी बिहार के मुख्य मंत्री सत्येन्द्र बाबू से कल रात ही टेलीफोन पर बातें हुयीं पटना से । तो उनसे हमारी यही बात हो रही थीं कि अभी यह जो विधान मण्डल के अधि वेशन चल रहे हैं, इन के स्थगित होने बाद ही वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक, होगी, जहां पर अब तक दोनों ओर के अधिकारियों के बीच बातें हुयी हैं, उनके आपसी विचार विमर्श हुए है, या निर्णय हुए हैं, सभी को लेकर बात चीत होगी, जिसे माननीय राजस्व मंत्री जी ने आप सभी को अवगत कराया ही होगा. . . (व्यवधान)

एक साथ कुछ सदस्य---

(विरोध पक्ष की ओर से), कुछ भी अवगत नहीं कराया गया है, माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से अब तक इस संबंध. . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ सदस्य--

(सत्ता पक्ष की ओर से) . . . .नहीं सब कुछ बता दिया गया है, माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से . . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अब इस संबंध में फिर हमारी बात-चीत बिहार के मुख्य मंत्री जी से होगी पहले मुख्य सचिवों के स्तर पर होगी फिर बाद में मैं अपने स्तर से बात करूंगा और जो भी हमारे यह त्रिवेदी एवार्ड में दिया गया है, उसको ही उचित मानकर हम पूरी कार्यवाही करेंगे।

प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना की निर्धारित प्राथमिकताओं तथा आचार्य नरेन्द्रदेव शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की जानकारी के सम्बन्ध में व्यव स्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

श्रीमन्, हमारा एक व्वयस्था का प्रश्न है और सदन के बाहर भी एक अनुरोध माननीय मुख्य मंत्री जी से कर लिया था और इस समय भी मान्यवर आपकी अनुमति से अनुरोध करूंगा कि एक दो दिन ही विधान सभा के चलने के रह गये है। इस समय श्रीमन हमारे प्रदेश की सरकार 8वी पंच वर्षीय योजना बना रही है, इसलिये इस ओर मान्यवर मैं जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस संबंध मैं क्या प्राथमिकतायें निर्धारित कर रही है एक बात और दूसरी बात यह कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी का यह शताब्दी वर्ष है जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने इस प्रदेश पर डाल रखी है। श्रीमन् बड़ी कृपा होगी यदि माननीय मुख्य मत्री जी इन दोनों बातों के बारे में कुछ बता दें कि इन दोनों व्यवस्थाओं पर क्या कर रहे है ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)- -

मान्यवर मैं माननीय तिवारी जी जो जनता दल पार्टी के उप नेता है इन्होंने इस सबध में पहले भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी और आज फिर इसी को दोहराया, मैं इनका आभारी हूं। अभी 8वीं योजना में जो कार्य हो रहे हैं, वह प्रारम्भिक पेपर्स आदि तैयार हो रहे हैं, पहले एप्रोच पेपर्स बनते है और हमारे यहां की जो योजना होगी, उसका दिशा निर्देशन क्या होगा, यह सारे एप्रोच पेपर्स बनने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और इस प्रक्रिया के शुरु करने से पहले हम विरोध पक्ष के मा0 नेतागण को भी बुलाऐंगे और उनसे भी परामर्श लेंगे और मैं चाहूंगा कि जब यह बैठक हो और आप लोगों को आमंत्रित किया जा जाय तो आप भी इस ओर विचार विमर्श के लिऐ पुरी तरह से तैयार होकर आऐं ताकि यह 8वीं योजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर बन सके। और जहां तक आचार्य नरेन्द्र देव जी के शताब्दी वर्ष की बात कही गयी, इस संबंध में मै यह बताना चाहूंगा कि एक समिति बनायी जा चुकी है और उस समिति की बैठकें भी हो रही है। इसके आगे की एक बात और बताना चाहूंगा कि जहां पर आचार्य नरेन्द्रदेव जी का जन्म हुआ था, वहां पर एक स्मारक बनाने के लिये विचार किया जा रहा है, इस पर यहां से एक पत्र तामिलनाडू के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि को लिखा जा चुका है,इस पर इन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है कि "युरोध" में जहां उनका जन्म हुआ था, यह स्मारक बनायी जाये, उनका अभी दो दिन पहले यह पत्र हमें मिला है कि आचार्य नरेन्द्र देव के नाम पर एक इसपेक्शन हाउस की स्थापना कर दी जाय . . . . .

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डी0आर0डी0ए0 को जो धन आवंटित होता उस धन को विधान मण्डल यूज करता है. और अब यह सुना जा रहा है कि भारत सरकार ने आपसे इस पर आख्या मांगी है कि उस पैसे का किस प्रकार से वितरण हो, क्या गांव सभाओं को दे दिया जाये, या क्षेत्र समितियों को

दे दिया जाये या जिला परिषद के द्वारा खर्च किया जाये। मेरा आग्रह है और उससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे और एक मत होंगे कि 7वीं योजना तक वह पैसा जिस प्रकार से व्यय हो रहा था, उसी प्रकार से व्यय होने दिया जाये, वही पद्धति चले रहना चाहिये जिससे जो काम अधूरे हैं, वह हो जायें और 8वीं योजना में आप जो भी व्यवस्था करना चाहें, करें। लेकिन 7वीं योजना में जो व्यवस्था चल रही है, उसी को चलने दिया जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अपने विचार को अन्तिम रूप देते हुये जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर बिहार सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के हास नगर मौजे में बिहार मिलिट्री, पुलिस और गुण्डों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि की खड़ी फसल पर अवैध कब्जा करने के प्रयास के सम्बन्ध में वक्तव्य

(क्रमागत)

श्री विक्रमादित्य पांडेय---

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री जी से बात की है और वह त्रिवेदी एवार्ड को लागू करायेंगे, इसलिये मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2601 एकड़ जमीन 1882 से आज तक लेकर उत्तर प्रदेश की रही है और राजस्व मत्री जी ने कहा दिया कि कभी वह बिहार की हो गयी और कभी हमारी हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

पांडेय जी, मुख्य मत्री जी ने आश्वसन दे तो दिया है। अब आगे चलने दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लिया है और आप इस गम्भीर मामले को टाल रहे हैं। इसके विरोध में हम बलिया के सारे विधायक वाक आउट करते हैं।

(सर्वश्री राम गोविन्द चौधरी, विक्रमादित्य पांडेय और शारदा नन्द अंचल सदन त्याग कर चले गये।)

कार्य सूची की मद संख्या 49 को पहले लिये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कार्य सूची की मद संख्या 49 को पहले ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मैंने अभी कहा था कि जो विधेयक है, इसको कल लें आज स्थगित कर दिया जाये और आपने कहा कि एजेन्डा के अनुसार चला जायेगा और अब आप फिर इसको कैसे बदल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन की अनुमति है।

डा0 बंगाली सिंह--

मान्यवर, अलीगंज, एटा में, 5 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया है, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर जायेंगे। एटा में 5 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सूर्य प्रताप शाही- -

मान्यवर, देवरिया में जो जघन्य हत्यायें हुई हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उस स्थान को देखकर आये हैं. . . (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–-

अब तो इस सदन की सहमति हो गई है। पहले इसको ले लेंगे। इसके बाद उसी क्रम से चलेगा। यह कहा गया था कि 6 बजे मुख्य मंत्री आयेंगे . . .

(श्री विजय सिंह राणा, श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े होकर एक साथ बोलने पर) (व्यवधान)।

श्री विजय सिंह राणा–-

जिस क्रम में ऐजेन्डा है उसी क्रम से आप चलें।

श्री खान गुफरान जाहिदी- -

मान्यवर, ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों की चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं है। आज सुबह ही कहा गया था कि मुख्य मंत्री जी 6 बजे आयेंगे और उस समय इस पर चर्चा हो जायेगी। सदन की सहमति भी इस पर हो गई है। आपने प्रस्ताव भी पास करा दिया है। जब एक निर्णय सदन में हो गया है तो उसको तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद देवरिया थाना खड्डा के ग्राम मरचहवां के जंगल पार्टी के गिरोह द्वारा 13 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या एवं 7 लोगों को गम्भीर रूप से घायल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री सूर्य प्रताप शाही–-

मान्यवर, देवरिया का यह एक ऐसा कांड है जिसके सामने प्रदेश की सारी समस्यायें बहुत हल्की पड़ जाती है। मान्यवर, मरचहवां काण्ड सारी मानव जाति के लिये एक चुनौती है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। वहां पर जंगल राज कायम हो गया है। उस क्षेत्र में हत्याओं का अम्बार लगा हुआ है। इस कान्ड के दो साल पहले यहां पर 15 लोगों की हत्या हो चुकी है और उसके बाद अभी पिछले बृहस्पतिवार को 13 व्यक्तियों की जघन्य हत्या कर दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद की पुलिस की कानून व्यवस्था में गिरावट का कारण डकैतों के साथ दोस्ती होना, उनके साथ हाथ मिलाना ही है। मान्यवर यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में यदि माननीय मुख्य मंत्री जी, हिम्मत हो तो इसकी आप जांच का लें कि देवरिया के पुलिस कप्तान ने मरचहवां गांव के बगल के गांव में डकैतों के सरगना के साथ पुलिस को भेजकर गरीब लोगों की खड़ी फसल को कटवा दिया था। इसी बिना पर गांव के लोगों में मतभेद हुआ था और डकैतों ने इन लोगों की हत्या करवाई है। वहां के गरीब लोगों की जमीन पर उनकी फसल पर कब्जा किया। थाना खड्डा के थानाध्यक्ष गरीब लोगों की खड़ी फसल कटवा लिये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से डकैतों को संरक्षण दिया जायेगा तो फिर इसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी।

मान्यवर, इस घटना की एक पृष्ठ भूमि है। वहां पर ये लोग खैरा की लकड़ी का व्यापार करते हैं। मुख्य मंत्री जी को वहां के लोगों ने बतलाया होगा। वन निगम से 50–50 रुपये में खैरा की लकड़ी ली जाती है और उसको बेचने के लिये बरेली ले जाते हैं। इस तरह से वाद-विवाद शुरू होता है। दो गुटों में डकैत बंट गये। इन

लोगों द्वारा गरीबों की फसल पर कब्जा करना, उनकी खड़ी फसल को काटना , उनकी बहू-बेटियों के साथ अनाचार करना एक आम बात हो गई है और आज वहां पर इतना बड़ा काण्ड हो गया । यह अकेले अपने में एक घटना नहीं है । इसका एक इतिहास रहा है । वहां पर कानून को तोड़ने का इतिहास रहा है वहां पर जंगल पार्टी का राज रहा है जो बिहार सरकार के नाम से जाना जाता रहा है । मुख्य मंत्री जी जानते हैं । बिहार सरकार नें इस स्थिति से निपटने के लिए एक ब्लैक पैंथर आपरेशन चलाया लेकिन मुख्य मंत्री ने दबाव में आकर जो लोग उसमें काम कर रहे थे, उनको हटा दिया और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा संरक्षण देकर इस तरह की घटना वहां पर हो गई । मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसके लिये एक ठोस विकल्प देंगे । वहां की जो जनता है, जो लोक उधर पड़ते हैं खड्डा की तरफ की जो जमीन है वह उनको हस्तान्तरित कर दी जाय । यह वह चाहते हैं कि नदी के इधर लाकर उनको बसाया जाय । दूसरी बात मै कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

अब दूसरी बात न कहें और भी बोलने वाले हैं (व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैं इस घटना के सबंध में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये, वहां पुलिस के क्या कारनामे हैं वह मालूम हो गया होगा इसलिये इस घटना की जांच सी0बी0आई0 से करायें ।

श्री बालेश्वर--

मान्यवर, जब तक वहां ए0के0 सिंह रहेगा तब तक इस तरह की घटनायें होती रहेंगी । इस घटना में पुलिस का सबसे बड़ा हाथ है बासुदेव यादव के गिरोह से पुलिस वालों ने यह कहलवा दिया अपने मुखबिर से कि रामपासी गिरोह मरचहवा गांव में आया है और उधर रमापासी गिरोह से भी कहलवा दिया कि बासुदेव यादव का गिरोह तुम्हें मारने के लिये आ रहा है । यह संयोग की बात है कि रामपासी गिरोह वहां से चला गया और बासुदेव गिरोह ने उन निरीह लोगों की 30 मार्च, 1989 को हत्या कर दी । तो इस हत्या के पीछे पुलिस का हाथ है । जैसा माननीय शाही जी ने भी कहा कि खैरा की लकड़ी की तस्करी वहां बहुत दिनों से चल रही है जिसकी सूचना शासन को भी होगी । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां जो भी थानाध्यक्ष नियुक्त होता है उसका पहला काम यह होता है कि खैरा की लकड़ी की तस्करी नैपाल से गांजा और हिरोयन लवंग आदि की तस्करी कराये और भारी रकम उससे वह वसूल करे जिसमें से ऊपर से नीचे तक पुलिस वालों को दे । यही इसका मुख्य कारण है । बासुदेव यादव तीन दिन तक इस मरचहवां गांव के आसपास रहा और रोज 20 के0 जी0 मांस शराब आदि खड्डा बाजार से मंगाता रहा । तो इस बात का ज्ञान पुलिस वालों को नहीं हुआ ? यह साबित करता है कि यह बात पुलिस की जानकारी में थी । तमाम वहा के विधायकों के शिकायत करने पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया ।

इस मार्च के महीने में बैतालपुर में 3 लाख रुपये की तिजोरी सहित गुंडे उठा कर ले गये । हाटा बाजार में सरेआम 22 तारीख को डकैती पड़ी.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करे ।

श्री बालेश्वर--

इसी 31 तारीख को देवरिया में डकैती पड़ी जिसमें एक आदमी को ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर पहली अप्रैल को ट्रैजरी के सामने देवरिया कचहरी में ग्राम प्रधान मईल की हत्या हुई । वहां खड्डा के नौरंग सिंह थानेदार फर्जी इनकाउन्टर करते रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप बैठें ।

श्री बालेश्वर––

सारे देवरिया जिले में इस प्रकार की घटनायें आये दिन हो रही हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे और वहां से ए0के0सिंह पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाकर इसकी जांच करायें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

इसके पहले जब माननीय मुख्य मंत्री जी इधर जब बैठते थे यह देवरिया का दुर्भाग्य रहा है कि उस समय नारायणपुर काण्ड हुआ था और माननीय बनारसी दास जी की सरकार थी और उसपर कामरोको प्रस्ताव आया था जनता पार्टी का शासन था हम लोग उधर बैठते थे तो इन्होंने उनसे इस्तीफे की मांग की थी । मैं उन्हीं के शब्दों में पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं नारायणपुर कांड की याद तिवारी जी को दिलाना चाहता हूं और इस समय उनके इस्तीफे की मांग करता हूं श्री मन् मुख्य मंत्री जी वहां गये थे इसलिये ज्योग्राफी नहीं बताना चाहता हूं । जिस रास्ते से वह गये थे यदि सीधे रास्ते से गये होते तो स्थिति साफ हो जाती कि वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है वहां दो गिरोहों का झगड़ा नहीं था बल्कि बड़े और छोटे लोगों का झगड़ा था । वहां 84 किलोमीटर की पट्टी हमारे क्षेत्र से चलकर बिहार तक जाती है जब तक प्रशासनिक इकाई वहां नहीं बनायेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला है । मान्यवर इसलिये मैंने पिछली बार भी कहा था कि लड़ाई वहां जंगल पार्टी की नहीं बल्कि लड़ाई खैरा लकड़ी के जंगल के कारण है दस्यु सरगना के लोग खैरा लकड़ी को वहां सस्ते में लेकर बरेली में 80 हजार रुपये में बेचते हैं । मान्यवर यह मरिचहवा गांव नहीं है बल्कि बसंतपुर गांव में मरिचहवा टोला है । उस क्षेत्र का व्यक्ति यहां बैठा है , एक दो नहीं अनेक सफेदपोश लोग साढे चार हजार एकड़ भूमि पर कब्जा किये हैं । मैं जानना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी के प्रशासन को चुनौती देना चाहता हूं और एक सवाल करना चाहता हूं कि आपका जब आदेश है कि पुलिस कप्तान अपने गृह निवास के बोरडर में काम नहीं कर सकता है तो देवरिया का पुलिस कप्तान वहां कैसे रह रहा है ? पुलिस कप्तान देवरिया गिरोह के लोगों से, वासुदेव दस्यु से 25 हजार रुपये रिश्वत में लिये हैं, मैं चाहता हूं कि इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच आप करायें ? वासुदेव गिरोह के लोगों ने गुस्से में गांव के लोगों को जिन्दा जलाया है । पी0ए0सी0 पर कोई भरोसा नहीं है इसलिये हम चाहते है कि वहां बोरडर सेक्योरिटी फोर्स का प्रबन्ध किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठ जांय ।

श्री हरिश्चन्द्र जी आप बोलें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

(व्यवधान) मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि देवरिया के पुलिस कप्तान को आप हटायें । देवरिया के 18 गांव और गोरखपुर के 4 गांवों को एक प्रशासनिक इकाई में लें और जो थाना बनाना चाहते हैं उसे नदी के उस पार बनायें । बोरडर सेक्योरिटी फोर्स का प्रबन्ध करें और साढे चार हजार एकड़ भूमि जो बड़े लोगों ने कब्जे में कर रखी है उसको भूमिहीनों को उपलब्ध करायें तभी वहां की समस्या हल हो सकती है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी––

मान्यवर मैं केवल चार बिन्दुओं की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी वहां मरचहवा होकर आये हैं, मैं भी 2 तारीख को वहां गया था । मरचहवा पहुंचते ही वहां के और आस पास गांव के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहा बाबू

मुझे नारायणी नदी के दाहिने किनारे के जंगलों में बसा दें। मैं जाना चाहता हूं कि उन गरीब बेगुनाह लोगों ने मुख्य मंत्री जी से कहा होगा कि हम लोगों को मदनपुर, रामपुर के जंगलों में बसा दें। निर्णय आपको लेना है। बीहड़ों में बसे इन 24 गांवों के लोगों को दो बड़े गिरोहों के बीच कत्ल कराये जायें यह उचित नहीं है। नारायणी नदी के दाहिनी ओर के तटों के जंगलों में उनको बसा दिया जाये। निर्णय जो करना है करें लेकिन उन लोगों को नारायणी नदी के पार उतार दें। निर्बल लोगों को बदमाशों ने मार डाला उनका दोष क्या था? आपने अनुभव किया होगा जो दो गिरोह हैं वह दोनों कुछ दिन पहले-एक दिन एक थे। उनका धन्धा, शाखूवेट व खैरा की लकड़ी का अवैध व्यापार करना पैसा उगाही और फिरौती का काम वह एक साथ करते थे। अब इन दोनों में अन्तरभेद आ गया है एक गोल वाले कहीं ठहरेंगे तो दूसरे गोल वाले उन गांवों को सताते हैं और दूसरे गोल वाले जहां ठहरेंगे तो पहले गोल वाले उस गांव वालों को मार देंगे। यह जो पनाहगाह दोनों के इन 24 गांवों में बने हुए हैं इसको आप हटा दीजिये और नारायनी नदी के उस पार उनको बसा दीजिए। चारों तरफ वहां पुलिस के पहरे लगे हुए हैं--देवरिया, गोरखपुर और बिहार की तरफ से पी0ए0सी0 पुलिस को चार टुकड़ियां चारो तरफ हैं- चारों चौकियां एक दो किलोमीटर में हैं। दो दिन पहले यह बढ़ई गड्डा गांव में ठहरे थे। इन गांवों में कोई ऐसा नहीं है जिनके लिये इतने ऐश का सामान खरीद कर ला सके जो इनके लिये लाया जाय। यहां पर लगातार दो घंटे गोली वरसा हुई है। आप निर्णय करें कि पुलिस और पी0ए0सी0 किस लिये लगाई गई है? वेटशाखू और खैरा लकड़ी का काला धन्धा करने के लिये या इन 24 गांवों के लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिये। यह जो जंगल है बस्ती, गोरखपुर और बिहार की सीमाओं से लगता है। वह इलाका ऐसा है उसके बारे में सोचना होगा सेना के द्वारा पूरे इलाके को घेर कर जिससे यह बदमाश भागकर भले ही नेपाल में चले जायें लेकिन (व्यवधान) तो आप सी0 बी0 आई0 से जांच कराइये और जिले से लेकर थाने तक जितने अधिकारी हैं वे सब दंडित करने योग्य हैं उनको दंडित कीजिए। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है 13-13 व्यक्तियों की हत्या आपके अस्तित्व के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह बनकर रह गया है। आपकी सरकार के अस्तित्व का अमान्य कर दिया गया है मुख्य मंत्री जी आप ऐसे गम्भीर और "सुलझे हुए "मुख्य मंत्री के नेतृत्व में जो प्रदेश चल रहा है मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे और समस्या का समाधान निकालने का कष्ट करेंगे।

श्री हर्षवर्धन--

माननवर; जनपद देवरिया के थाना खड्डा के मरचहवा बसन्तपुर गांव में यह जो भीषण नरसंहार हुआ है, उसके बारे में यहां पर काफी प्रकाश डाला गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस संवेदनशील प्रशासन की वह बात करते हैं, उसकी तरफ वह ध्यान देते तो यह काण्ड न हुआ होता। देवरिया में एक बहुत ही धार्मिक, ख्यातिप्राप्त और तेजस्वी देवरहा बाबा रहते थे, उन महात्मा के मंच के नीचे ही 3/3 आदमियों का कत्ल कर दिया गया और मजबूरी में भागकर देवरहा बाबा को देवरिया से मथुरा जाना पड़ा। इससे सम्बन्धित और इन्हीं अपराधियों को आप का प्रशासन संरक्षण दे रहा है। जब इसी सदन के एक सदस्य रणजीत सिंह का कत्ल हुआ तो उस समय उसकी चर्चा में सदन का स्पष्ट आरोप था कि वहां के पुलिस अधीक्षक ने ही उनका कत्ल कराया है, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की तत्परता नहीं दिखाई, और उसका परिणाम आज यह है कि 13 लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी गई है।

मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में 15 लोगों का जो इन्काउन्टर दिखाया गया है, वह बिलकुल फर्जी इन्काउन्टर दिखाया गया है। यह दोनों गिरोह आपस में में जो एक दूसरे गिरोह के आदमी को मार देते थे, उसी को वहां के दरोगा और एस0 पी0 फर्जी इन्काउन्टर के रूप में दिखा दिया करते थे। मेरी इस बात की

सत्यता जांचने के लिये आप कोई आयोग बैठाकर जांच करवा लीजिए, हमारी बात सत्य सिद्ध हो जायगी कि फर्जी इन्काउन्टर किस तरह से दिखाया गया है ? जैसा कि अभी ओझा जी ने बताया है उस गांव, उस टोले की 18-18 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए लोग यहां मैंजूद हैं । किसको जानकारी नहीं है कि यह सफेद पोश लोग जो बैठे हुए हैं, कत्ल करा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 1980 में इस पक्ष में बैठकर माननीय नारायण दत्त तिवारी, ने नेता विरोधी दल के रूप में जिस नैतिकता की दुहाई देते हुए बनारसीदास सरकार का इस्तीफा मांगा था आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं अगर नैतिकता शेष रह गई है तो वह स्वयं इस्तीफा दे दें ।

*श्री कौशिक रमाशंकर---

मान्यवर, 30 मार्च को मरचहवा में बड़ी दुखद घटना हुई हमारे उत्तर प्रदेश शासन पर यह जबरदस्त कलंक का टीका लगा है, श्रीमन् पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में जो स्थिति है उसका थोड़ा बहुत अन्दाजा इस नर संहार से हमें होता है । इस समय कोई व्यवस्था पुलिस के भरोसे गांवों की नहीं रह गई है । समस्त गांवों की पूरी व्यवस्था अराजक तत्वों, असामाजिक तत्वों और गिरोहों के हाथ में है और इसको इस काण्ड ने सिद्ध कर दिया है । गृह विभाग निकम्मा साबित हो चुका है । हर ऐसी घटना में गृह विभाग के जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका हाथ निश्चित रूप से रहा है मुख्य मंत्री जी इसकी जांच स्वयं करा लें । देवरिया में जो हुआ है इसमें पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का सीधा-सीधा हाथ है । खासकर एस0 पी0 वहां हैं जो वर्षों से किसी न किसी रूप में देवरिया या ससके इर्द-गिर्द बने रहते हैं, उनका इसमें हाथ है उनको कोई हटा नहीं पाता है । उनकी सारी रिश्तेदारियां वहां हैं । ससुराल उनकी वहां है । सारे गिरोहबंद लोगों से सनका संबंध है इसमें शासन से कई बार कहा गया लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस कांड में पूरी तरह से जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी ठहरानी चाहिये । प्रशासन तंत्र जो वहां की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर सका जमीन के झगड़ों को नहीं सुझा सका बार्डर के झगड़ों को नहीं सुलझा सका वह क्या करेगा ?

एस0 पी0 और अन्य पुलिस अधिकारी इस समय हैं वह इस घटना के जिम्मेदार हैं । गृह विभाग इसका जिम्मेदार है । गृह मंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिये । बेहमई कांड के बाद यह दूसरा कांड है गृह मंत्री जी को इसमें एक मिनट की देर नहीं करनी चाहिये थी इसमें तुरन्त स्तीफा दे देना चाहिये था एक भी मिनट की देर नहीं करनी चाहिये थी ताकि गृह विभाग और गृह मन्त्रालत में कुछ परिवतन आ सके । हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे दें और इनके साथ राज्य मंत्री जी भी इस्तीफा दे दें ताकि गृह विभाग में कुछ सुधार हो सके ।

श्री रामशरण दास--

माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आपको ख्याल हो कि मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी की यहां सरकार है, तो यह आपका भ्रम है । मुख्य मंत्री जी का भ्रम है । इस वक्त जो सरकार पूरे प्रदेश में चल रही है [× × × ×] सरकार चल रही है आपकी सरकार तो है ही नहीं । आप लाइसेंस गनर के, क्रिमिनर्स को दे रहे हैं और गांव का सीधा साधा आदमी लाइसेंस से वंचित है । आप कहते हैं कि मैं सरकार चला रहा हूं क्या कारण है आपने प्रतिबन्ध लगाया कि छोटे-छोटे, कर्मचारी अपने जिले में नहीं रहेंगे । वह तीसरे-चौथे जिले में रहेंगे, लेकिन बलिया का रहने वाला एस0 पी0 तीन साल से देवरिया में कैसे विराजमान है ? (व्यवधान) आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करिये ।

नोट [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, वहां का एस0 पी0 बलिया का रहने वाला है और देवरिया में व्याहा है। दरोगा नौरंग सिंह पहले खड्डा में रहा है और फिर ट्रांसफर होकर वहां गया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि गुंडे और बदमाश सरकार चला रहे हैं और उनके बल पर सरकार चल रही है । मैं नैतिकता पूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक यह चैलेंज करता हूं कि जांच हो जाय, प्रतिपक्ष में और सत्तापक्ष में कितने हिस्ट्रीशीटर इधर बैठे हैं और कितने उधर बैठे हैं ? ऐसी बात कहना रामशरण दास जी के लिये शोभा नहीं देता है । राम शरण दास जी इसको वापस लें (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

[× × × × × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

जो उपाध्याय जी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

[× × × × × ×]

श्री उपाध्यक्ष --

यह कुछ लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देख लूंगा यदि असंसदीय होगा तो निकाल दूंगा आप चिंता न करें ।

सदन की एक सर्वदलीय समिति बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखने की मांग

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, उपाध्याय जी ने एक प्रस्ताव रखा मैं संपूर्ण विपक्ष की ओर से उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव नहीं रखा है । प्रस्ताव बिना मेरी अनुमति के नहीं रखा जा सकता है । (शोर) आप लोग शांति बनाये रखें । मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी ने एक बात कही कि विरोध पक्ष में ज्यादा हिस्ट्रीशीटर हैं बजाय सत्ता पक्ष के । यह स्पष्ट आरोप है । मैं मान्यवर, विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय ।

नोट--[× × ×] यह अंश ही उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

बिना मेरी अनुमति के प्रस्ताव नहीं रख सकते ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

(× ×) यह हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक सर्वदलीय समिति बनायी जाय,.....जो मान्यवर, इस बात की जांच करे कि कितने हिस्ट्रीशीटर किधर हैं और वह कमेटी एक महिने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे ।

(घोर व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी---

इस तरह से प्रस्ताव नहीं रखा जाता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

आप इस सदन की एक कमेटी बना दें, ताकि इस प्रकरण की जांच हो जाय ...

(सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर---घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यवाही देखने के बाद जो ऐसे शब्द आये हैं, सबके सब निकलवा देंगे ।

श्री राम शरण दास---

एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं । मान्यवर, कोई हर्ज नहीं है, हमें भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी । एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय, आप अपने ही लोगों को उसमें बैठा दीजिये । माता प्रसाद जी को ले लीजिए,बढ़िया-बढ़िया आदमी जो आपके यहां पर हैं, बल्देव सिंह आर्य को ले लीजिए । (व्यवधान) मैं आपसे कहता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है । माननीय मुख्य मंत्री उस एस0एस0पी0 को हटाइये, उस दरोगा को हटाइये । जो कलेक्टर वहां पर है जो अभी तीन दिन पहले वहां पर पहुंचा है उसको भी हटाइये ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, जब एक प्रस्ताव आपके सामने आ गया, तो आप उस पर मत प्राप्त कर लीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है, उसके तहत प्रस्ताव रखा जाता है । किसी के कहने से प्रस्ताव नहीं हो जाता है । (श्री धनराज यादव के पुकारे जाने पर कई मा0 सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने माननीय धनराज यादव को बुला लिया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह सही है कि कोई प्रस्ताव लाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन श्रीमन्, जब आप अनुमति दे देते हैं....

नोट-[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कोई अनुमति नहीं दी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

श्रीमन् पूरी बात तो सुनिये आपने उपाध्याय जी को अपनी बात कहने दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, रामशरण दास जी बोल रहे थे वह बैठ गये उन्होंने कुछ कह दिया तो मेरी अनुमति कहां हो गयी ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत मांगी, आपने अनुमति दी और व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर नेता सदन की उपस्थित में माननीय उपाध्याय जी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा.....

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो बात अभी उपाध्याय जी ने कही उस बात को कार्यवाही से निकाल दें और नहीं तो वह खड़े होकर कहें कि वह प्रस्ताव वापस ले रहें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सब तो मैंने कह दिया था निकलवा ने के लिये जो ऐसी बातें हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आपने तिवारी जी को सुना, सब को सुना मैंने कोई पाप किया है कि मुझको नहीं सुनेंगे ।

मान्यवर, कोई भी प्रस्ताव जब रखा जाता है तो यह नियमों में व्यवस्था जरूर है कि आपकी अनुमति से प्रस्ताव रखा जायेगा वह एब्स्यूलूट नहीं है कि उनकी बंधेजी न हो । मान्यवर, पूरा प्रति पक्ष माननीय रेवती रमण सिह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता है इसलिये आपके पास विकल्प है ही नहीं तो आप प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दें। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, वह बात सही है कि सार्वजनिक जीवन में हमारे ऊपर आरोप लगते हैं आरोप लगाने का अधिकार भी किसी को हो सकता है लेकिन आरोपों की जांच कराने के लिये हम लोगों को सदा तत्पर रहना चाहिये । एक आरोप लगा है जो माननीय रेवती रमण सिह जी ने प्रस्ताव रखा है इधर या उधर के बैठने वाले सभी लोगों की जांच करा लें, पर्दाफाश हो जायेगा । इसलिये जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं मै चाहता हूं कि आप सदन की एक समिति बना दें जो सब माननीय सदस्यों की जांच करके तय कर दें यही प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तेजना में कोई बात हो जाय और उसको कार्यवाही से निकालने को भी कह दें तो इसके आगे नहीं बोलना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अगर उत्तेजना में कोई बात हो गयी हो तो माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत किसी को नहीं दे रहा हूं आप लोग बैठें ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मुझे खेद है कि संसदीय नोक झोंक में जो बात कही गयी उसको हमने बड़ी अधिक गम्भीरता से ले लिया । यह संसदीय नोक झोंक मैं जानता हूं अपने वरिष्ठ सम्मानित सदस्य सहारनपुर को कि उन्होंन पूरा अधिकार अपनी वरिष्ठता को देते हुए जो उन्हों ने टिप्पणी की वह जानते हैं कि आज शासन क्या है हम सब क्या हैं इसलिए जो उन्होंने कहा, मैंने उसका बुरा नहीं माना । मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग हिस्ट्रीशीट की बात भूल जायं हम लोगों की तो पालिटिकल हिस्ट्रीशीट बन जाती है और पालिटिकल हिस्ट्रीशीट की बात है, इसको मैं यहां नहीं लाना चाहता । सम्मानित सदस्यों की व्यक्तिगत आलोचना का कोई तात्पर्य है न माननीय वरिष्ठ सदस्य सहारनपुर का तात्पर्य यह था, न वरिष्ठ सम्मानित सदस्य गोण्डा का यह विचार है तो यह जो बातें हैं इसको भूल जाना चाहिये । यह नोकझोंक आपस में होती है, पालिटिकल हिस्ट्रीशीट हम लोगों को अच्छी रहे यह हम सब का प्रयास होना चाहिये।

श्री कौशिक रमाशंकर---

मान्यवर, रघुराज जी खड़े होकर कह दें यह जो माननीय सदस्य हैं यह खड़े होकर कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब नेता सदन ने कह दिया तो बाकी क्या रह गया ?

जनपद देवरिया थाना खड्डा के ग्राम मरचहवां में जंगल पार्टी के गिरोह द्वारा 13 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या एवं 7 लोगों को गम्भीर रूप से घायल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)

श्री धनराज यादव--

मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है, कि प्रदेश में ऐसा नरसंहार हुआ । सवाल नोंक-झोंक का नहीं है । सवाल विचार करने का है कि आगे से ऐसी कोई घटना न घटे यह हम लोगों पर कलंक है कि 13–13 निर्दोष जो निरीह हैं, उनकी हत्या जंगल पार्टी वालों ने कर दी । जंगल पार्टी लोग दसियों साल से बिहार में आतंक मचाये थे । बिहार में कड़ा आप रेशन हुआ और वे उधर शरण नहीं पाये और जब डकैती करने और आतंक करने का उनके लिये कोई रास्ता नहीं रह गया तो वे लोग उत्तर प्रदेश में जुर्म जरायम कर रहे हैं । हमारे यहां का पुलिस प्रशासन क्या करता है । 13–13 लोगों का नरसंहार होना पुलिस प्रशासन पर हीं नहीं पूरे शासन पर कलंक है । जो पुलिस आम आदमी पर डण्डा चलाती है, विधायकों तक को नहीं छोड़ती है, उसका दम अब कहां है । मेरा सुझाव है कि जो हरीश जी ने कहा कि उन गांवों के लोगों को बसाया जाय, मेरा कहना है कि या तो उस एरिया के गांवों को किसी अलग जगह पर बसाएं और उन्हें घर बनाकर दें खेती के लिये जमीन दें, अन्यथा पुलिस का एक थाना उसमें कायम किया जाय और उसमे मजबूर दरोगा और कान्सटेबिलों को उक्त थानों में रखा जाय । हमारे प्रदेश में डाकुओं के आतंक के कारण कुछ जिलों डाकुग्रस्त

जिले घोषित किये गये हैं, और उनमें कुछ विशेष व्यवस्था की गयी है। मेरा सुझाव है कि पूरे देवरिया को नहीं तो उस एरिया को डाकूग्रस्त एरिया घोषित करके, उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि आगे यह घटना न घटे। एक बात और है कि वहां का जो असल मामला है, वह राजस्व का मामला है, खेती-बाड़ी का मामला है। खेत किसी की है जोतता कोई और खेतों पर नाम किसी का है, लोग बाहर रहते हैं,अपने नाम दर्ज कराये रहते हैं, इसलिये जरूरी है कि राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने के लिये रिकार्ड आपरेशन चलाया जाय। इन शब्दों के साथ आशा करता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री हरिशंकर तिवारी––

मान्यवर, उस क्षेत्र मे मेरा चुनाव क्षेत्र लगा है, इसलिये मुझे इसके बारे में जानकारी है,मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं सभी सम्मनित सदस्यों की राय से अपने को सम्बद्ध करता हूं और कुछ नये बिन्दुओं की ओर मा0मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वहां जो सम्मानित सदस्य ओझा जी ने बताया, जमीन के बारे में चर्चा की, मान्यवर, नौतार, मदनपुर, रामपुर इसनहां और अन्य जो गांव हैं, मुझे मालूम है कि वहां एक केन्द्रीय मंत्री के कुछ रिश्तेदारों की जमीन है, जिन्होंने नाजायज रूप से जमीन ले ली। वहां पर एस0एस0पी0 के रिश्तेदारों की जमीन है। मान्यवर, जिस जनपद में एस0एस0पी0 तैनात है, उसी जनपद के संसदीय क्षेत्र का एस0एस0पी0 रहने वाला है। उसकी ससुराल उसी जनपद में है उसके रिश्तेदारों की जमीन है। इन जमीनों के नाते जो दबंग लोग हैं, वहां पर इसी सिलसिले में कुछ समय पूर्व एक कत्ल का केस भी हो गया था, वहां प्रवैध तरीके से एस0एस0पी0 ने जमीन को कब्जा करवाया और जबरदस्ती गन्ना काट कर गरीबों से, किसानों से जमीन ले ली। इस तरह से मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर जांच कराई जाय और अवैध जमीनों पर जो कब्जे किये हैं, उसका कब्जा खारिज किया जाय। एक और सुझाव है, यह सही है कि वह बीहड़ क्षेत्र है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि माननीय स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने छितौनी बगहा पुल का शिलान्यास किया था, आवागमन का साधन होता तो यह काण्ड न होता। वह छितौनी बगहा का पुल बनवाया जाय ताकि तत्काल इस तरह की कोई घटना मालूम हो तो लोगों के जाने का रास्ता हो। यहां इस तरह की व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। उस जमीन के विवाद की पुनः जांच कराई जाय और अवैधानिक तरीके से भूतपूर्व न्यायाध्यक्ष अवधनारायण सिंह जो केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदार हैं, रामदेव सिंह, जिनकी नौतार में 28 एकड़ जमीन है, भगौती सिंह, नारायण सिंह, इन लोगों ने वहां पर 18-18 एकड़ जमीन जबरदस्ती ली है। के अवैध कब्जे को खारिज कर भूमिहीनों में जमीन आवंटित की जाय। मैं चाहूंगा कि इन सभी की जमीनों की जांच करायें और बेदखल कराया जाय। जिन गरीब व्यक्तियों की जमीन है, उन्हें दी जाय। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू––

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के बगल की घटना है एक मिनट कहना चाहूंगा। मैं खुद घटना-स्थल पर गया था। मेरे क्षेत्र से आधे कि0मी0 दूर पर है।

मान्यवर, हमारे समझ में यह नहीं आ रहा था कि सामने बैठे माननीय सदस्य मरचहवा काण्ड पर चर्चा कर रहे थे या पुलिस अधीक्षक देवरिया के स्थानान्तरण पर चर्चा कर रहे थे। मुख्य विषय से हटते दिखे।

जिन निरीह लोगों की हत्या हुई है वहां, आप उनके प्राण जाने पर घड़ियाली आंसू न बहाकर, उनके बारे में कुछ व्यवस्था के बारे में विचार होनी चाहिये कि वहां पर क्या समस्यायें हैं उसके बारे में विचार करना चाहिये । माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके का खुद भी निरीक्षण किया और कुछ क्रांतिकारी कदम उठाये हैं । आज सबको मिलकर, विपक्ष को मिलकर, मांग करनी चाहिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन घोषणाओं को करके, स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है, उन्हें लागू किया जाय। जो स्थानीय समस्यायें हैं उनके बारे में और वहां क विकास क बारे में पूरा प्रयास किया जाय ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, इस दुखद घटना का समाचार मिलते हुए यह स्वाभाविक था कि मुझे भी बड़ी चिन्ता हुई और मैंने जितना भी संभव था उस रात को जब सूचना मुझे मिली उसके बाद इसकी गहराइयों में जाना था कि इसके क्या कारण हैं ? इसका पूरा प्रयास किया । मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जो वहां सत्य की खोज के लिये गये । जिन्होंने कल इस सम्बन्ध में चर्चा की मैं कल तो यहां उपस्थित नहीं था, क्योंकि मैं देवरिया गया हुआ था उस क्षेत्र में गया हुआ था लेकिन मैंने इनको कार्यवाही पढ़ी जो कुछ भी इस सम्बन्ध में यहां कहा गया । जो बातें यहां कही गयी थीं वह भिन्न-भिन्न घटनाओं को जो पहले घटित हो चुकी हैं उनका यहां निरुपण हुआ उससे यह स्पष्ट है कि कारण क्या थे या क्या हो सकते हैं? श्रीमन् यह जब मैं कल वहां गया यह बात स्पष्ट हुई कि वह क्षेत्र ऐसा है जो बिल्कुल नेपाल से और बिहार की घटनाओं से प्रभावित होता है । देवरिया, गोरखपुर का जो मुख्य जिले का भू-भाग है वह उससे बिलकुल कटा हुआ है और, भौगोलिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से इसे बिहार का अंग होना चाहिये लेकिन यह उत्तर प्रदेश में 13 गांव गोरखपुर के निचलौल थाने के 18 गांव, देवरिया के खड्डे थाने के गांव हैं ।

नारायणी बड़ी भारी नदी है उसके पार बाढ़ग्रस्त रेता कहते हैं रेता के ऊपर गांव हैं जो खिसकते रहते हैं । कभी-कभी 2–3 कि0मी0 ऊपर आ जाते हैं और कभी नीचे आ जाते हैं इसलिये वहां मकान नहीं बन सकते हैं भूमि स्थिर नहीं है । रेता के ऊपर बसे गांव माना जाता है । रेता के साथ-साथ उनकी भूमि बदलती रहती है । यह गांव बिलकुल एक तरह से देवरिया और गोरखपुर के मुख्य भु-भाग से बिलकुल कटे हुए हैं । उत्तर में जो जंगल हैं, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य बस्ती ने किया । चार बड़े जंगल हैं । जो बकुलई जंगल है, बकुलाई जंगल, मदनपुर जंगल नैपाल से मिला हुआ है । नैपाल का नवलपरसा जिला है यह वहां तक गये हुए हैं माननीय सदस्य नवलपरासी बता रहे हैं, आप तो वहीं के रहने वाले हैं । नवल परासी बाल्मीकी नगर जहां मुख्य केन्द्र है, बिहार में मिलता है जंगल जो बिहार वहां से 100 मीटर पर बिहार के गांव शुरू हो जाते हैं, उसके बीच में नया जिला बना है पश्चिमी चंपारन, वहां पर कई घटनायें पिछले महीनों में हुई, उन घटनाओं का प्रभाव इस जघन्य कांड पर भी हुआ ।

मैं सदन का पूरा समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक पूरा इतिहास वहां पिछले वर्षों में हत्याओं का, जो बिहार और उसके आस पास के जिलों में हुआ । मान्यवर, वहां एक गिरोह है, जो जंगल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, उसे बिहार सरकार भी कहते है । नेपाल अलग कुछ कहते हैं । यह 4--5 गैंग्स के लोग हैं, जो कभी आपस में लड़ लेते हैं, कभी खैर की लकड़ी के लिये लड़ते हैं और बैर की नाजायज कटान कर, इधर से उधर पहुंचाना भी इस गिरोह के लोगों का काम है । कभी इस गिरोह के सदस्य आपस में मिल जाते है । यह कांड जो हुआ, इसके पीछे अलग-अलग बातें कही जाती हैं, जो पत्र वह लोग छोड़े गये मैं, वह बिहार सरकार के नाम है । ऐसा लगता है कि यह लोग नौसिखिये थे और उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह जो गांव है,मरचहवा, यह बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है । यह आज पत्र अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही––

यह पत्र, तो देवरिया पुलिस द्वारा फर्जी तैयार कराया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

जो पत्र है, वह बिहार पुलिस के नाम है और यह जो लोग पकड़े गये हैं, इनको बिहार पुलिस और नेपाल पुलिस ने मिलकर 4 लोगों को नवलपरासी क्षेत्र में पकड़ा है, यह घटना से सम्बन्धित लोग हैं। मैंने कल इस सम्बन्ध में बिहार के मुख्यमंत्री से भी बात की थी कि ज्वाइन्ट आपरेशन प्लान सख्त किया जाय और ज्वाइन्ट एक्शन को और तेज करने की जरूरत है। पिछले वर्ष गोरखपुर में भी इस सम्बन्ध में बैठक हुई, रोहतास में हुई और नेपाल भी इसमें एक पार्टी है। नेपाल की पुलिस से भी बाल्मीकी नगर में कल बात हुई है, आज भी वहां बैठक हुई होगी। मैंने कल बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन किया और जो एंटी डकैती आपरेशन के डी0आई0जी0 हैं, उनको भेजा है, एस0पी0पी0 वेस्ट चम्पारन जिले के हैं, आई0 जी0 पुलिस वासन साहब से कहा है कि वह सीधे इसका चार्ज लें तथा वहां ज्वाइन्ट पेट्रोलिंग पुलिस की हो, नेपाल से भी सम्पर्क स्थापित किया जाय। मदनपुर और बकुलाही में जंगल के अन्दर वन विभाग को सक्रिय करने के आदेश दिये गये हैं और यह सर्च-लाइट के जरिये वहां पेट्रोलिंग करेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ज्वाइन्ट पेट्रोलिंग करें, इसके भी आदेश दिये गये हैं। परसों फिर उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस के अधिकारी आपस में मिलेंगे कि इसके लिये क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिये, ताकि ऐसी चीजों पर नजर रखी जा सके।

इस सम्बन्ध में हमने यह निर्णय लिया है कि जैसे सुझाव यहां भी दिये गये कि गोरखपुर और देवरिया जो अलग-अलग जिले हैं, जिनके थाने अलग-अलग हैं, जहां ऊपर निचलौल थाना तथा नीचे खड्डा थाना पड़ता है। उसको एक यूनिट मानने का सुझाव दिया गया है, हमने यह बात मान ली है। गोरखपुर और देवरियां में कुल मिलाकर 31 गांव हैं, उनमें एक नया थाना तत्काल प्रभाव से बनाया जायगा। और वहां पर उपयुक्त और आधुनिक प्रकार के शस्त्र दिये जायेंगे। इसका प्रबन्ध जितनी जल्दी हो सके, वह किया जायगा और साथ में मोबाईल, जिसमें सर्च लाईट की पूर्ण व्यवस्था होगी, ऐसा वह थाना होगा, इसके आदेश भी दे दिये गये हैं।

वन विभाग में भी वहां पर मोबाईल जो शस्त्रों से लैस होगी और सर्च लाईट होगी ताकि रात में गस्त करते समय वह ऐसे दस्तों के खिलाफ कार्यवाही कर सकें, इसके आदेश भी दे दिये गये हैं। वहां के विकास के लिये एक यूनिट मानकर कमिश्नर गोरखपुर से कहा गया है कि 15 दिन के अन्दर वह ऐक्शन प्लान बनायें। वहां, सड़कें, स्कूल, और वहां जो एक आयुर्वेदिक अस्पताल है उसे एलोपैथी में परिवर्तित करने और एक जूनियर हाई-स्कूल की स्थापना की जायेगी। वहां पर सड़कें नहीं हैं। सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी कि वहां पर सड़कें बनें। बिहार के मुख्य मंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया है, कल रात भी उनसे मेरी बात हुई। छपरा के जो कमीश्नर हैं और गोरखपुर के जो हमारे कमीश्नर हैं, वे दोनों मिलकर एक ज्वाइन्ट डेवलपमेन्ट प्लान बनावें। वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, वहां पर बिजली नहीं है। साल भर के अन्दर वहां पर सड़कें होनी चाहिये, स्कूल होने चाहिये और बिजली होनी चाहिये, इसके आदेश दे दिये गये हैं। मुझे वह सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र लगा है, इसलिये वहां पर नेर्बल वर्ग आवास योजना के तहत जहां रेत वाली जमीन नहीं है, एक साल के अन्दर जितने मकान बन सकते हैं, बनाये जांय, इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना के अन्दर भी मकान बनाने के आदेश दिये गये हैं।

वहां पर जो मृतक के परिवार वाले थें, डी0एम0 ने 5 हजार रुपये दिये थे उसे हमने 25 हजार रुपये कर दिया है और घायल के लिये 5 हजार की बात थी। मृतकों की जो

विधवायें हैं और जो वृद्ध हैं, उन्हें आजीवन पेंशन देने के आदेश दिये गये हैं। छितौनी में जो रेलवे पुल की बात कही गई है, इस घटना से पहले ही हमने रेलवे मन्त्रालय को लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना शेयर देने के लिये तैयार है। मैं बिहार के मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वह अपना शेयर भी इसमें दें। हम दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर रेलवे मन्त्रालय से आग्रह भी करेंगे कि इस पुल को जल्दी बना दिया जाय। मैं निकट भविष्य में पुनः बिहार के मुख्य मंत्री जी से भी बात करूंगा ताकि यह कार्यवाही हो सके।

मान्यवर, जहां तक अभिलेखों का सवाल है, मुझे यह अवश्य बताया गया है कि जो वहां पर जो जमीन जोतता है, वह उसके नाम पर नहीं है यह आदेश दे दिये गये हैं कि वहां पर तुरन्त बन्दोबस्त किया जाय और रिकार्डस को दुरुस्त कर जो वास्तविक कृषक हैं उनके नाम भूमि को अभिलेखों में लिखा जाय, ये आदेश मैंने वहीं कमिश्नर को दे दिये हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे वहां पर लगी वह यह है कि वहां पर सामाजिक एकता की आवश्यकता है। जाति व उपजाति के नाम पर कितने ही झगड़े बिहार के इस बार्डर पर आ गये हैं। आर्थिक स्वार्थ, जाति व उप जाति का झगड़ा और बदले की भावना से झगड़ा वहां का एक सामान्य जीवन बन गया है। कई राजनैतिक दलों के लोग मुझसे मिले, हम सबने मिलकर यह निर्णय लिया है कि बदले की भावना से जिस प्रकार वहां काम हो रहा है, उसे समाप्त करना है यह आश्वासन उन्होंने मुझे दिया, इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। बिहार को भी यही चेष्टा करनी चाहिये और नेपाल से लगा हुआ भी यह भू-भाग है इसलिये मैं विदेश मंत्री जी से भी कहूंगा ,कि वह इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से चर्चा करें। और यह जो गैंग नेपाल और भारत के बीच में और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं जंगल का सहारा लेते हैं, ऐतिहासिक सम्बन्धों का सहारा लेते हैं, जो नाजायज फायदा उठाते हैं, उसे भी समाप्त किया जाय। विदेश मन्त्रालय भी नेपाल से इस सम्बन्ध में बात करेगा। इसमें ज्वाइंट एक्शन की सख्त जरूरत है।

मैंने तय किया है कि 6 मशीने के बाद फिर जाऊंगा ताकि देख सकूं कि विकास का कार्य कैसे हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी आमन्त्रित करूंगा। हम लोग संयुक्त रूप से वहां जायं और देखें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में मिलकर क्या कर सकते हैं। हम उस पर विचार करें। मैं आग्रह करूंगा कि एक दूसरे पर आरोप न लगायें जैसे एक एक माननीय सदस्य ने केन्द्रीय मन्त्री का नाम लिया। यह अवसर ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा करें या व्यक्तिगत आरोप लगायें। यह जघन्य काण्ड यह बताता है कि समाज में क्या खराबियां हैं उसको उजागर करता है और किस प्रकार जाति पांति और उप जाति के नाम पर फायदा लिया जा रहा है, इस प्रवृत्ति को रोकना है, जो राजनीति से परे है। यह प्रवृत्ति जघन्य है। यह अभियान हो सकता है राजनीतिकरण से नहीं। मुझे आशा है कि जो कदम उठाये हैं उसका व्यापक प्रभाव होगा। जहां जांच का प्रश्न है बिहार से भी सम्बन्धित है, सी0 बी0 आई0 जांच करायें या क्या करें, बिहार मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही तय हो सकेगा।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा "मद संख्या– 24, पुकारी गयी।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवही की जायगी, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। यह महत्वपूर्ण मामला है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी । इस सम्बन्ध में बता दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जैसा मैंने कहा अभी तो सुरक्षा देने की बात है ।

(घोर व्यवधान)

जांच कौन करे, किसका दोष है, यह देखना होगा । जांच के बाद जो भी दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होगी ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा पुनः "मद संख्या-24 पुकारी गयी ।)

रवीन्द्र नाथ तिवारी--

हमारी परेशानी यह है कि यहां माननीय ओझा जी और सदन के दूसरे मा0 सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानकारी चाहते थे कि लगातार जो घटनायें हुई हैं और उसके लिये पुलिसकर्मी और अधिकारी दोषी हुए हैं उन्हें इस सरकार ने क्यों नहीं दण्डित किया अभी तक ? आज इस सरकार के मुखिया मा0 नारायण दत्त तिवारी जी हैं जिन्होंने छोटी सी घटना पर नारायणपुर काण्ड पर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी । उनकी सरकार ने उसी काण्ड को बहाना बनाकर विधान सभा को भंग किया था यह सरकार इतनी नैतिकता विहीन और संवेदनहीन हो गयी है इसके विरोध में हम लोग बहिर्गमन कर रहे हैं ।

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने अपने दल सहित सदन का त्याग किया ।)

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र, कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है इसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जघन्य अपराध कहा है, यह वहां के पुलिस अधिकारियों के शिथिलता का परिणाम था । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ।। इससे बड़े दुख की बात तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा के बीच से उठकर चले जा रहे हैं । जब कि चर्चा चालू है ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा तो समाप्त हो गयी, अब चर्चा कहां चालू है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से हट कर चले जायेंगे, यह सदन की अवमानना है । आप पूर्व दृष्टांतों को देख लें कि चर्चा के बीच से उठ कर चले जाना, यह सदन की अवमानना है । मान्यवर, भाषण के बाद स्पष्टीकरण के प्रक्रिया चालू थी । उसके बाद उनका इस तरह से बीच में चले जाना गलत है, चिन्ताजनक है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, आपने दूसरी मद संख्या पुकार ली थी ।

(सर्वश्री शारदानन्द अंचल, सूर्य प्रताप शाही, जनार्दन प्रसाद ओझा तथा बालेश्वर आदि कई सदस्य सदन के "फ्लोर" पर आ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम कल 11 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
4 अप्रैल, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

नत्थियां 'क'

(देखिए अता0 पृ0 सं0 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

सूची

राजा साहब जौनपुर श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे द्वारा भूदान समिति को दान दिये गये ग्रामों की सूची तहसील-शाहगंज, जनपद जौनपुर ।

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	परगना	क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	रूपचन्द पुर	.. रारी	64.93
2	शिरशादपुर	.. ,,	67.67
3	मुरादपुर कोटिला	.. ,,	87.85
4	मददपुर धारापुर	.. ,,	19.30
5	अलाउदीनपुर	.. ,,	15.14
6	पट्टी दयाल	.. ,,	203.41
7	रामपुर	.. ,,	89.93
8	लविदाही	.. ,,	14.46
9	बरगांव	.. अंगुली	26.66
10	हड्डी	.. ,,	57.73
11	नेंवादा मुफलिसपुर	.. रारी	98.03
12	रमानीपुर	.. ,,	20.61
13	दगौली कला	.. ,,	34.41
14	तिपरा	.. ,,	176.10
15	बछाड़ी	.. ,,	32.43
16	इनामीपुर	.. ,,	14.05
17	महौली	.. ,,	23.38
18	खमपुर	.. ,,	50.07
19	सींगी लसकरपुर (महुवीगांव)	.. ,,	59.25
20	मलुआही	.. ,,	6.17
21	बिटुआ कला	.. ,,	4.26
22	कस्तूरीपुर	.. ,,	10.36
23	मरारपुर	,,	1.51
24	सरोखपुर अफारपुर पुरानी बाजार	,,	6.43
25	फत्तूपुर	.. ,,	2.30
26	पूरामुकुन्द	.. रारी	1.53
27	अहिरौली	.. ,,	2.82
28	बनगांव पट्टी	.. ,,	4.97
29	महदा	.. चांदा	133.75
30	अर्जुनपुर	,,	29.18

1	2	3	4
31	सैइयाकलां केवटपट्टी कुर्मी पट्टी मुसलमान पट्टी	.. अंगुली	160.76
32	मन्दवज	..	161.70
33	मेहरांवा	..	91.45
34	जमदहां	.. ,,	46.08
35	सोनिकपुर	.. ,,	37.84
36	कनदारिया	.. ,,	1.98
37	मिलाछी	.. ,,	133.13
		योग ..	1998.85

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

जनपद बलिया में स्वीकृत पुलिस स्टाफ तथा रिक्त स्थानों का विवरण

क्रम-संख्या	पदनाम	स्वीकृत निर्यतन	रिक्त स्थान
1	2	3	4
1--राजपत्रित अधिकारी	1--पुलिस अधीक्षक	1	..
	2-अपर पुलिस अधीक्षक	1	1
	3--उप पुलिस अधीक्षक	5	1
2--नागरिक पुलिस	1--निरीक्षक ना0 पु0	3	..
	2--उपनिरीक्षक ना0 पु0	101	18
	3--हे0 कां0 ना0 पु0	96	..
	4--कां0 ना0 पु0	816	22
3--सशस्त्र पुलिस	1--निरीक्षक स0 पु0	1	..
	2--उपनिरीक्षक स0 पु0	1	.
	3--आर0 एस0 आई0	2	..
	4--हे0 कां0 स0 पु0	46	4
	5--कां0 स0 पु0	203	19
4--परिवहन शाखा	1--हे0 कां0 एम0 टी0	1	..
	2--कां0 ड्राइवर	39	..
5--फायर सर्विस	1--एफ0 एस0 ओ0	1	..
	2--एफ0एस0एस0ओ0	1	1
	3--एफ0 एस0 ड्राइवर	3	..
	4--एल0एफ0 एम0	3	..
	5--फायरमैन	18	1
6--अधिसूचना इकाई	1--एस0आई0 एल0आई0यू0	5	..
	2--हैड कां0	8	..
	3--कां0	11	..
7--रेडियो शाखा	1--आर0 एम0 ओ0	1	..
	2--आर0 एस0 ओ0	3	..
	3--हेड आपरेटर (एम)	6	1
	4--हेड आपरेटर	10	2
	5--असिस्टेन्ट आपरेटर	8	2
	6--वर्कशाप हैण्ड	1	1

पी0एस0यू0पी0--ए0 पी0 20 विधान सभा–22–8–89 (2145)–1990–813 (हिन्दी)।